VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

MAINS 365

Classroom Study Material 2022

(September 2021- to June 2022)

8468022022, 9019066066   www.visionias.in

दिल्ली । लखनऊ । जयपुर । हैदराबाद । पुणे । अहमदाबाद । चंडीगढ़ ।गुवाहाटी

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (India and its Neighbourhood Relations) 7

1.1. भारत-चीन (India-China) 7

1.1.1. भू-सीमाओं से संबंधित चीन का कानून (China's Land Border Law) 9

1.2. भारत-पाक युद्ध और इसका प्रभाव (Indo-Pak War and its Impact) 11

1.3. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT) 13

1.4. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban) 16

1.5. भारत-श्रीलंका (India-Sri Lanka) 18

1.5.1. श्रीलंकाई संकट (Sri Lankan Crisis) 19

1.5.2. भारत-श्रीलंका-चीन ट्रायएंगल की भू-राजनीति (Geopolitics of India-Sri Lanka-China Triangle) 21

1.6. भारत के उत्तर-पूर्वी पड़ोसी (India's North East Neighbours) 23

1.7. भारत-नेपाल (India-Nepal) 24

1.7.1. बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता {Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)} 25

1.8. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 27

1.9. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR) 28

1.10. भारत-मालदीव (India-Maldives) 31

2. भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह एवं समझौते (Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements Involving India and/Or Affecting India's Interests) 32

2.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (India-US) 32

2.1.1. भारत अमेरिका रक्षा संबंध (India-US Defence Relations) 33

2.2. भारत-रूस (India-Russia) 34

2.2.1. भारत-रूस रक्षा संबंध (India-Russia Defense Relations) 35

2.3. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) {India-United Kingdom (UK)} 37

2.4. भारत-यूरोपीय संघ (India-European Union) 39

2.4.1. भारत-फ्रांस (India-France) 40

2.4.1.1. भारत-फ्रांस साझेदारी (India-France Defence Partnership) 40

2.5. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia) 41

2.5.1. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia) 44

VISION IAS

2.5.2. भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंध (India Turkmenistan Relations) 45
2.6. भारत-मध्य पूर्व (India-Middle East) 46
2.6.1. I2-U2 संयुक्त कार्य समूह (I2U2 Joint Working Group) 46
2.6.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (India-UAE Relations) 47
2.6.2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता {India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)} 48
2.6.3. भारत-इजरायल (India-Israel) 49
2.7. भारत-अफ्रीका (India-Africa) 50
2.7.1. अफ्रीका में चीन का बढ़ता प्रभाव (China's Growing Footprint in Africa) 50
2.8. भारत-वियतनाम (India-Vietnam) 52
2.9. भारत-जापान (India-Japan) 53
2.9.1. भारत-जापान संबंधों के 70 वर्ष (70 Years of India-Japan Relations) 54
2.10. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia) 55
2.10.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-Australia Virtual Summit) 56
2.11. ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) 56
2.12. ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20) 59
2.13. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) (Shanghai Cooperation Organization: SCO) 60
2.13.1. क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS) 61
2.14. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) (Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) 62
2.14.1. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) चार्टर {Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Charter} 63
2.15. ब्रिक्स (BRICS) 64
2.15.1. 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (14th BRICS Summit) 65
3. विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests) 66
3.1. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) 66
3.1.1. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF) 67
3.1.2. क्वाड (QUAD) 69
3.2. ऑकस (AUKUS) 71
3.3. दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र का भू-राजनीति उदय (Geo-Political Rise of South Pacific) 72
3.4. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO) 74

VISION IAS

4. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना व अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and For- their Structure, Mandate) 77

4.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) 77

4.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) 77

4.1.2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) 78

4.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping) 79

4.1.4. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) 79

4.2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO) 81

4.2.1. महामारी संधि (Pandemic Treaty) 82

4.3. गुट-निरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM) 84

4.4. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) 86

4.4.1. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) 89

4.4.2. बौद्धिक संपदा छूट (IP Waiver) 90

4.4.3. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR) 91

5. बदलती वैश्विक व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics of Changing World Order) 94

5.1. दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security) 94

5.2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives To Belt and Road Initiative: BRI) 96

5.3. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) 99

5.3.1. युद्ध के प्रति प्रतिक्रियाएं (Responses to the War) 100

5.3.2. वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन और भारत (Global Geopolitical Changes and India) 101

5.3.3. युद्ध के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact of War) 102

5.4. विदेशी सैन्य अड्डे (Foreign Military Bases) 103

5.5. उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था में भारत (India in the Emerging World Order) 105

5.5.1. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) 107

5.6. सॉफ्ट पावर कूटनीति (Soft Power Diplomacy) 110

5.6.1. सॉफ्ट पावर के साधन के रूप में डायस्पोरा (Diaspora as soft power tool) 111

5.6.2. सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म (Religion As Soft Power Tool) 112

5.6.3. खेल कूटनीति (Sports Diplomacy) 114

VISION IAS

6. विविध (Miscellaneous).. 116

6.1. भारत एवं बहुपक्षीय विकास बैंक (India and Multilateral Development Banks) 116

6.2. भारत के विकास सहयोग (India's Development Cooperation) 117

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2014-2021 तक पूछे गए प्रश्नों (अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।

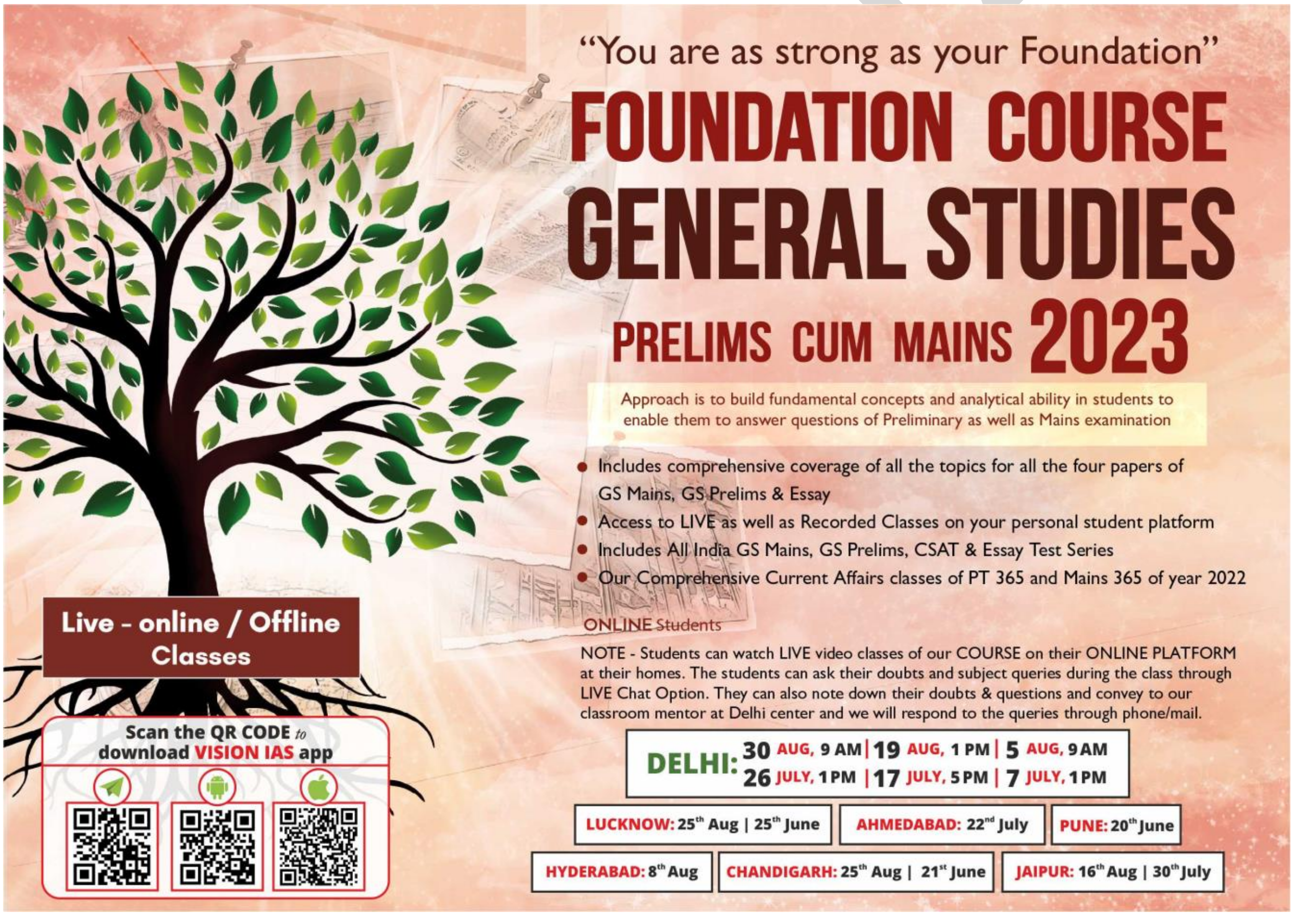

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

- अच्छे उत्तर में सटीक कंटेंट अब छोड़ देने लायक घटक नहीं है, बल्कि यह एक मूल आवश्यकता है। एक सटीक उत्तर लिखने की तैयारी पेन हाथ में लेकर उत्तर के बारे में सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। पूछे गए विषय की अच्छी समझ के साथ प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तर को सटीक बनाता है। इससे सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मदद मिलती है।
- इसके अलावा एक बेहतरीन शैली में उत्तर की प्रस्तुति उसमें शामिल तथ्यों और जानकारी को आसानी से समझने में मदद करती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें उत्तरों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

इनके साथ-साथ, इस वर्ष हमने विषयों को अच्छी तरह से याद करने तथा सटीक तरीके से उत्तर लिखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ और विशेषताओं को शामिल किया है, इनमें शामिल हैं:

डेटा बैंक

विषयों के महत्वपूर्ण डेटासेट की पहचान करने और उन्हें रिवाइज़ करने में आपकी सहायता के लिए इसे डिज़ाइन कर संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

परिशिष्ट

जल्दी रिविज़न के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस दस्तावेज की सूची

प्रासंगिक वीकली फोकस दस्तावेज की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

हम आशा करते हैं कि ये नई विशेषताएं न केवल आपको विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेंगी, बल्कि प्रभावी और अच्छी तरह से प्रस्तुत किये गए उत्तर लिखने के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करेंगी।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

– जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 2 AUGUST, 9 AM | 24 JUNE, 1 PM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2022
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)
GS-1 & GS-2
27 AUGUST
GS-3 & GS-4
28 AUGUST
All India Percentile
Closely aligned to UPSC pattern
Concrete Feedback & Corrective Measures
Available in ENGLISH / हिन्दी
Register at: www.visionias.in/abhyaas
40 CITIES
Ahmedabad | Aizawl | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Coimbatore | Dehradun | Delhi | Ghaziabad | Gorakhpur | Guwahati
Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jammu | Jodhpur | Kanpur | kochi | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai | Nagpur | Noida
Patna | Prayagraj | Pune | Raipur | Ranchi | Rohtak | Shimla | Thiruvananthapuram | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam

1. भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध (India and its Neighbourhood Relations)

1.1. भारत-चीन (India-China)

वैश्विक पटल पर उभरता चीन – एक नज़र में

एक आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में चीन के उदय के परिणामस्वरूप वैश्विक शक्ति संतुलन में एक रचनात्मक बदलाव आया है। अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही, यह वैश्विक शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ले रहा है।

चीन के उदय के पहलू

- **आर्थिक उभार:** चीन का सकल घरेलू उत्पाद 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसके वर्ष **2028 तक अमेरिका से आगे निकल जाने की संभावना है।**
  - **कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकुचन से बच निकलने** वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था चीन की थी।
- **तकनीकी उदय: चीन उभरते क्षेत्रों** जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि में **तकनीकी नवाचार को प्रेरित कर रहा है।**
- **सैन्य वृद्धि: चीन का रक्षा व्यय पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है।** अब यह दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश है।
- **भू-रणनीतिक उदय:** अपनी बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के माध्यम से चीन अब सभी महाद्वीपों से बेहतर संपर्क में है।
- **एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय:** चीन ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसी अर्ध-संस्थागत पहल भी शुरू की है। इस तरह उसने बहुपक्षीय मंच पर भी एक बड़ी भूमिका निभाई है।
- **एक बाहरी प्रभावक के रूप में उदय:** ऊर्जा, परिवहन, सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में चीन की रुचि उसे देशों पर बाहरी रूप से प्रभाव डालने में सक्षम बनाती है।

वैश्विक प्रभाव

- अमेरिकी वर्चस्व वाले **वैश्विक व्यवस्था के बदलने से** द्विध्रुवी या बहुध्रुवीय विश्व का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।
- **युद्ध जैसी स्थितियों की पुनरावृत्तिः** वर्तमान रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति में यू.एस.ए-यूरोप द्वारा कमजोर प्रतिक्रिया चीन को ताइवान का सैन्य अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- **यू.एस.ए.-चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता जारी है।** इसका वित्तीय बाजारों या जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
- **चीन अपरिहार्य व्यापार-भागीदार बन गया है:** चीन के साथ मतभेदों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल हो गया है।
- **दक्षिण चीन सागर की तरह संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (SLoCs) में सेना की तैनाती में वृद्धि** देखी गई है।
- **हथियारों की होड़ का आसन्न खतराः** उदाहरण के लिए- जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- चीन की BRI पहल के प्रतिकूल **आर्थिक प्रभाव देखे जा रहे हैं।** इस पहल के तहत ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में श्रीलंका जैसे देश ऋण जाल में फंस गए हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के साथ चीन के क्षेत्रीय विवाद हैं। इसलिए **चीन के उदय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ने और उसके अस्थिर होने की संभावना है।**
- **सीमाओं की सुरक्षाः** एक मुखर चीन, भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए प्रयास नहीं करेगा।
- **CPEC के तहत पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिल रहा है।**
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अप्लायंसेज से लेकर फार्मास्युटिकल ड्रग **API** तक के लिए **भारत, चीन पर निर्भर है।**
- **भारत के लिए दुविधाः** भारत दो विकल्पों को लेकर दुविधापूर्ण स्थिति में है:
  - दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में एक आर्थिक भागीदार के रूप में सक्रिय होना तथा चीन के विरुद्ध खुद को एक संतुलनकर्ता के रूप में स्थापित करना, या
  - यथास्थिति का पालन करना।
- **WHO, WTO, BRICS, RIC** और **SCO** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर चीन का प्रभुत्व भारत के हितों के प्रतिकूल है।
- चीन, भारत के छोटे पड़ोसी देशों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

भारत के लिए आगे की राह

- **स्वयं को मजबूत करने पर ध्यान देनाः** इससे भारत, विनिर्माण के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य बन सकता है। इसके अलावा चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता को भी कम किया जा सकता है।
- **भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूलभूत स्रोतों की रक्षा करनाः** ऐसा पड़ोसियों के साथ आर्थिक एकीकरण करके और क्षेत्रीय संस्थानों को मजबूत करके किया जा सकता है।
- **एशिया में संतुलन की राजनीतिः** भारत **'मिनिलेटरल'** के रूप में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये देश बाहरी संतुलनकर्ता के रूप में हैं और चीन के व्यवहार से जुड़ी कुछ चिंताओं को भारत के साथ साझा करते हैं। वे चीन के इस व्यवहार को बदलने या कम करने में मदद कर सकते हैं।

भारत की राष्ट्रीय रणनीति एक बेहतर और शक्तिशाली देश के रूप में स्वयं को रूपांतरित करने की है। चीन से जुड़े मुद्दों के कारण भारत को अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। चीन आने वाले दशक में अपनी मुखर और राष्ट्रवादी रणनीति पर कायम रहेगा। इसी तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को भी चीन के साथ जुड़ाव और प्रतिस्पर्धा के संयोजन का उपयोग करना चाहिए।

भारत–चीन आर्थिक संबंध – एक नज़र में

भारत–चीन आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि, भारत की चीन पर निर्भरता अधिक है, जो भारत के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच, चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रव्यापी आह्वान किया जाता रहा है। यह चीन के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव की सीमा की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

निर्भरता की प्रकृति और सीमा

- वित्त वर्ष 2022 में चीन से भारत को होने वाला निर्यात 45.51% बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गया।
- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 77 अरब डॉलर है।
- भारत सक्रिय औषध सामग्री (API) के 70% की पूर्ति चीन से आयात के माध्यम से करता
- भारत सौर ऊर्जा के लिए चीन से लगभग 80% घटकों का आयात करता है।

चीन पर भारत की निर्भरता के कारण

- घरेलू जरूरतों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी कम है।
- चीन में व्यापार और एफ.डी.आई. की एक उदारीकृत व्यवस्था है।
- चीनी वस्तुएं (कीमत, उपयोगिता, डिजाइन आदि के मामले में) घरेलू उत्पादों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं।
- व्यापार सुधार के उपाय और उनका प्रवर्तन अप्रभावी रहे हैं।
- घरेलू बाजार में उत्पादों में गुणवत्ता–नियंत्रण और उनके मानकीकरण का अभाव है।

भारत के घरेलू उद्योग पर प्रभाव

- चीनी आयातित वस्तुएं घरेलू रोजगार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- चीनी उत्पादों का प्रभुत्व मुख्यतः भारत के असंगठित खुदरा क्षेत्र में है। इसलिए ये उत्पाद भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) क्षेत्रक को प्रभावित करते हैं।
- चीन के पक्ष में व्यापार संतुलन आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को और बढ़ाता है। जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान देखा गया है।
- सौर उद्योग जैसे मूल्य संवेदनशील उद्योगों की व्यवहार्यता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- खराब गुणवत्ता वाले चीनी उत्पादों का मानव स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत में चीनी आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की गई है।
- अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का उपयोग किया जा रहा है।
- एफ.डी.आई. नीति में बदलाव किया गया है।
- चीन से आयातित कुछ वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क वसूला जा रहा है।
- चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए बोली लगाने से रोकने के उपाय किये गए हैं।
- सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को आधार बनाते हुए चीनी मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है।

चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे को कम करने से दक्षता में कमी आएगी। इसकी भरपाई उपभोक्ता को मिलने वाले लाभों में कटौती से की जाएगी।
- भारत के निर्धन उपभोक्ता कीमतों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
- इस कदम से भारतीय निर्यातक और उत्पादक भी प्रभावित होंगे क्योंकि चीन से भारत का 50% से अधिक आयात या तो पूंजीगत या मध्यवर्ती वस्तुओं का होता है।
- इस कदम से चीन को बहुत कम नुकसान होगा क्योंकि चीन से भारत को किया जाने वाला निर्यात चीन के कुल निर्यात का केवल 3% है।
- अन्य विदेशी निवेशकों की तुलना में भारत अपनी नीतिगत विश्वसनीयता खो सकता है।

आगे की राह

- व्यापार रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए चीनी आयात को धीरे–धीरे समाप्त करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- अधिक विविधतापूर्ण संबंधों के लिए संवाद के पैटर्न में बदलाव करना आर्थिक संबंधों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 1988 में स्थापित संयुक्त समूह या वर्ष 2010 में स्थापित रणनीतिक आर्थिक संवाद (SED) जैसे मंचों का उपयोग करना।
- निवेश के अनुकूल माहौल बनाने और सुरक्षा एवं गोपनीयता के संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन बनाना।
- स्टार्टअप्स को पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करना।
- आर्थिक पैरा डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना यानी राज्यों को चीनी प्रांतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वायत्तता देना।

लंबी अवधि में चीन के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, उसे अन्य एशियाई शक्तियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहिए और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहिए।

1.1.1. भू-सीमाओं से संबंधित चीन का कानून (China's Land Border Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भू-सीमाओं (लैंड बॉर्डर) से संबंधित चीन का नया कानून **1 जनवरी, 2022** से लागू हो गया है।

भू-सीमा कानून के बारे में

- यह चीन में **सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक विभिन्न एजेंसियों की सीमाओं की रक्षा में जिम्मेदारियों** को तय करता है।
- चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी भू-सीमा साझा करता है। भारत, मंगोलिया और रूस के बाद तीसरा देश है, जिसके साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है।
  - चीन ने भारत और भूटान के साथ अभी तक सीमा समझौतों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

भारत के साथ चीन का मौजूदा सीमा गतिरोध

- हाल ही में, **भारत और चीन ने 16वें दौर की वार्ता** (4 महीने के अंतराल के बाद) आयोजित की थी। यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में सेनाओं को पीछे हटाने और तनाव को कम करने हेतु बातचीत की रुकी हुई प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए आयोजित की गई थी।
- वर्तमान गतिरोध की शुरुआत तब हुई जब चीनी सैनिकों ने मई 2020 के दौरान **गलवान नदी घाटी (पूर्वी लद्दाख) के आसपास LAC को पार किया,** जिससे भारत और चीन के बीच तनाव का स्तर बढ़ गया।
- **15 दौर की वार्ता पहले ही हो चुकी है** और दोनों देशों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे व गोगरा पोस्ट से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को वापस बुला लिया है। लेकिन अन्य तनाव वाले बिंदुओं से अभी भी सैनिकों की वापसी नहीं हुई है, जैसे- पेट्रोलिंग पॉइंट-15, डेमचोक और देपसांग।

नए कानून के खिलाफ भारत की चिंताएँ

- भारत ने **इस नए कानून को चिंता का विषय** बताया है। उसके अनुसार यह सीमा-प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और समग्र सीमा प्रश्न को प्रभावित कर सकता है।
- यह कानून भारत और भूटान के साथ विवादित क्षेत्रों में **चीन की हालिया कार्रवाई को औपचारिक रूप दे** सकता है।
- चीन द्वारा **ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जांगबो नदी में जल प्रवाह को सीमित** किए जाने की भी संभावना है, क्योंकि यह कानून सीमापारीय नदियों और झीलों की स्थिरता की रक्षा हेतु उपायों का प्रावधान करता है।
- चीन इस नए कानून के तहत सैन्य और कूटनीतिक दबाव का उपयोग करते हुए **भारत के अवसंरचना विकास को रोकने** का प्रयास कर सकता है।

संबंधित तथ्य

चीन का नया समुद्री कानून प्रभावी हो गया है

- इस कानून के अनुसार, चीन के 'प्रादेशिक जल' से गुजरते समय **विदेशी जहाजों को चीनी अधिकारियों के समक्ष विवरण प्रस्तुत करना होगा।**
  - इस दावे का क्षेत्र में उसके पड़ोसियों और अमेरिका द्वारा विरोध किया गया है।
  - चीन के आसपास का जल क्षेत्र विवादास्पद है। **"नाइन-डैश लाइन" मानचित्र के तहत, चीन दक्षिण चीन सागर (SCS) के अधिकांश हिस्से** को अपने संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है।

चीन के साथ विवादित सीमा

- **सीमा का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं** किया गया है। साथ ही, **पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)**[1] **भी नहीं** है।
- LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
  - **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख);**
  - **मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड);**
  - **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम);**

- भारत की तर्कयुक्त और सैद्धांतिक स्थिति यह है कि **संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे।**

[1] Line of Actual Control

अनसुलझे सीमा विवाद का भारत पर संभावित प्रभाव

- **आर्थिक परिणाम:** भारत, चीन पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता, उससे जोखिम और चीनी कंपनियों द्वारा कुछ संवेदनशील भारतीय आर्थिक क्षेत्रकों में प्रवेश करने को लेकर चिंतित है।
- **चीन का पाकिस्तान के साथ मज़बूत होता गठबंधन:** निवेश (जैसे कि CPEC) के माध्यम से और UNSC में कश्मीर पर, आतंकवाद पर, NSG आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान के समर्थन के माध्यम से। यह विरोधी पड़ोसियों के साथ दो-मोर्चों पर संघर्ष की वास्तविकता की ओर ले जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तीनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं।

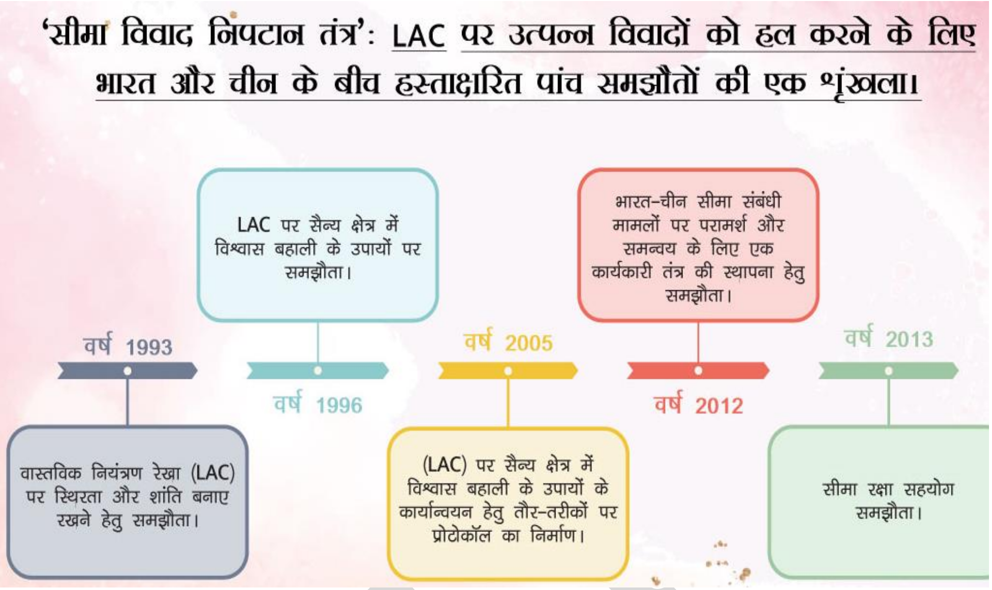

- **गठबंधनों को मजबूत करना:** भारत अमेरिका, यूरोप, जापान तथा रूस सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा, यह वैश्विक शक्ति समूहों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।
- **धारणाओं पर प्रभाव:** महामारी के कारण चीन को लेकर पहले से ही भारतीय जनता में रोष व्याप्त था, जो अब और बढ़ता जा रहा है। अन्य मुद्दों के साथ-साथ सीमा विवादों के कारण भी चीनी उत्पादों, भागीदारों और प्रायोजकों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है।

सीमा विवाद के अनसुलझे रहने हेतु उत्तरदायी कारण

- **संसाधनयुक्त/रणनीतिक भाग:** लद्दाख भारत के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह मीठे जल की आपूर्ति में मदद करता है। चूंकि, यह चीनी शिनजियांग प्रांत को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ता है। इसलिए, लद्दाख चीन के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है।
- **चीन के साथ बढ़ता शक्ति असंतुलन:** चीन भारतीय प्रभाव का मुकाबला करते हुए इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से पाँच गुना बड़ी है।

- **भारत के भू-राजनीतिक हितों से संभावित खतरा:** भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को चीन में नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसके अलावा, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी अवस्थिति के कारण एक उभरती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरा है, जो चीन को स्वीकार नहीं है।

- **एक-दूसरे की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को समझने में असमर्थता:भारत खुद को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखता है। चीन विशेष रूप से CPEC तथा अपने निवेश और भारत के पड़ोसियों के साथ बढ़ते संबंधों के माध्यम से भारत की इस स्थिति को चुनौती दे रहा है।**

आगे की राह

- विश्वास स्थापित करने के लिए खुले संवाद के माध्यम से **एक-दूसरे की क्षेत्रीय पहलों की बेहतर समझ महत्वपूर्ण है।**
    - भारत के लिए 'भारत-प्रशांत विज़न' उतनी ही विकासात्मक आवश्यकता है, जितनी चीन के लिए बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) है।
- दोनों देशों को अपनी सेनाओं की तैनाती में कमी करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के मध्य विश्वास में बढ़ोतरी होगी। ऐसा राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए, खतरे की धारणा को कम करके किया जा सकता है।
- दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए, **संतुलित व्यापारिक और आर्थिक संबंध** भविष्य के संबंधों के लिए एक ठोस नींव का निर्माण कर सकते हैं।
- **चीन द्वारा भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं की स्वीकृति** से कई वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग स्थापित हो सकता है। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लेकर नई प्रौद्योगिकियों में मानक स्थापित करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
- **प्रमुख साझेदारियों पर वैध हितों का समायोजन:** चीन का पाकिस्तान के साथ और भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ।

1.2. भारत-पाक युद्ध और इसका प्रभाव (Indo-Pak War and its Impact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर इस युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान के लिए देश भर में श्रद्धांजलि दी गई थी।

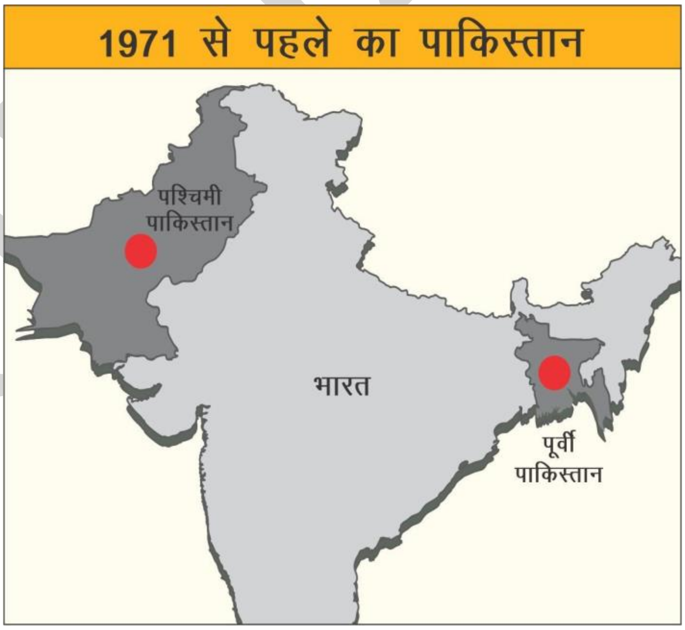

युद्ध हेतु उत्तरदायी कारण

- **भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अद्वितीय** क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से **साझा नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक** और **ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।**
    - उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश-बिहार के साथ नेपाल, पश्चिम बंगाल-असम के साथ बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य आदि।
- **'भारत के विभाजन'** के तहत, पाकिस्तान को दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ये क्षेत्र थे **पश्चिमी पाकिस्तान** (वर्तमान **पाकिस्तान**) और **पूर्वी पाकिस्तान** (वर्तमान **बांग्लादेश**)।
- संसद, न्यायपालिका आदि जैसे संस्थानों पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था। इसके कारण, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शीघ्र ही विभिन्न मोर्चों पर अन्याय और दमन का सामना करना पड़ा, जैसे-
    - **सामाजिक स्तर पर:** बंगाली नृजातीय पहचान और भाषा को उचित मान्यता नहीं मिली। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था, जबकि **बंगाली या बांग्ला** बोलने वालों का बहुमत था (1951 की जनगणना के अनुसार **58%** जनसंख्या) और इसके लिए आंदोलन भी किया गया था। बाद में इसे केवल **राज्य भाषा के रूप में ही मान्यता** प्रदान की गई थी।
    - **आर्थिक स्तर पर:** सेना और नागरिक प्रशासन के साथ ही अन्य नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कम प्रतिनिधित्व था। दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 400% तक का अंतर था।

- **राजनीतिक स्तर पर:** देश पर काफी हद तक सैन्य नेताओं (वर्ष 1958-69 के दौरान अयूब खान और वर्ष 1969-71 के दौरान याह्या खान) का नियंत्रण था। पश्चिमी पाकिस्तान निम्नलिखित मामलों में भी असफल रहा-
  - वर्ष 1966 में पूर्वी पाकिस्तान की **व्यापक स्वायत्तता मांगों को पूरा करने में,** और
  - वर्ष **1970 के चुनाव** में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी **(अवामी लीग)** की भारी जीत के बाद सत्ता के **लोकतांत्रिक हस्तांतरण** में।

- इसके पश्चात् **पूर्वी पाकिस्तान** का जबरदस्त दमन किया जाने लगा। इसमें **ऑपरेशन सर्चलाइट** के तहत **निहत्थे नागरिकों की हत्या, सामूहिक पलायन और बलात्कार** जैसे घिनौने कार्य शामिल थे। परिणामस्वरूप बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत हुई।

भारत ने युद्ध में भाग क्यों लिया?

- **मानवता के समक्ष खतरा:** तत्कालीन **पूर्वी पाकिस्तान** के लोगों पर दुराचार और अन्याय जैसे घोर अत्याचार किये जा रहे थे। ये अत्याचार दूसरों के लिए भी खतरा थे। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, **'अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है'।**
- **लोगों का सामूहिक पलायन:** नवंबर 1971 तक लगभग एक करोड़ शरणार्थियों ने अत्याचारों के कारण भारत में शरण ली थी। इससे सीमावर्ती राज्यों के लिए एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो गई थी।
- **अत्याचारों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी:** भारत द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अमेरिका जैसे अन्य देश भी एक समुदाय के विनाश को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान देने ने में विफल रहे।
- **भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता:** पश्चिमी पाकिस्तान ने 03 दिसंबर, 1971 को ऑपरेशन **'चंगेज खान'** के तहत भारतीय राज्यक्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इस हमले ने **शांति, न्याय और मानवता को बनाए रखने के लिए** भारत को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था।

युद्ध का परिणाम (शिमला समझौता): भारत और पाकिस्तान ने एक **शांति संधि** के रूप में शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए थे। इसमें वर्ष 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग की गई थी। साथ ही, **भविष्य के संबंधों के प्रबंधन के लिए एक ब्लू प्रिंट** तैयार किया गया था। इसमें निम्नलिखित **मार्गदर्शक सिद्धांतों** का एक सेट शामिल था:

- प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों के **शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता** व्यक्त की गई।
- लोगों से लोगों के मध्य संपर्क स्थापित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ **सहयोगात्मक संबंधों के आधार** का निर्माण करना।
- **जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की अनुल्लंघनीयता बनाए रखना।**
- एक दूसरे की **क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना।**
- **एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।**
- **संप्रभु समानता।**
- **शत्रुतापूर्ण प्रचार को त्यागना।**

आलोचना: इस समझौते के माध्यम से भारत जम्मू-कश्मीर के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता था और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने का इच्छुक था। हालांकि, यह समझौता भारत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुपक्षीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाने के प्रयासों से समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए आतंक का उपयोग किया। साथ ही, उसने विवाद का समाधान खोजने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने का प्रयास किया।

समझौते का महत्व:

- समझौते ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एकतरफा कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में मदद की, जैसे- 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान।
- हाल ही में, भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

आगे की राह: भारत को रचनात्मक वार्ता में पाकिस्तान को शामिल करने के अपने प्रयासों को फिर से दोहराना चाहिए। साथ ही, अधिक परिपक्वता के साथ शिमला समझौते की भावना को और अधिक मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह 13-दिवसीय युद्ध किसी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए केवल एक **बमवर्षक अभियान** नहीं था, बल्कि यह **नैतिक** और **लोकतांत्रिक परंपराओं** की रक्षा के लिए एक युद्ध था। इस प्रकार, **स्वर्णिम विजय पर्व** हमारे सशस्त्र बलों की **कुशलता** के साथ-साथ विश्व की **सबसे पुरानी सभ्यता** माने जाने वाले हमारे देश के **राजनीतिक नेतृत्व** का भी उत्सव है।

भारत-बांग्लादेश बनाम भारत-पाकिस्तान: विरोधाभास और सीख

50 वर्षों की अवधि में भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग किया है। पाकिस्तान के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है-

- **राजनीतिक स्थिरता और नीतियों की निरंतरता:** इससे नई दिल्ली और ढाका को पिछले एक दशक में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में मदद मिली है।
    - इसके विपरीत, दिल्ली और इस्लामाबाद के राजनीतिक घटनाक्रम शायद ही कभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहे हों।
- **परस्पर सुरक्षा की चिंता:** आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग के कारण ढाका और नई दिल्ली के बीच गहरे आपसी विश्वास का निर्माण हुआ है। उस विश्वास ने संबंधों के सामने आने वाले कई जटिल मुद्दों से निपटने में मदद की है।
    - जबकि पाकिस्तान के मामले में, उसकी सेना ने भारत को कश्मीर पर वार्ता करने के लिए बाध्य करने हेतु सीमा पार आतंकवाद को एक राजनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।
- **महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों का विराजनीतिकरण:** दिल्ली और ढाका व्यापार, पारगमन एवं कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उनसे निपटते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
    - दूसरी ओर, पाकिस्तान ने संवेदनशील द्विपक्षीय वाणिज्यिक सहयोग और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को कश्मीर के मुद्दे से जोड़ दिया है।

1.3. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग (PIC)[2] की 118वीं बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु

- पाकिस्तान ने सतलुज नदी में फाजिल्का ड्रेन के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
- भारत ने रेखांकित किया कि पाकल दुल, किरू और लोअर कलनाई सहित भारत की सभी जारी जल-विद्युत (HEP) परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।

IWT के बारे में

- IWT पर **वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।**
- **उद्देश्य:** यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित और सीमित करती है।**
- **नदी जल के बंटवारे के प्रावधान: पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी** का समस्त जल **भारत को आवंटित किया गया है। साथ ही, भारत इसका** अप्रतिबंधित उपयोग कर सकता है। पूर्वी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित समस्त जल की मात्रा लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है। **वहीं पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल **ज्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है।** पश्चिमी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित जल की मात्रा लगभग 135 MAF है।
    - इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार है। हालांकि, इन परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य है। साथ ही, इस संधि के तहत, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस संधि को रद्द करना एक उचित विकल्प क्यों नहीं है?

- **अंतराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाना:** IWT में एकतरफा संधि से बाहर निकलने का प्रावधान शामिल नहीं है। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक और कांसुलर संबंधों के टूटने पर भी IWT को रद्द नहीं किया जा सकता है।
- **भारत के अतिरिक्त अन्य तटवर्ती देशों पर प्रभाव:** IWT के रद्द होने से भारत के अतिरिक्त अन्य तटवर्ती देश जैसे कि बांग्लादेश के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा। बांग्लादेश भारत से बहने वाली नदियों से अपना लगभग 91% जल प्राप्त करता है।
- **हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर चीन का सहयोग:** बढ़ती चीन-पाकिस्तान सांठगांठ के परिणामस्वरूप चीन संधि को रद्द करने के जवाब में हाइड्रोलॉजिकल डेटा देने पर रोक लगा सकता है।
    - इस तरह के डेटा तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आने वाले जल की मात्रा का आकलन करने और इस राज्य में आने वाली किसी भी बड़ी आपदा या बाढ़ को रोकने के उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

[2] Permanent Indus Commission

- **रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना** में जलविद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा बहुत कम या किसी प्रकार का जल भंडारण नहीं किया जाता है।

- **अन्य प्रावधान:**
  - संधि के तहत **बांधों, लिंक नहरों, बैराजों और नलकूपों के निर्माण तथा वित्त पोषण हेतु प्रावधान किए गए हैं।** इसके तहत विशेष रूप से सिंधु नदी पर तारबेला बांध और झेलम नदी पर मंगला बांध का निर्माण किया गया है।
  - **संधि में प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त के साथ स्थायी सिंधु आयोग** गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस आयोग का उद्देश्य आपसी संचार के लिए एक चैनल बनाए रखना है। साथ ही, संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा, **विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र** प्रदान किया गया है।

इस संधि के अंतर्गत विद्यमान मुद्दे

- **भारतीय परियोजनाओं का पाकिस्तान द्वारा बार-बार विरोध:** यह विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर है कि क्या झेलम और चिनाब पर परियोजनाओं का निर्माण, समझौते में निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप है। **इस मुद्दे ने कई परियोजनाओं जैसे किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (KHEP), झेलम, रतले जलविद्युत परियोजना, चिनाब आदि को प्रभावित किया है।**
- **राजनयिक संबंधों का तनाव:** सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों के समग्र विकास से प्रभावित होती है।
  - हाल के दिनों में, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट आई है। इसलिए **भारत में कुछ पर्यवेक्षकों ने संधि को निरस्त करने की घोषणा की है।**
- **जलवायु परिवर्तन का मिश्रित प्रभाव:** ग्लेशियरों के पिघलने से अल्पावधि में जल प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन यह भविष्य में भूजल पुनर्भरण को समाप्त कर देगा। इसी तरह अनिश्चित वर्षा संभावित बाढ़ जोखिमों में भी वृद्धि कर रही है। इससे जल वितरण और प्रवाह प्रबंधन के मुद्दों पर तनाव बढ़ने की संभावना है।
- **तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष-समाधान विधि:** विश्व बैंक IWT का गारंटर अथवा मध्यस्थ है। यह नदी के प्रवाह में अवैध व्यवधान से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए तटवर्ती राज्य (riparian) पर निर्भर रहता है। हालांकि, यह जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि क्या वास्तव में अवैध व्यवधान हुआ है या यह जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण कम मौसमी प्रवाह का परिणाम है।
- **संधि में योजना के अनुसार नियमित रूप से डेटा साझा नहीं करना:** नदी बेसिन की गतिशीलता को समग्र रूप से समझने के लिए प्रवाह डेटा साझाकरण उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **विश्व स्तर पर भारत की स्थिति का समर्थन करना:** वर्षों से, भारत एक उदार तटवर्ती राज्य रहा है क्योंकि इसने अपनी निर्धारित जल भंडारण क्षमता का केवल 93% ही उपयोग किया है। इसके अलावा, अब तक कश्मीर की तीन पश्चिमी नदियों से प्राप्त होने वाली विद्युत की कुल अनुमानित क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका है।
  - विश्व बैंक को शामिल करके इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का मुकाबला किया जा सकता है।
- **सहयोग प्राप्त करना:** जिन भी क्षेत्रों में संभव हो, उनमें पाकिस्तान के साथ सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, IWT का अनुच्छेद VII "भविष्य के सहयोग" के बारे में बात करता है। साथ ही यह अनुच्छेद नदियों पर संयुक्त अध्ययन और इंजीनियरिंग कार्यों को शुरू करने का आह्वान करता है।
- **दृष्टिकोण बदलना:** दोनों देशों को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र के प्रबंधन के बजाय **उप-बेसिन स्तर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने** से लाभ हो सकता है। उप-बेसिन स्तर पर किए गए प्रयास कार्रवाई को और प्रभावी बनाएंगे। इस स्तर पर किए गए प्रयास कुछ संदर्भगत कारकों को शामिल करते हैं जैसे- क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना और मौजूदा जल विज्ञान आदि।
- **तर्कसंगतता (Rationality) से संबंधपरकता (Relationality) में परिवर्तन:** एक मजबूत सिंधु जल संधि को प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। दोनों देशों को जल की तर्कसंगतता (जल के बंटवारे) के आधार पर कार्य करने के बजाय इसकी संबंधपरकता (लाभ के बंटवारे) पर ध्यान देना चाहिए। संबंधपरकता जल की परिभाषा के दायरे को सतही जल (जल की मात्रा) से अधिक विस्तारित करता है। यह जल की परिभाषा में जल की गुणवत्ता, आर्द्रभूमि और जैव विविधता का संरक्षण, मिट्टी का कटाव, भूजल एवं सतही जल का संयुक्त उपयोग और प्रकृति आधारित समाधान को शामिल करता है।

VISION IAS

- **संधि पर पुनः वार्ता करना:** एक संसदीय पैनल ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। इन चुनौतियों में सिंधु बेसिन में जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संधि के तहत शामिल नहीं होने वाली अन्य चुनौतियां शामिल हैं।
- **हेलसिंकी नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संबंधित कानूनों के समकालीन सिद्धांतों को शामिल करना:** यह नदी के तटवर्ती (रिपेरियन) देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करने हेतु प्रावधान करते हैं। साथ ही, ये सिंधु नदी प्रणाली के समग्र और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
    - हेलसिंकी नियम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं। ये **दिशा-निर्देश सभी सीमावर्ती देशों की जल संसाधनों पर एक समान हिस्सेदारी के अधिकारों का प्रावधान करते हैं।** ये राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले सभी जल निकासी बेसिनों पर लागू होते हैं। हालांकि, ये उन जल निकासी बेसिन पर लागू नहीं होते हैं जहां सीमावर्ती देशों के बीच अन्य समझौते लागू हों।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि को अक्सर अहिंसात्मक सह-अस्तित्व की संभावनाओं वाले एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया जाता है। यह संधि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद अभी तक लागू है।

अन्य देशों के साथ नदी जल बंटवारे हेतु भारत के सहयोग का मौजूदा तंत्र

देश	सहयोग के लिए तंत्र
भारत-नेपाल	• **वर्ष 1954 की कोसी संधि** के तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव किया गया था। • **महाकाली संधि** महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित है।
भारत-चीन	• **ब्रह्मपुत्र नदी के** जल विज्ञान से संबंधी सूचना (Hydrological Information) के प्रावधान पर **समझौता ज्ञापन।** • **सतलुज नदी के संबंध में** हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पर **समझौता ज्ञापन।** • बाढ़ के मौसम के हाइड्रोलॉजिकल डेटा एवं आपातकालीन प्रबंधन के प्रावधान पर बातचीत और सहयोग पर चर्चा करने के लिए **विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र।**
भारत-बांग्लादेश	• **गंगा संधि** उनकी आपसी सीमा के पास फरक्का बैराज का सतही जल साझा करने हेतु एक समझौता है। • मानसून के मौसम के दौरान **गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान डेटा के प्रसारण** की प्रणाली का निर्माण किया जाना।
भारत-भूटान	• भारत और भूटान की साझा नदियों पर **जल-मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना।** • **बाढ़ प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह (JGE)।**

1.4. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के लगभग दस महीने के बाद **भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और विकास में सहयोग करने के लिए **एक आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है।** यह भारतीय दूतावास को खाली करने के बाद इस तरह का पहला प्रयास है।
- यह **घटनाक्रम इसलिए महत्व रखता है** क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने पर थोड़ा और विचार करने का आग्रह किया था।
- इसलिए वर्तमान रुख को **तालिबान के संबंध में भारत के दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में देखा जाता है।**
- **हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि** यह प्रयास काबुल में तालिबान शासन को राजनयिक मान्यता देने के लिए नहीं है।

भारत को तालिबान के साथ संबंध क्यों बनाने चाहिए?

- **अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि:** भारत ने अब तक तालिबान को अलग रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, एक हद के आगे, इस विकल्प के चयन से भारत को कम लाभ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई अन्य देश अब तालिबान के साथ अपने संबंधों की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही, भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण हितधारक है।
    - पिछले दस महीनों में 14 देशों ने काबुल में अपने मिशन की शुरुआत की है।
- **पाकिस्तान का घटता प्रभाव:** हालांकि, पाकिस्तान आज भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। फिर भी तालिबान पर उसका प्रभाव और नियंत्रण, उसकी अपनी आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के कारण सीमित हो चुका है।
    - भारतीय प्रतिष्ठानों में यह विचार घर कर गया है कि **पाकिस्तान को तालिबान से विशेष रूप से इस परिदृश्य में अलग करने** का समय आ गया है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** अतीत में अफगानिस्तान ने अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी समूहों को संरक्षण दिया था। तालिबान के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से भी रहे हैं। तालिबान के साथ **भारतीय रुख, भारत को अपनी चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से**

व्यक्त करने का अवसर देगा। साथ ही यह तालिबान के भीतर उन तत्वों को उभरने का भी **अवसर देगी** जो राजनयिक विकल्पों को अपनाना चाहते हैं।

- **पारस्परिक रूप से लाभप्रद:**तालिबान ने भारत से काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने का आग्रह किया है। भारत से सीधी उड़ानें फिर से शुरू की गईं और अफगान सैन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना भी स्वीकार किया।
- **कूटनीतिक भागीदारी की अधिक संभावनाएं:** सत्ता पर काबिज़ तालिबान, सत्ता में आने के लिए युद्धरत तालिबान की तुलना में अधिक विभाजित हैं। यह स्थिति विभिन्न कर्ताओं के साथ कई स्तरों वाली राजनीतिक और राजनयिक भागीदारी का अवसर प्रदान करती है।
- **मूल निवासियों के साथ पुनः संपर्क स्थापित करना:** तालिबान तक भारत की पहुंच उसे अफगान लोगों के साथ फिर से जुड़ने में मदद करेगी। यह संभवतः वह कड़ी है जो पिछले अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद टूट गई थी।

भारतीय रुख के नकारात्मक पहलू

- **भारत की नीति में असंगति दिखाता है:** भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए **"अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" प्रक्रिया** का समर्थन किया है। इसमें निर्वाचित अफगान सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी और तालिबान शासन का अलगाव शामिल था।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत को हक्कानी समूह जैसे आतंकवादी गुटों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो तालिबान का प्रमुख सदस्य है। इसके अलावा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तालिबान निगरानी समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि तालिबान के समर्थन से आतंकवादी समूहों को अफगान ज़मीन पर सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा रहा है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह, जो केवल भारत को लक्षित करते हैं, नंगरहार प्रांत और अन्य क्षेत्रों से संचालित किए जा रहे हैं।

अफ़गानिस्तान में भारतीय निवेश

इमारतों और विभिन्न प्रकार के अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार में भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान को प्रदान की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- काबुल में अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण।
- सलमा बांध का पुनर्निर्माण, जिसे अब अफ़गान–भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है।
- पुल–ए–खुमरी से काबुल तक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना।
- जरांज–डेलाराम सड़क का निर्माण।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में मध्यम स्तर की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project: HICDP) कार्यक्रम।

विभिन्न वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस, बस, बिस्कुट, दवा, सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर आदि के स्थानांतरण में भारत द्वारा की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- वायुसेना के लिए MI-25 और MI-35 हेलिकॉप्टर।
- राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एयरबस विमान।
- फ़रयाब प्रांत में उपकेंद्रों और पारेषण लाइन के लिए सामग्री।
- अफ़गान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहन।
- सरकारी अस्पतालों के लिए एंबुलेंस।

अफ़गान नागरिकों को भारत से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए लोगों से लोगों के मध्य आदान–प्रदान। उदाहरण के लिए–

- अफ़गान संस्थानों को भारतीय तकनीकी सलाहकार प्रदान करना।
- अफ़गान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- अफ़गान सैनिकों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

- **तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं:** तालिबान अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकला है। अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं और महिलाओं पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं। उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं है तथा सार्वजनिक स्थानों और काम पर उनकी मुक्त आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
  - यह **भारत के लोकाचार के विपरीत है** और अफगान जनता के संदर्भ में भारत की छवि को ख़राब कर सकता है।
- **तालिबान के चीन समर्थक पड़ोसियों से निपटना:** जैसे-जैसे भारत और तालिबान के संबंध गहरे होंगे, भारत को ताजिकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि ताजिकिस्तान के काबुल के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। साथ ही, पिछले एक दशक में चीन के साथ ताजिकिस्तान के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।
  - चीन आज ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा ऋण प्रदाता और उसका सबसे बड़ा निवेशक है। इसके अलावा, ताजिकिस्तान की सरकार सुन्नी उइगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ चीनी दमनकारी नीतियों की समर्थक भी है।

आगे की राह

तालिबान के साथ भारत के रुख के पीछे का खाका अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। तालिबान का प्रयास लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है और भारत के पास इससे निपटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना एवं राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक है।

1.5. भारत-श्रीलंका (India-Sri Lanka)

भारत–श्रीलंका संबंध – एक नज़र में

भारत और श्रीलंका के बीच बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच संबंध 2500 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार हुआ।

वर्ष 2020 में सार्क देशों में श्रीलंका, भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक था।

भारत, श्रीलंका में एफ.डी.आई. में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। साथ ही, यह वर्ष 2020 में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक:** वर्ष 2000 में भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- **विकास परियोजनाएं:** श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। उदाहरण के लिए– भारत की आवास परियोजनाएं।
- **संस्कृति:** श्रीलंका में अशोक द्वारा प्रचारित **बौद्ध धर्म दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत स्तंभों में से एक** है। इसके आलावा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना, भारत में अध्ययन, पर्यटन आदि शामिल हैं।
- **सैन्य अभ्यास:** मित्र शक्ति, IN-SLN आदि।

चुनौतियां

- **चीन का प्रभाव:** चीन की BRI पहल को श्रीलंका का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा उसने **हंबनटोटा बंदरगाह** भी चीन को सौंप दिया है।
- **विश्वास की कमी:** श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन, व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि (CEPA) पर हस्ताक्षर न करना और श्रीलंका द्वारा मुद्रा विनिमय समझौते (2021) से इनकार करना भारत–श्रीलंका के बीच अविश्वास को दर्शाता है।
- **मछुआरों के मुद्दे:** तलाईमन्नार और कच्चातिवु तट पर और उसके आसपास मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति है।
- **बुनियादी ढांचे की बाधित परियोजनाएं:** जाफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, संपूर बिजली संयंत्र को रद्द करना, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ETC) परियोजना को रद्द करना।

हालिया गतिविधियां

- **त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म** को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए **भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता किया।**
- भारत ने श्रीलंका में **अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं** और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश किया है।
- ईंधन और भोजन के लिए **क्रेडिट लाइन्स उपलब्ध कराई गई हैं।**
- भारत और श्रीलंका ने मौजूदा **विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया है।** इसमें नए क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि, बिग डेटा आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- भारत ने श्रीलंका को **400 मिलियन डॉलर की क्रेडिट स्वैप सुविधा प्रदान की है।** इसके अलावा एशियाई क्लीयरिंग हाउस से जुड़े 515.2 मिलियन डॉलर के निपटान को स्थगित कर दिया गया है।
- श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।

आगे की राह

- रक्षा और भू-रणनीतिक क्षेत्र में **भारत के हित को प्राथमिकता देना।**
- चीन का मुकाबला करने के लिए **आर्थिक संबंधों की क्षमता का लाभ उठाना।**
- **लोगों के आपसी संबंधों को गहरा करना।**
- संबंधों को मजबूत करने के **अन्य क्षेत्रों** में धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, मछुआरों के मुद्दे को हल करना शामिल हो सकता है।

भारत–श्रीलंका संबंध मजबूत हैं। दोनों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की समृद्ध विरासत है। दोनों हाल के वर्षों में बनी मजबूत आर्थिक और विकास साझेदारी निर्मित करके एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

1.5.1. श्रीलंकाई संकट (Sri Lankan Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने श्रीलंका को वृहत आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि श्रीलंका ईंधन, खाद्य और दवाएं खरीदने में समर्थ हो सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **श्रीलंका को इस अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने हेतु निरंतर सहयोग** प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
- श्रीलंका ने भारत से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे **इसके कुछ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों तक पहुंच स्थापित कर,** श्रीलंका के लिए वित्तीय मदद लेने हेतु **"गारंटर"** की भूमिका निभाने के लिए भी प्रार्थना की है।
- विदेशी मुद्रा की कमी के कारण **श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है,** जिसके परिणामस्वरूप उसे विद्युत की दीर्घकालिक कटौती, कीमतों में बढ़ोतरी और आवश्यक वस्तुओं की कमी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है।

श्रीलंका संकट के कारण

- **विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक:** आर्थिक कुप्रबंधन ने **श्रीलंका के अधिकांश विदेशी भंडार को पूर्णतः खाली** कर दिया है। अपनी स्वतंत्रता (वर्ष 1948) के बाद से पहली बार इस तरह के प्रतिकूल आर्थिक संकट का सामना करने के कारण श्रीलंका अपनी 51 बिलियन डॉलर की विदेशी ऋण देयता के भुगतान में विफल रहा है।
  - **चीनी, दालों और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात पर श्रीलंका की उच्च निर्भरता के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी** और बढ़ सकती है क्योंकि श्रीलंका के पास अपने आयात बिलों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध नहीं है।
  - **अतिरिक्त कर कटौती** के कारण स्थिति और खराब हो गई है, जिससे उसे सरकारी राजस्व में भी कमी का सामना करना पड़ा है।
- **ऋण जाल कूटनीति:** यह दावा किया गया है कि श्रीलंका अवसंरचना परियोजनाओं (हंबनटोटा बंदरगाह) हेतु **चीन द्वारा दिए गए ऋण के दुष्चक्र में फंस गया** और उनका पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है।
- **पर्यटन क्षेत्र में गिरावट:** कोविड-19 वैश्विक महामारी और वर्ष 2019 के **ईस्टर बम विस्फोट के कारण पर्यटन राजस्व में गिरावट** आई है, क्योंकि इसके चलते तीन प्रमुख देशों- भारत, रूस और ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट हुई है।
  - श्रीलंका की पर्यटन से होने वाली आय **वर्ष 2018 में 4.4 बिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2021 में 506.9 मिलियन डॉलर** रह गई है।
  - ध्यातव्य है कि पर्यटन श्रीलंका का **तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र** रहा है।
- **कृषि संकट:** वर्ष 2020 में, **रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध** और कृषि को 100% जैविक बनाने के लिए किए गए आकस्मिक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है, विशेषकर चावल और चीनी उत्पादन में।
- **युद्ध-जनित मुद्रास्फीति:** रूस-यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के परिणामस्वरूप **कच्चे तेल, सूरजमुखी तेल और गेहूं की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति देखी गई है।**
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वर्ष 2019 और वर्ष 2018 के क्रमशः 793 मिलियन डॉलर और 1.6 बिलियन डॉलर की तुलना में **वर्ष 2020 में घटकर 548 मिलियन डॉलर हो गया।**
- **कमजोर मुद्रा:** वर्ष 2022 में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **श्रीलंकाई रुपये में 50% से अधिक की गिरावट** आई है तथा भारतीय रुपये के मुकाबले इसमें 31.6% की गिरावट दर्ज की गई है

श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका

- **उत्पादन बढ़ाना:** भारत आवश्यक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है और बाद में श्रीलंका के उद्योगों की क्षमता निर्माण की दिशा में काम करते हुए, **अल्पावधि में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पाद सुविधाओं का विकास कर सकता है।**
  - अब तक, श्रीलंका द्वारा संपूर्ण फार्मास्युटिकल उत्पादों का 85% आयात किया जाता है, जो उसे कीमतों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- **निवेश:** अधिकतम ऋण सीमाएं (क्रेडिट लाइन्स) और मुद्रा विनिमय (करेंसी स्वैप्स) जैसी सुविधाएं श्रीलंका को अपनी तात्कालिक चिंताओं को दूर करने में मदद करेंगी और निवेश तक पहुंच एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने में सहयोग करेगी।

- **चीन का प्रतिरोध:** बीजिंग के साथ कोलंबो का किसी भी प्रकार का मोहभंग **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल' नीति से** श्रीलंकाई द्वीपसमूह को बाहर रखने के भारत के प्रयास को सुगम बनाता है, जैसा कि जाफना प्रायद्वीप में चीनी ऊर्जा परियोजनाओं को निरस्त करने के प्रयास में परिलक्षित हुआ था।
- **वैश्विक निर्यात:** बिगड़ते संकट और उत्पादन तथा शिपमेंट में गिरावट का यह दौर, **भारतीय निर्यातकों को** चाय और वस्त्र जैसे **उत्पादों के निर्यात** एवं बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर प्रदान कर सकता है।
- **रक्षा:** भारत एक प्रशिक्षण दल के साथ श्रीलंका को एक फ्री-फ्लोटिंग डॉक सुविधा और एक डोर्नियर टोही विमान की पेशकश की गई है। इससे **हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।**

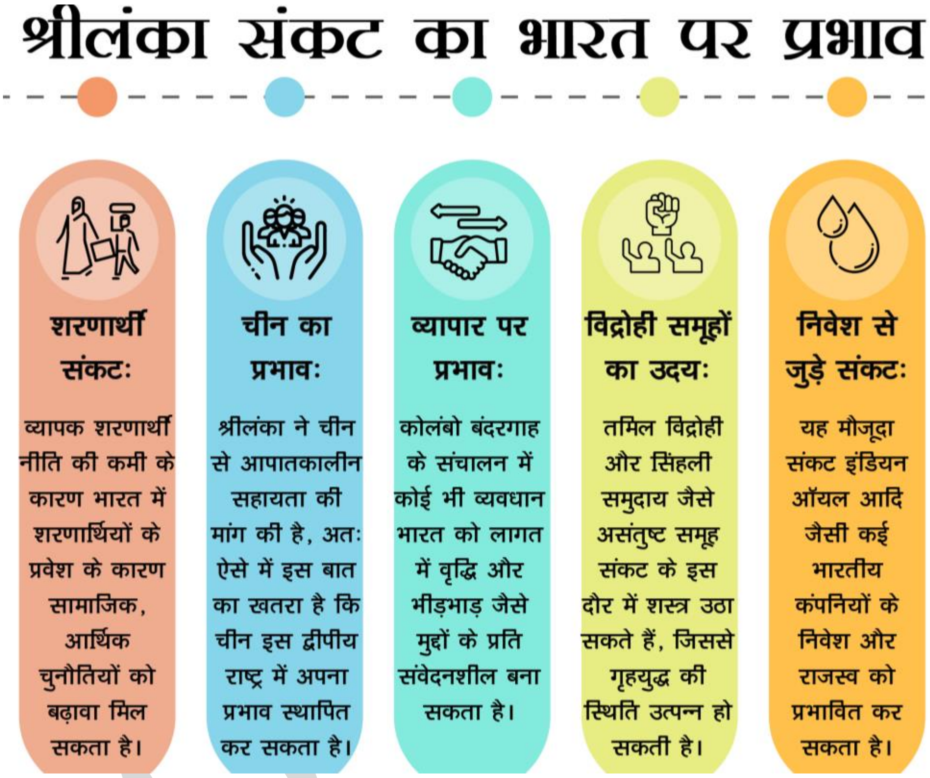

- **अवसंरचना:** भारत के पास ऐसे अवसर मौजूद हैं जहां वह **श्रीलंका में अवसंरचना के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन** कर सकता है, जैसा कि उत्तर में मन्नार और पूनेरिन (Pooneryn) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, बंदरगाह विकास आदि द्वारा उल्लेखित किया गया है।
  - भारतीय उद्योग एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यटन से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक की वस्तुओं और सेवाओं में भारत और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ सकते हैं।
- **अतीत के मुद्दों का समाधान:** वर्तमान संकट का उपयोग नई दिल्ली और कोलंबो के लिए एक अवसर के रूप में किया जाना चाहिए ताकि **पाक खाड़ी मत्स्य विवाद का समाधान** निकाला जा सके, जो द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय से बाधा के रूप में विद्यमान रहा है।
  - साथ ही, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान संकट का उपयोग दोनों देशों में तस्करी गतिविधियों और दुर्व्यापार को बढ़ाने के लिए न हो।

निष्कर्ष

श्रीलंका और भारत दोनों के लिए ही तनावपूर्ण संबंधों की उपस्थिति प्रतिकूल हो सकती है। ऐसे में भारत को कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को सतर्कतापूर्वक स्पष्ट करते हुए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जन-केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों के अनुरूप श्रीलंका के साथ और भी अधिक निकटता से जुड़ने की आवश्यकता है।

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद

- हाल ही में, **श्रीलंकाई अधिकारियों** ने 68 भारतीय मछुआरों और 10 नौकाओं को हिरासत में लिया है। उनके अनुसार ये मछुआरे श्रीलंका के जल राज्यक्षेत्र में अवैध रूप से मत्स्यन कर रहे थे।
- **भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद के लिए उत्तरदायी कारण:**
  - **परिभाषित समुद्री सीमा का अभाव:** हालांकि, भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1974-76 के मध्य चार समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु दोनों देशों के मध्य कोई सुपरिभाषित समुद्री सीमा नहीं है।
    - दोनों देशों के मध्य वर्ष 1974 के समझौते ने संसाधन संपन्न कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिल मछुआरों को इस द्वीप पर सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था।

- **कठोर निगरानी:** वर्ष 2009 के बाद से, श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए अपनी उत्तरी समुद्री सीमा की निगरानी कठोर कर दी है।
- **यह तमिलनाडु तट के समीप समुद्री संसाधनों की कमी** (निरंतर बॉटम-ट्रॉलिंग के कारण) का ही परिणाम है कि भारतीय मछुआरे अपेक्षाकृत संसाधन-समृद्ध श्रीलंकाई जलक्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।
  - श्रीलंका ने वर्ष 2017 में अपने जलक्षेत्र में बॉटम-ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

1.5.2. भारत-श्रीलंका-चीन ट्रायएंगल की भू-राजनीति (Geopolitics of India-Sri Lanka-China Triangle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का कारण बन रही है।

चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है?

- **समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरा:** पूर्वी हिंद महासागर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की स्थायी उपस्थिति निश्चित रूप से भारतीय नौसेना के तैनाती विकल्पों को बाधित करेगी। साथ ही, यह भारत को हिंद महासागर से प्राप्त होने वाले भौगोलिक लाभों को भी प्रभावित करेगी।

  - उदाहरण के लिए, हाल ही में, श्रीलंका ने एक चीनी फर्म सिनोसार एटेकविनी के साथ एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। यह परियोजना पाक खाड़ी में स्थित द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी। ये द्वीप तमिलनाडु तट से केवल 50 कि.मी. दूर स्थित हैं। चीन की यह परियोजना चीनी खुफिया जानकारी का केंद्र बन सकती है। साथ ही, इसका भारतीय संचार व जहाजों की गतिविधियों को ट्रैक करने और तकनीकी युद्ध क्षमता बढ़ाने हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- **भारत की बजाय चीन का पक्ष लेना:** घरेलू आर्थिक विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, लागत-प्रभावशीलता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता आदि को सक्षम करने में चीन को एक अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाता है।
  - उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष, भारत सरकार ने कोलंबो द्वारा मांगे गए ऋण स्थगन को मंजूरी देने में पांच माह का समय लिया था। इसके विपरीत, बीजिंग ने कुछ ही समय में अपने विकास बैंक से अतिरिक्त $ 500 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी थी।
- **व्यापार पर प्रभाव:** हाल ही में, श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को नियंत्रित करने के लिए आयात प्रतिबंध नीति लागू की है। इस नीति ने चीन को उतना प्रभावित नहीं किया है, जितना भारत को। वर्ष 2020 में चीनी आयात में 8 प्रतिशत की कमी आई थी, जबकि इसके विपरीत भारत से आयात लगभग 19 प्रतिशत तक कम हुआ था।

भारत-श्रीलंका संबंधों में सुधार करने के लिए आगे की राह

- **नए क्षेत्रों की खोज:** शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में भारत, चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत भागीदार है।
- **भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना:** प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, भारत श्रीलंका में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करके वहां रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। इससे इस द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **अनुभव साझा करना:** श्रीलंका ने एक संविधान का मसौदा तैयार करने की कठिन परियोजना शुरू की है। भारत इस परियोजना में अल्पसंख्यक अधिकारों और विविध आबादी के प्रबंधन में अपना अनुभव साझा कर सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना:** दोनों देश बौद्ध धर्म ज्ञान और पर्यटन गलियारा बनाने पर विचार कर सकते हैं।
- **समुद्री सुरक्षा में सहयोग:** हिंद महासागर में समुद्र तटवर्ती देशों के रूप में, भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में अपने हित साझा करते हैं।

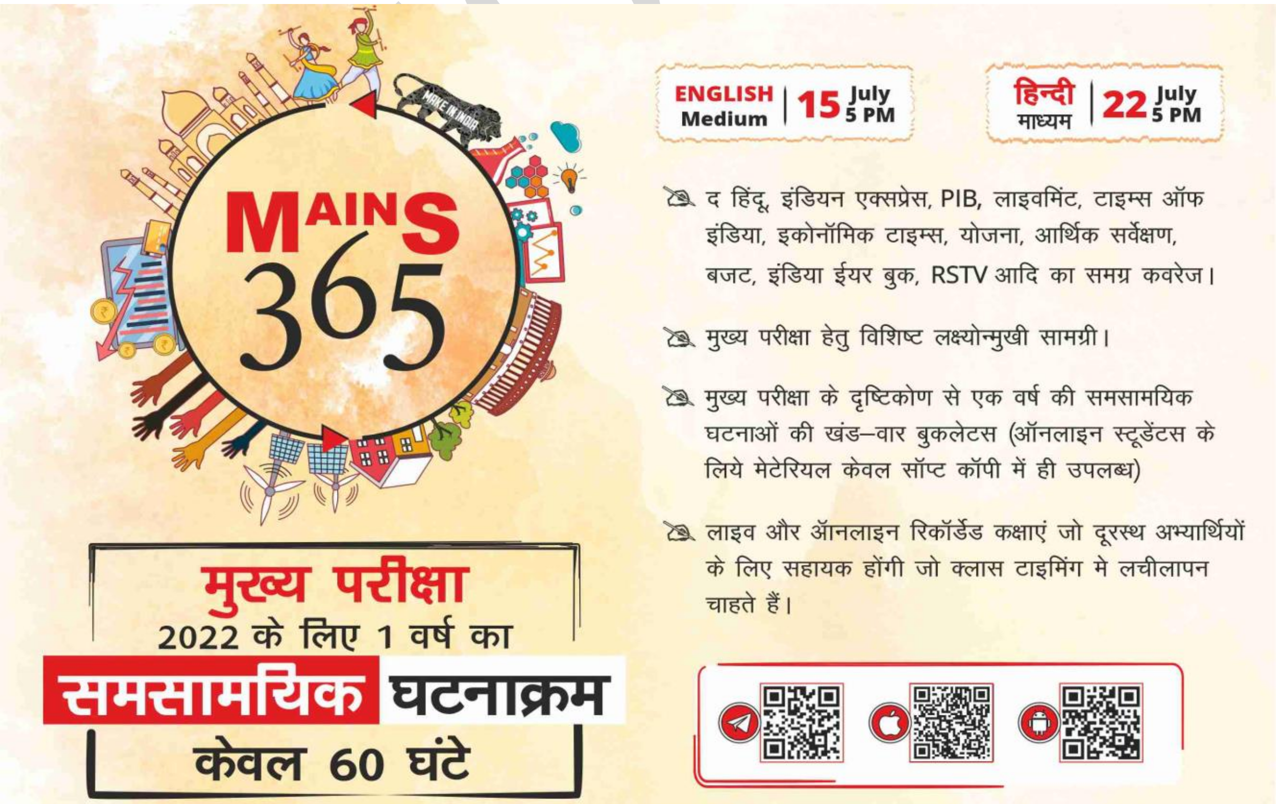

1.6. भारत के उत्तर-पूर्वी पड़ोसी (India's North East Neighbours)

भारत के उत्तर–पूर्व में स्थित पड़ोसी देश – एक नज़र में

विदेश मंत्री ने हाल ही स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ–साथ जापान और आसियान के सदस्य भारत के सबसे भरोसेमंद वैश्विक भागीदार हैं।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 5,812 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

भारत के पड़ोसी देशों में चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हैं।

भारत के लिए उत्तर–पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ विश्वसनीय संबंधों का महत्व

- **भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकास:** पूर्वी एशिया के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध भारत के अल्प विकसित NER के तीव्र विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा:** चीन की आक्रामकता पूर्ण उपस्थिति के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत का जुड़ाव उचित है।
- **भू–राजनीतिक:** इस क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव भारत को एक मजबूत **कूटनीतिक और आर्थिक आधार** प्रदान करेगा।
- **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया से जुड़ना महत्वपूर्ण है।
- बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गए हैं। इसलिए **क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत का एकीकरण** आवश्यक है।

उत्तर–पूर्व के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए किए गए उपाय

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों **वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी** में समन्वय।
- पूर्व में क्षेत्रीय और **बहुपक्षीय संगठनों** जैसे– आसियान, आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), बिम्सटेक, एशिया सहयोग वार्ता (ACD), मेकांग–गंगा सहयोग (MGC) और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) **के साथ साझेदारी।**
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** भारत–म्यांमार–थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (KMMTT), और बांग्लादेश में अखौरा को अगरतला से जोड़ने के लिए रेल परियोजना आदि।

प्रमुख मुद्दे/ चिंता के विषय

- **भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत संसाधनों की कमी, खराब सीमावर्ती–अवसंरचना और चीन जैसे देशों के साथ सीमा विवाद के कारण उत्तर–पूर्व में स्थित पड़ोसी देशों के साथ ठीक नहीं जुड़ पा रहा है।
- **राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने वाला नारकोटिक्स उद्योग: "गोल्डन ट्रायंगल"** का क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी और विद्रोही समूहों को बढ़ावा देता है।
- कम जनसंख्या घनत्व, खुली सीमा आदि के कारण **पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थी समस्याएँ बढ़ रही हैं।**
- **भारतीय पक्ष की ओर से नौकरशाही से जुड़े और प्रक्रियात्मक मुद्दे मौजूद हैं।** इनके कारण त्रिपक्षीय IMT राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक विलंब हो रहा है।
- भारत में आर्थिक सुस्ती का दौर है और अंतर्मुखी नीतियां लागू की गई हैं। साथ ही, भारत ने **RCEP समझौते से बाहर रहने का निर्णय लिया है। इन सभी कारकों ने क्षेत्रीय व्यापार को हतोत्साहित किया है।**
- भारत के पास विकास संबंधी सहायता, बाजार पहुंच और सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की सीमित क्षमता है।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना चाहिए।**
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे **सहयोग के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।**
- **सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना:** भारत सरकार की "बौद्ध सर्किट" पहल के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, पूर्वी एशियाई देशों के साथ समन्वित होनी चाहिए।
- **सामरिक सहयोग:** विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है जहां चीन ने तेजी से आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया है।
- नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और बैठकों के माध्यम से **द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।**

भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों का केंद्रीय महत्व दिखाई देता है। इसका कारण यह है, कि भारत के विविध विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध आवश्यक हैं। इसके अलावा, भारत का मानना है कि एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया भारत की समृद्धि में योगदान देगा।

1.7. भारत-नेपाल (India-Nepal)

भारत–नेपाल संबंध – एक नज़र में

भारत और नेपाल ने **75 वर्ष के आधिकारिक राजनयिक संबंध को चिन्हित** किया है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यह भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। हालांकि, वर्ष 2015 में इन संबंधों में कुछ गिरावट आई थीं। इस दौरान नेपाल ने भारत को अपने संविधान की मसौदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का दोषी ठहराया था। नेपाल ने भारत द्वारा लगाए गए एक अनौपचारिक नाकाबंदी के लिए भी आलोचना की थीं। इस नाकाबंदी के कारण नेपाल में भारत के खिलाफ व्यापक नाराजगी पैदा हुई थीं।

- दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार **7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** का है।
- भारत नेपाल का **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है।
- नेपाल को भारत का निर्यात **पिछले 10 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ा** है।
- संबंधों को सुधारने के लिए हालिया पहलों में **छठे भारत–नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक, सीमा पार रेल लिंक का संचालन और भारत द्वारा लुंबिनी में एक बौद्ध विहार का निर्माण** शामिल हैं।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा:** भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। **सूर्य किरण** जैसे सैन्य अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं।
- **जल संसाधन**, बाढ़ प्रबंधन आदि में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **कोसी संधि तथा महाकाली संधि।**
- **ऊर्जा:** सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत विनिमय समझौता, **मोतिहारी (बिहार) से अमलेखगंज (नेपाल)** तक सीमा पार तेल पाइपलाइन, सोलू कॉरिडोर में जलविद्युत परियोजनाएं।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** रक्सौल–काठमांडू रेलवे परियोजना, BBIN (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया) आदि।
- **शिक्षा:** भारत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **संस्कृति:** धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्म आदि के संदर्भ में मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध (रोटी–बेटी का नाता)

संबंधों में चुनौतियां

- नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप भारत के पारंपरिक रूप से प्रभुत्वशाली प्रभाव को कम कर रहा है।
  - नेपाल में भारत विरोधी बयानबाजी में तेजी आई है।
  - सीमा विवाद पर नेपाल का आक्रामक रुख (कालापानी सीमा मुद्दा)।
  - नेपाल चीन के BRI में शामिल हो गया है।
- नेपाल में द्विपक्षीय व्यापार में भारी व्यापार घाटे के कारण असंतोष व्याप्त है।
- भारत का बड़े भाई वाला व्यवहार, वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि पर फिर से विचार करने के प्रति उदासीन दृष्टिकोण तथा नदी संधियों से निपटने से संबंधित शिथिल दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारत के प्रति अविश्वास।
- लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही ने (विशेष रूप से कोविड के दौरान) नेपाल के घरेलू उद्योग, स्थानीय आजीविका के अवसरों, कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है।

नेपाल की राजनीतिक स्थिरता का भारत के लिए महत्व

- **नेपाल की सामरिक अवस्थिति** क्योंकि यह भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सुरक्षा बफर के रूप में कार्य करता है।
- **भारत की आंतरिक सुरक्षा:** नेपाल को अपने छुपने का आधार बनाने वाले आतंकवादी और माओवादी समूहों को पकड़ने के लिए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक हैं।
- **भारत द्वारा सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा** जैसे– सीमा पार रेलवे, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महाकाली नदी पर वाहनों के आवागमन हेतु पुल आदि।
- **बाढ़ जल प्रबंधन और जल विद्युत का विकास।**
- **भारत में राजनीतिक प्रभाव से बचने के लिए मधेसियों का सशक्तीकरण और लोगों के मध्य जुड़ाव आवश्यक है।**

आगे की राह

- भारत और नेपाल के बीच **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना।**
- विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा के लिए **उपयुक्त द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करना।** (भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान तंत्र को एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए)
- **बहुपक्षीय मंचों** जैसे BBIN, बिम्सटेक, NAM, सार्क आदि का उपयोग सामान्य हितों की पूर्ति हेतु करना चाहिए।
- राजनीतिक संदर्भ में **नेपाल के साथ निरंतर जुड़ाव और सीमित हस्तक्षेप।**
- **आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।**
- दोनों देशों के मध्य एक स्थिर और पारस्परिक रूप से उत्पादक संबंध सुनिश्चित करने के लिए **लोगों के मध्य संपर्कों का लाभ उठाना।**
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित प्रख्यात व्यक्तियों के समूह द्वारा अनुशंसित **वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि पर फिर से विचार करना।**

इस संवेदनशील पड़ोसी देश में भारत के दीर्घकालिक हित के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। यह नेपाल में एक स्थिर बहुदलीय लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि द्वारा सर्वोत्तम तरीके से संभव हो सकता है।

1.7.1. बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता {Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने **बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)** को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। हालांकि इस समझौते को भूटान का अनुसमर्थन अभी लंबित है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **एशियाई विकास बैंक** वस्तुतः **दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)** को अपने सहयोग के हिस्से के रूप में BBIN MVA तकनीकी, सलाहकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- विश्व बैंक ने भी **BBIN MVA का समर्थन करने हेतु अपनी इच्छा प्रकट** की है।

दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम के बारे में

- यह **परियोजना-आधारित साझेदारी** के लिए **बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका** को एक मंच पर लाता है।
- सदस्य देश आर्थिक विकास, आर्थिक विविधीकरण, समावेशी विकास एवं स्थिरता तथा ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा से संबंधित समान आकांक्षाओं को साझा करते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाना, आर्थिक अवसरों में सुधार करना और उप-क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करना है।
- **SASEC परिचालन प्राथमिकता क्षेत्र:** इसके अंतर्गत परिवहन, व्यापार सुविधा, ऊर्जा और आर्थिक गलियारा विकास इत्यादि शामिल हैं।
- **एशियाई विकास बैंक** (मुख्यालय: मेट्रो मनीला, फिलीपींस) **SASEC सचिवालय** के रूप में कार्य करता है।
- मार्च 2022 तक, SASEC के सदस्य देशों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 17.28 बिलियन डॉलर से अधिक की एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित 72 निवेश परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें लागू किया है।

BBIN-MVA के बारे में

- वर्ष **2014** में पाकिस्तान से जुड़ी चिंताओं के कारण **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** के मध्य क्षेत्रीय MVA समझौते की विफलता के बाद इसे वर्ष **2015** में आरंभ किया गया था।
  - वर्ष 2017 में, **भूटान ने अस्थायी रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना** था क्योंकि भूटान की संसद ने पर्यावरण और परियोजना स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण इस समझौते का अनुमोदन नहीं किया था।
  - एक बार लागू होने के बाद यह समझौता क्षेत्र में **सुरक्षित, किफायती, कुशल और पर्यावरण अनुकूल** सड़क परिवहन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

BBIN MVA के प्रमुख लाभ

- **सामरिक महत्व:**
  - ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में **बेहतर निवेश और सहयोग को बढ़ावा** मिल सकता है।
  - पूर्वोत्तर भारत में **संवृद्धि और विकास सुनिश्चित** होगा।
  - चीन पर नेपाल की भू-राजनीतिक निर्भरता को कम करके **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का विकल्प प्रदान करेगा।**
  - यह हिमालयी देशों में किसी भी प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा जोखिम की स्थिति में **प्रथम अनुक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में भारत की सहायता करेगा।**
  - आसियान देशों के साथ व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देने और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसे **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** से जोड़कर **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
  - वस्तुओं, वाहनों और लोगों की निर्बाध सीमापार आवाजाही को सक्षम बनाकर यह **आर्थिक एकीकरण को बढ़ाएगा।** विश्व बैंक के अनुसार, MVA के माध्यम से **क्षेत्रीय व्यापार यातायात को 60% तक बढ़ाया जा सकता है।**
  - **उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा** देकर व्यापार और लोगों से लोगों के मध्य संपर्क की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगा।

- यह क्षेत्र में व्यापार और परिवहन दक्षता में सुधार करके **लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, व्यस्ततम मार्ग होने के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा के मध्य **पेट्रापोल-बेनापोल सीमा क्रॉसिंग** धीमे निर्यात की समस्या से ग्रस्त रही है।

अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (विश्व बैंक द्वारा जारी)** लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन के आकलन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। यह विभिन्न देशों के लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन हेतु बेंचमार्किंग और तुलनात्मक अध्ययन करता है।
- यह किसी भी राष्ट्र में **लॉजिस्टिक के छह मुख्य घटकों के प्रदर्शन** का आकलन करता है (चित्र देखें)। यह इन घटकों को **1 से 5** के मध्य रेटिंग प्रदान करता है जिसमें 1 सबसे कम और 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है।
- **वर्ष 2018 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय LPI स्कोर 3.18** (वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान) था।
- अन्य BBIN देशों का LPI स्कोर और भी कम था, जैसे **बांग्लादेश -** रैंक 100, **नेपाल -** रैंक 114 और **भूटान -** रैंक 149

समझौते के क्रियान्वयन में मौजूदा चुनौतियां

- अधिकारियों के मध्य विभिन्न प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों के उपयोग, उनकी समझ, स्पष्टीकरण और पहुंच संबंधी कमियों को दूर करने के **प्रयास की गति अत्यंत धीमी बनी हुई** है।
- **तकनीकी चुनौतियां,** जैसे सीमा शुल्क और टैरिफ, सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट की अनुपस्थिति आदि।
- निरंतर प्राकृतिक जोखिमों के साथ **भौगोलिक चुनौतियां, जैसे हिमालय पर्वत, अनेक नदी घाटियां, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र** आदि की उपस्थिति समझौते के क्रियान्वयन को बाधित करती हैं।
- **विकसित सहायक अवसंरचना का अभाव** जैसे वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के सुचारू प्रवाह के लिए ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आदि।
- नेपाल और बांग्लादेश में राजनीतिक दलों के मध्य भारत के विरुद्ध **स्पष्ट वैचारिक विभाजन** (ऐसे समझौतों में भारत के प्रभुत्व के मुद्दे का हवाला देते हुए), मैत्रीपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है।

आगे की राह

वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में, दक्षिण एशिया की विकास दर **7.1%** (विश्व बैंक द्वारा) रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में, BBIN MVA वस्तुतः आसियान और पूर्वी एशियाई देशों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने करने की दिशा में एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। लाभों को प्राप्त करने और चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार किया जा सकता है-

- धीमी गति जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल पर **शीघ्र हस्ताक्षर के साथ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।**
- तकनीकी मुद्दों को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के लिए सड़क यातायात पर **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे सड़क यातायात पर वियना कन्वेंशन, 1968) की यथाशीघ्र अभिपुष्टि** की जानी चाहिए।
- तकनीकी सहायता से भौगोलिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु **पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए** या अन्य देशों के अनुभव से सीखा जाना चाहिए।
- वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के सुचारू प्रवाह के लिए सहायक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सड़कों, रेल और जलमार्गों के **निर्माण तथा इनके उन्नयन** हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।
- वैचारिक मतभेदों को दूर करने के साथ-साथ भूटान को सदस्य देश के रूप में वापस लाने के लिए पड़ोसी देशों में परियोजना के **पारस्परिक लाभों पर परिचर्चा को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।

1.8. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

भारत–बांग्लादेश संबंध – एक नज़र में

भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनोखा साझा संबंध है। दोनों ही देश समान इतिहास (1947 के विभाजन तक), भाषा, संस्कृति आदि से जुड़े हुए हैं और एक सामूहिक भविष्य की तलाश में हैं।

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.8 अरब डॉलर का है।
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ़ क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा और सुरक्षा:** मिलन (MILAN) एवं सम्प्रीति (SAMPRITI) जैसे सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और भारत द्वारा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसे **पारंपरिक क्षेत्रों** के साथ-साथ परमाणु, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसी **उन्नत प्रौद्योगिकियां।**
- **विदेश नीति:** बांग्लादेश भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के केंद्र में है।
- बहुपक्षीय सहयोग: सार्क, बिम्सटेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) आदि।
- **सीमा प्रबंधन:** भूमि सीमा समझौता (2015), समुद्री सीमा का परिसीमन आदि।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

चुनौतियां

- **तीस्ता और बराक नदी के जल का बंटवारा।**
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि और अवसंरचना में निवेश के माध्यम से चीन के हस्तक्षेप में बढ़ोतरी।
- अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं।
- अवैध गतिविधियों को जन्म देने वाली छिद्रिल सीमाएं (Porous borders)।
- **बढ़ती कट्टरता:** बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार और हरकत-अल-जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI) जैसे कट्टरपंथी समूहों की उपस्थिति।

उठाए गए कदम

- **व्यापार को बढ़ावा:** सीमा शुल्क में कटौती और आव्रजन दस्तावेजों में सरलता, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, बॉर्डर हाट, एकीकृत चेक पोस्ट (उदाहरण के लिए- असम में सुतारकंडी में) आदि।
- **विकास में सहयोग:** भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, अखौरा-अगरतला रेल लिंक, भारत और रूस द्वारा बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना आदि।
- **कनेक्टिविटी में सुधार:** अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT) तथा फेनी ब्रिज जैसे पुलों का निर्माण।
- **कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश की सहायता।**
- **नदी विवादों का समाधान:** फेनी नदी के जल बंटवारे पर वर्ष 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आगे की राह

- जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के माध्यम से **सीमा पार आव्रजन प्रबंधन।**
- **जल संसाधनों का प्रबंधन** करने के लिए नियमित JRC बैठकों का आयोजन करना, बेसिन व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आदि।
- **लोगों के मध्य संपर्कों को प्रोत्साहित करना।**
- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी **परियोजनाओं में तेजी लाना।**
- भारत के पूर्वोत्तर से/को माल के परिवहन के लिए **चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग को लेकर समझौते का अनुपालन करना।**

बदलते जिओ-इकोनॉमी की स्थिति में बांग्लादेश के साथ संबंधों को गहरा करना एक आवश्यकता बन गई है। सहयोग, समन्वय और समेकन के आधार पर भारत-बांग्लादेश संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने की संभावनाएं मौजूद हैं।

1.9. हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** की रक्षा में भारत की निरंतर सतर्कता की प्रशंसा की है। साथ ही, इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि भारत इस क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बन गया है।

समग्र सुरक्षा प्रदाता क्या है?

- समग्र सुरक्षा प्रदाता का आशय आमतौर पर **एक से अधिक देशों की पारस्परिक सुरक्षा को मजबूत करने से है।** इसमें सामान्य सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती से निपटना या आपदाओं से निपटना आदि शामिल हैं।
- **इसमें 4 अलग-अलग गतिविधियां शामिल हैं:**
  - **क्षमता निर्माण:** इसमें **विदेशी बलों को प्रशिक्षण** दिया जाता है। इसके तहत नागरिक एवं सैन्य दोनों बलों को या तो घरेलू स्तर पर या विदेशों में प्रशिक्षकों को तैनात करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - **सैन्य कूटनीति:** इसमें मुख्यतः **सैन्य यात्राओं और अभ्यासों** के माध्यम से सैन्य कूटनीति में वृद्धि की जाती है।
  - **सैन्य सहायता:** इसमें मुख्य रूप से उपकरणों (हथियार और गोला-बारूद) की आपूर्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - **सैन्य बलों की सीधी तैनाती:** इसके तहत पर्यावरणीय आपदा, अंतर्राष्ट्रीय खतरों और संघर्षरत क्षेत्रों से नागरिकों की निकासी या स्व-परिभाषित राष्ट्रीय हितों की रक्षा के समक्ष आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए सैन्य बलों की तैनाती की जाती है।

- हिन्द महासागर क्षेत्र में अधिकतर व्याप्त खतरों में **समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, IUU[3] मत्स्यन, मानव दुर्व्यापार, जलवायु परिवर्तन** आदि शामिल हैं।
- **हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देश IOR को अत्यधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं।** इस कारण यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक स्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है।

भारत IOR में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में कैसे कार्य कर रहा है?

- **भारत की नीतियां:** IOR के तटवर्ती देशों के प्रति भारत की नीति **'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति तथा प्रधान मंत्री के विज़न **"सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व संवृद्धि** (SAGAR)[4]" द्वारा निर्देशित है।

---

[3] Illegal, Unreported and Unregulated / अवैध, असूचित और अनियमित

- **भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति:** यह नीति स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद व जन-उन्मुख क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। IOR देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है। यह दृष्टिकोण **अधिक से अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचे, विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत विकासात्मक सहयोग, सुरक्षा और लोगों के बीच व्यापक संपर्क** जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **सागर नीति:** सागर नीति का लक्ष्य अधिक विश्वास सृजित करना है। साथ ही, समुद्री नियमों, मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपसी सम्मान को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

- **भू-सामरिक स्थिति:** हिंद महासागर विश्व के समुद्री क्षेत्र का लगभग 1/5 हिस्सा समाहित करता है। भारतीय प्रायद्वीप इस समुद्र में 2000 किलोमीटर तक विस्तारित है। इस प्रकार, हिंद महासागर का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा भारतीय राज्यक्षेत्र से निर्धारित 1000 मील की एक चाप के अंतर्गत आता है। IOR में प्रमुख **समुद्री चोक पॉइंट्स** और **समुद्री संचार मार्गों** (SLOCs)[5] की उपस्थिति इसे व्यापक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है।
  - यह **भारत को हिंद महासागर के मध्य में एक प्रमुख स्थिति प्रदान करता है।** इसके राष्ट्रीय और आर्थिक हित हिंद महासागर के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।
- **प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के मद्देनजर सहायता:** भारत अपने पड़ोसियों के बीच मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR)[6] सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करता रहा है। इसमें विशेषज्ञता साझा करने और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS):** इसका प्रथम आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2008 में किया गया था। यह एक ऐसा मंच है, जो IOR के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में भी मदद करता है।

समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के समक्ष बाधाएं

- **संसाधन उपलब्धता बनाम आवश्यकता:** समग्र सुरक्षा प्रदाता की स्थिति प्राप्त करने से देश के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सैन्य हार्डवेयर में कई गुना वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।
- **मौजूदा नागरिक-सैन्य संबंध:** भारत में मौजूद अस्पष्ट नागरिक-सैन्य संबंध गंभीर मतभेदों और रणनीति तैयार करने पर स्पष्टता की कमी में प्रकट होते हैं। इसके अलावा, ये तैयार नीतियों के प्रभावी निष्पादन पर भी प्रकट होते हैं।
- **गुटनिरपेक्ष नीति:** भारत ने हमेशा वैश्विक महाशक्तियों के साथ सैन्य गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का वैचारिक रूप से पालन किया है, ताकि अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखा जा सके। यह नीति अन्य देशों के साथ गहन सुरक्षा साझेदारी के अवसरों को सीमित करती है।
- **विदेशों में तैनाती का पिछला अनुभव:** 'विदेशों में तैनाती' समग्र सुरक्षा प्रदाता की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि, **श्रीलंका के अनुभवों** का विदेशों में तैनाती से जुड़ी किसी भी विचार प्रक्रिया पर एक "गंभीर प्रभाव" पड़ा है।
- **अमेरिकी नीति में बदलाव:** अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति में अनिश्चितता IOR में एक रिक्त स्थान छोड़ देगी, जिसे भरने के लिए चीन प्रेरित होगा। परिणामस्वरूप, भारत के लिए यह चीन के साथ अकेले या पाकिस्तान की मिलीभगत से समुद्री संघर्ष की संभावनाओं को और अधिक विस्तृत करेगा।
- **गैर-पारंपरिक खतरे: समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, अवैध प्रवासी** आदि के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की अनियमितताएं संघर्ष के गैर-पारंपरिक खतरे हैं।

समग्र सुरक्षा प्रदाता के लिए आवश्यक उपागम

- **क्षमता निर्माण और सैन्य कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत क्षमता निर्माण (मुख्य रूप से प्रशिक्षण) व सैन्य कूटनीतिक गतिविधियों को आसानी से बढ़ा सकता है। इसका कारण यह है कि वे काफी हद तक अविवादित और लागत प्रभावी हैं।
- **उन्नतर रक्षा संगठन:** यह व्यक्तिगत सेवाओं द्वारा एक निकटवर्ती खतरे के आकलन के सापेक्ष रणनीतिक विचारों के सुसंगत अनुप्रयोग को सक्षम करेगा, जो कि वर्तमान में दृश्यमान है।

---

[4] Security and Growth for All in the Region

[5] Sea Lanes of Communications

[6] Humanitarian Aid and Disaster Relief

VISION IAS

- इसके अलावा, यह **रक्षा अधिग्रहण की स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राथमिकताओं** और इसके लिए **एक सुनिश्चित बजट** स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि ये रणनीतिक योजना के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं।

- **एक राष्ट्रीय रक्षा नीति का निर्माण:** एक मुखर रक्षा नीति न केवल भारत में बल्कि IOR के छोटे तटवर्ती देशों के बीच भी आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करेगी। ये देश तब इस क्षेत्र में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता बनने की भारत की मंशा, इच्छा और क्षमता को स्वीकार करेंगे।
- **सुसंगत IOR रणनीति:** भारत को एक सुसंगत IOR रणनीति तैयार करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। इसमें IOR राष्ट्रों के साथ संलग्नता में अनुपूरक प्रयोजन व कार्रवाई शामिल है तथा प्रत्येक IOR राष्ट्र के साथ अलग से रणनीति निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे इन देशों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, छोटे पड़ोसी देशों द्वारा भारत को "बिग ब्रदर" के रूप में मानने की मिथ्या धारणा को समाप्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों का विकास:** इन द्वीपों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन और एक शक्तिशाली सैन्य अड्डे के रूप में उनका विकास एक मुखर हिंद महासागर नीति के लिए आवश्यक प्रथम चरणों में से एक सिद्ध होगा।
- **IOR राष्ट्रों की क्षमता वृद्धि:** IOR राष्ट्रों, विशेष रूप से उनकी संबंधित नौसेनाओं की क्षमता वृद्धि पर बल देने से संपूर्ण IOR को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ज्ञातव्य है कि भारत पहले से ही विनिमय कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न IOR देशों के नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण में शामिल है।

1.10. भारत-मालदीव (India-Maldives)

भारत–मालदीव संबंध – एक नज़र में

दोनों देश प्राचीन काल से ही नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संपर्कों को साझा करते हैं। फरवरी 2012 से नवंबर 2018 के बीच की एक संक्षिप्त अवधि (जब मालदीव में चीन समर्थक सरकार थी) को छोड़कर, दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। हालांकि, हाल ही में, मालदीव में "इंडिया आउट" अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। **"इंडिया आउट" अभियान मालदीव में बड़ी संख्या में भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति** को लक्षित करता है। इस अभियान के समर्थकों का मानना है कि मालदीव सरकार **उथुरु थिलाफल्हू एटॉल** को भारतीय नौसेना को सौंपने की योजना बना रही है।

भारत–मालदीव द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020 में 246 मिलियन डॉलर था, जो भारत के पक्ष में था।

भारत वर्ष 2020 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा था।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंध:** भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता दे रहा है। यह मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
- **सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में समग्र प्रशिक्षण केंद्र, तटीय रडार प्रणाली (Coastal Radar System: CRS) और नए रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय का निर्माण शामिल हैं।
- **भारत द्वारा विकास सहायता संबंधी परियोजनाएं:** भारत द्वारा निष्पादित प्रमुख पूर्ण और परिचालनरत विकास सहायता परियोजनाएं **इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान (जिसे अब मालदीव पॉलिटेक्निक कहा जाता है), मालदीव में शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंगीकरण कार्यक्रम** आदि हैं। इसके अलावा, भारत ने अपनी उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं की योजना के तहत मालदीव में कई परियोजनाओं को वित्त पोषित भी किया है।
- **भारत द्वारा मानवीय सहायता:** भारत ने वर्ष 1988 में सैन्य सत्ता परिवर्तन के प्रयास के दौरान त्वरित सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004 की सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान भी भारत सहायता {ऑपरेशन नीर (NEER)} प्रदान करने वाला प्रथम देश था। भारत ने मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए टीके भेजे थे। इसके अतिरिक्त, भारत ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के बाद मालदीव को त्वरित व व्यापक सहायता प्रदान की थी।
- **अन्य क्षेत्र** जैसे पर्यटन सहित चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, लोगों के मध्य संपर्क आदि।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

- **भू–सामरिक:** यह भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति और **सागर** (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और संवृद्धि) विज़न का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
- **भू–राजनीतिक:** मालदीव को शामिल करते हुए चीन की **"बेल्ट एंड रोड (BRI)"** पहल ने चीनी प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। इसमें भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है।
- **भू–आर्थिक क्षेत्र:** भारत का लगभग 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार और उसका 80 प्रतिशत ऊर्जा आयात समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) के माध्यम से ही होता है। इन संचार मार्गों के माध्यम से भारत का यह व्यापार अरब सागर में पश्चिम की ओर होता है।
- **निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका:** मालदीव पश्चिमी हिंद महासागर चोक पॉइंट्स तथा मलक्का जलडमरूमध्य के पूर्वी हिंद महासागर चोक पॉइंट्स के मध्य एक 'टोल गेट' की भांति स्थित है।
- सार्क, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC), IORA और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) जैसे मंचों के माध्यम से **क्षेत्रीय सहयोग।**

चुनौतियां

- **मालदीव में घरेलू राजनीति:** वर्ष 2018 तक, मालदीव के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर भारत के प्रति अपनी शत्रुता और चीन के लिए वरीयता का प्रदर्शन किया था। वर्ष 2018 में नव राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने "भारत–प्रथम नीति" की पुष्टि की।
- **चीन का प्रभाव:** मालदीव की चीन से बढ़ती नजदीकी और बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन।
- प्रवासी कामगारों विशेषकर मालदीव में **अकुशल कामगारों से संबंधित चिंता।**

आगे की राह

- **'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव'** जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत–मालदीव संबंधों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, **गुजराल सिद्धांत के पांच बुनियादी सिद्धांत** प्रासंगिक हैं।

भारत और मालदीव की अवस्थिति एक दूसरे के सामरिक हितों को सर्वोत्तम तरीके से संपूरित कर सकती है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार, भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव के लिए एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है।

2. भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह एवं समझौते (Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements Involving India and/Or Affecting India's Interests)

2.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (India-US)

भारत–यू.एस.ए. संबंध – एक नज़र में

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठा रहे हैं। यह साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के साझाकरण और पीपल्स–टू–पीपल्स जीवंत संपर्क से प्रेरित है।

- वर्ष 2021–22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर हो गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यात गंतव्य है। यह भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है।
- वर्ष 2020–21 में अमेरिका, भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों से निपटना।
- समुद्री मार्गों और संचार के समुद्री मार्गों जैसे वैश्विक कॉमन का संरक्षण करना।
- संयुक्त राष्ट्र, आसियान, G-20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्वाड आदि जैसे मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना।
- रक्षा सहयोगः LEMOA, COMCASA, औद्योगिक सुरक्षा समझौता और BECA जैसे रक्षा समझौते। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार आदि जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष सहयोगः भारत–अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम निसार (NISAR) है।
- प्रवासी और लोगों के मध्य लोगों संबंधः अमेरिका में भारतीय तीसरा सबसे बड़ा एशियाई नृजातीय समूह है।
- सहयोग के अन्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, आतंकवाद का सामना और नारकोटिक्स से निपटना आदि शामिल हैं।

चुनौतियां

- आर्थिक क्षेत्रः
  - फार्मा पेटेंट पर असहमति (अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिकता निगरानी सूची में रहा)।
  - भारत की विनियामक, पारदर्शिता और स्थानीयकरण की नीतियां।
  - भारत की टैरिफ प्रणाली, विशेष रूप से कृषि में।
  - अमेरिका ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंस (GSP) के तहत भारत का विकासशील देश का दर्जा रद्द कर दिया था।
- सामरिक क्षेत्रः गुटनिरपेक्षता के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता; अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी आदि।
- रक्षा क्षेत्रः CAATSA विशेष रूप से रूस से S-400 के संदर्भ में।

आगे की राह

- एशियाई सुरक्षा और समृद्धि, आतंकवाद का मुकाबला, वैश्विक कॉमन का संरक्षण आदि जैसे सामान्य दीर्घकालिक हितों पर ध्यान देना।
- चुनौतियों को अवसरों में बदलना, जैसे– टीकों का विनिर्माण और शुद्ध शून्य उत्सर्जन।
- अपने–अपने राष्ट्रीय हितों के संबंध में एक–दूसरे की चिंताओं को समझकर मतभेदों का प्रबंधन करना।
- वार्ता और समाधान खोजने के लिए राजनयिक पूंजी समर्पित करना।

भारत–अमेरिका संबंधों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है न कि केवल इन दोनों देशों के संबंधों पर। इसलिए, भारत और अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने मतभेदों को अलग रखना चाहिए तथा अधिक स्थिर, शांतिपूर्ण और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में काम करना चाहिए।

2.1.1. भारत अमेरिका रक्षा संबंध (India-US Defence Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने **एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (ALUAV) के लिए एक परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर** किए।

2+2 संवाद के बारे में

- 2+2 संवाद सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के **विदेश और रक्षा मंत्रियों** के मध्य बैठक का एक प्रारूप है।
- 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भागीदारों को दोनों पक्षों के **राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे** की **सामरिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं** को बेहतर ढंग से समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम बनाता है।
- **भारत के चार प्रमुख सामरिक साझेदारों** के साथ 2+2 संवाद हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।

अन्य संबंधित तथ्य

- ALUAV के लिए परियोजना-समझौता **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI)**[7] के अंतर्गत शामिल है।
- **DTTI के तहत, परियोजनाओं की 2 श्रेणियां हैं:**
  i. उद्योग-से-उद्योग (industry-to-industry) परियोजनाओं से संबंधित, जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है, तथा
  ii. वे परियोजनाएं, जिन्हें परियोजना-समझौतों (Project Agreements: PA) के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
- ALUAV के लिए **PA अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन (RDT&E)**[8] **समझौते के तहत आरंभ की गई दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है।** इसे प्रथम बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था।
- साथ ही, **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा '2+2' संवाद** वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंध

- वर्ष 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसे वर्ष 2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर-1 के दर्जे तक उन्नत कर दिया गया था।
- **भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के चार मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।**
  - सैन्य सूचना के आदान-प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)।
  - वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।
  - दोनों सेनाओं के मध्य अंतरसक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)।
  - उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।

भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग के विकासक्रम पर एक नज़र

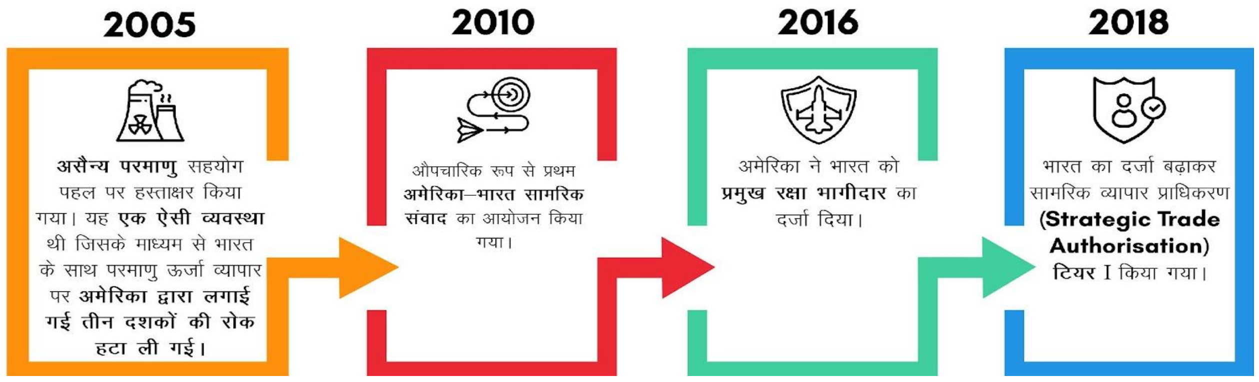

[7] Defence Technology and Trade Initiative

[8] Research, Development, Testing and Evaluation

2.2. भारत-रूस (India-Russia)

भारत–रूस संबंध – एक नज़र में

रूस भारत का एक लंबे समय से और विश्वसनीय भागीदार रहा है। वर्ष 2000 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी के बाद, भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2010 में, रणनीतिक साझेदारी को एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Privileged Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।

भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.1 अरब डॉलर का है।

भारत में रूसी निवेश कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि हाइड्रोकार्बन, विद्युत, कोयला, परमाणु ऊर्जा, उर्वरक आदि में 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग:** भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP), बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना आदि।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** ग्लोनास (GLONASS) नेविगेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम आदि।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** इंडिया–रशिया ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (Traditional Knowledge Digital Library: TKDL) का निर्माण, और विश्वविद्यालयों का रूस इंडिया नेटवर्क (Russia India Network: RIN)।

भारत के लिए रूस का महत्व

- **चीन और उसकी दृढ़ता को संतुलित करना।**
- खनन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत का बढ़ता प्रभाव आदि जैसे **आर्थिक संलग्नता के उभरते नए क्षेत्र।**
- **आतंकवाद से निपटना:** दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान कर रहे हैं।
- UNSC और NSG जैसे **बहुपक्षीय मंचों पर रूस का समर्थन।**
- **रूस भारत के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक है।**

संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **रूस और चीन के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी।**
- अच्छे राजनीतिक संबंधों के बावजूद **रूस के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थिर हैं।**
- **रूसी रक्षा आपूर्ति की आपूर्ति और सर्विसिंग के संबंध में भारत की चिंताएं।**
- **हिंद–प्रशांत और क्वाड के विचार की रूस द्वारा आलोचना।**

आगे की राह

- यूरेशियाई क्षेत्र, आर्कटिक, अफगानिस्तान आदि जैसे सहयोग के नए विषयों पर कार्य करके **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाना।**
- **मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा सहयोग को अपग्रेड करना, हथियारों का संयुक्त विकास और सह–उत्पादन करना,** आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और दूसरों पर भारत की निर्भरता को कम करना।
- **स्पेयर पार्ट्स का संयुक्त निर्माण और लॉजिस्टिक्स समर्थन।**
- संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों (ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन आदि) में अधिक सहयोग के माध्यम से **नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कार्य करना।**
- **आर्थिक सहयोग को मजबूत करना:** हरित गलियारे व अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे का संचालन करना और यूरेशियाई आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EaEU) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रहे व्यवस्थित परिवर्तनों के चलते, भारत और रूस को एक मजबूत आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी स्थापित करनी होगी। इसके अलावा, ऊर्जा और रक्षा से परे सहयोग के अपने क्षेत्रों में विविधता लानी होगी।

2.2.1. भारत-रूस रक्षा संबंध (India-Russia Defense Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संपन्न हुए **21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन** के दौरान, **S-400 वायु रक्षा प्रणालियों** की सुपुर्दगी की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने **10 वर्ष के रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए। ध्यातव्य है कि वर्तमान में इन रक्षा प्रणालियों की सुपुर्दगी की जा रही है।

भारत-रूस प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि

- भारत-रूस संबंध **आपसी विश्वास, एक दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के लिए सम्मान और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थिति की समानता** जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं। दोनों देश काफी पुराने और समय की कसौटी पर भरोसेमंद साझेदार हैं।
- वर्ष 1971 में, दोनों देशों ने **शांति, मित्रता और सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2000 में एक-दूसरे के सामरिक भागीदार बने।
- विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के **पहले 2+2 संवाद** के रूप में वर्ष 2021 के शिखर सम्मेलन ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। यह संवाद वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक एवं सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु किया गया था।

21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में प्रमुख समझौते

रक्षा सहयोग के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में शामिल हैं-

- प्रतिरक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए **6,00,000 से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों** का **संयुक्त उत्पादन।**
- **वर्ष 2025** तक **द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर** और **द्विपक्षीय निवेश** को **50 अरब डॉलर** तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **साइबर हमलों** के विरुद्ध **भारतीय रिज़र्व बैंक** और **बैंक ऑफ रूस** संयुक्त रूप से काम करेंगे,
- आईएसआईएस-अलकायदा-लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त रूप से संघर्ष करना।

प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग** भारत और रूस के बीच **विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी**[9] का एक स्तंभ बना हुआ है।
- भारत ने वर्ष 1962 में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से मिग-21 खरीदा था और **मधुर संबंधों** एवं **हितों की समानता** के कारण इस सहयोग का विस्तार, भारत में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, रखरखाव और मरम्मत कार्यों को बढ़ावा देने के साथ, अन्य सशस्त्र बलों के लिए भी किया गया।
- वर्ष 2009 में, 2011-20 की अवधि के लिए **एक द्विपक्षीय अंतर-सरकारी सैन्य और तकनीकी सहयोग** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्तमान में, संयुक्त अनुसंधान, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों का विकास एवं उत्पादन और तत्पश्चात दोनों देशों के साझा मित्र देशों को निर्यात, **भारत-रूस प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग** को परिभाषित करने वाली विशेषता है। उदाहरण के लिए:
  - ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम।
  - मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत **AK श्रेणी की असॉल्ट राइफलों** का निर्माण करने के लिए संयुक्त उद्यम।
  - भारत में **Ka-226T हेलीकॉप्टरों के निर्माण** के लिए संयुक्त उद्यम पर शेयरधारक समझौता।
- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद, भारत ने अपने वायु प्रतिरक्षा क्षमता अंतराल[10] को दूर करने के लिए पांच S-400 रेजिमेंटों की आपूर्ति हेतु, **S-400 ट्रायंफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली**[11] की सुपुर्दगी लेना शुरू कर दिया है। इस मिसाइल की खरीद का सौदा वर्ष 2018 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में किया गया था।

[9] Special and Privileged Strategic Partnership

[10] Air defense capability gaps

S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट)

- S-400 वायु रक्षा प्रणाली **दुनिया की सबसे उन्नत मोबाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों में से एक है।**
  - यह चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है और यह कई रेंज में दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AWACS) विमानों को ध्वस्त कर सकती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव ने एक विधायी संशोधन पारित किया है। इसके तहत भारत पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत लागू आर्थिक प्रतिबंधों से उसे छूट दी गयी है। यह छूट चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है। छूट प्रदान करने का अंतर्निहित कारण यह है कि अमेरिका भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी और रक्षा बाजार को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता।
- CAATSA एक्ट को **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है।** इसे वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तीन देशों, यानी कि रूस, ईरान एवं उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग की बदलती गतिशीलता

S-400 ट्रायम्फ सौदा भारत और रूस के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। परंतु, यह कदम कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि बदलती वैश्विक और द्विपक्षीय गतिशीलता का चरम प्रभाव है-

- **बदलती विश्व व्यवस्था:** वैश्विक शक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ बढ़ती नई द्विध्रुवीय दुनिया ने दोनों प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के साथ दोनों देशों की निकटता को बढ़ा दिया है, अर्थात्:
  - रूस, चीन के करीब होता जा रहा है जबकि भारत-चीन के बीच तनाव मौजूद है और;
  - भारत, अमेरिका के करीब होता जा रहा है जबकि रूस-अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है।
- **भू-रणनीतिक हित:** एक अंतर्मुखी (सामरिक एवं आर्थिक रूप से) और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र से भारत के दृष्टिकोण में तर्कसंगत बदलाव के साथ दोनों देशों के बीच हितों की पुरानी समानताओं को भू-रणनीतिक हितों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए,
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र:** भारत जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड)**[12] में शामिल हो रहा है।
  - **यूरेशियन क्षेत्र:** इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक मुखरता पर अंकुश लगाने के लिए भारत और यूरोप के बीच हितों की समानता।
- **आर्थिक संबंध:** वर्ष 2019 में भारत-रूस के बीच मात्र 7.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसके विपरीत, भारत-अमेरिका अथवा रूस-चीन के बीच आर्थिक संबंध कहीं अधिक विविध और प्रगाढ़ हैं।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में रूस-चीन ने 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैस सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह 2020-21 में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार 80.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) था।
- **विविधता के साथ आधुनिकीकरण:** भारत ने सोवियत-युग और रूसी सैन्य उपकरणों से इतर आधुनिकीकरण तथा विविधता लाने के लिए फ्रांस, इजरायल एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से अपनी रक्षा खरीद का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान भारत के हथियारों की खरीद में रूस का हिस्सा 49% रहा जबकि वर्ष 2011-15 के बीच यह 70% था। **{स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)[13] फैक्ट शीट के अनुसार}।**
  - वर्ष 2014 में रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर लगाए अपने प्रतिबंध को हटा लिया जिसे भारतीय विविधीकरण पर चेतावनी के रूप में माना जाता है।

---

[11] Triumf Air Defense Missile System

[12] Quadrilateral Security Dialogue

[13] Stockholm International Peace Research Institute

VISIONIAS

शांति, मित्रता और सहयोग पर भारत-सोवियत संधि: संधि की मुख्य विशेषताएं

शांति	मित्रता	सहयोग
• इसके द्वारा दोनों देशों को एक दूसरे के पक्ष की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के साथ, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिबद्ध किया जाता है। • यह संधि दोनों देशों के दृढ़ संकल्प (हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकना) को भी उजागर करती है। साथ ही, इसके द्वारा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत, परमाणु और पारंपरिक अस्त्रों के सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण पर भी ज़ोर दिया जाता है।	• यह संधि उपनिवेशवाद की विरोधी रही है। साथ ही इसके द्वारा किसी अन्य रूप में उपनिवेशवाद की उपस्थिति और प्रसार को पूर्णतः समाप्त करने पर भी बल दिया जाता है। • इस संधि का उद्देश्य एक दूसरे के मध्य नियमित संपर्क को बनाए रखने हेतु दोनों देशों को प्रोत्साहित करना है। यह दोनों देशों के हितों को प्रभावित करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकों के आयोजन और उनके प्रमुख राजनेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से किया जा सकता है।	• यह संधि दोनों पक्षों को, किसी तीसरे पक्ष (जो दोनों या किसी एक पक्ष के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो) को सहायता न प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। • दोनों पक्षों के मध्य इन क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यापक सहयोग को सशक्त तथा विस्तारित करने हेतु प्रयास किया जाता रहा है। यह प्रयास आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को अत्यधिक महत्व देते हुए किया जा रहा है। साथ ही समानता, पारस्परिक लाभ और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (most-favoured-nation) का दर्जा प्रदान करने जैसे सिद्धांतों के आधार पर, दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार, परिवहन और संचार के विस्तार पर भी बल दिया गया है।

संधि का महत्व

- **सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत का समर्थन करना:** यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। बल्कि इसके विपरीत, इसने भारत की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्रवाई के लिए आवश्यक आधार को सशक्त किया है।
- **हितों का अभिसरण:** यह संधि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में हितों के अभिसरण (alignment of interests) को प्रदर्शित करती है। साथ ही यह युद्ध और शांति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के उल्लेखनीय अभिसरण को भी प्रदर्शित करती है।
- **समकालीन महत्व:** हालांकि, यह संधि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है, जिसे एक ऐसे युग में हस्ताक्षरित किया गया था जो "अब अप्रासंगिक हो चला है"। इसके बावजूद, इस संधि का भू-राजनीतिक आधार एवं मूल्य अब भी प्रासंगिक बने हुए हैं, जो 21वीं सदी में भारत और रूस के मध्य घनिष्ठ साझेदारी में भी परिलक्षित होता है। ये चिरस्थायी मूल्य, विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के रूप में अभिलक्षित होते हैं।

2.3. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) {India-United Kingdom (UK)}

भारत–यू.के. संबंध – एक नज़र में

हाल ही में, यू.के. और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे हो गए। भारत और यू.के. इतिहास एवं संस्कृति के मजबूत संबंधों से जुड़े हैं। साथ ही, वे लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, बहुपक्षवाद और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

- दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 15.5 बिलियन डॉलर का है। व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है।
- भारत यू.के. में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जबकि यू.के. भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है।
- भारतीय IT सेवाओं के लिए यू.के. यूरोप का सबसे बड़ा बाजार है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा:** रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी (DISP), ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज (कोंकण शक्ति)
- **शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार:** यू.के.-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव और यू.के. रिसर्च एंड इनोवेशन (UKRI) कार्यक्रम।
- **जलवायु और पर्यावरण:** मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता जैसे तंत्रों के माध्यम से जुड़ाव। भारत में अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में संस्थागत निवेश जुटाने के लिए भारत–यू.के. ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड।
- **सांस्कृतिक संबंध:** यू.के. में नेहरू केंद्र सक्रिय रूप से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2017 को भारत–यू.के. संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया गया।
- **भारतीय प्रवासी** यू.के. में सबसे बड़े नृजातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक हैं। ये वहां के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान देते हैं।

भारत–यू.के. संबंधों से जुड़े मुद्दे

- **औपनिवेशिक विरासत:** ब्रिटेन को लेकर उपनिवेश–रोधी आक्रोश।
- भारत की घरेलू राजनीति, जैसे– वित्तीय अपराधियों को शरण देने, कश्मीर मुद्दे और किसानों के आंदोलन में ब्रिटिश हस्तक्षेप।
- **भारत में कारोबारी माहौल:** कर, आयात और FDI पर जटिल कानून भारत में व्यापार करने में बाधा डालते हैं।
- यू.के. की आव्रजन नीतियां लोगों की आवाजाही को सीमित करती हैं।
- **पाकिस्तान और चीन से निकटता:** यू.के. द्वारा पाकिस्तान की वकालत करना और ब्रेक्ज़िट के बाद की आर्थिक नीति में चीन को विशिष्ट स्थान देने के लिए किए गए ठोस प्रयास।
- **डिएगो गार्सिया का मुद्दा:** डिएगो गार्सिया की संप्रभुता को लेकर मॉरीशस और यू.के. के बीच विवाद है। भारत ने उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विरोध के कारण मॉरीशस के दावे का समर्थन किया है।

भारत पर ब्रेक्ज़िट डील का प्रभाव

- **सेवा क्षेत्र के लिए लाभ:** भारत IT, R&D, वास्तुकला और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यू.के. और यूरोपीय संघ दोनों बाजारों में लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **दोनों पक्षों से व्यापार समझौता:** ब्रेक्ज़िट ने भारत के लिए यूरोपीय संघ और यू.के. दोनों के साथ अलग–अलग व्यापार समझौतों का अवसर खोला है।
- दोनों बाजारों के लिए अलग–अलग मानकों और पंजीकरण को पूरा करने में निर्यातकों के लिए **परिचालन संबंधी कठिनाई।**
- यू.के. या यूरोपीय संघ में मुख्यालय वाली **भारतीय कंपनियों के लिए** पेशेवरों के आवागमन पर प्रतिबंध के कारण चुनौतियां।

आगे की राह

- शिक्षा, क्षमता निर्माण, रोजगार आदि में पीपल–टू–पीपल कनेक्ट के लिए **संस्थागत तंत्र और उपायों को मजबूत करना।**
- UN, G-20, WTO, WHO, IMF आदि में **सहयोग और समन्वय को बढ़ाना।**
- प्रवासन और गतिशीलता: व्यापक प्रवासन और गतिशील साझेदारी को लागू करना, एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा, द्विपक्षीय प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों के तहत सहयोग को बढ़ाना।
- **यू.के.–भारत FTA पर वार्ता को आगे बढ़ाना।**
- **प्रौद्योगिकी और उभरते मुद्दों**, जैसे– स्थायी और हरित वित्त तथा साइबर सुरक्षा में **सहयोग करना।**

भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए एक नई भूमिका बनाना चाहता है। यू.के. ब्रेक्जिट के बाद अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की चाह रखता है। यह भारत और यू.के., दोनों के लिए एक अनूठा क्षण है। लोगों और ग्रह की साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए दोनों देशों को अपना द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करते हुए इसे विज़न 2047 की ओर ले जाना चाहिए।

2.4. भारत-यूरोपीय संघ (India-European Union)

भारत–EU संबंध – एक नज़र में

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच का संबंध लोकतंत्र, विधि के शासन, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद जैसे साझा मूल्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित हैं। वर्तमान समय में भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को आकार देने वाले कारकों में भू-राजनीतिक बदलाव, जैसे- रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन का उदय, हिंद महासागर में साझा हित और कोविड-19 के बाद उभरती नई विश्व व्यवस्था शामिल हैं।

- वर्ष 2021 में दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- EU अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- EU भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

समग्र संबंध

भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व

- **चीन का मुकाबला करने के लिए।**
- **ब्रेक्जिट के बाद की परिस्थितियों** में, भारत यह मानता है कि उसकी अपनी आर्थिक संभावनाएं उसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की निरंतर वृद्धि और आंतरिक स्थिरता पर निर्भर करती हैं।
- **आर्थिक पक्ष:** भारत यूरोपीय संघ की 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंस' के तहत तरजीही टैरिफ का लाभार्थी रहा है। यूरोपीय कंपनियां भारत में लाखों नौकरियां प्रदान करती हैं। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते से भारत को अपने **निर्यात का विस्तार करने और विविधता लाने तथा मूल्य श्रृंखला प्राप्त करने में मदद मिलेगी।**
- यूरोपीय संघ के छोटे देशों, जैसे- डेनमार्क, एस्टोनिया और पुर्तगाल के साथ संभावित संबंध।

सहयोग के क्षेत्र

- **सामरिक जुड़ाव:** भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे- तकनीकी मानक, जलवायु और हरित तकनीक, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला आदि।
- **नीली अर्थव्यवस्था:** यूरोपीय संघ की ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव, "नीली क्रांति" को अपनाने हेतु भारत के आह्वान के अनुरूप है।
- **बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करना:** दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे कई सुधार एजेंडा पर एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानते हैं।
- **इंडो-पैसिफिक:** यूरोपीय संघ की इंडो-पैसिफिक रणनीति इस क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों के करीब है।
- **जलवायु परिवर्तन से लड़ना** और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी की सहायता से एक सतत अर्थव्यवस्था में बदलाव को सुविधाजनक बनाना।
- **कनेक्टिविटी:** भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी की घोषणा की है, जो चीन के BRI का विकल्प प्रदान करेगी।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में चिंताएं

- **अपर्याप्त राजनयिक संबंध।**
- FTA (BTIA) की अनुपस्थिति के कारण **व्यापार क्षमता का कम प्रयोग हुआ है।**
- **मानवाधिकार:** यूरोपीय संघ के सदस्यों ने भारत में मानवाधिकारों की तथाकथित बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।
- **पीपल-टू-पीपल संबंधों की कमी।**

आगे की राह

- **FTA का शीघ्र निराकरण:** BTIA महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों बड़े बाजार हैं। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की सहायता से यूरोपीय संघ की मदद कर सकता है।
- **राजनीतिक संवाद को मजबूत बनाना:** वार्षिक संवाद को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- अफ्रीका, मध्य एशिया जैसे क्षेत्र के भागीदार देशों में **ठोस त्रिपक्षीय/ सहयोग परियोजनाओं की शुरुआत करना।**
- **यूरोप के सभी देशों के साथ सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाना।**

भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने 60 वर्षों से अधिक की मित्रता तथा मजबूत रणनीतिक संबंध को बनाए रखा है। हालांकि, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना है।

2.4.1. भारत-फ्रांस (India-France)

भारत–फ्रांस संबंध – एक नज़र में

भारत और फ्रांस 1998 में रणनीतिक साझेदार बने थे। दोनों देश लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, विधि के शासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान जैसे साझा मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में, भारत और फ्रांस ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपने बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की।

द्विपक्षीय व्यापार: 10.75 अरब डॉलर

फ्रांस भारत में शीर्ष 10 विदेशी निवेशकों में शामिल है

सहयोग के क्षेत्र

- **अंतरिक्ष सहयोग:** तृष्णा और मेघा–ट्रॉपिक्स उपग्रह, Ka–बैंड प्रोपोगेशन एक्सपेरिमेंट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता।
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** जैतापुर संयंत्र, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के प्रवेश के समय फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था।
- **सांस्कृतिक:** विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन तथा प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते की सहायता से पीपल–टू–पीपल संपर्क को बढ़ावा देना।
- **विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी और शिक्षा:** इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च (CEFRPRA), विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर भारत–फ्रांसीसी मंत्रिस्तरीय संयुक्त समिति।
- उन्नत प्रौद्योगिकियां (जैसे कि AI), सतत वृद्धि और विकास इत्यादि।

भारत के लिए फ्रांस के साथ घनिष्ठ गठबंधन का महत्व

- बहुपक्षवाद, बहुलतावाद और एक **असैन्य, अवरोध–आधारित नीतिगत दृष्टिकोण और आदर्शों को अपनाना।**
- **रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** फ्रांस महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए एक बाजार है, जैसे– महत्वपूर्ण नौसैनिक परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी, राफेल जेट इत्यादि।
- **अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग:** भारत–फ्रांस उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र और संभावित खतरों को समझने के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (SSD) पर सहमत हुए हैं।
- उत्तर–पश्चिमी हिंद महासागर में **प्रस्तावित संयुक्त गश्ती अभियान, IORIS** (हिंद महासागर क्षेत्रीय सूचना साझाकरण और घटना प्रबंधन) वेब–प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से **अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), कोवैक्स तथा ACT** की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक सहयोग के अवसर।

खासकर ब्रेक्ज़िट के बाद, यूरोप के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने में फ्रांस सहायक साबित हो सकता है। दोनों देशों को अपने सहयोग को और गहरा करना चाहिए। साथ ही, उभरती चुनौतियों का सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना चाहिए।

2.4.1.1. भारत-फ्रांस साझेदारी (India-France Defence Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और फ्रांस ने रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति प्रकट की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों देश **खुफिया जानकारी और सूचनाओं को साझा करने, आपसी क्षमताओं को बढ़ाने, सैन्य अभ्यासों का विस्तार करने तथा** समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में नई पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- **भारत के साथ सामरिक सहयोग के विस्तार पर बल** दिया गया है। इसे **ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस द्वारा एक नए सुरक्षा गठबंधन AUKUS के गठन के दो महीने बाद** फ्रांस की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। AUKUS को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने के रूप में देखा जा रहा है।
    - इस समझौते के हिस्से के रूप में, ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी योजना का परित्याग कर देगा। इसके स्थान पर वह यूनाइटेड किंगडम-संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित तकनीकों के आधार पर पोतों को निर्मित करेगा। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से फ्रांस सरकार अत्यधिक नाराज हो गई थी।

इस द्विपक्षीय सहयोग को अत्यधिक मजबूत बनाने से भारत को होने वाले लाभ

- **रक्षा सेवा का आधुनिकीकरण:** महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए भारत को एक बेहतर बाजार विकल्प प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग अभी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इस दिशा में भारत अभी प्रयासरत है। वहीं रक्षा सेवा के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था न हो पाने के कारण भी भारत को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    - उदाहरण के लिए, भारत **महत्वपूर्ण नौसैनिक परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए** फ्रांस के साथ संबंध बढ़ा सकता है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में रीयूनियन द्वीप के रूप में फ्रांस की औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति है। इसके चलते यह यहाँ के लिए एक स्थानिक शक्ति (resident power) और साथ ही इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक है। अतः इस प्रकार हिंद महासागर की सुरक्षा एक साझा हित बन जाता है।
    - भारत-फ्रांस साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, सामरिक स्वायत्तता एवं कानून के शासन में विश्वास के आधार पर **भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**
- **आतंकवाद का मुकाबला:** फ्रांस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। फ्रांस कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के रुख का समर्थन करता रहा है।
- भारत में उन्नत क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के द्वारा रक्षा औद्योगीकरण, संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से **भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान** को समर्थन प्रदान कर रहा है।
- **हिंद-प्रशांत पर यूरोप के साथ गहन संलग्नता हेतु मार्ग:** वर्ष 2022 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस के हाथों में है। यह भारत को यूरोपीय संघ हिन्द-प्रशांत रणनीति के तहत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में यूरोपीय संघ की संलग्नता को और आकार देने का अवसर प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने और चिंता के उभरते क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए फ्रांस जैसे देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

2.5. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia)

सुर्खियों में क्यों?

विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलती गतिशीलता और यूरेशिया के बढ़ते महत्व के कारण भारत को यूरेशिया के प्रति एक नया, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

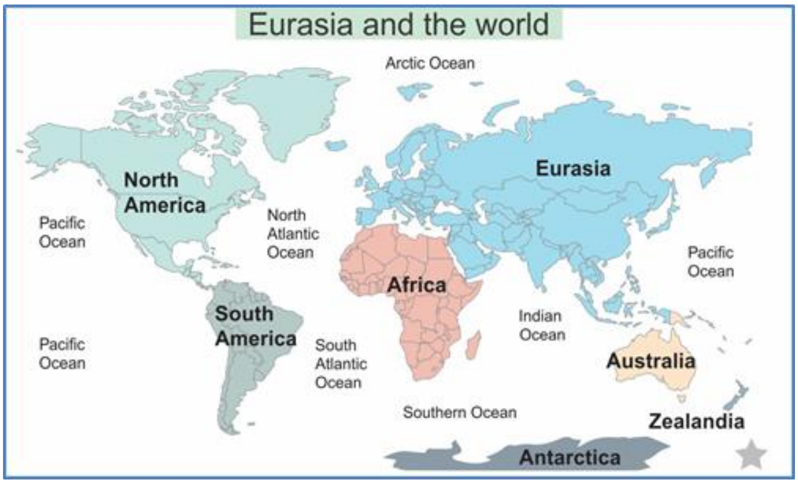

यूरेशिया के बारे में

यूरेशिया पृथ्वी पर **सबसे बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र** को संदर्भित करता है। इसमें यूरोप, मध्य पूर्व तथा एशिया के 93 देश शामिल हैं और यहां 5 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं।

- हालांकि, इस क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कोई **साझी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता** विद्यमान नहीं है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया के बढ़ते महत्व का क्या कारण है?

- **आर्थिक विकास के लिए मजबूत संभावनाएं:** पिछले कुछ वर्षों में यूरेशिया प्रति व्यक्ति लगभग 4-5% की औसत वार्षिक आय वृद्धि दर के साथ आर्थिक विकास के मामले में विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक रहा है।
- **चीन का नाटकीय ढंग से उदय और उसकी बढ़ती रणनीतिक हठधर्मिता:** चीन एक चीन-केंद्रित एशियाई व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना एक नई आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा पहल निर्मित करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)[14], चीन-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता आदि जैसी परियोजनाओं का पर्याप्त रणनीतिक महत्व है। इससे यूरेशिया में बीजिंग का प्रभाव स्थापित हुआ है।
- **बदलते भू-रणनीतिक संबंध:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) के साथ समझौता, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और संयुक्त उत्पादन तथा सैन्य अभ्यासों के माध्यम से सैन्य क्षेत्र में चीन और रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
- **क्षेत्रीय भू-रणनीतिक गठबंधन:** संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अन्य विरोधी ईरान से चीन एवं रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। तीनों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया** है। ईरान भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
    - साथ ही, **चीन-ईरान-रूस-तुर्की-पाकिस्तान रणनीतिक पंचकोण** आकार ले रहा है जो यूरेशिया और पश्चिम एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित करेगा और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रत्युपाय (countermeasure) के रूप में विकसित किया जा रहा क्षेत्र:** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी मध्यस्थ शक्तियां स्वयं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित कर रही हैं। इसके प्रत्युत्तर में चीन और रूस यूरेशिया को शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं।

भारत के लिए यूरेशिया के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यूरेशियन देश ऊर्जा (तेल, प्राकृतिक गैस) और प्राकृतिक संसाधनों (यूरेनियम और लौह अयस्क) में भारत के संभावित दीर्घकालिक भागीदार हैं।
- **आर्थिक उद्देश्य:**
    - **यूरेशिया की रणनीतिक प्रायद्वीपीय स्थिति** जो एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न उप-क्षेत्रों को जोड़ती है, भारत के आर्थिक केंद्र बनने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी हालिया पहलों के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।
    - **पर्यटन क्षमता:** भारत एक उभरता हुआ पर्यटन देश है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यूरेशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
    - **चिकित्सा एवं फार्मास्युटिकल उद्योग:** भारत सभी पांच मध्य एशियाई देशों को जोड़ते हुए टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक मध्य एशियाई ई-नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रहा है जिसका केंद्र भारत में होगा।
- **रणनीतिक उद्देश्य:**
    - **यूरेशियाई क्षेत्र चीन और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने में रुचि रखता है** और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सशक्त करने के लिए भारतीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।
    - **मध्य एशिया में स्थिरता:** मध्य एशिया, जो नए यूरेशिया का केंद्रबिंदु है, भारत के "विस्तारित पड़ोस" का एक भाग है और भारत के लिए अत्यधिक भू-रणनीतिक महत्व रखता है।
    - **हिंद-प्रशांत रणनीति का पूरक:** यदि हिंद-प्रशांत का संबंध दिल्ली की नई समुद्री भू-राजनीति से है, तो यूरेशिया का संबंध भारत की महाद्वीपीय रणनीति के पुनर्विन्यास से है जिसकी आवश्यकता सीमा विवाद जैसे महाद्वीपीय मुद्दों का समाधान करने के लिए है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना:** यूरेशिया और भारत की सभ्यताएं प्राचीन काल से ही एक-दूसरे से संबंधित रही हैं; बौद्ध युग में संघ और श्रेणी के मध्य सहयोग ने दोनों क्षेत्रों के बीच स्थायी संपर्क का निर्माण किया था।

यूरेशिया में भारत की उपस्थिति बढ़ाने में चुनौतियां

- **भौगोलिक सीमाएं:** भारत की मध्य एशिया तक सीधी भौगोलिक पहुंच नहीं है।
- **चीन का प्रभुत्व:** भूटान और भारत के साथ लंबी और विवादित सीमा पर बीजिंग का बाहुबली रवैया, ताज़िकिस्तान में सुरक्षा उपस्थिति के लिए उसके प्रयास, अफ़ग़ानिस्तान में एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश आदि चीन की मुखरता के उदाहरण हैं।
- **पाकिस्तान की अनिच्छा:** यूरेशियाई रणनीति विकसित करने के एक भाग के रूप में अफ़ग़ानिस्तान पर हाल ही में आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है।

[14] Regional Comprehensive Economic Partnership

VISION IAS

भारत की प्रमुख पहलें
- **क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने हेतु संपर्क को बढ़ावा देना।**
  - पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और उससे आगे तक सुगम पहुंच प्राप्त करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)[15]।**
  - भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए **चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग** के तरीकों पर चर्चा की।
  - **चेन्नई और व्लादिवोस्तोक (रूस के सुदूर पूर्व) के बीच एक समुद्री मार्ग** खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी:** संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और अगले पांच वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सशक्त करने हेतु सामान्य रोडमैप तैयार करना।

भारत के लिए आगे की राह
- **यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्यों के साथ अधिक जुड़ाव:** भारत को यूरेशियाई नीति के तहत यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)[16] दोनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। यह यूरोप के साथ सतत सुरक्षा वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
- **भारत-रूस संवादों को तीव्र करना:** इस क्षेत्र में बीजिंग की शक्ति को कम करने के लिए ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप (GEP) के दायरे को बढ़ाकर इसमें भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को शामिल करना चाहता है।
- **भू-आर्थिक सहयोग:** क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के सतत विकास हेतु बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाने और यूरेशियाई संवाद को आकार देने हेतु राजनीतिक प्रभाव एवं अपनी महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का उपयोग करने के लिए हिंद-प्रशांत संवाद में शामिल होने हेतु भारत यूरोपीय संघ के देशों का अनुसरण कर सकता है।
- **ईरान और अरब प्रायद्वीप के साथ सहयोग:** इन देशों के साथ भारत की भागीदारी, तुर्की के साथ पाकिस्तान के गठबंधन को नियंत्रित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **प्राथमिकताओं को संतुलित करना:** भारत को अपनी कनेक्ट यूरेशिया नीति को अपनी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO)[17] और रूस, भारत एवं चीन (RIC)[18] समूह का महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते भारत को इन प्लेटफार्मों का उपयोग रूस और चीन के साथ बहुआयामी रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

---
[15] International North South Transport Corridor

[16] North Atlantic Treaty Organisation

[17] Shanghai Cooperation Organisation

[18] Russia, India and China

2.5.1. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia)

भारत–मध्य एशिया संबंध – एक नज़र में

भारत और मध्य–एशियाई देश धर्म–निरपेक्ष, बहुलवादी, विविध और शांतिप्रिय समाज हैं। इनका इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जुड़ाव हज़ारों साल पुराना है। ये अंतर–नस्लीय, अंतर–धार्मिक, और अंतर–सांस्कृतिक सद्भाव और बंधुत्व को बढ़ावा देने वाले स्वाभाविक मित्र और सहयोगी राष्ट्र हैं।

भारत का इस क्षेत्र के साथ 2 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है।

इसे भारत के विस्तारित पड़ोस का एक भाग माना जाता है।

समग्र संबंध

भारत के लिए महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा**: मध्य एशियाई देश वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद प्राकृतिक, खनिज और जल–विद्युत संसाधनों से संपन्न हैं।
- **भू–रणनीतिक महत्व**: मध्य–एशिया, 'ग्रेट गेम' का केंद्र रहा है। यह क्षेत्र रूस, मध्य–पूर्व, दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के मध्य स्थित है।
- **समान चुनौतियां**: नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, धार्मिक कट्टरवाद, रूढ़िवाद और आतंकवाद।
- **कृषि सहयोग**: वाणिज्यिक कृषि–औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना।
- बैंकिंग, बीमा, विद्युत उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रकों में **व्यापार और निवेश**।

चुनौतियां

- **खराब कनेक्टिविटी**: प्रतिकूल भौगोलिक भू–भाग और भारत–पाकिस्तान सीमा विवादों के कारण।
- व्यापार विनियमन बाधाओं और राजनीतिक शिथिलता के कारण **व्यापार संभावनाओं** का अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है।
- **ऊर्जा की भू–राजनीति** और बॉर्डर रोड इनिशियेटिव के माध्यम से चीन जैसी बड़ी शक्तियों की उपस्थिति।
- **अस्थिर सुरक्षा परिस्थितियां**: खासकर पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, और ईरान–यू.एस.ए. के संदर्भ में।
- **आंतरिक मुद्दे**: शासन की समस्या, सीमा पार गतिविधियों पर रोक और कई अंतर–राज्यीय विवाद।

संबंधों को मज़बूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- ताजिकिस्तान के साथ **सुरक्षा समझौता**।
- कजाकिस्तान के साथ **असैन्य परमाणु सहयोग**।
- TAPI पाइपलाइन (तुर्कमेनिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और भारत)।
- भारत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (High Impact Community Development Project: HICDP) के तहत अनुदान प्रदान करता है।
- कनेक्टिविटी के प्रयास:
  - कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी
  - अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) समझौता
  - चाबहार बंदरगाह योजना
  - भारत ने TIR कार्नेट के तहत कस्टम कन्वेन्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य ईरान के रास्ते भारत और मध्य–एशिया के बीच माल परिवहन की सुविधा प्रदान करना है।
  - अश्गाबात समझौता

आगे की राह

- भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बीच **FTA** को अंतिम रूप देना।
- क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए **अमेरिका और रूस जैसे देशों से सहयोग करते हुए पारस्परिक संवाद को फिर से शुरू करना। साथ ही, सभी सहयोगियों के हितों को सुनिश्चित करना।**
- **वार्षिक सैन्य अभ्यास** और रक्षा संबंधी उपकरणों का **संयुक्त विनिर्माण।**
- भारत मध्य एशिया के **स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में मदद कर सकता है।**
- **सॉफ्ट डिप्लोमेसी**

तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारत और मध्य–एशिया के संबंधों में सुधार हो रहा है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और मध्य–एशिया के बीच अच्छे और गहरे संबंध, न सिर्फ यूरेशिया के लिए, बल्कि पूरे विश्व की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2.5.2. भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंध (India Turkmenistan Relations)

भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंध - एक नज़र में

भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच निकट, मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देश सदियों पुरानी सभ्यता तथा संस्कृति साझा करते हैं। भारत 1991 में तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला और 1992 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था।

द्विपक्षीय व्यापार: 29.97 मिलियन डॉलर। इसमें भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।

तुर्कमेनिस्तान भारत के विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood) का एक भाग है।

द्विपक्षीय संबंध

तुर्कमेनिस्तान का महत्व

- **रणनीतिक:** मध्य एशिया में रणनीतिक अवस्थिति; यह अन्य मध्य एशियाई देशों और कैस्पियन क्षेत्र को जोड़ता है।
- **राजनीतिक:** यह UN सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन प्रदान करता है; 2021-22 की अवधि में UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की पहलों का समर्थन किया था।
- **आर्थिक:** तुर्कमेनिस्तान का गैस भंडार विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। साथ ही, यह पेट्रोलियम, सल्फर, आयोडीन, नमक, बेंटोनाइट क्ले और चूना पत्थर आदि से भी संपन्न है।
- **सांस्कृतिक:** तुर्कमेनिस्तान में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय सिनेमा और संगीत यहां के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मध्य एशिया के पहले **योग और पारंपरिक चिकित्सा** केंद्र की स्थापना अशगाबात में ही हुई।

भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंधों में चुनौतियां

- प्रतिकूल भौगोलिक भू-भाग और भारत-पाकिस्तान सीमा विवादों के कारण **कनेक्टिविटी से जुड़ी चिंताएं।**
- **व्यापार संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं:** भौतिक बाधाओं के अलावा, व्यापार विनियमन बाधाओं तथा राजनीतिक शिथिलता जैसे घटकों के कारण व्यापार में अक्सर बाधाएं आती हैं।
- **सुरक्षा चुनौतियां:** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा-पार आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद, अवैध प्रवासन, नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध।

प्रमुख पहल

- **कनेक्ट मध्य एशिया नीति:** यह तुर्कमेनिस्तान और इस क्षेत्र के साथ गहरे पारस्परिक संबंधों की परिकल्पना करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** इसमें ईरान के रास्ते से भारत को रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाले जलमार्ग (जहाज), रेलवे और सड़क मार्ग शामिल हैं। INSTC ढांचे में भारत चाबहार बंदरगाह को शामिल करने की भी योजना बना रहा है।
- TAPI **(तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत) परियोजना:** इस परियोजना का उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गलकिनश गैस फील्ड से 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अंततः भारत तक पहुंचाना है। यह कार्य प्रस्तावित 1,814 कि.मी. लंबी **"पीस पाइपलाइन"** के माध्यम से किया जाएगा।
- **अश्गाबात समझौता (भारत 2018 में जुड़ा था):** इसका उद्देश्य मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर की स्थापना करना है।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी को मज़बूत करना:** तुर्कमेनिस्तान ने INSTC के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। साथ ही, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान रेलवे लाइन का भी प्रस्ताव रखा है।
- **विभिन्न क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ाना:** ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, परिवहन, संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी, वस्त्र, आदि।
- **भू-राजनीतिक स्तर पर संबंधों को मज़बूत करना।**
- **सांस्कृतिक सहयोग के सभी पहलुओं पर अधिक ध्यान देना।**

भारत और तुर्कमेनिस्तान आर्थिक संवृद्धि तथा स्थिर पड़ोस के अपने समान उद्देश्यों की ओर बढ़ते हुए अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। ये दोनों देश आपसी सहयोग और समझ विकसित करके, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के लोगों और व्यवसायों को जोड़ सकते हैं। इससे, औपनिवेशिक दौर की नीतियों के कारण संबंधों में आई दूरियों को कम किया जा सकेगा।

2.6. भारत-मध्य पूर्व (India-Middle East)

भारत–मध्य पूर्व संबंध – एक नज़र में

भारत का मध्य पूर्व/ पश्चिमी एशिया के साथ अत्यधिक निकट, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहा है। यह क्षेत्र भारत के विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood) का हिस्सा है।

भारत–मध्य पूर्व संबंधों के बदलते पहलू

पहले: भारत के लिए आर्थिक रूप से विकसित होने हेतु मध्य पूर्व का बहुत महत्व था। यह तेल आयात का महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ भारतीय श्रमिकों और धन प्रेषण के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

वर्तमान समय में: भारत अभी भी उसी राह पर चल रहा है, किंतु "लुक वेस्ट" नीति के तहत दृष्टिकोण को तीव्र कर दिया गया है। तीन मुख्य धुरियों पर अधिक ध्यान दिया रहा है: अरब की खाड़ी के देश, इजराइल और ईरान।

इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ सहयोग के नए आयाम

- **इजराइल:** रक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित संबंध।
- **ईरान:** INSTC और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं का विकास पाकिस्तान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। साथ ही, यह चीन के उदय को प्रतिसंतुलित कर सकता है।
- **अन्य देश:**
  - **इराक, यू.ए.ई. और सऊदी अरब** संभावी व्यापार सहयोगी और निवेशक बन सकते हैं।
  - **सऊदी अरब:** सऊदी अरब में हज की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की संख्या को बढ़ाना।
  - **जॉर्डन** रॉक फॉस्फेट प्रदान करता है तथा यह फिलिस्तीन तक पहुंचने की एक कड़ी है।
  - **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** के देशों ने भारत के खिलाफ़ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संभावित खतरे को अंततः पहचान लिया है, जो इस क्षेत्र के लिए भी खतरा है।

हाल ही के समय में उठाए गए कदम

- **खाड़ी देशों में इकोनॉमिक डायवर्सिफिकेशन ड्राइव** (सऊदी अरब विजन 2030) ने संबंधों को तीव्र गति प्रदान की है।
  - ARAMCO और ADNOC इस क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियां हैं। ये दोनों सार्वजनिक और निजी भारतीय कंपनियों के साथ अपने संबंधों को गहरा बना रहीं हैं।
- भारत ने दवाओं और चिकित्सकों को भेजकर **इस क्षेत्र में महामारी के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया** दिखाई।
- **हाल ही में, भारत ने UAE के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इजराइल के साथ FTA समझौते को फिर से शुरू किया है।**

लुक वेस्ट नीति से संबंधित बाधाएं

- **इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों में हो रहे सुधारों के आगे न बढ़ने पर:** इससे खाड़ी में स्थित देशों पर इजराइल के साथ वर्तमान निकटता के संबंधों को पलटने के लिए दबाव बनेगा। यह इजराइल के साथ भारत की बढ़ती निकटता को भी प्रभावित करेगा।
- चीन के बेल्ट एंड रोड पहल की तुलना में **मध्य एशिया और मध्य पूर्व में भारत के प्रयासों के स्तर में कमी।**
- कोविड–19 के कारण उत्पन्न संरक्षणवाद के कारण क्षेत्र में रोजगार के संबंध में **भारतीय मूल के लोगों की असुरक्षित स्थिति।**
- **क्षेत्रीय विवादों से भारत पर प्रभाव:** सऊदी–ईरान संघर्ष; सऊदी अरब और यू.ए.ई द्वारा कतर का बहिष्कार; इसी तरह, इजराइल को संदेह है कि ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्ला को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।

आगे की राह

- **मध्यस्थ की भूमिका:** भारत US, साउदी अरब और इजराइल के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर प्रतिबंधों को कम कर सकता है और US की "मैक्सिमम प्रेशर" रणनीति के दबाव को कम कर सकता है।
- **मानवतावादी सहयोग:** इस क्षेत्र में महामारी के प्रभावों की प्रतिक्रिया हेतु।
- ईरान, सऊदी अरब और इजराइल के साथ **रणनीतिक सहयोग और स्थायी सॉफ्ट डिप्लोमेसी।**
- **तेल का विकल्प:** भारत को तेल आपूर्ति के विकल्पों पर फिर से ध्यान देना चाहिए।
- सेमीकंडक्टर डिजाइन और फैब्रिकेशन तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में UAE एवं इजराइल जैसे देशों के साथ **सहयोग को विस्तारित करना।**

भारत और मध्य पूर्वी देशों के बीच मजबूत और बहुविध सहयोग है। यह क्षेत्र भारत को पारस्परिक रूप से हितकारी तरीके से विकसित होने के वास्तविक अवसर प्रदान करता है। हिंद–प्रशांत की तरह ही मध्य पूर्व में भी क्षेत्रीय गठबंधन से भारत की पहुंच व्यापक होगी और इसका प्रभाव गहरा होगा।

2.6.1. I2-U2 संयुक्त कार्य समूह (I2U2 Joint Working Group)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **संयुक्त राज्य अमेरिका** तथा मध्य पूर्व के दो देशों **इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात** के साथ एक **नया संयुक्त कार्य समूह "I2U2"** स्थापित किया है। इसका उद्देश्य इन देशों के मध्य सहयोग और साझेदारी में वृद्धि करना है।

इस समूह का महत्व

- I2U2 हिंद-प्रशांत क्वाड को प्रतिबिंबित करता है। यह समूह एशिया में **भारतीय और अमेरिकी हितों के बीच बढ़ते अभिसरण** को प्रदर्शित करता है। साथ ही, मध्य पूर्व में **भारत की विदेश नीति में एक आधारभूत बदलाव का भी प्रतीक** है।
- मध्य पूर्व में क्षेत्रीय मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और फारस की खाड़ी के देशों से दूरी बनाए रखना लंबे समय से भारत की विदेश नीति की भूल रही है।
- यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भारत अब मध्य पूर्व के अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से एक **एकीकृत क्षेत्रीय नीति** की ओर बढ़ने के लिए तैयार है।
- समूह का प्रारंभिक ध्यान **सामरिक मुद्दों की बजाय आर्थिक मुद्दों पर होगा,** जहां यह ऊर्जा, जलवायु, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में पूरक क्षमताओं का लाभ उठाएगा।

2.6.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (India-UAE Relations)

भारत-UAE संबंध - एक नजर में

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE): दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर दोस्ती का मजबूत बंधन है।

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 59 बिलियन डॉलर का है।
- UAE भारत के तेल आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- भारत द्वारा जिन देशों को सर्वाधिक निर्यात होता है उनमें UAE दूसरे स्थान पर है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** UAE भारतीय बाजार में कच्चे तेल, LNG और LPG का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।
- **डायस्पोरा और पीपल्स-टू-पीपल्स संबंध:** UAE के सेवा क्षेत्र में भारतीय सबसे अधिक संख्या (जनसंख्या का 30%) में कार्यरत हैं। ये भारतीय प्रति वर्ष भारत में स्थित अपने परिवारजनों को लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि भेजते हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास और सहयोग वार्ता।
- **आतंकवाद:** UAE भारत के साथ प्रत्यर्पण और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग करता है।
- **प्रौद्योगिकी भागीदारी:** रेड मून मिशन और गोल्डन वीज़ा रेजिडेंसी परमिट।

चुनौतियां

- **ऊर्जा की कीमतों का निर्धारण:** UAE और भारत ऊर्जा बाजार के दोनों पक्षों (उत्पादक और उपभोक्ता) के प्रमुख अभिकर्ता हैं।
- एक-दूसरे की **भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं** को संतुलित करना।
- UAE **में भारतीय मजदूरों के साथ किया जाने वाला व्यवहार।**
- भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर UAE की चिंताएं।

आगे की राह

- UAE से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए **भारत में निवेश के माहौल में सुधार करना।**
- **रक्षा क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना।**
- चिकित्सा पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे, **अप्रयुक्त (ऐसे क्षेत्र जिनका इस्तेमाल न किया गया हो) और उभरते क्षेत्रों में सहयोग करना।**
- **पीपल्स-टू-पीपल्स संबंधों को मजबूत करना।**

UAE के साथ बेहतर संबंध भारत के लिए न केवल द्विपक्षीय क्षेत्रों में बल्कि भारत के विस्तारित पड़ोस (Extended Neighborhood) और भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। भारत - UAE संबंधों में तेजी से सुधार हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि उनके बीच संबंध उज्ज्वल और आशाजनक होने के साथ ही सही रास्ते पर भी हैं।

2.6.2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता {India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-संयुक्त अरब अमीरात ने अपने आर्थिक संबंधों को और बेहतर करने के लिए CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-यू.ए.ई. CEPA की मुख्य विशेषताएं

- यह पिछले एक दशक में **भारत द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला गहन और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।**
- समझौते में **वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, रूल्स ऑफ़ ऑरिजिन (ROOs), टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड (TBT), सैनिटरी एंड फाईटोसैनिटरी (SPS) उपाये, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, डिजिटल व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग** शामिल होंगे।

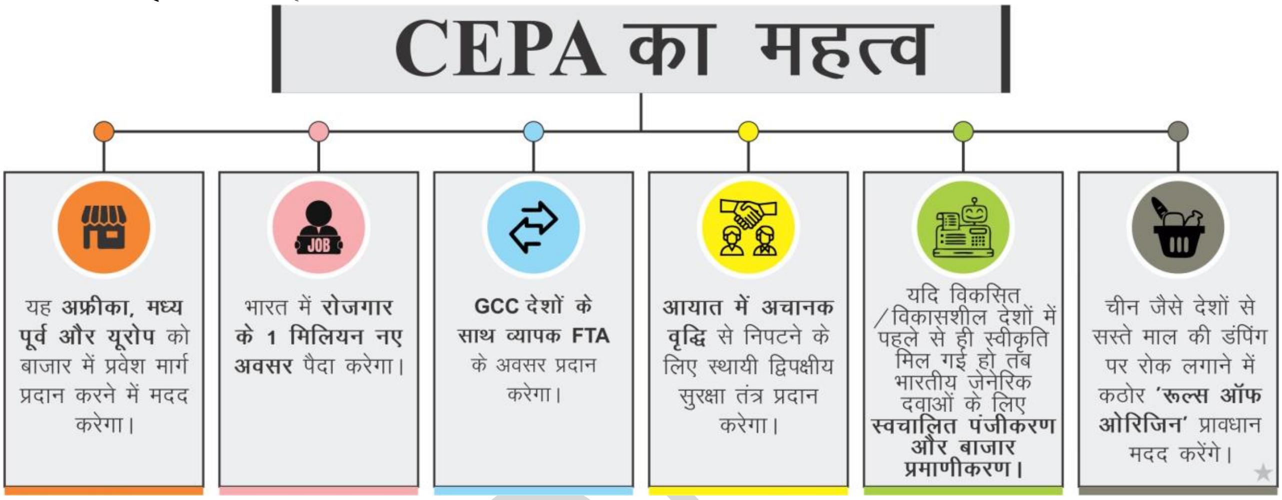

2.6.3. भारत-इजरायल (India-Israel)

भारत–इजराइल संबंध – एक नज़र में

भारत और इजराइल महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश आपस में लोकतंत्र एवं बहुलतावाद (Pluralism) के मूल्यों को साझा करते हैं। दो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान देते हुए दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहन करना जारी रखा है।

- द्विपक्षीय व्यापार 5.66 बिलियन डॉलर का है,जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
- भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- हीरों का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **राजनीतिक संबंधः** पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2017 में इन संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाया गया। हाल ही में भारत और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा UAE के साथ मिलकर 'न्यू क्वाड' या 'मध्य पूर्व क्वॉड' का गठन किया है।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधः** हाल के वर्षों में, द्विपक्षीय व्यापार कई क्षेत्रों में डायवर्सिफाई हो गया है, जैसे– फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, IT आदि। साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारत को इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ है। ये क्षेत्र हैं–बागवानी मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन आदि।
- **तकनीकी अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F):** नवीन प्रौद्योगिकियों के सह–विकास और व्यवसायीकरण के लिए।
- **रक्षा और सुरक्षाः** भारत इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। उदाहरण के लिए बराक मिसाइल जैसी प्रमुख रक्षा वस्तुओं का संयुक्त उत्पादन और विकास।
- **संस्कृति और शिक्षाः** भारत इजराइल के लिए एक आकर्षक, वैकल्पिक पर्यटन स्थल है। इन दोनों के बीच संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान हेतु नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **भारतीय समुदायः** इजरायल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी रहते हैं।

चिंता के क्षेत्र

- **व्यापार और निवेश क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया हैः** व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा तक ही सीमित है।
  - मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता एक दशक से भी अधिक समय से रुकी पड़ी है।
- **पश्चिम एशियाई क्षेत्र में उभरती दरारेंः** ईरान के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब की बढ़ती नजदीकियां।
- तीनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना भारत के समक्ष एक **चुनौती पैदा करता है।**
- **इजरायल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघनः** भारत मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में हमेशा मुखर रहा है। हालांकि इस मुद्दे से निपटने में भारत को रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
- दोनों देशों के बीच **कनेक्टिविटी** अभी भी बहुत अच्छी नहीं है जिसके कारण पीपल्स–टू–पीपल्स संबंध सीमित हैं।
- **चीन के साथ इजरायल के करीबी रिश्ते।**

भारत की डी–हाइफ़नेटेड नीतिः इजराइल और फिलिस्तीन

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, डी–हाइफ़नेशन का अर्थ है दो ऐसे देशों के साथ अलग–अलग स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करना जिनके बीच प्रतिकूल संबंध हों।
- परंपरागत रूप से, इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति एक हाइफ़नेटेड विदेश नीति रही है। भारत लंबे समय से इजराइल के साथ संबंधों को फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों से जोड़कर देखता था। इस प्रवृत्ति के कारण, भारत उस व्यावहारिक नीति का पालन नहीं करता था जो उसके सबसे ज़्यादा हित में थी।
- भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक डी–हाइफ़नेशन नीति का पालन कर रहा है। **इजराइल के साथ भारत के संबंध अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र होंगें। ये फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से अलग होंगे।** डी–हाइफ़नेशन एक संतुलनकारी कार्य है। इसमें भारत स्थिति की मांग के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो रहा है।

आगे की राह

- **पीपल्स–टू–पीपल्स संबंध को बढ़ाना।**
- **शिक्षाः** भारत के उच्च शिक्षा संस्थान इजराइल में पनप रही अनुसंधान और नवाचार की मजबूत संस्कृति से लाभ उठा सकते हैं।
- **इजराइल की जल प्रबंधन तकनीकों से सीखना।**
- **सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग।**
- **सामुदायिक प्रथाओं पर पारस्परिक शिक्षा का आदान–प्रदान करना।**

ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत और इजराइल अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह साझेदारी अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और उपग्रहों में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोल सकती है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

2.7. भारत-अफ्रीका (India-Africa)

भारत–अफ्रीका संबंध – एक नज़र में

भारत का अफ्रीका के साथ साझेदारी का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों में एकजुटता और राजनीतिक आत्मीयता 1920 के दशक की शुरुआत से चली आ रही है। उस समय दोनों क्षेत्र औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि, अफ्रीका के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव 2000 के दशक के आरंभ में द्विपक्षीय रूप से एवं अफ्रीकी संघ (AU) जैसे क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के उदय के साथ तेज होने लगा।

- द्विपक्षीय व्यापार 66.7 बिलियन डॉलर का है।
- अफ्रीका के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत अफ्रीका में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है।

द्विपक्षीय संबंध

भारत के लिए अफ्रीका का महत्व

- भू-रणनीतिकः भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से उभरते हैं। इनमें कट्टरतावाद, समुद्री डकैती, संगठित अपराध इत्यादि शामिल हैं। यह क्षेत्र इस महाद्वीप में पर्याप्त सैन्य उपस्थिति वाली बड़ी वैश्विक शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के मंच के रूप में उभर रहा है।
- भू-राजनीतिकः भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए अफ्रीकी देशों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह भारत की सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों को प्रदर्शित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- आर्थिकः अफ्रीका का बढ़ता मध्यम वर्ग; पर्याप्त कृषि भूमि जो भारत की खाद्य सुरक्षा का समाधान कर सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षाः अफ्रीका में दुनिया के खनिज भंडार का लगभग 30% हिस्सा है। साथ ही इस महाद्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की पर्याप्त उपस्थिति है।

अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी से संबंधित चिंताएं

- चीन के साथ तुलना में अत्यंत कम आर्थिक भागीदारीः हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय-अफ्रीकी व्यापार में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद यह चीन के 254 बिलियन डॉलर के व्यापार की तुलना में बहुत कम है।
- भारत के सहयोग से इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं जारी हैं। इसके बावजूद चीन की तुलना में इन परियोजनाओं की धीमी डिलीवरी चिंताजनक है।
- LoCs, अनुदान और क्षमता निर्माण पहल के बीच तालमेल का अभाव।
- भारत के पास संसाधनों की कमी।
- ज़मीन हथियाने और स्थानीय आबादी को विस्थापित करने के लिए कुछ कृषि व्यवसाय फर्मों की आलोचना की गई है।
- दोनों देशों में स्थित जटिल नौकरशाही के कारण धन का इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
- भारत में अफ्रीकी छात्रों के साथ हिंसा और भेदभाव के अनेक मामले सामने आते रहते हैं।

आगे की राह

- अगले दशक के लिए अफ्रीका की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना और निकट सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान करना।
- अफ्रीका में कम लागत पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और भारतीय प्रवासियों के साथ अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।
- आपसी लाभ के लिए विकास के अनुकूल निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- ट्रैक 1.5 स्तर का वार्षिक भारत-AU संवाद अर्थात् इसमें दोनों पक्षों के सरकारी प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं और कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करना।

अफ्रीका का विकास भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था के ध्रुवों में से किसी एक के रूप में भारत का उभार भी आवश्यक है। अतः भारत को पैन-अफ्रीकी संबंधों को बनाए रखना और उन्हें और मजबूत करना चाहिए।

2.7.1. अफ्रीका में चीन का बढ़ता प्रभाव (China's Growing Footprint in Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन पिछले एक दशक से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश कर रहा है। **चीन अफ्रीका में अपना विस्तार करने के लिए निजी सैन्य कंपनियों का भी उपयोग कर रहा है।**

अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में

- **चीन ने वर्ष 2001 में 'गोइंग आउट' नामक नीति शुरू की थी।** इसमें मुख्य रूप से चीनी सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को बाहर के देशों में उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसका लक्ष्य उस देश के **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** हासिल करना था। साथ ही, ऐसे उद्यमों को **चीन के तैयार माल के लिए नए निर्यात बाजार** खोलने हेतु प्रोत्साहित भी करना था।
    - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** को 'गोइंग आउट' नीति के एक उन्नत संस्करण के रूप में देखा जाता है।
- वर्ष 2019 में कुल 200 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ, **चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार भागीदार बन गया है।**
    - एक अनुमान के अनुसार, **अफ्रीका के कुल द्विपक्षीय ऋण का 62%** चीनी ऋणदाताओं द्वारा दिया गया है।
- चीन लगातार अफ्रीकी देशों को हथियार और उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। वह इस महाद्वीप के लिए एक **प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता** के रूप में उभरा है।
    - चीन का अपनी **मुख्य भूमि के बाहर पहला सैन्य अड्डा जिबूती में स्थापित** किया गया है।
- **चीन पर अफ्रीका की निर्भरता बढ़ने से असंधारणीय ऋण** की आशंका बढ़ गई है।
- **चीनी श्रम प्रथाओं** पर भी चिंता जताई जा रही है। इनमें कई अनुचित पद्धतियां अपनाई जाती हैं जैसे- **निम्नस्तरीय कार्यदशाएं,** न्यूनतम वेतन मानकों से कम वेतन देना आदि।
    - यह भी देखा गया है कि चीनी कंपनियां अक्सर जासूसी जैसी गुप्त गतिविधियों को भी अंजाम देती हैं।

अफ्रीका के लिए भारत का दृष्टिकोण चीन से किस प्रकार भिन्न है?

अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी **'कम्पाला सिद्धांतों'** पर आधारित है। यह वर्ष 2019 में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित 10 सिद्धांतों का एक समूह है।

- **समानता के आधार पर एक साथ विकास करना:** चीन का विशेष ध्यान **संसाधनों के निष्कर्षण और कुलीन स्तर पर संपत्ति के सृजन** पर है। इसके विपरीत, अफ्रीकी देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारी को समानता के आधार पर विकास करने की भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
    - भारतीय कार्यकलापों में **दीर्घावधिक लक्ष्यों अर्थात अफ्रीका की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने** पर जोर दिया गया है। इसमें **कौशल और ज्ञान में विविधता लाना, छोटे व मध्यम आकार के उद्यमों में निवेश करना** आदि शामिल है।
    - **भारत ने 11 बिलियन डॉलर से अधिक के अपने निवेश के** माध्यम से, **मानव संसाधन की मुख्य दक्षताओं जैसे विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल** पर ध्यान केंद्रित किया है।
    - **महत्वाकांक्षी भारत-जापान-अफ्रीका विकास गलियारे (IJAGC)** का लक्ष्य अफ्रीका के **विकास के लिए निकट सहयोग स्थापित** करना है। इसकी परिकल्पना एक **समुद्री गलियारे** के रूप में की गई है। इसे मौजूदा (पहले से) मार्गों पर बनाया जाएगा। यह परियोजना **अफ्रीका में भारतीय सॉफ्ट पावर के साथ जापानी वित्तीय सहायता** का संयोजन है।

- **ये सिद्धांत स्थानीय भागीदारी को सुगम बनाते हैं:** अफ्रीका में भारतीय परियोजना निर्माण और वित्तपोषण का उद्देश्य **स्थानीय भागीदारी तथा विकास** सुनिश्चित करना है। भारतीय कंपनियां **अफ्रीकी प्रतिभा पर अधिक विश्वास** करती हैं तथा **स्थानीय आबादी में क्षमता निर्माण** के लिए कार्य करती हैं।
    - भारत **प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादकों के समक्ष न्यूनतम जोखिम पैदा करने जैसे गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण** अपनाने का दावा करता है।
- **क्षमता निर्माण: अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)** कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में उत्कृष्टता केंद्रों में क्षमता निर्माण के लिए अधिकांश सीटें अफ्रीकी देशों के लिए आरक्षित हैं। भारत भारतीय शिक्षण संस्थानों में **अफ्रीकी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम** भी चलाता है।
    - **ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती पहल** के द्वारा अफ्रीकी छात्रों को वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के मध्य 15,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना है।

VISION IAS

- **कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई:** भारत ने 25 अफ्रीकी देशों को 150 मीट्रिक टन चिकित्सा सहायता उपहार में दी है। **'वैक्सीन मैत्री'** पहल के तहत, भारत ने मेड इन इंडिया **कोविड टीके की 24.7 मिलियन खुराक की आपूर्ति अनुदान के रूप में और वाणिज्यिक रूप से की है।** साथ ही, अफ्रीका के 42 देशों को COVAX की आपूर्ति की जा रही है।
  - कुछ अफ्रीकी देश जैसे- **मॉरीशस** प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए **पारंपरिक दवाओं और आयुर्वेद पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल भागीदारी** पर बल दे रहे हैं।

2.8. भारत-वियतनाम (India-Vietnam)

भारत–वियतनाम संबंध – एक नज़र में

वर्ष 2022, भारत और वियतनाम के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना का 50वां वर्ष है। दोनों देश पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए साझा संघर्ष किया है। साथ ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में भी दोनों की ऐतिहासिक जड़ें जुडी हुई हैं। वर्ष 2016 में 2007 की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाकर "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के स्तर पर ले जाया गया। हाल ही में, दोनों देशों ने वर्ष 2030 के लिए रक्षा साझेदारी हेतु एक "जॉइंट विज़न स्टेटमेंट" पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन डॉलर का है।

वियतनाम, आसियान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- आर्थिकः परिधान और कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि–वस्तुओं, चमड़ा और जूते एवं इंजीनियरिंग सहित पांच क्षेत्रों को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।
- राजनीतिकः द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र जैसे – विदेश मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग और रणनीतिक वार्ता।
- विकासात्मक भागीदारीः मेकांग–गंगा परियोजना, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) और e-ITEC पहल, पीएचडी फेलोशिप और डिजिटल कनेक्टिविटी।
- रक्षा सहयोगः रक्षा नीति वार्ता, सैन्य आदान–प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राएं, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, जहाज यात्राएं और नौसेना अभ्यास – 'पासेक्स'
- संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (ASEM) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

भारत के लिए वियतनाम का महत्व

- भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक हैः एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो–पैसिफिक विजन, सागर (SAGAR) नीति।
- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को समर्थन, जैसे– UNSC में भारत की सदस्यता।
- दक्षिण चीन सागर में चीन का मुकाबला करना।
- रक्षा क्षेत्र की तरह अन्य क्षेत्रों में भी दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
- ऊर्जा सुरक्षाः दक्षिण चीन सागर में तेल और पेट्रोलियम की खोज।
- समुद्री सुरक्षा और संरक्षणः भारत का लगभग 50% व्यापार हिंद–प्रशांत क्षेत्र से होता है।

चिंताए

- दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा, इस क्षेत्र में भारत की हाइड्रोकार्बन खोज की संभावना को खतरे में डाल सकता है।
- RCEP से बाहर निकलने के भारत के फैसले से व्यापार संबंधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- विदेश नीति में अंतर के कारण असंगत व्यापार वृद्धि।

आगे की राह

- लोगों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ावा देनाः बौद्ध और चाम संस्कृति, सीधी उड़ान, यात्रा में आसानी आदि।
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), बिम्सटेक आदि के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना।
- जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग का और विस्तार करना।

21वीं सदी में, भारत और वियतनाम आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साथ तैयार हैं। बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान व्यवस्था को चित्रित करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देश एक–दूसरे के प्रति अपनी रणनीतिक स्थिति को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया में हैं।

2.9. भारत-जापान (India-Japan)

भारत–जापान संबंध – एक नज़र में

भारत और जापान के बीच मित्रता का एक लंबा इतिहास रहा है जिसकी जड़ें आध्यात्मिक आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों में निहित हैं। इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान, दोनों देश कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे हैं और द्विपक्षीय संबंध हर प्रकार के विवाद से मुक्त रहे हैं।

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.87 बिलियन डॉलर का है।
- जापान भारत के लिए सबसे बड़ा ODA (ऑफिसियल डेवलपमेंट असिस्टेंस) भागीदार है।
- 2020 में, भारत जापान के लिए 18वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, और जापान, भारत के लिए 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

द्विपक्षीय संबंध

संबंधों का महत्व

- QUAD, G20, G4, आदि जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और जापान ने 2011 में CEPA पर हस्ताक्षर किए। साथ ही दोनों के बीच के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को नवीनीकृत किया गया।
- **रक्षा सहयोग:** धर्म संरक्षक, शिन्यू मैत्री जैसे रक्षा अभ्यास; समुद्री अभ्यास – जिमेक्स; आपूर्ति और सेवाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक्यूजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)।
- **सामरिक सहयोग:** हिंद-प्रशांत महासागर की पहल; आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल; 2 + 2 संवाद; एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC), आदि।
- **संस्कृति:** 2014 में वाराणसी और क्योटो के बीच पार्टनर सिटी संबद्धता समझौता।
- **ऐतिहासिक संबंध:** बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जापानी संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** 2019 में भारत-जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड; भारत-जापान डिजिटल साझेदारी; इसरो और JAXA का एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन।

चिंताएं

- **व्यापार:** भारत-जापान व्यापार चीन के साथ भारत के व्यापार का सिर्फ एक चौथाई रह गया है; CEPA की सीमित सफलता; भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए प्रवेश बाधा।
- **सीमा पार डेटा प्रवाह पर अंतर:** भारत जहां डेटा स्थानीयकरण पर विचार कर रहा है, वहीं 'ओसाका ट्रैक' के तहत जापान ने सीमा पार डेटा प्रवाह के मानकीकरण का प्रस्ताव रखा है।
- AAGC **की व्यवहार्यता पर संदेह।**
- **अलग-अलग हित:** RCEP से भारत का बाहर होना जापान के दृष्टिकोण से निराशाजनक था।
- **सामान्य आधार:** भारत और जापान के संबंध विकास के पारस्परिक आधार जैसे- व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग आदि पर विकसित न होकर चीन की बढ़ती पृष्ठभूमि में विकसित हो रहे हैं।
- **लंबित परियोजनाएं:** अहमदाबाद और मुंबई के फ्लैगशिप प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना अभी भी प्रगति पर है और भूमि अधिग्रहण अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

आगे की राह

- **निवेश:** बेहतर लॉजिस्टिक्स, एक अधिक खुली, स्थिर और सुसंगत व्यापार नीति व्यवस्था, एवं साथ ही 'केंद्रीकृत सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' की स्थापना से जापानी निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ेगा।
- **मजबूत व्यापार:** दोनों तरफ के लीडर्स को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता को समझना चाहिए और मौजूदा तंत्र के माध्यम से CEPA के कार्यान्वयन की आगे की समीक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **चीन का मुकाबला:** USA को शामिल करता वार्षिक त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास इस बारे में एक दृष्टि दे सकता है। इसी की तर्ज पर ये तीन राष्ट्र क्षेत्र में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए सैन्य रूप से गठबंधन कर सकते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** हरित ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विनिर्माण और MSME क्षेत्रों में नई अभिनव साझेदारी बनाने जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी विकसित करना।

गौरतलब है कि भारत ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया है। इस कवायद में उसे जापान से समर्थन मिला है। यहाँ तक कि चीन के साथ सीमा विवादों पर भी भारत को जापान का अडिग समर्थन मिला है।

2.9.1. भारत-जापान संबंधों के 70 वर्ष (70 Years of India-Japan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 14वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- साथ ही, **वर्ष 2022 दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित** करता है।
- जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के प्रति भारत के गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में, आबे की हत्या के बाद भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

पहल/ सहयोग	विशेषताएं
स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (CEP)	• **सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने,** जलवायु परिवर्तन का समाधान करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग के लिए 2007 में स्थापित **'भारत-जापान ऊर्जा वार्ता'** के समग्र दायरे के तहत शुरू किया गया।
संयुक्त क्रेडिट तंत्र (JCM)	• विकासशील देशों में निजी पूंजी प्रवाह से संबंधित पेरिस समझौते के **अनुच्छेद 6** के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
सतत विकास	• दोनों देशों ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, बुद्धिमान परिवहन प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation : MoC) पर हस्ताक्षर किए।
जलवायु पहल	• भारी उद्योग संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए जापान भारतीय-स्वीडिश जलवायु पहल उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (Leadership Group for Industry transition : LeadIT) में शामिल होगा।
पूर्वोत्तर भारत का विकास	• दोनों पक्षों ने 'भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल' शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। जिसमें कार्यान्वित परियोजनाएं और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, नई और नवीकरणीय ऊर्जा में संभावित भविष्य के सहयोग के साथ-साथ बांस मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की पहल शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट	• भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिए UNSC में एक अस्थायी सीट हेतु जापान की उम्मीदवारी के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है।
निवेश	• जापान अगले पांच वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। दोनों पक्ष मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर 'वन टीम-वन प्रोजेक्ट' के रूप में काम कर रहे हैं।
साइबर सुरक्षा	• सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सहयोग के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2.10. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia)

भारत– ऑस्ट्रेलिया संबंध – एक नज़र में

भारत–ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ एक जैसा है। ये दोनों ही एक बहुलवादी, वेस्टमिंस्टर– शैली के लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल परंपराओं पर तो आधारित हैं ही। इसके अलावा दोनों के बीच आर्थिक जुड़ाव भी बढ़ रहा है और दोनों ही एक दूसरे के साथ उच्च स्तरीय बातचीत में भी संलग्न हैं।

- दोनों देशों के मध्य 24 बिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है।
- भारत ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- दोनों तरफ से प्रत्यक्ष निवेश 1.4 बिलियन डॉलर है।

द्विपक्षीय संबंध

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधः** ऑस्ट्रेलिया की "एन इंडिया इकॉनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035" का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को आकार देना है। साथ ही दोनों के मध्य ग्रेन्स पार्टनरशिप का उद्देश्य फसलोपरांत प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोगः** सैन्य अभ्यास (AUSINDEX, मालाबार), सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा और नागरिक परमाणु सहयोग समझौता।
- G-20, राष्ट्रमंडल, इंडियन ओशेन रिम–एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC), आसियान क्षेत्रीय मंच, क्वाड आदि जैसे मंचों के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकीः** ऑस्ट्रेलिया–भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष तथा साइबर और साइबर–सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर समझौता।
- **वैश्विक सहयोगः** दोनों की साझा चिंताएं जैसे चीनी आक्रामकता और मुक्त एवं समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र में दोनों के साझा हित हैं।
- **पीपल टू पीपल रिलेशनः** छात्रों सहित ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या लगभग 7 लाख है।

चुनौतियां

- **इंडो–पैसिफिक के संबंध में दृष्टिकोण में अंतरः** भारत संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया केवल दक्षिण–पश्चिम हिंद महासागर, अर्थात् इसके उत्तरी भाग और दक्षिण प्रशांत के विशाल भाग को प्रमुखता देता है।
- **प्राथमिकताओं और वैश्विक नजरिये में भिन्नताः** भारत ने, हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रक्षा संबंधों को प्रमुखता प्रदान की है। इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है।
- **विपरीत सामरिक परिस्थितियांः** ऑस्ट्रेलिया भारत की तुलना में अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर और अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए चीन पर अधिक निर्भर है।
- **व्यापार समझौते पर प्रगति का अभावः** व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) पर दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते से भारत बाहर हो गया है।

संबंधों में हालिया विकास

- हाल ही में, **आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते** (ECTA) पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक दशक से अधिक समय के बाद एक **किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता** (FTA) **है।**
- SAIEP **(स्टडी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम)** को वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
- **मैत्री नामक स्कॉलर्स भारतीय छात्रों** को ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक रूप से अग्रणी विश्वविद्यालयों में **अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करेंगे।**
- दोनों देशों ने औपचारिक रूप से CECA **के लिए वार्ता फिर से शुरू** की है। साथ ही दोनों ने इस वार्ता को **वर्ष 2022 के अंत तक पूर्ण** करने का वचन दिया है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को गहन करना चाहिए।**
- **रक्षा क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करने की आवश्यकता है।**
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और IORA जैसे **क्षेत्रीय संस्थानों और मंचों में समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए।**
- **व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को गहन और व्यापक करने की ज़रुरत है।**

भारत और ऑस्ट्रेलिया के समग्र संबंध काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। साथ ही, दोनों ही देशों की नज़र में एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उत्पादक और एक दूसरे के नए एजेंडे के अनुरूप हैं।

2.10.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन (India-Australia Virtual Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के मध्य **दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन का** आयोजन किया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- दोनों देशों ने **राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, साइबर, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति** की है।
- इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)**[19] **के तहत दोनों देशों की सरकार के प्रमुखों के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित** करने का निर्णय लिया गया है।
- साथ ही, **भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अधिक विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित** करने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त दोनों देश रणनीतिक **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने** के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हालिया विकास

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं	
आर्थिक और व्यापारिक सहयोग	• दोनों देश CSP के तहत **प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित** करने पर सहमत हुए। • दोनों देश आर्थिक सुरक्षा के लिए **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)** को शीघ्र ही अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। • **भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर फंड** के बीच सहयोग बढ़ाना, जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। • **पर्यटन सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन** का नवीनीकरण।
जलवायु, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग	• ऑस्ट्रेलिया, **स्वच्छ प्रौद्योगिकी, समुद्री नौवहन, आपदा प्रत्यास्थता, सूचनाओं के आदान-प्रदान और नवाचार** जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए **280 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर** से अधिक पूंजी का निवेश करेगा। • महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए **ऑस्ट्रेलियाई महत्वपूर्ण खनिज परियोजना** के संदर्भ में खनिज बिदेश भारत और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • भारत-ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों द्वारा साइबर फ्रेमवर्क वार्ता के उद्घाटन के माध्यम से **साइबर प्रशासन, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण,** साइबर अपराध, डिजिटल अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग का निर्णय लिया गया है।
लोगों के मध्य परस्पर संबंध	• उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए योग्यता की मान्यता के लिए व्यवस्था में सुधार और रोजगार के अवसरों का समर्थन करने के लिए **शिक्षा योग्यता मान्यता पर कार्यबल** की स्थापना।
कोविड-19 सहयोग	• विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते कोविड-19 टीकों, उपचारों और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए **निष्पक्ष, समय पर और समान पहुंच** को बढ़ावा देना।
सुरक्षा और रक्षा सहयोग	• सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण के अवसरों में सुधार और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **युवा रक्षा अधिकारी आदान-प्रदान कार्यक्रम** का प्रारंभ।
क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग	• क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने, अपने सकारात्मक और महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए **क्वाड के सदस्यों के बीच सहयोग** को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

2.11. ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में **जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) योजना:** G7 के नेताओं ने विकासशील और मध्यम आय वाले देशों के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन डॉलर फंड जुटाने की योजना का अनावरण किया। इस योजना का उद्देश्य इन देशों में पारदर्शी और निर्णायक अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण करना है। इसे चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रतिसंतुलन के रूप में** माना जा रहा है।

[19] Comprehensive Strategic Partnership

- **उत्सर्जन में कमी:** G7 के पर्यावरण मंत्रियों ने वर्ष 2030 तक अत्यधिक विकार्बनीकृत (decarbonised) सड़क क्षेत्रक के निर्माण की घोषणा की। साथ ही, वर्ष 2035 तक अपने ऊर्जा क्षेत्रक से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य भी घोषित किया।
- **लाइफ कैंपेन:** भारत ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ लाइफ/LIFE (पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली) अभियान के लिए एक वैश्विक पहल को रेखांकित किया।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट:** भारत ने अमीर और गरीब देशों की आबादी के बीच समान ऊर्जा वितरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

G-7 के बारे में

- G7 विश्व की अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है। इसका वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर दबदबा है।
- **यह वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करता है।** इसके अलावा, यह मौजूदा स्थिति से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करता है।
- **सदस्य और भागीदार:** इसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** मुख्य सदस्य के रूप में शामिल हैं।
  - इसमें सदस्य राष्ट्रों के अलावा भागीदार के रूप में कार्य करने वाले अन्य आमंत्रित राष्ट्र भी शामिल हैं। ये ऐसे लोकतंत्र हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत हैं।
    - उदाहरण के लिए, हाल के शिखर सम्मेलन में **अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ भारत को भी अतिथि के रूप में** आमंत्रित किया गया था।
  - **IMF, विश्व बैंक, WHO जैसे विभिन्न संगठन भी इसके अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस से जुड़े हैं।**
  - **रूस वर्ष 1998 में G7 में शामिल हुआ था। इससे यह G8 बन गया,** लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसे बाहर कर दिया गया।
  - **यूरोपीय संघ** G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

G7 : आंकड़ो में

46 प्रतिशत	वैश्विक GDP में G7 देशों की हिस्सेदारी।
1/10वां	वैश्विक आबादी में G7 देशों की हिस्सेदारी।
25 प्रतिशत	वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 देशों की हिस्सेदारी।

G-7 शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति का महत्व

- यह इस धारणा को मजबूत करता है कि भारत के पास बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में योगदान देने की इच्छा और क्षमता है।
- यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में निकटता से शामिल होने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है।
  - IMF और विश्व बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ, भारत की बात को अधिक ध्यान के साथ सुना जाता है और सकारात्मक निष्कर्षों की दिशा में आगे बढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है।
- **लक्ष्य-केंद्रित संबंधों और साझेदारी का विकास करना:** भारत के यूरोप, पश्चिम एशिया, ट्रांस-कॉकेशस, हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी भू-राजनीतिक हित हैं। ऐसे व्यापक हितों वाले राष्ट्र के रूप में इस तरह के बड़े शिखर सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह दर्शाती है कि भारत हर स्तर पर और हर क्षेत्र में इस समूह में अपनी सहभागिता करने का प्रबल इच्छुक है।

G-7 के समक्ष चुनौतियां

- **रूस-यूक्रेन युद्ध से निपटना:** G-7 देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। परन्तु रूस पर उनकी भारी निर्भरता के कारण वे रूस के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठा सकते हैं।

VISION IAS

- उदाहरण के लिए, रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंधों से उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान होगा। **यूरोपीय देशों को अपने तेल का 1/4 और गैस का 40% रूस से मिलता है।**

G-7 की उपलब्धियां

- G-7 ने वर्ष 2002 में **मलेरिया और एड्स से लड़ने** के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- G-7 के वित्त मंत्री **बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% के वैश्विक न्यूनतम कर आरोपित** करने पर सहमत हुए हैं।
- वर्ष 2015 में, इसके सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए **ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम** शुरू किया था।

- **समूह के सदस्यों के बीच आंतरिक असहमति:** उदाहरण के लिए अमेरिका का आयात पर प्रशुल्क और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को लेकर अन्य सदस्यों के साथ टकराव है।
- **एक विशिष्ट समूह के रूप में माना जाता है:** कई देश और लोग अभी भी G-7 को एक विशिष्ट, बंद समूह मानते हैं जो छोटे राष्ट्रों के हितों की अवहेलना करता है।
- **चीन का उदय:** यह भावना बढ़ती जा रही है कि चीन आर्थिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक रूप से G-7 देशों के लिए तीन गुना खतरा है।
  - BRI से विकासशील देशों पर बीजिंग के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता प्रकट हुई है। पिछले वर्ष BRI को प्रतिसंतुलित करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की घोषणा की गई थी, लेकिन यह विचार विफल हो गया।
- **वैश्विक समस्याओं से निपटने में कमजोर प्रगति:** जैसे- जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना (G-7 देश वैश्विक CO_2 उत्सर्जन के लगभग 25% के लिए जिम्मेदार हैं), आतंकवाद (ISIS में G-7 देशों के हजारों लड़ाके हैं), प्रवासी संकट (पश्चिम एशियाई देशों यथा सीरिया, यमन व इराक में संकट के कारण इन देशों से यूरोपीय देशों की ओर अत्यधिक प्रवास हो रहा है) आदि।
- **अप्रासंगिक माना जाता है:** इस समूह को अब भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।
  - उदाहरण के लिए, इटली और कनाडा जैसे कई मौजूदा सदस्यों के पास भारत व चीन जैसे गैर-सदस्यों की तुलना में कम आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है।
- **गैर-बाध्यकारी प्रकृति:** नाटो जैसे अन्य निकायों के विपरीत, G7 का कोई कानूनी अस्तित्व या स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके अलावा, बैठक की प्रतिबद्धताएं प्रकृति में गैर-बाध्यकारी हैं।
  - G7 की बैठकों में किए गए सभी निर्णयों और प्रतिबद्धताओं को सदस्य राष्ट्रों के प्रशासनिक निकायों द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुसमर्थित करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **अधिक प्रतिनिधित्व-** इस समूह को प्रकृति में अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही, भारत और दक्षिण कोरिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- **वैश्विक चुनौतियों का सामना करना-** इस समूह के नए सिद्धांतों और नीतियों को विकसित दुनिया के अदूरदर्शी हितों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से समझदारी से निपटने में मदद मिलेगी।
- **G7 में भारत की भागीदारी-** भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति और एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक है। इस कारण यह उन कुछ देशों में से एक है, जो वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में G7 के साथ जुड़ सकते हैं।

VISION IAS

2.12. ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G20)

G20 (ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी) – एक नज़र में

यह विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना है।

इसके सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं:

- वैश्विक GDP के लगभग 90 प्रतिशत का
- वैश्विक व्यापार के लगभग 80 प्रतिशत का
- वैश्विक जनसंख्या के लगभग 60 प्रतिशत का
- जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक का

G20 की उपलब्धियां

- **वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के भविष्य का मार्ग निर्धारित करना।**
- वर्ष 2008 के वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों को हल करने में योगदान करना।
- कम आय वाले विकासशील देशों के लाभ के लिए **कर प्रणाली में सुधार करना।** रोम शिखर सम्मेलन में बड़ी कंपनियों पर न्यूनतम 15 प्रतिशत निगम कर लगाने का समझौता करने के साथ ही इनके कर राजस्व के पुनर्वितरण के लिए नए नियम भी बनाए गए।
- **द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना:** शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली द्विपक्षीय बैठकों के परिणामस्वरूप कई बार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए हैं।
- **मानव संसाधन विकास और रोजगार:** वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इसके साथ ही उन युवाओं की भागीदारी को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है जिनके श्रम बाजार में पीछे छूट जाने का सबसे अधिक जोखिम है।

भारत और G20

- भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य है।
- पिछले G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा लाए गए कुछ प्रस्ताव निम्नानुसार थे:
  - आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई।
  - आर्थिक अपराधियों से निपटना।
  - वैश्विक कराधान: बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शेयरिंग (BEPS) फ्रेमवर्क।
  - नई डिजिटल तकनीकों से पैदा होने वाले मुद्दों से निपटना।

G-20 द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **प्रभावी शक्ति का अभाव:** G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है।
- **औपचारिक चार्टर के अभाव के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती।**
- **संरक्षणवाद:** समूह के कुछ नीतिगत निर्देश अलोकप्रिय रहे हैं, विशेषकर उदार समूहों के बीच।
- **अप्रभावी उपाय:** जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सामाजिक असमानता को दूर करने और लोकतंत्र के समक्ष मौजूद वैश्विक खतरों से निपटने में विफलता।
- **G20 की सदस्यता सीमित होने के कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा है:** जैसे इसमें अफ्रीकी देशों का अनुपातहीन या लगभग नहीं के बराबर प्रतिनिधित्व।

आगे की राह

- विभिन्न राष्ट्रों की अध्यक्षता के दौरान उठाए गए मुद्दों पर वार्ता जारी रखना।
- सभी देशों को, विशेष रूप से उभरते बाजारों को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना।
- विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना।
- बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
- COVID के बाद, मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

दुनिया आपस में अब इतनी अधिक जुड़ी हुई और एकीकृत है कि सभी वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा। इसमें G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।

2.13. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) (Shanghai Cooperation Organization: SCO)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) – एक नज़र में

यह वर्ष 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य–
- परस्पर विश्वास को सुदृढ़ करना और सहयोग को बढ़ावा देना,
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

वैश्विक प्रभाव: यह प्रतिनिधित्व करता है–

- यूरेशियाई क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत का
- वैश्विक आबादी के लगभग 42 प्रतिशत का
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20 प्रतिशत का
- इसे नाटो को संतुलित करने वाली शक्ति माना गया है।

भारत के संदर्भ में SCO की प्रासंगिकता

- यह भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' को आगे बढ़ाने और एक उपयुक्त यूरेशियाई रणनीति तैयार करने हेतु एक संभावित मंच हो सकता है।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित करना:** SCO की रक्षा–केंद्रित संरचनाओं और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) के माध्यम से किए गए प्रयासों ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में काफी सफलता हासिल की है।
- **अफगानिस्तान का मुद्दा:** SCO के सदस्य देशों ने आतंकवाद, युद्ध और ड्रग्स से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अफगानिस्तान के निर्माण हेतु अपना समर्थन व्यक्त किया है। इससे अंततः भारत को लाभ होगा।
- **राजनीतिक:** SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक:** लौह–अयस्क, कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम आदि जैसे खनिजों के मामले में मध्य एशियाई गणराज्य (CAR) अत्यंत समृद्ध हैं। SCO के अधीन नेताओं और भारत–मध्य एशियाई व्यापार परिषद की लगातार बैठकों से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **ऊर्जा सहयोग:** SCO यूरेशिया में भारत की पहुंच को सुगम बना सकता है और तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (तापी/TAPI) जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

SCO में भारत के लिए चुनौतियां

- **चीन का प्रभुत्व:** भारत को छोड़कर, सभी सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
- **यूरेशिया की उभरती भू–राजनीति:** इसमें महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदिता का स्थानान्तरण, भू–सामरिक और भू–आर्थिक सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा की भावना और मध्य एशियाई देशों द्वारा अपने हितों को बनाए रखने के लिए अधिक रणनीतिक प्रयास शामिल हैं।
- **भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता।**
- **रूस–पाकिस्तान चीन धुरी**–रूस एवं चीन तथा चीन एवं पाकिस्तान के मध्य बढ़ते संबंध भारत के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से यह SCO में भारत के हितों की पूर्ति पर रणनीतिक स्तर पर असर डालेगा।
- **आतंकवाद के खिलाफ कमजोर लड़ाई:** अभी तक SCO ने अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे के विरुद्ध कोई स्पष्ट उपाय नहीं किया है।

भारत के लिए आगे की राह

- **रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना:** समूह में अन्य सदस्यों के प्रभुत्व के विरुद्ध भारत को अपना स्वतंत्र मत बरकरार रखना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौते का उपयोग यूरेशिया में एक मजबूत उपस्थिति के लिए किया जाना चाहिए।
- **चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार करना:** यह आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
- **मध्य एशियाई क्षेत्र (CAR) में रचनात्मक भूमिका:** भारत मध्य एशिया में युवाओं के कट्टरपंथ को खत्म करने में एक भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह अपने सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।
- SCO सदस्यों के साथ आपसी समझ और विश्वास को गहरा करने के लिए पीपल्स–टू–पीपल्स संपर्क को मजबूत करना और शैक्षिक सहयोग को बेहतर बनाना।

SCO अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप, एक न्यायपूर्ण बहु–केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को मजबूत बनाकर, टकराव और संघर्ष को समाप्त कर तथा समान और अविभाज्य सुरक्षा बनाए रखते हुए किया जा सकता है।

2.13.1. क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की RATS की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं से लड़ने में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।

RATS के बारे में

- एक स्थायी SCO निकाय के रूप में RATS समझौते पर वर्ष **2002 में हस्ताक्षर किए गए** थे।
- RATS क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर **आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वय केंद्र** रहा है।
    - RATS मंच SCO के सदस्य देशों को **आतंकवाद से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अपराधों** जैसे कि अवैध प्रवास तथा ड्रग्स, हथियारों, विस्फोटकों आदि की तस्करी से **सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्तःक्रिया के लिए एक तंत्र प्रदान** करता है।
- RATS के कार्यकारी संबंधों के तहत, **सदस्य देश आतंकवाद से निपटने हेतु जानकारी एकत्र करने के लिए परस्पर तथा अन्य वैश्विक संगठनों के साथ समन्वय करते हैं।**
    - **RATS** अपने सदस्य देशों के **आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों का एक डेटाबेस भी रखता है।**
- RATS रूपरेखा के भीतर वार्षिक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित करके **SCO सदस्य देशों की आतंकवाद विरोधी क्षमता विकसित की जा रही है।**

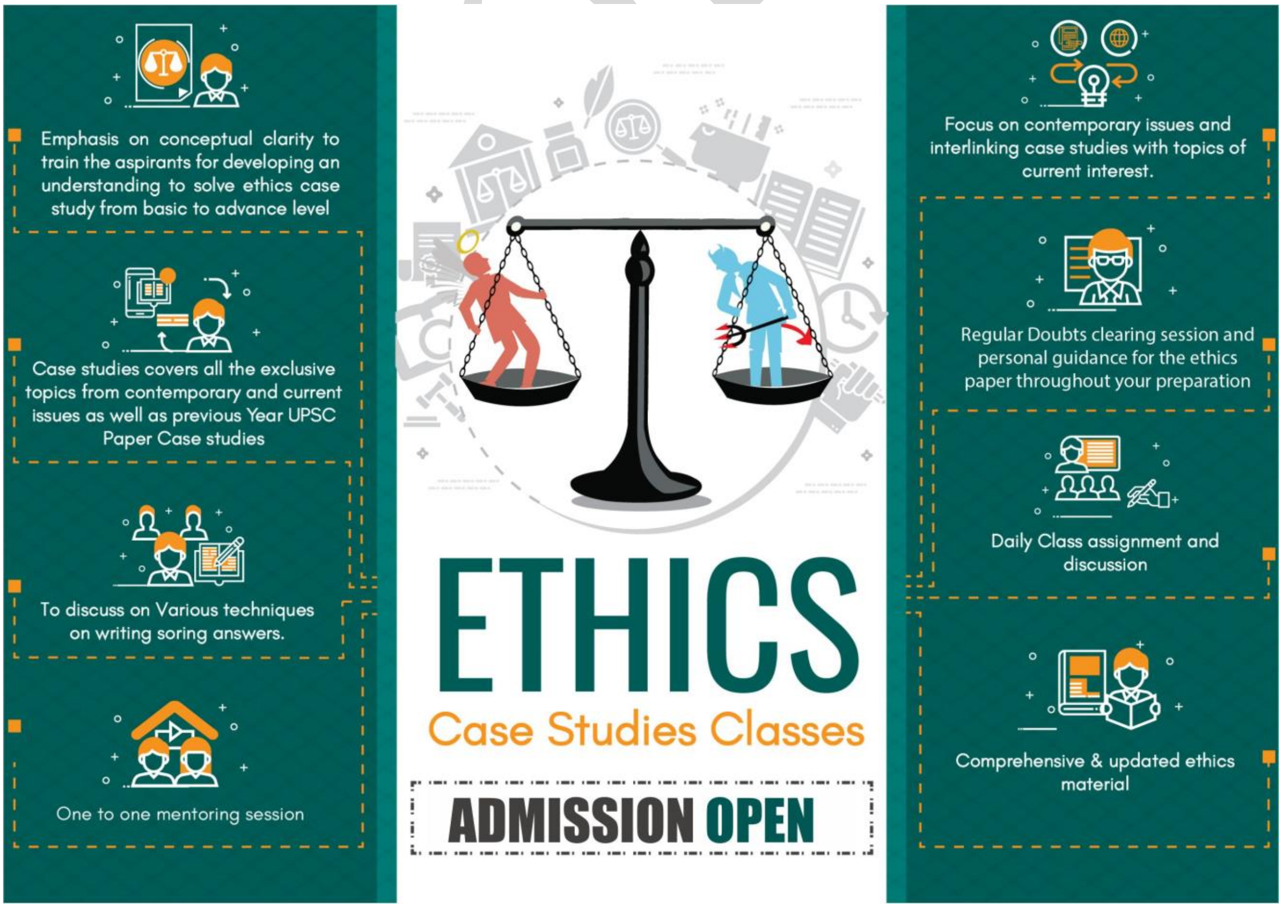

2.14. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) (Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)

बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)– एक नज़र में

वर्ष 2022 में बिम्सटेक के 25 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 1997 में बैंकाक घोषणा के माध्यम से इसकी परिकल्पना की गई थी। इस समूह का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित सदस्य देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रकों में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। बिम्सटेक के सिद्धांतों के अंतर्गत संप्रभु देशों की बराबरी, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और पारस्परिक लाभ को बनाए रखना शामिल है।

बिम्सटेक के सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं:

- वैश्विक आबादी के लगभग **22 प्रतिशत** का
- लगभग **3.7 ट्रिलियन डॉलर** के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- **रणनीतिक:** भारत के लिए बिम्सटेक 'हिन्द–प्रशांत' और हिंद महासागर समुदाय की व्यापक अवधारणा को बढ़ावा देने का एक माध्यम बन चुका है। साथ ही यह देश की रणनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का भी एक माध्यम बन गया है।
- **आर्थिक:** यह दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक हो सकता है। साथ ही यह बंगाल की खाड़ी में व्यापार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से जोड़ने और उपलब्ध हाइड्रोकार्बन भंडार के दोहन में भी मदद कर सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण के कारण यह 'पड़ोसी प्रथम' (नेबरहुड फर्स्ट) और 'एक्ट ईस्ट' की हमारी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक नेचुरल प्लेटफॉर्म बन गया है।
- **सुरक्षा:** यह क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से भारत की ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी अवसर प्रदान करता है।
- **BRI के कारण चीनी प्रभाव को संतुलित करने में सहयोग कर सकता है।**

बिम्सटेक से जुड़ी चुनौतियां

- **अप्रयुक्त क्षमता:** देशों के बीच घनिष्ठ आंतरिक आर्थिक एकीकरण की कमी के कारण।
- **कुछ राज्यों की आक्रामकता:** खाड़ी में चीन की बढ़ती उपस्थिति (तथाकथित "मलक्का दुविधा") से संबंधित आशंकाएं नौवहन मार्गों की स्वायत्तता पर असर डालती हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रगति का बाधित होना:** वर्ष 2004 में एक FTA समझौता हेतु रूपरेखा तैयार की गई किंतु यह समझौता अभी तक लंबित है।
- **क्षेत्रीय भू–राजनीति:** चीन विरोधी छवि के निर्माण से बचना।
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र खराब सड़क और रेल संपर्क, अपर्याप्त अंतिम–बिन्दु संपर्क और उच्च सीमा शुल्क एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा है।
- **इस क्षेत्र में बढ़ते गंभीर सुरक्षा जोखिम।** उदाहरण के लिए आतंकवाद तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे समुद्री डकैती और अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन।

इस क्षेत्र में प्रमुख कनेक्टिविटी पहलें

- **कलादान मल्टी मॉडल परियोजना:** इस परियोजना में कोलकाता को म्यांमार के सित्वे बंदरगाह से और उसके बाद मिजोरम को नदी और सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
- **IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग:** यह म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। यह राजमार्ग मणिपुर के मोरेह से म्यांमार होते हुए थाईलैंड में माई सॉट तक जाएगा। इससे भारत और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **बांग्लादेश–भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA):** भूटान के बाहर हो जाने के बाद, अन्य तीन देश वस्तुओं और व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के लिए समझौते को लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

आगे की राह

- **राजनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना:** प्रत्येक दो वर्ष में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कोलंबो में लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न करना।**
- **गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों को कम करने में सहयोग** करना।
- **संधारणीय भौतिक संपर्क** और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना।
- बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देना। इसमें **पर्यटन कूटनीति, शैक्षणिक और छात्र–विनिमय कार्यक्रम तथा सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को सुगम बनाना** शामिल है।

बिम्सटेक क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि, सुरक्षा के सेतु के रूप में स्थापित करने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

2.14.1. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) चार्टर {Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Charter}

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिम्सटेक के क्षेत्रीय समूह के **5वें शिखर सम्मेलन** को **कोलंबो** में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया।

नेतृत्वकर्ता	क्षेत्र
बांग्लादेश	व्यापार, निवेश और विकास
भूटान	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
भारत	सुरक्षा, ऊर्जा
म्यांमार	कृषि एवं खाद्य सुरक्षा
नेपाल	व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क
श्रीलंका	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
थाईलैंड	संपर्क (कनेक्टिविटी)

इस शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु

- **बिम्सटेक चार्टर** पर **हस्ताक्षर** और इसका **अंगीकरण** वस्तुतः बिम्सटेक को **"अंतर-सरकारी संगठन"** के साथ-साथ एक **"वैधानिक निकाय"** के रूप में प्रस्तुत करता है। यह समूह अब स्वयं को एक **उप-क्षेत्रीय संगठन के स्थान पर** एक **क्षेत्रीय संगठन** के रूप में देखता है।
- **सहयोग के क्षेत्रों का पुनर्गठन** करके इसकी संख्या 14 से घटाकर 7 कर दी गई है। हालांकि इसे **अधिक प्रबंधनीय बनाने हेतु** सहयोग के क्षेत्रों की संख्या कम की गयी है। **प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक नेतृत्वकर्ता** की भूमिका का निर्वहन करेगा (तालिका देखें)।
- वर्ष 2018-2028 की अवधि के दौरान **परिवहन संपर्क के लिए एक मास्टर प्लान** को अपनाया गया है जो भविष्य में इस क्षेत्र में संपर्क संबंधी गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शन फ्रेमवर्क स्थापित करने में मदद करेगा।
- **सदस्य राष्ट्रों द्वारा तीन नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:**
  - आपराधिक मामलों में **पारस्परिक कानूनी सहायता** के लिए बिम्सटेक अभिसमय;
  - **राजनयिक प्रशिक्षण** के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्सटेक समझौता ज्ञापन;
  - बिम्सटेक **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा** की स्थापना पर समूह समझौता ज्ञापन।

VISION IAS

2.15. ब्रिक्स (BRICS)

ब्रिक्स – एक नज़र में

वर्ष 2001 में ब्रिक्स की शुरुआत BRIC के रूप में हुई थी। यह गोल्डमैन सैक्स द्वारा दिया गया एक संक्षिप्त नाम है। इस नाम में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के आरंभिक अक्षर शामिल किए गए थे। इसे विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था।

ब्रिक्स देश प्रतिनिधित्व करते हैं:

- वैश्विक जनसंख्या का 41 प्रतिशत
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत
- वैश्विक व्यापार में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी
- वैश्विक कुल भू–सतह का 29.3 प्रतिशत

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

- यह विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने में मदद कर सकता है। विशेषकर आतंकवाद के खिलाफ और विश्व व्यापार संगठन (WTO) से लेकर जलवायु परिवर्तन तक उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु।
- प्रतिद्वंद्विता को कम करने हेतु एक सुरक्षित स्थानः वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध और हाल में लद्दाख गतिरोध के दौरान, चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में बने रहे।
- अंतरमहाद्वीपीय पहुंच प्रदान करनाः ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति के साथ।
- यह UNSC, WTO आदि जैसे निकायों में संस्थागत सुधारों के लिए भारत की मांग को बढ़ावा दे सकता है।
- यह एक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के निर्माण में योगदान दे सकता है।
- आयात पर निर्भरताः भारत के कुल आयात का 34 प्रतिशत अन्य चार ब्रिक्स देशों से संबंधित है।
- भूख और गरीबी की समाप्ति के लिए SDG लक्ष्यों को प्राप्त करनाः कृषि अनुसंधान और नवाचारों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का गठन किया गया है।
- यह पश्चिम के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को संतुलित करता है। जैसे–क्वाड के माध्यम से। गौरतलब है कि क्वाड रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करने में मदद करता है।

ब्रिक्स की उपलब्धियां

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (CRA) का गठन
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में इंक्रीमेंटल चेंज लाना जैसे कोटा को दोगुना करना।
- ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ; यह वैश्विक महामारी के प्रति ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर काम करेगा।
- वर्ष 2015 में ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) फ्रेमवर्क कार्यक्रम ने COVID–19 के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान किया है।
- चिकित्सा सहयोगः वर्ष 2015 में 7वें शिखर सम्मेलन में 'ऊफ़ा घोषणा' का अंगीकरण।

ब्रिक्स में भारत का योगदान

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का प्रस्ताव।
- तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी सदस्यों हेतु शहरीकरण फोरम का गठन ।
- ब्रिक्स एकेडमिक फोरम के आयोजन की प्रथा को संस्थागत रूप प्रदान करना।
- ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलें। इनमें आभासी विश्वविद्यालय, ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल, यूथ ब्रिक्स फोरम, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- समूह के भीतर चीन का प्रभुत्व।
- लोकतांत्रिक और सत्तावादी शासन व्यवस्था के मिश्रण के कारण सदस्य देशों के बीच असमानताएं।
- चीन की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षा को लेकर सदस्यों के बीच संदेह होना। यह भविष्य में समूह के कामकाज को प्रभावित कर सकता है।
- संस्थागत सुधारों के प्रति दृष्टिकोणः ब्रिक्स केवल UNSC के कुछ ही हिस्सों के सुधार में रुचि रखता है।
- पूंजी की कमीः NDB में अधिक निवेश एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता है।
- सदस्य देशों के बीच अल्प व्यापार व्यापारः भौगोलिक दूरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार माहौल के कारण ब्रिक्स देशों के बीच आयात एवं निर्यात कम रहा है।

आगे की राह

- मतभेदों को समाप्त करना और सामान्य हित की तलाश करना।
- ब्रिक्स देशों को निजी क्षेत्र और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बॉटम–अप दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद–निरोध को प्राथमिकता देनाः ब्रिक्स आतंकवाद–रोधी रणनीति को लागू करने के लिए परिणाम–उन्मुख कार्य योजना को अंतिम रूप देना आवश्यक है।
- सामूहिक रणनीति बनाना और इसे लागू करने के लिए प्राथमिकता प्रक्रियाओं की पहचान करना।
- ग्लोबल साउथ के साथ अपने गहरे जुड़ाव को मजबूत बनाते हुए बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ाने पर जोर देना।

ब्रिक्स वस्तुतः प्रयासों को संस्थागत रूप देने की प्रक्रिया को शुरू करने के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतर–ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने में सफल रहा है। कई क्षेत्रों में अलग–अलग विदेश नीति के बावजूद, ब्रिक्स 'भू–राजनीतिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करने' के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सदैव उपस्थित रहा है।

2.15.1. 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (14th BRICS Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन** किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया था। सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने **'बीजिंग डिक्लेरेशन'** को अपनाया।

इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **चर्चा के बिंदु:**
  - नेताओं ने **आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदि** के क्षेत्रों पर चर्चा की।
  - यूक्रेन के मुद्दे पर, रूस और यूक्रेन के बीच **वार्ता** को समर्थन प्रदान किया गया। **साथ ही, मानवीय सहायता प्रदान करने** के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC)[20] के प्रयासों की प्रति समर्थन व्यक्त किया गया।
- **भारत द्वारा प्रस्तावित पहल:** भारत ने ब्रिक्स पहचान को मजबूत करने का आह्वान किया है। साथ ही **ब्रिक्स दस्तावेजों**, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के लिए **ऑनलाइन डेटाबेस स्थापित करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है।**
  - भारत ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप्स के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इस वर्ष **ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम** का आयोजन करेगा।
- **भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित पनाहगाह (Safe Haven) को समाप्त करना:** ब्रिक्स देशों ने **भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित पनाहगाह को समाप्त करने** से संबंधित ब्रिक्स पहल का स्वागत किया है। इस पहल के कारण **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से** भ्रष्टाचार-रोधी क्षमता निर्माण को और अधिक मजबूती मिलेगी। **साथ ही यह बहुपक्षीय ढांचे के भीतर भ्रष्टाचार-रोधी आदान-प्रदान** और सहयोग को बढ़ाएगी।
- **अन्य:**
  - शिखर सम्मेलन में **वैश्विक विकास, गैर-ब्रिक्स देशों** की भागीदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता भी आयोजित की गई।
  - ब्रिक्स देश **पूर्ण परामर्श और सर्वसम्मति के आधार पर नए देशों को पांच देशों के इस समूह में शामिल करने की संभावना** पर चर्चा करना जारी रखेंगे।
  - हाल ही में **ईरान और अर्जेंटीना** ने ब्रिक्स तंत्र में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वर्ष 2010 में **दक्षिण अफ्रीका** को शामिल किए जाने के बाद से यह समूह का पहला विस्तार हो सकता है।

[20] International Committee of the Red Cross

3. विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests)

3.1. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region)

भारत और हिंद-प्रशांत - एक नजर में

यह "एशिया-प्रशांत" के स्थान पर एक भू-राजनीतिक व्यवस्था है, जो **हिंद महासागर** और **प्रशांत महासागर** को जोड़ने वाले एक एकीकृत रूप का प्रतिनिधित्व करती है। **हालांकि**, विभिन्न हितधारक इसमें शामिल घटकों के संबंध में अलग-अलग व्याख्याएं करते हैं।

- वैश्विक GDP में 63% की भागीदारी
- वैश्विक समुद्री व्यापार में 50% का दबदबा
- प्राकृतिक संसाधनों में सशक्तः अपतटीय हाइड्रोकार्बन। समुद्र आधारित खनिज, मत्स्य पालन आदि।

हिंद-प्रशांत के लिए भारत के विजन के प्रमुख तत्व (पी. एम. शांगरी ला डायलॉग, 2018) में शामिल हैं

- एक मुक्त, ओपन, समावेशी क्षेत्र।
- इंडो पैसिफिक के केंद्र में दक्षिण पूर्व एशिया।
- क्षेत्र के लिए एक सामान्य नियम-आधारित व्यवस्था।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अधिकार के रूप में समुद्र और हवा में आम स्थानों तक समान पहुंच, साझेदारी की सहायता से शक्ति प्रतिस्पर्धा को रोकना।

हिंद-प्रशांत में भारत के हित

- हिंद महासागर में **शांति और सुरक्षा।**
- **इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना।** विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में।
- **नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखना।**
- **चीन का मुकाबला।**
- **व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाना** तथा सतत विकास को बढ़ावा देना
- **अन्य रुचियां:** अवैध, अनियमित और असूचित (IUU) मत्स्यन को विनियमित करना, गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण तथा प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति

- **IOR में पारंपरिक भूमिकाओं** जैसे- सुरक्षा प्रदाता, विकास संबंधी सहायता, आदि को **मजबूत और संरक्षित करना।**
- **नौसैनिक रणनीति:** समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) और संयुक्त अभ्यास।
- **साझेदारी:** समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF), QUAD, ASEAN, BIMSTEC, फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC),
- **विदेश नीति:** सेपरेट इंडो-पैसिफिक डिवीजन (IPD), प्रोजेक्ट मौसम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, त्रिपक्षीय विकास निगम (TDC) फंड आदि।

भारत के सामने चुनौतियां

- **सीमित नौसैनिक क्षमता और सैन्य ठिकानों की कमी**
- **व्यापार के लिए चुनौतियां:** COVID के बाद अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का उदय, टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय (NTMs) तथा खराब कनेक्टिविटी।
- **पहलों के विकास की धीमी गति।**
- **महाद्वीपीय और समुद्री रणनीतियों को संतुलित करना।**
- MDA **के लिए चुनौतियां:** पनडुब्बी की तैनाती, ग्रे शिपिंग और डार्क शिपिंग।
- **सार्थक साझेदारी में बाधाएं:** निश्चित सहमति का अभाव और प्राथमिकताओं में अंतर।

भारत की नीति

- **मुद्दा आधारित गठबंधन और भागीदारी,** जिन्हें जिम्मेदारी साझाकरण के मॉडल द्वारा तैयार किया गया हो।
- माइक्रोनेशिया जैसे गैर-पारंपरिक अभिकर्त्ताओं के साथ **संपर्क बढ़ाना।**
- **द्वीपीय प्रदेशों का सामरिक उपयोग।**
- **कमजोर देशों के लिए ऋण का समाधान।**
- QUAD+ **जैसे नवोन्मेषी तंत्र (अन्य महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए हिंद-प्रशांत में मिनीलेटरल इंगेजमेंट।)**

सामूहिक प्रयास एक ऐसे स्वतंत्र, ओपन और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बरकरार रखने में योगदान देंगे, जहां क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा मानदंडों का पालन करने के लिए सम्मान होगा।

3.1.1. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत, IPEF का हिस्सा बनने के लिए सहमत** हुआ है। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले इस आर्थिक समूह में 14 देश शामिल हैं।

IPEF के बारे में:

- IPEF, भागीदार देशों के लिए **अपने संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक मामलों में संलग्न होने हेतु** (जैसे कि महामारी से क्षतिग्रस्त लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण हेतु) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नेतृत्व वाला एक फ्रेमवर्क है। **यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।**
- **सदस्य देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी और वियतनाम।
    - समग्र रूप से, ये देश **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% भाग के लिए उत्तरदायी हैं।**

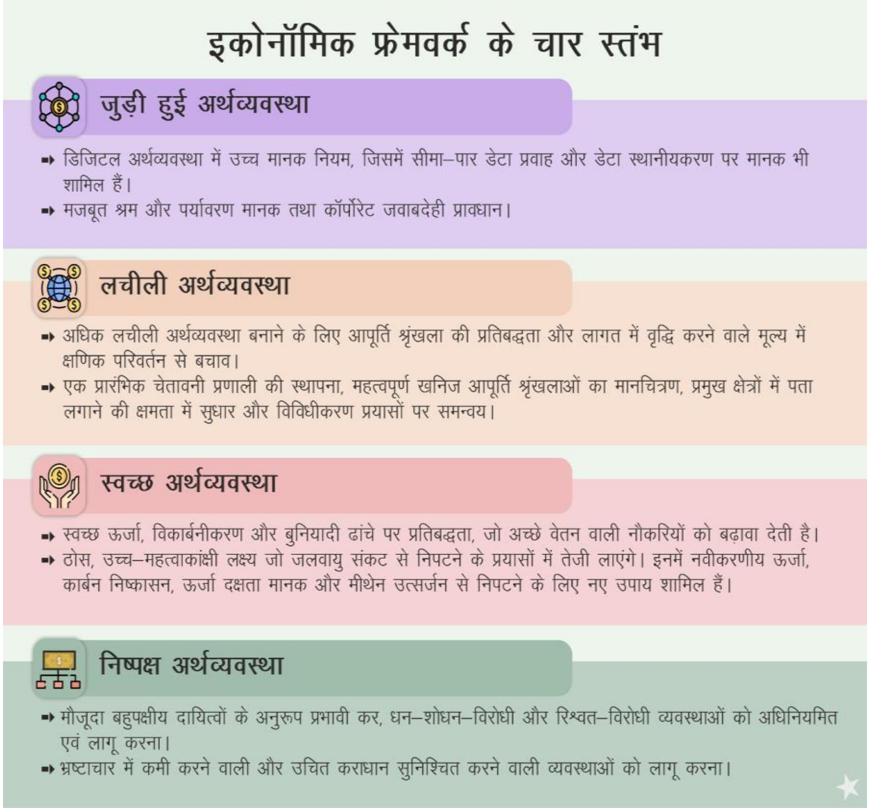

- इसके अतिरिक्त, भविष्य में इसमें शामिल होने के इच्छुक अन्य देशों के लिए यह फ्रेमवर्क खुला रहेगा।
- यह **आर्थिक फ्रेमवर्क व्यापक तौर पर चार स्तंभों पर टिका हुआ है** (इन्फोग्राफिक देखिए)।
- **ये देश** किसी भी निर्धारित स्तंभ के तहत की गई **पहलों में सम्मिलित होने (या सम्मिलित नहीं होने) के लिए स्वतंत्र हैं,** किन्तु एक बार सम्मिलित हो जाने के पश्चात इन देशों से सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की उम्मीद की जाती है।
- IPEF **मानक निर्धारण और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के बारे में जोर देता है। यह अपने सदस्यों को अधिक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने से संबद्ध नहीं है।** न ही यह निम्न प्रशुल्कों (टैरिफ) के लिए समझौता वार्ता करेगा।

भारत के लिए चिंता

- IPEF के घोषित उद्देश्यों में **डिजिटल अर्थव्यवस्था में नियमों का पालन करना** शामिल है, जैसे सीमा-पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण पर मानक। यह **कुछ ऐसा उद्देश्य है, जिसे भारत अपने सभी मुक्त व्यापार समझौतों में टालता रहा है,** क्योंकि भारत अपने डेटा के एवज में संप्रभुता का त्याग नहीं करना चाहता है।
- IPEF **श्रम मानकों, पर्यावरणीय मानदंडों व डीकार्बोनाइजेशन (वि-कार्बनीकरण) पर भी नियम बनाना चाहता है। जिसके लिए भारत कभी भी उत्सुक नहीं रहा है,** जिसमें कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते भी शामिल हैं।
- अमेरिका विश्व व्यापार संगठन में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क पर स्थायी रोक का समर्थन करने के लिए भारत पर दबाव बनाने हेतु IPERF का उपयोग कर सकता है।

IPEF का महत्व

- **बेहतर आर्थिक भागीदारी:** भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्य के नए नियम स्थापित करना।
- **नियम आधारित हिन्द-प्रशांत:** एक स्वतंत्र और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना, जो संबद्ध और समृद्ध हो, सुरक्षित होने के साथ-साथ लचीला हो तथा संधारणीय होने के साथ ही उसमें समावेशी आर्थिक विकास भी हो।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुनम्य बनाना।** इससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों को बढ़ावा देने वाले मंहगे व्यवधानों से बचाव हो सकेगा।

- **चीन का प्रतिसंतुलन:** IPEF हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को कम करने में सहायता करेगा।
- **प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाना:** ऐसा स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन (विकार्बनिकरण), जलवायु संकट से निपटने, प्रभावी कर लागू करने, धन शोधन रोधी (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) और रिश्वत रोधी व्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है।

भारत के लिए IPEF का महत्व

- **क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी:** भारत के लिए IPEF की सदस्यता इसे एशियाई व्यापार व्यवस्था के संबंध में अवसर प्रदान करती है। ग़ौरतलब है कि भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होकर एशियाई व्यापार व्यवस्था में भागीदारी का महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था।
- **घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप:** IPEF की गैर-विशिष्ट और सुनम्य प्रकृति भी भारत के अनुकूल है। यह जीवाश्म ईंधन पर पर्यावरणीय प्रतिबंध, डेटा स्थानीयकरण आदि जैसे कई मुद्दों पर वार्ता के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
- **बेहतर आर्थिक अवसर:** IPEF भारत को एक वृहद आर्थिक व्यवस्था का भाग (किन्तु चीन के प्रभाव से बाहर) बनने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है।
- **सुनम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी:** सुनम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण IPEF के उद्देश्यों में से एक है। भारत अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए सदस्य देशों को वैकल्पिक स्रोत के रूप में मान सकता है।

IPEF के साथ मुद्दे

- **स्पष्टता का अभाव:** इस समूह की व्यवहार्यता से संबंधित कई चिंताएं हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है। उनके अनुसार यह न तो 'मुक्त व्यापार समझौता' होगा तथा न ही प्रशुल्क कटौती या बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए कोई मंच होगा।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करने में अक्षम:** अपने वर्तमान स्वरूप में, IPEF में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की कमी के कारण IPEF इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को कम करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना:** ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका इस सौदे को समग्र रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए संपन्न कर रहा है।
- **BDN और B3W के साथ अतिव्यापन:** IPEF की संकल्पनात्मक मद ("नियमों," "मानकों," और "सिद्धांतों" को निर्धारित करना) पहले ही सामने आ चुकी है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए **ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN)** और वर्ष 2021 में शुरू किए गए **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W)** पहल दोनों में इसका परीक्षण किया जा चुका है। B3W और BDN दोनों को चीन और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में परिभाषित किया गया था। अभी तक इसके अत्यधिक मूर्त सार और प्रगति (momentum) का उत्पादन नहीं हुआ है।
- **विश्व व्यापार संगठन के नियमों का संभावित उल्लंघन:** IPEF को FTA के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है। FTA के अभाव में, विश्व व्यापार संगठन के नियम IPEF सदस्यों के बीच अधिमान्य व्यवहार की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे।
- **विवाद निपटान तंत्र का अभाव:** एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा एकतरफा कार्रवाई से बचने के लिए IPEF में किस प्रकार के विवाद निपटान तंत्र को शामिल किया जाएगा?

निष्कर्ष

इसके शुभारंभ समारोह के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित **3Ts- ट्रस्ट (विश्वास), ट्रांसपरेंसी (पारदर्शिता) और टाइमलीनेस (समयबद्धता)-** इस पहल की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्वास और पारदर्शिता तभी निर्मित होगी जब सदस्य देश, विशेष रूप से अमेरिका, एक-दूसरे के हितों का ध्यान देंगे। यदि इन्हें प्राप्त किया जाता है, तो दोनों (भारत एवं अमेरिका) ही उद्दिष्ट परिणामों के समयबद्ध वितरण को बढ़ावा देंगे। यदि अमेरिका उदार नहीं रहता है और अपने स्वयं के हितों से प्रेरित रहता है, तो IPEF भी सफल नहीं हो सकता है

अमेरिका के लिए IPEF का महत्व

- IPEF **अमेरिका के एक दशक से भी अधिक पुराने "एशिया के लिए धुरी (Pivot to Asia)" कार्यक्रम का हिस्सा है।** इसमें अमेरिका सहित एक भौगोलिक निर्माण के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पुनः कल्पना की गई है (क्वाड भी समान गतिविधि का हिस्सा है)।
- **इस क्षेत्र के अमेरिकी सहयोगी और साझेदार** अमेरिकी सैन्य और राजनयिक उपस्थिति को इस क्षेत्र में स्वागत योग्य मानते हैं। किन्तु, वे यह भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिका क्षेत्रीय आर्थिक मामलों में एक सक्रिय और विश्वसनीय भागीदार होगा।

हिंद-प्रशांत के साथ जुड़ाव की मंद गति हेतु उत्तरदायी कारण

- **अमेरिकी रणनीति क्षेत्रीय आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार नहीं है।** विशेष रूप से तथ्य यह है कि विगत दो दशकों में यह क्षेत्र FTAs की एक

VISION IAS

श्रृंखला के माध्यम से आर्थिक रूप से एकीकृत हो गया है। जिनमें से कई में चीन शामिल है, किन्तु अमेरिका शामिल नहीं है।

- यह हिंद-प्रशांत की **भौगोलिक सीमाओं की अलग-अलग व्याख्याओं** के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अन्य देशों/संगठनों की हिंद-प्रशांत रणनीतियाँ

देशों/संगठन	योजना	उद्देश्य
यूरोपीय संघ	हिंद-प्रशांत में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति	• साझा मूल्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना।** • इस क्षेत्र के साथ पारस्परिक रूप से **सहायक व्यापार और आर्थिक संबंध स्थापित करना।**
जापान	स्वतंत्र और खुली हिंद-प्रशांत रणनीति	• एक व्यापक, समावेशी एवं पारदर्शी तरीके से नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करके **एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को "अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तु" के रूप में विकसित करना।** • प्रत्येक देश में स्थिरता और समृद्धि लाने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि की सुरक्षा हेतु **आसियान की केंद्रीयता और एकता को महत्व देना।**

3.1.2. क्वाड (QUAD)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड की दूसरी इन-पर्सन (भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ) मीटिंग आयोजित की गई थी।

क्वाड के बारे में

- क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद[21] के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनौपचारिक संगठन है। **वर्ष 2007 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASEAN) के शिखर सम्मेलन** के दौरान इस समूह की **पहली अनौपचारिक बैठक** हुई थी।
  - इसकी शुरुआत **प्रथम मालाबार सैन्य अभ्यास और वर्ष 2004 की सुनामी** से जुड़ी हुई है। इस दौरान भारत ने स्वयं के लिए और पड़ोसी देशों हेतु राहत एवं बचाव अभियान संचालित किए थे। बाद में, इस अभियान में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गए थे।
- **चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति** का सामना करने के लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि, क्वाड का यह संस्करण वर्ष 2008 में लुप्त हो गया था। इसके समापन हेतु उत्तरदायी कारकों में शामिल थे:
  - भारत उस समय चीन की प्रतिक्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बने।
  - इसके अतिरिक्त, इस दौरान भारत **क्वाड की उपयोगिता को लेकर भी चिंतित** था। क्योंकि भारत द्वारा पहले से ही जापान एवं अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया व जापान के साथ त्रिपक्षीय संबंध संचालित किए जा चुके थे।
- **वर्ष 2017 में पुनः चीन के विस्तारवादी स्वरूप को**

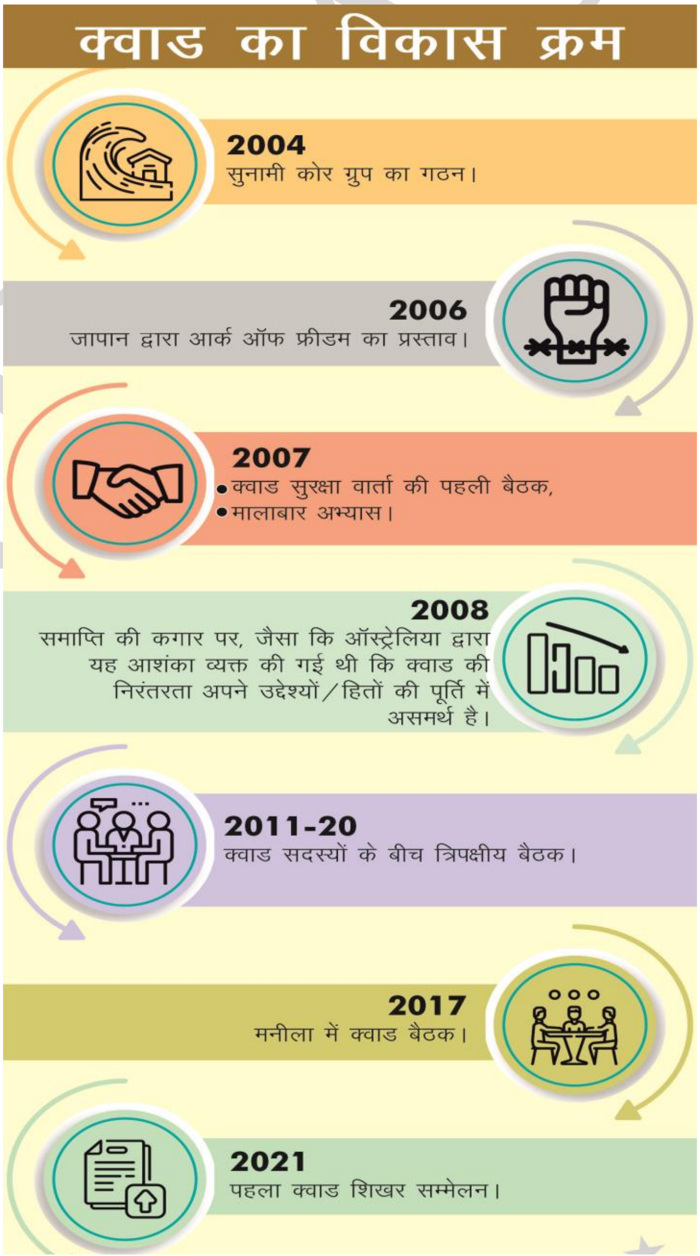

[21] Quadrilateral Security Dialogue

देखते हुए चारों देशों ने क्वाड को **पुनर्जीवित** किया। हालांकि, **"क्वाड 2.0" वर्ष 2017 से 2021 के मध्य ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ता से किए गए कार्यों का परिणाम है।**

- क्वाड के मुख्य उद्देश्यों में **नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करना, नौवहन की स्वतंत्रता और उदार व्यापार प्रणाली को स्थापित करना आदि शामिल हैं।**
- इसे समुद्री क्षेत्र वाले लोकतांत्रिक देशों का एक गठबंधन माना जाता है। इसके द्वारा सभी सदस्यों के मध्य समय-समय पर बैठकें, अनियमित शिखर सम्मेलन, सूचनाओं का आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता रहा है।

भारत के संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता

- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर चीन की बेल्ट और रोड पहल का विकल्प तलाशने की दिशा में प्रयासरत है। चीन की इस परियोजना ने भारत की प्रादेशिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रमुखता को कमजोर किया है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती प्रासंगिकता:** । क्वाड वस्तुतः भारत को **पूर्वी एशिया से संबंधित हितों में वृद्धि करने और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने हेतु एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।** इसके अतिरिक्त, एशिया अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, हिंद महासागर आयोग आदि जैसे विभिन्न मंचों में भागीदारी के माध्यम से यह क्षेत्र में समावेशिता की भावना को भी बढ़ावा देता है।
- **उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति:** औपचारिक गठबंधन स्थापित किए बिना समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना या क्वाड के बाहर के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, भारत की उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति की पहचान है।
- **भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी:** इससे, भारत को अपनी कुछ कमियों जैसे कि वित्तीय कमी, नौसैन्य क्षमता, सैन्य जासूसी, और तकनीकी एवं निगरानी क्षमता की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
- **उभरते ख़तरों पर अतिरिक्त सहभागिता:** इन चारों देशों को बड़े पैमाने पर सतत साइबर हमलों से संबंधित ख़तरों का सामना करना पड़ा है। इनमें ऐसे ख़तरे भी शामिल हैं, जो किसी देश, मुख्य तौर पर चीन से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।

क्वाड के समक्ष चुनौतियां

- **भारत के अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों के निहितार्थ:** हाल ही में, चीन ने यह तर्क दिया है कि हालिया वर्षों में अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड के साथ बढ़ती निकटता के कारण भारत ने चीन व रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर कर लिया है। चीन के अनुसार इससे ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की प्रगति भी बाधित हुई है।
- **अस्पष्ट उद्देश्य:** इस तरह की अस्पष्टता कमजोर स्थिति को प्रकट करती है। इसी कारण कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे केवल चीन विरोधी गठबंधन के तौर पर ही देखते हैं। इससे, अन्य आवश्यक क्षेत्रों जैसे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या और वैक्सीन कूटनीति में इसकी भागीदारी कमजोर हो सकती है।
- **अनसुलझे मुद्दे:**
  - **जलवायु परिवर्तन की समस्या:** भारत ने क्वाड देशों के साथ सौर गठबंधन, पेरिस समझौता आदि पहलों पर कार्य किया है, लेकिन अब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन और कोयले के उपयोग को ख़त्म करने संबंधी समयसीमा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
  - **महत्वपूर्ण तकनीक और लचीली आपूर्ति श्रृंखला:** भारत विशेष रूप से चीन पर निर्भरता को समाप्त करने के इच्छुक भागीदारों के साथ तकनीक संबंधी वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की दिशा में प्रयासरत रहा है। हालांकि, एक देश से दूसरे देश में डेटा के प्रवाह के संदर्भ में भारत ओसाका ट्रैक का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्य क्वाड देश इसमें सहभागी हैं।

* **अमेरिका से विरोधाभासी संकेत:** ज्ञातव्य है कि क्वाड बैठकों के लिए अभी कार्य योजनाएं विकसित की जा रही हैं, फिर भी इसी दौरान अमेरिका ने सहयोगियों और भागीदारों को चकित करते हुए एक त्रिपक्षीय रक्षा भागीदारी की घोषणा की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, जिसे **ऑकस** (AUKUS) नाम दिया गया है।
* **स्वीकार्य जोखिम और उसके परिणाम को लेकर असहमति:** भावी खतरे को लेकर सभी सदस्य देशों के मध्य मौजूदा असहमति अनेक कारणों पर आधारित है। इनमें चीन के साथ सीधे तौर पर राज्यक्षेत्रीय विवादों की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी, बीजिंग द्वारा संभावित प्रतिशोध संबंधी जोखिम, अन्य उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और खतरे तथा अंततः प्रत्येक देश की रणनीतिक संस्कृति की सीमाएं इत्यादि शामिल हैं।
* **चीन का प्रभाव:** चीन का क्वाड देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रहा है। चीन इसका उपयोग अपने पक्ष में देशों को बाध्य या प्रभावित करने के लिए कर सकता है। ऐसी स्थिति भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

वैश्विक सुरक्षा पहल (Global Security Initiative: GSI)

* हाल ही में, अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति और क्वाड को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन ने GSI का गठन किया है।
* GSI एक **"साझा, व्यापक, सहयोगात्मक और सतत" सुरक्षा के विज़न की परिकल्पना करता है। साथ ही, परस्पर सम्मान, खुलेपन और एकीकरण से युक्त एशियाई सुरक्षा मॉडल के निर्माण** का आह्वान करता है।
* इसकी परिकल्पना **"अविभाज्य सुरक्षा" के सिद्धांत को बनाए रखने** के लिए की गई है।
    * "अविभाज्य सुरक्षा" के सिद्धांत का अर्थ है कि **कोई भी देश दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकता है।**

क्वाड के संदर्भ में आगे की राह

* **सामूहिक कार्रवाई:** सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए।
* **स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता:** क्वाड राष्ट्रों को एक व्यापक फ्रेमवर्क के आधार पर अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों को पूरा किया जा सके। इससे तटीय देशों को भी यह आश्वासन प्रदान करने में मदद मिलेगी कि क्वाड की उपस्थिति से क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
* **क्वाड का विस्तार:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य देश हैं, जिनके भारत के साथ बेहतर संबंध हैं। इसलिए, भारत को ऐसी रणनीति निर्मित करनी चाहिए, ताकि इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि जैसे देशों को भविष्य में क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
* **समुद्री सिद्धांत/नीति की आवश्यकता:** भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए। इससे मौजूदा और भावी समुद्री चुनौतियों के निपटान, अपने सैन्य और असैन्य साधनों को परस्पर समेकित करने तथा अपने सामरिक भागीदारों को शामिल करने की दिशा में वैचारिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

3.2. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश सचिव ने कहा कि **ऑकस का क्वाड से कोई संबंध नहीं है।** इससे समूह के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ऑकस के बारे में

* ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित ऑकस, **एक नया सुरक्षा गठबंधन है।** इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और** गठबंधन में शामिल देशों के मध्य **रक्षा क्षमताओं को अधिक से अधिक साझा करना है।**
* इसके तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा **ऑस्ट्रेलिया को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।** इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक जैसी भविष्य की क्षमताएं शामिल हैं।
    * इस समझौते के हिस्से के रूप में, **ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी 43 बिलियन डॉलर की योजना का परित्याग कर देगा।** इसके स्थान पर वह यूनाइटेड किंगडम-संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित तकनीकों के आधार पर पोतों को निर्मित करेगा।

ऑकस और भारत

* **जटिलताएं:**
    * **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां:** यह आशंका व्यक्त की गयी है कि इस समझौते के बाद पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव समाप्त हो सकता है।

- **अमेरिका की अविश्वसनीयता:** ऑकस समझौते से फ्रांस चिंतित है, जिसके कारण इसके प्रति भारत का दृष्टिकोण भी जटिल हो गया है। इन मुद्दों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अमेरिका पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/NATO) का भागीदार होने के बावजूद भी अपने पुराने सहयोगी, फ्रांस को इस समूह से बाहर रखा है।
- **चीन को उकसाने वाला:** यह समझौता बीजिंग को हिंद महासागर के तटवर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियों के विस्तार के लिए उकसा सकता है।
- **ऑकस बनाम क्वाड:** ऑकस के कारण क्वाड से ध्यान विस्थापित हो गया है। इस समझौते के तहत संभवतः यूनाइटेड किंगडम के साथ गठबंधन रखने वाले करीबी भागीदारों को अमेरिका की ओर से अतिरिक्त वरीयता भी प्रदान की जाएगी।
- **अन्य बहुपक्षीय गतिविधियों पर प्रभाव:** हाल ही में, ऑकस का विरोध करते हुए फ्रांस ने स्वयं को भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय गठबंधन (चीन को संतुलित करने के लिए गठित) से बाहर कर लिया है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास:** क्वाड संबंधों के और अधिक मजबूत होने के बाद, भारत में कुछ लोगों को आशा थी कि अमेरिका भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन तकनीक प्रदान करने पर विचार करेगा।
  - हालांकि, अमेरिका ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि जो समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है वह किसी अन्य के साथ किए जाने की संभावना नहीं है। इस स्पष्टीकरण से भारत की अपेक्षाओं को धक्का पहुंचा है।

- **अवसर:**
  - यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने के क्वाड के एजेंडे को मजबूत** करेगा।
    - ऑकस **समुद्री अभ्यासों, सुरक्षा एवं कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने,** महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए क्वाड द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सशक्त करने हेतु भी अपने प्रयासों का विस्तार कर सकता है।
  - **ऑकस के अस्तित्व में आने से भारत को राजनयिक और रक्षा व्यापार दोनों क्षेत्रों में,** संभावित लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से फ्रांस के साथ।
  - **चीन से निपटने के लिए:** चीन को रोकने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से घोषित करके, ऑकस ने चीन से निपटने में भारत के विकल्पों का विस्तार किया है।

3.3. दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र का भू-राजनीति उदय (Geo-Political Rise of South Pacific)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन और **सोलोमन द्वीप समूह** ने एक दूसरे के साथ सुरक्षा गठबंधन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

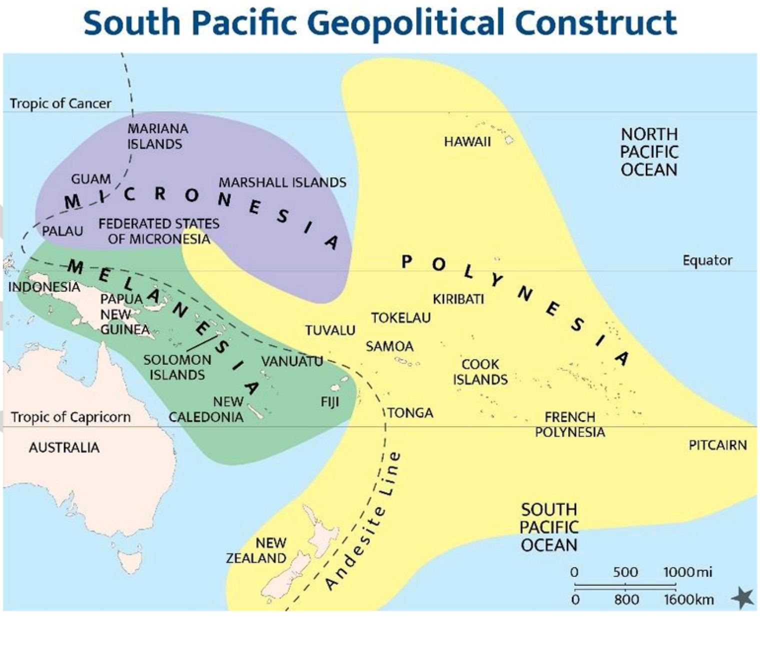

अन्य संबंधित तथ्य

- यह समझौता चीन और उसकी नौसेना के लिए प्रशांत द्वीप समूह में सुरक्षा बलों को तैनात करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ग़ौरतलब है कि चीनी नौसेना अपने बेड़े को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही, चीनी नौसेना अपनी पहुंच का दायरा भी विस्तृत कर रही है, ताकि अपने तट से दूर स्थित अपने बंदरगाह का उपयोग कर सके।
- **दक्षिण प्रशांत** में 14 स्वतंत्र राज्य और अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित अन्य डिपेंडेंसीज़ (अपनी सीमा से परे किसी अन्य देश पर निर्भर क्षेत्र) शामिल हैं।

समझौते के निहितार्थ

- यह सुरक्षा समझौता **बड़े हिंद-प्रशांत सुरक्षा समूहों की स्थापना या पुनरुद्धार के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया प्रतीत होता है,** विशेष रूप से AUKUS संधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया में।
- यह **प्रशांत बहुपक्षवाद** की नाजुक स्थिति को प्रभावित करेगा।
- प्रशांत द्वीपों के बीच एक हार्ड पावर के रूप में स्वयं को स्थापित करने का चीन का यह प्रयास दूसरी **अधिक ज्वलंत समस्याओं को क्षीण** कर देगा। इन अधिक ज्वलंत समस्याओं में **जलवायु परिवर्तन से संबंधित खतरे से लेकर समुद्र के जलस्तर में वृद्धि** तक शामिल हैं।
- यह सोलोमन द्वीप समूह के भीतर अस्थिरता को बढ़ाएगा। यह व्यापक प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लिए एक चिंतनीय मिसाल कायम कर सकता है।

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का महत्व

- **चीन के प्रभाव में वृद्धि:** चीन की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इस भागीदारी के बहाने से वह देशों की सुरक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है। सोलोमन द्वीप समूह के साथ हालिया सहभागिता इसी का एक उदाहरण है।
- **व्यापार और परिवहन:** प्रशांत द्वीप संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित है जो एशिया और लैटिन अमेरिका को जोड़ता है। खुले और सुरक्षित परिवहन के लिए उनका आदर्श स्थान महत्वपूर्ण है।
- **समृद्ध खनिज संसाधन और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र:** यह क्षेत्र तांबा, निकल, सोना और तरल पेट्रोलियम गैस जैसे खनिजों में समृद्ध है तथा इसमें मत्स्यन की अत्यधिक क्षमता है। इसके अलावा, दक्षिण प्रशांत के अनन्वेषित (unexplored) समुद्र तल में भी काफी संभावनाएं हैं।
- **सामरिक अवस्थिति:** अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण, दक्षिण प्रशांत उपग्रहों के लिए निगरानी और ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है। उदाहरण के लिए, भारत के मंगल मिशन की निगरानी **फिजी** में की गई थी। इस क्षेत्र ने मंगल मिशन के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड में अपनी योग्यता साबित की है।
- **जैव विविधता:** इस क्षेत्र में अत्यधिक वानस्पतिक और जीव विविधता है। साथ ही, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ अत्यधिक स्थानिक हैं और इसलिए दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं।

दक्षिण प्रशांत में अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- **'पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक' पहल:** यह एक अनौपचारिक तंत्र है। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम द्वारा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के साथ प्रभावी व कुशल सहयोग के लिए शुरू किया गया है।
- **क्षेत्र के लिए समर्थन में वृद्धि:** अमेरिका का लक्ष्य **किरिबाती और टोंगा** में दो नए दूतावास स्थापित करना है। इसका उद्देश्य सोलोमन द्वीप में एक को फिर से खोलना और प्रशांत द्वीप समूह मंच में अपना पहला दूत नियुक्त करना है।

भारत के लिए दक्षिण प्रशांत का महत्व

- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति:** प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंध उसकी विस्तारित एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन:** भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए इन देशों से समर्थन मांग रहा है।
- **व्यापार क्षमता:** इस क्षेत्र में भारत का निर्यात उसके कुल निर्यात का केवल 1.4 प्रतिशत है और इस क्षेत्र से आयात उसके कुल आयात का 2.5 प्रतिशत है। ग़ौरतलब है कि प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं बहुत खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इनके कम प्रशुल्कों से भी स्पष्ट होता है। इस तथ्य को देखते हुए व्यापार के मोर्चे पर विकास की अपार संभावनाएं हैं।
- **इस क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा:** दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों (करीब 0.29 मिलियन NRI और 0.59 मिलियन PIO) की जनसंख्या अधिक है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत वर्ष 2002 से **प्रशांत द्वीप समूह मंच (Pacific Islands Forum: PIF)** में वार्षिक रूप से भाग ले रहा है। यह भारत के 17 संवाद भागीदारों में से एक है।
- भारत ने वर्ष 2016 में जयपुर में आयोजित **भारतीय और प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए मंच (FIPIC)**[22] की दूसरी बैठक में भाग लिया था। इसके तहत भारत ने इस क्षेत्र में **समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान स्टेशनों के एक नेटवर्क** और स्थायी तटीय व महासागर अनुसंधान के लिए एक संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी।
- भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों को प्रतिवर्ष **2,00,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता अनुदान** देने की घोषणा की है।

---

[22] Forum for Indian and pacific island countries

VISION IAS

आगे की राह

- इस क्षेत्र के देशों को समुद्र और वायु में साझा स्थानों का उपयोग करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अधिकार के रूप में समान पहुंच प्राप्त होनी चाहिए।** इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता और अबाधित वाणिज्य तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी।
- **भारतीय राजनयिक मिशन का विस्तार:** भारतीय राजनयिक मिशन पूरे दक्षिण प्रशांत में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के केवल दो देशों **फिजी और पापुआ न्यू गिनी** में में मौजूद हैं। भारत दक्षिण प्रशांत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए **कुक द्वीप समूह, फिजी, सोलोमन द्वीप समूह और समोआ** में राजनयिक मिशन स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय और क्षेत्र के बाहर के अभिकर्ताओं के बढ़ते हितों के साथ दक्षिण प्रशांत तेजी से एक प्रतिस्पर्धी रणनीतिक स्थान बनता जा रहा है। चीन और भारत, जिन्होंने अतीत में इस क्षेत्र की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की थी, वे अब इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं।

3.4. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मैड्रिड (स्पेन) में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष

रणनीतिक अवधारणा, 2022	यह नाटो का दिशा-निर्देशक दस्तावेज है। यह दस्तावेज उभरती हुई सुरक्षा वास्तविकता को दर्शाता है। • यह मित्र देशों की **सुरक्षा के लिए 'सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरे' के रूप में रूस की पहचान करता है,** • इसमें **पहली बार चीन को चुनौती के रूप में पहचाना गया है,** तथा • इसमें आतंकवाद, साइबर और हाइब्रिड खतरे, समुद्री सुरक्षा आदि से संबंधित अन्य चुनौतियों को शामिल किया गया है।
जोखिम की स्थिति में यूक्रेन और अन्य भागीदारों को सहायता	• **यूक्रेन के लिए एक मजबूत व्यापक सहायता पैकेज** दिया गया है। इस पैकेज में सुरक्षित संचार, एंटी-ड्रोन सिस्टम और ईंधन जैसे क्षेत्रों से संबंधित सहायता शामिल है।
उभरती चुनौतियों के लिए गठबंधन बनाना	• नाटो द्वारा एक संगठन के रूप में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए एक समझौता** किया गया है। इस समझौते के तहत वर्ष 2030 तक कम से कम 45 प्रतिशत की कटौती करने और वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। • **नाटो इनोवेशन फंड** की शुरुआत की गई है। यह अगले 15 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे दोहरे उपयोग वाली उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले स्टार्टअप्स में 1 बिलियन यूरो का निवेश करेगा।

NATO के बारे में

- नाटो का **गठन** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **वर्ष 1949 में** किया गया था। **इसका गठन** यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे को रोकने के लिए किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह संगठन **सामूहिक सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य** करता है। इसका उद्देश्य सैनिक और राजनीतिक साधनों के माध्यम से पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि यदि किसी सदस्य राष्ट्र को किसी बाहरी देश द्वारा धमकाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो वह हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा। (नाटो चार्टर का **अनुच्छेद 5**)।
    - वर्ष 2001 में 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है।
- **संस्थापक:** इसके 12 संस्थापक सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल।
    - फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं।
- हाल ही में, वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो और वर्ष 2020 में उत्तरी मेसेडोनिया नाटो में शामिल होने वाले राष्ट्र हैं। **वर्तमान में नाटो के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 30 हो गई है।**

- नाटो की **ओपन डोर पॉलिसी** (चार्टर का अनुच्छेद 10) ऐसे किसी भी यूरोपीय देश को शामिल होने की अनुमति देती है जो "उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा" में वृद्धि और योगदान कर सकता है।

- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगियों की स्थिति:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन नजदीकी सहयोगी देशों के लिए दिया गया एक नाम है जिनके यू.एस. सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध हैं लेकिन वे नाटो के सदस्य नहीं हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल आदि सहित **30 अन्य देशों को** प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है।
  - यह दर्जा **विभिन्न प्रकार के सैन्य और वित्तीय लाभ प्रदान करता है** जो अन्यथा गैर-नाटो देशों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इन लाभों में रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं और आतंकवाद विरोधी पहलों में भागीदारी करना, डिप्लीटेड यूरेनियम (यूरेनियम के अयस्क से उच्च रेडियोसक्रिय U-235 को निकालने के बाद बचा पदार्थ) से बने गोला-बारूद को खरीदना आदि शामिल हैं।

नाटो से संबंधित मुद्दे

- **सदस्यों के बीच संघर्ष और मतभेद:** आतंकवाद, रूस और यूरोपीय सुरक्षा के बारे में नाटो नेतृत्वकर्ताओं के दृष्टिकोण मूल रूप से भिन्न हैं।
  - नाटो के सदस्य देशों के बीच संघर्ष बढ़ गए हैं, उदाहरण के लिए- ग्रीस और तुर्की के बीच संघर्ष।
- **स्पष्ट रूप से परिभाषित मिशन का अभाव**
- तकनीकी रूप से निरंतर उन्नत, सैन्य रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से आक्रामक होते रूस के साथ **यह गठबंधन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपनी बढ़त खोता जा रहा है।**

समकालीन समय में नाटो की प्रासंगिकता

- **तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश से निपटने हेतु:** जैसे कि-
  - यूक्रेन पर रूस का आक्रमण,
  - आतंकवाद,
  - बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता,
  - अधिक जटिल और विघटनकारी साइबर और हाइब्रिड खतरे, तथा
  - अत्यधिक तेजी से होते तकनीकी परिवर्तन
- ये सभी वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती और स्थिरता के लिए खतरे को दर्शाते हैं।
  - **इसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**
    - नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ **रूस की आक्रामकता की निंदा की है** क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। नाटो ने **यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को** अपना अटूट समर्थन प्रदान किया है।
    - नाटो सहयोगियों और साझेदार देशों ने लगभग 20 वर्षों तक **अफगानिस्तान में सैन्य बलों को तैनात रखा था।** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अफगानिस्तान पुनः अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह न बन सके।
    - नाटो **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।** साथ ही यह ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन को सहायता भी प्रदान करता है।
  - यह विश्व का **सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला अंतर-सरकारी सुरक्षा संगठन है** और समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - फ़िनलैंड और स्वीडन NATO में शामिल होने की कगार पर हैं।

नाटो चीन पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है?

हाल ही में, नाटो ने चीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसे अपनी **"सामूहिक रक्षा"** के लिए उचित ठहराया है। नाटो के अनुसार इसका कारण यूरोपीय हितों पर चीन का अतिक्रमण है, जैसे:

- **प्रमुख बंदरगाह, जैसे ग्रीस का पीरियस बंदरगाह (Port of Piraeus)** अब चीनी कंपनियों के पास हैं। **ग्रीस में स्थित पीरियस बंदरगाह यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।**

VISION IAS

- **अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गश्त में वृद्धि।**
- **आर्कटिक सागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी।**
- चीनी सरकार द्वारा पश्चिमी वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों पर **व्यापक साइबर हमले।**
- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग, अर्थात् दक्षिण चीन सागर के संसाधन-समृद्ध जल पर **चीन द्वारा स्वामित्व का दावा।**

- **कोविड के प्रति अनुक्रिया:** नाटो ने निम्नलिखित के माध्यम से कोविड-19 संकट का सामना करने में भूमिका निभाई है:
    - सैन्य कर्मियों की रक्षा करके,
    - महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करके
    - अभिनव प्रतिक्रियाएं देने के लिए संसाधनों का उपयोग करके।
- **नाटो का पूर्व की ओर विस्तार:** हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय यूरोप से लेकर एशिया-प्रशांत तक पूर्व की तरफ नाटो के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। यह **एशियाई क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने में नाटो की आगामी भूमिका की ओर संकेत करता है।**
    - नाटो के दस्तावेज में पहली बार चीन का नाम आया है।
    - **नाटो शिखर सम्मेलन में** पहली बार चार इंडो-पैसिफिक देश, अर्थात् **ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हुए।** इन राष्ट्रों का सम्मेलन में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य सहयोग को अधिक मजबूत करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटना है।

निष्कर्ष

लंबे समय से भारत की यह नीति रही है कि वह किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि अभी तक NATO में शामिल होने का सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी विशेषज्ञ इस बारे में एक बहुत ही सुविचारित, लक्ष्य केंद्रित साझेदारी का निर्माण करने की सलाह देते हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसके ज़रिए भारत और NATO एक अर्थपूर्ण सहयोग के माध्यम से साथ-साथ आगे बढ़ सकें। ऐसे सहयोग में संयुक्त सैन्याभ्यास तथा समुद्री आकस्मिकताओं एवं प्रौद्योगिकी भागीदारी के लिए रक्षा संबंधी योजनाएं बनाना इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

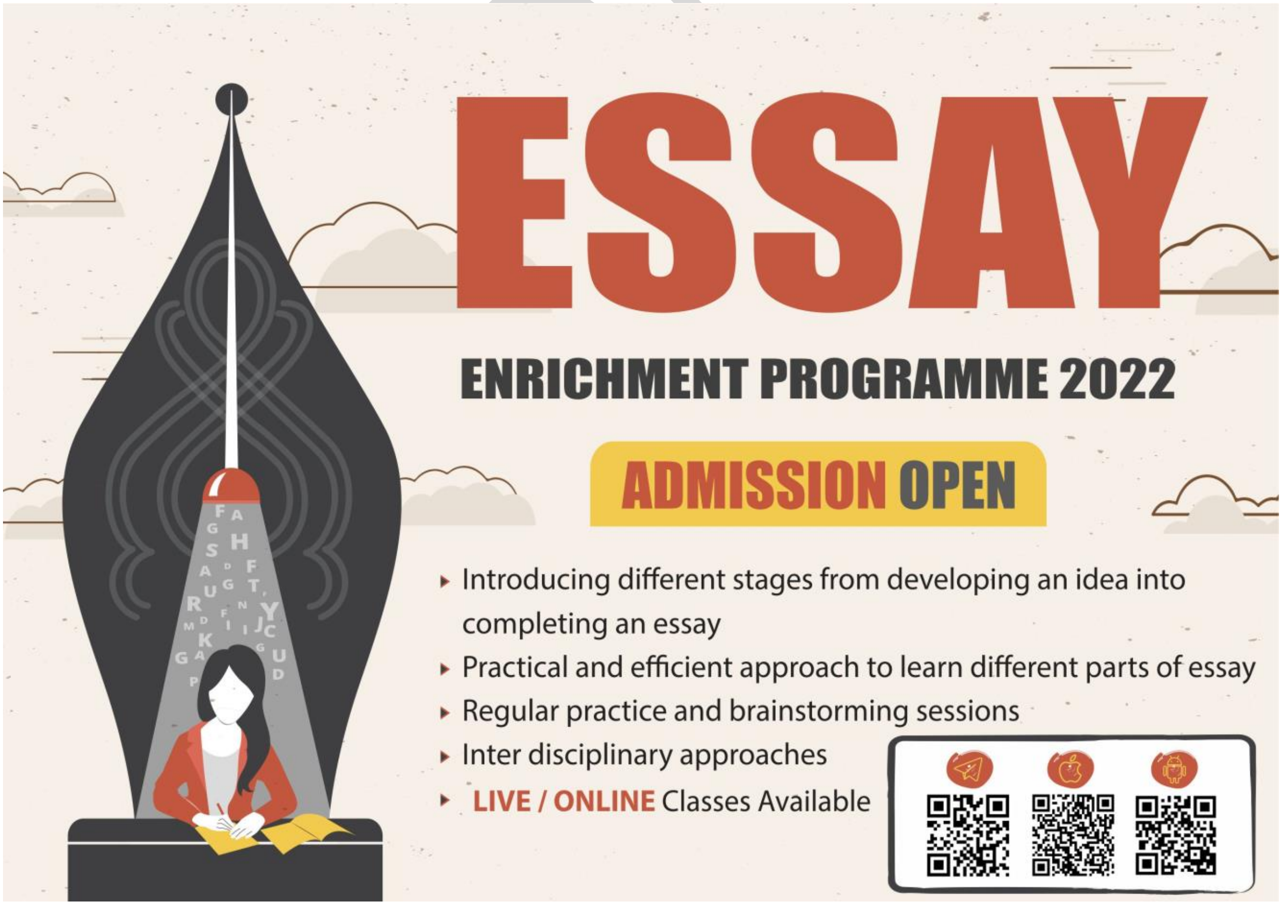

4. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना व अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and For- their Structure, Mandate)

4.1. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

4.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

UNSC – एक नज़र में

UNSC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक के रूप में की गई थी। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2021-22 की अवधि के लिए UNSC के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना आठवां कार्यकाल शुरू किया है। UNSC ने हाल ही में "UNSC संकल्प 2593" को अपनाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान शासित अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए एक प्रयोजन स्थल न बने।

- परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- इसके निर्णय (संकल्प के रूप में ज्ञात) सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और इसने 7 बार UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है।

UNSC में सुधार की आवश्यकता

- **पुरानी संस्था:** अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण यह अब वर्तमान विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधि नहीं रह गया है।
- **UNSC की व्यापक शक्तियां:** उदाहरण के लिए, राज्य की संप्रभुता पर प्रतिबंध-अतिक्रमण करना।
- भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों की उचित भागीदारी का अभाव, जो संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **वीटो शक्तियां:** UNSC P-5 के भीतर बार-बार विभाजन होता रहता है, जिसके कारण वीटो शक्तियों का उपयोग करके प्रमुख निर्णयों को रोक दिया जाता है।
- परिषद की अप्रभाविता **बहुपक्षवाद को हतोत्साहित** करती है।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- **आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति का अभाव:** विभिन्न देशों के बीच मतभेदों के कारण CCIT गतिरोध का सामना कर रहा है।
- **वैश्विक स्तर पर चीन की मजबूत स्थिति और पाकिस्तान को उसका समर्थन।**
- **कोविड-19 के बाद की विश्व व्यवस्था:** मंदी, संकुचित राष्ट्रवाद के कारण वैश्विक सहयोग की संभावनाओं को चुनौती मिलती है।
- **वैश्विक भू-राजनीति:** रूस-यूक्रेन युद्ध, महाशक्तियों के बीच बिगड़ते संबंध, **अमेरिका और ईरान** के बीच बढ़ता तनाव।
- **बहुपक्षीय कूटनीति के लिए संसाधनों की कमी।** जैसे- कर्मचारी, वित्त, बौद्धिक और संस्थागत बुनियादी ढाँचा।
- क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग करने वाले G4 का विरोध करते रहे हैं।

UNSC में भारत का योगदान

- भारत अपने कार्यकाल के दौरान **'तालिबान तथा लीबिया प्रतिबंध समितियों'** और UNSC की **'आतंकवाद-रोधी समिति'** की **अध्यक्षता** करेगा।
- SDGs, UNFCCC जैसी **संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों में सक्रिय भागीदार।**
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा** (UDHR) को तैयार करने में योगदान।
- **संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद-नीति** (Apartheid) का मुद्दा उठाने वाला पहला देश।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सैनिकों का सबसे बड़ा प्रदाता** और पूर्ण महिला सैन्य दल को तैनात करने वाला पहला देश।
- G77, UNICEF, UNEP, UNCTAD **आदि की स्थापना में सहायक।**
- 1996 में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय** (CCIT) का प्रारूप तैयार करना।

दो साल के कार्यकाल में भारत के लिए अवसर

- **UNSC की प्रभावशीलता और उसमें प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।**
- ISA और CDRI की सहायता से भारत के नेतृत्व का लाभ उठाते हुए **जलवायु परिवर्तन संवादों को मजबूत बनाना।**
- **आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष:** संयुक्त राष्ट्र और FATF के बीच अधिक सहयोग और समन्वय की मांग।
- **चीन के अनुचित इरादों के खिलाफ** एक विमर्श और आम सहमति बनाकर उससे निपटना।
- QUAD जैसे **नए गठबंधनों को मजबूत** करना, सुरक्षा के क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी के साथ सहयोग को और बेहतर करना।
- **अफ्रीका जैसे पारंपरिक भागीदारों** की शांति और सुरक्षा चिंताओं को UNSC में व्यक्त करते हुए **संबंधों को पुनर्जीवित करना।**
- उभरते मुद्दों जैसे- जैविक युद्ध, बढ़ते परमाणु जोखिम आदि पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर ईमानदारी के नेतृत्व का प्रदर्शन करके **स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करना।**
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में अपनी ताकत का लाभ उठाकर **शांति की स्थापना से संबंधित प्रयासों में सुधार करना।**

UNSC में भारत का नया कार्यकाल और अधिक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो भारत के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा UNSC के क्रियाकलापों को एकजुट करे। साथ ही, यह UNSC में बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए व्यावहारिक होना चाहिए। 'वसुधैव कुटुम्बकम' उक्ति भू-राजनीतिक विभाजन को समाप्त करने में दिखनी चाहिए। इसके अलावा, साझा वैश्विक समस्याओं को लेकर वैश्विक न्याय सुनिश्चित करने में भी यह उक्ति प्रकट होनी चाहिए।

4.1.2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC)

UNHRC – एक नज़र में

यह पूर्व 'यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स' की जगह 2006 में स्थापित एक अंतर–सरकारी निकाय है। इसमें 47 देश शामिल हैं और यह दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रसार तथा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

- सीटों का समान मौगोलिक वितरण।
- निर्णय, संकल्प और सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- इसका कार्यकाल तीन साल का होता है,जबकि हर साल एक-तिहाई सदस्यों की सदस्यता नवीनीकृत होती है।

द्विपक्षीय संबंध

UNHRC का महत्व

- मानवाधिकारों के मुद्दे के संबंध में राज्यों के बीच संवाद के लिए मंच।
- मानवाधिकारों की निगरानी के लिए विशेष प्रक्रियाएं।
- मानवाधिकार शिक्षा और सीख के साथ–साथ सलाहकार सेवाओं, क्षमता निर्माण आदि को बढ़ावा देना।
- सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) के माध्यम से सदस्य राज्यों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करना।
- मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण में सिविल सोसाइटी की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

UNHRC की उपलब्धियां

- विशेष प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तुत देश–केंद्रित रिपोर्टों की संख्या में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 'इंटरनेट फ्री स्पीच' पर संकल्प को अपनाना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम पर संकल्प को अपनाना और मानवाधिकारों की आपात स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना।
- स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देना।

UNHRC के साथ समस्याए

- **सदस्यता के मानदंड:** नामांकित देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड संबंधी मानदंड और उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता अप्रवर्तनीय हैं।
- **मानवाधिकारों पर विभिन्न देशों के अलग–अलग दृष्टिकोण** आम सहमति को मुश्किल बना देते हैं।
- **लोकतंत्र के मूल्यों का अभाव:** नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित कुछ मानदंडों में इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है।
- **गुप्त मतदान प्रणाली:** इससे संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश परिषद में आसानी से चुन लिए जाते हैं।
- **राजनीतिकरण की संभावना:** देश आमतौर पर मानवाधिकार हितों के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में मतदान करते हैं।
- NGOs जैसे **मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ प्रतिशोध।**

आगे की राह

- परिषद के चुनावों में खुले मतपत्र जैसे **प्रक्रियात्मक सुधार,** दो–तिहाई वोट सीमा को कम करना ताकि परिषद के सदस्य को हटाना आसान हो सके।
- **मानवाधिकार रक्षकों की** प्रतिशोध से **रक्षा करना।**
- व्यवस्थित फॉलो–अप और कार्यान्वयन की सहायता से UPR को मजबूत करना तथा अधिक कठोर परीक्षण अपनाना।
- राजनीतिकरण को कम करने और आम सहमति बनाने के लिए **समय पर सटीक जानकारी का प्रावधान करना।**
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को **राष्ट्रीय कार्यान्वयन के माध्यम से** सुनिश्चित करना।
- मानवाधिकार की रिपोर्टिंग के लिए **तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण** में सहायता तथा अतिरिक्त संसाधन का प्रबंधन करना।

एक व्यक्ति होने के नाते हम मानवाधिकारों के हकदार हैं, इसी प्रकार हमें दूसरों के मानवाधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए और उनके लिए खड़े होना चाहिए। भारत का फिर से चुना जाना लोकतंत्र, बहुलवाद और मौलिक अधिकारों में इसकी मजबूत जड़ों को प्रदर्शित करता है।

4.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लगभग 87,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जटिल संघर्षों से अधिक खतरों का सामना करना पड़ता है।

- **वर्तमान में शांतिरक्षक बलों के समक्ष संघर्षों को हल करने संबंधी चुनौतियों में शामिल हैं:**
  - **संघर्ष कई कारकों से प्रेरित होते हैं।** इनमें नृजातीय तनाव, संगठित अपराध का संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभाव तथा आतंकवाद शामिल हैं।
  - **संघर्ष बहुस्तरीय** अर्थात् न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय, बल्कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक भी होते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के निर्धन साहेल क्षेत्र में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकियों, फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का प्रभाव तथा परिष्कृत साधनों के तीव्र उपयोग सहित **संघर्ष बढ़ाने वाले साधनों की उपस्थिति।**
  - **राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परिवेश विकृत हो गया है।**

- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में**
  - शांति अभियान अपने अधिदेश **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्राप्त करते हैं।**
  - **सैनिकों और पुलिस की आपूर्ति सदस्य देशों** द्वारा की जाती है।
  - यह अभियान **तीन बुनियादी सिद्धांतों** द्वारा निर्देशित होते हैं यथा: पक्षकारों की **सहमति; निष्पक्षता** तथा आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त **बल का प्रयोग न करना।**
- **भारत सैनिकों का सबसे बड़ा प्रदाता है और** उसने पिछले कुछ वर्षों में 49 शांति अभियानों में ढाई लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है।

- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय:**
  - शांति सैनिकों को अधिक फुर्तीला, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए **बेहतर चिकित्सा सहायता एवं उपकरण** (विशेष रूप से अधिक हेलीकॉप्टर) प्रदान करना।
  - **शांति अभियानों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि** करना अर्थात् शांति स्थापना प्रक्रिया में अधिक महिलाओं की भागीदारी का अर्थ शांति व्यवस्था का अधिक प्रभावी होना है।
  - शांति व्यवस्था का **डिजिटल परिवर्तन,** जो बेहतर संचार को सक्षम करेगा और गलत सूचनाओं का सामना करने में मदद करेगा। यह सूचना के बेहतर संग्रह और प्रसंस्करण में भी सहायता प्रदान करेगा।

4.1.4. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ECOSOC के चार प्रमुख निकायों के लिए चयनित हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन निकायों में सामाजिक विकास आयोग, गैर-सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति[23] शामिल हैं।
- **भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति हेतु फिर से चयनित किया गया है।**
- **भारत** को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ पिछले वर्ष **2022-24 की अवधि हेतु UN-ECOSOC के लिए चुना गया था।** इन्हें एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया है।

ECOSOC से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण संस्थान:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

[23] Commission for Social development, the Committee on NGOs, Commission on Science and technology for development, and the Committee for economic, social, and cultural rights

VISION IAS

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO)
- विश्व बैंक समूह
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
- यू.एन. वीमेन
- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD)

ECOSOC के बारे में

- ECOSOC के सदस्यों की संख्या 54 है। यह सतत विकास के तीन आयामों- **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण** के क्षेत्र में प्रगति पर नजर रखने वाला संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का केंद्रीय अंग है।
- इसे वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा संयुक्त राष्ट्र के **छह प्रमुख अंगों में से एक के रूप में स्थापित** किया गया था।
- **इसके निम्नलिखित कार्य हैं:**
  - यह **समग्र मार्गदर्शन और समन्वय** प्रदान करता है। इसके लिए यह सतत विकास के प्रति समर्पित सहायक निकायों तथा संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विविध निकायों को जोड़ता है।
  - यह **उच्च जीवन स्तर**, पूर्ण रोजगार और आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं के **समाधान की पहचान** करता है। साथ ही, यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक व शैक्षिक सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है।
  - यह **मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता** के लिए सार्वभौमिक सम्मान को प्रोत्साहित करता है।
  - यह **संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनों और सभाओं के लिए अनुवर्ती कार्रवाई** हेतु जिम्मेदार है।
  - **यह सतत विकास के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।**

ECOSOC द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां

- **विश्व की सतत विकास चुनौतियों की विविधता पर चर्चा करता है।**
- **वित्तीय और व्यापार संस्थानों को शामिल करना:** विश्व व्यापार संगठन और अंकटाड के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करके, ECOSOC संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडा के समर्थन में वैश्विक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों को शामिल करता है।
- **मानवीय नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाना:** वर्ष 1998 से, ECOSOC ह्यूमैनिटेरियन सेगमेंट मानवीय नीति एजेंडे पर चुनौतियों, परिचालन एवं मानक प्रगति को संबोधित कर रहा है।
- **महिलाओं को विकास के प्रयासों के केंद्र में रखना:** महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW)[24] ने महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान आकर्षित करने में संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **वैश्विक एच.आई.वी./एड्स महामारी पर प्रतिक्रिया:** UNAIDS, एचआईवी /एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसे ECOSOC के प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित और वर्ष 1996 में लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम एचआईवी/एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है।

[24] Commission on the Status of Women

VISION IAS

* **विकास और मानवाधिकारों को जोड़ना:** मानवाधिकार आयोग ECOSOC के भीतर बनाए गए पहले कार्यात्मक आयोगों में से एक था। इसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का मसौदा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया था। आयोग को बाद में वर्ष 2006 में मानवाधिकार परिषद में बदल दिया गया।

निष्कर्ष

भारत ECOSOC के सदस्य के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत अन्य विकासशील और अल्पविकसित देशों को उनके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

4.2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वित्त पोषण मॉडल में सुधार करने के लिए WHO ने **सतत वित्त-पोषण मॉडल**[25] अपनाया है।

प्रस्तावित सतत वित्त-पोषण मॉडल के बारे में

WHO के कार्यकारी समूह ने **सतत वित्त-पोषण** पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें सदस्यों के अनिवार्य योगदान को **वर्ष 2028 तक एजेंसी के मुख्य बजट के 50 प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने** का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वर्तमान में अनिवार्य योगदान का हिस्सा 20 प्रतिशत से कम है।

प्रस्ताव पर विभिन्न देशों की क्या राय है?

* **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिकी सरकार प्रस्तावित सुधार का विरोध कर रही है, क्योंकि उसे चीन से खतरों सहित भविष्य के अन्य खतरों का सामना करने की WHO की क्षमता के बारे में संदेह है।
    * इसकी बजाय अमेरिका, एक **अलग कोष के गठन पर बल** दे रहा है। यह कोष सीधे दानकर्ताओं द्वारा नियंत्रित होगा। यह कोष स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वित्त प्रदान करेगा।
* **ब्राजील:** WHO को धन जुटाने के अन्य तरीकों की खोज करने की आवश्यकता है। जैसे कि इसकी सेवाओं के लिए शुल्क लेना, लागत में कटौती करना या अपने कार्य-संचालन को कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करना।

WHO का वर्तमान वित्त-पोषण मॉडल:

* WHO के बजट में साधारणतः दो प्रकार के वित्त-पोषण शामिल हैं- **आकलित योगदान** (assessed contributions) और **स्वैच्छिक योगदान** (voluntary contributions)।
* WHO के कार्यों को पहले पूरी तरह से सदस्य राज्यों के आकलित योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता था।
* पिछले कुछ वर्षों में WHO का बजट व्यापक स्तर तक बढ़ गया है। यह **वर्ष 1990-1991 के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से **वर्ष 2020-2021 में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया है। इसमें **आकलित योगदान** का हिस्सा लगभग **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** पर स्थिर रहा है।

सतत वित्त-पोषण मॉडल की आवश्यकता

* **सीमित वित्त-पोषण:** WHO का वार्षिक परिचालन बजट कई यूनिवर्सिटी-हॉस्पिटल्स की तुलना में बहुत कम है। यह लोक स्वास्थ्य और अनुसंधान की विभिन्न परियोजनाओं में बंटा हुआ है।
* WHO सदस्य राज्यों से **स्वैच्छिक योगदान और दान पर अत्यधिक निर्भर** है। यह निर्भरता संगठन को **वित्तपोषकों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश** करती है। यह प्रवृत्ति प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने पर WHO को उसके सदस्यों की आलोचना करने की क्षमता को सीमित करती है।
* **सतत वित्त-पोषण का अभाव:** इससे कार्यक्रम के विभिन्न बजट खंडों में कहीं अल्प और कहीं अधिक वित्त-पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    * उदाहरण के लिए, **गैर-संचारी रोगों व आपात स्वास्थ्य स्थितियों के विरुद्ध तैयारी तथा डेटा एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों में वित्त की दीर्घकालिक कमी** बनी हुई है।

WHO से संबद्ध अन्य मौजूदा चुनौतियां

* **परिभाषित कार्यों का अभाव-** ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है, जो संक्रामक रोगों के संबंध में WHO की जिम्मेदारियों, दायित्वों और शक्तियों का व्यापक रूप से वर्णन करता हो।
* **अनुशंसात्मक शक्तियां-** विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे निकायों के विपरीत, इसमें अपने **सदस्यों को बाध्य या प्रतिबंधित करने की कोई क्षमता नहीं** है।
* **प्रकोप के दौरान कार्य करने की क्षमता-**
    * समन्वयक के रूप में इसके **प्राधिकार और क्षमता अपर्याप्त** हैं। यह **केवल एक तकनीकी संगठन** के रूप में कार्य करता है।
    * यह नियंत्रण के लिए नौकरशाही और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर है।
    * इसमें एक प्राणघातक महामारी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता का अभाव है।

[25] Sustainable Financing Model

- **बदलते लोक स्वास्थ्य परिवेश के प्रति समय पर प्रतिक्रिया:** आपातकालीन तैयारी, गैर-संचारी रोगों के विरुद्ध प्रतिक्रिया और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतत वित्त-पोषण महत्वपूर्ण है।
- **मानव संसाधन:** WHO के वर्तमान वित्त-पोषण का बड़ा हिस्सा अत्यंत सीमित और गैर-अनुमानित है। इस कारण यह **वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने** और उन्हें संगठन से जोड़े रखने की इसकी क्षमता को बाधित करता है।
- **दानकर्ता पर निर्भरता:** स्वैच्छिक योगदान के शीर्ष पांच दानकर्ता, WHO कार्यक्रम बजट के 30% से लेकर 60% वित्त-पोषण में हिस्सेदार हैं। इन प्रमुख दानकर्ताओं में से किसी एक के भी योगदान देना बंद कर देने से धन की तत्काल और व्यापक कमी हो सकती है। इस कमी को सतत, लचीले और अनुमानित वित्त-पोषण की सीमित मात्रा के कारण आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान अमेरिकी वित्त-पोषण में 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
- वैश्विक स्वास्थ्य का नेतृत्व और समन्वय करने के लिए **लंबी अवधि के योजना-निर्माण** को संभव बनाने तथा WHO की कार्य-क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

कोविड-19 संकट ने रोगों की वैश्विक पहचान, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया और समन्वयक के रूप में भूमिकाओं के मूलभूत महत्व को प्रदर्शित किया है। सभी सदस्य देशों में इस भूमिका का निर्वहन केवल WHO ही कर सकता है। लेकिन, इस मिशन पर बेहतर परिणामों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि स्वयं WHO की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। WHO के लिए अधिक सतत वित्त-पोषण सुनिश्चित करना, हम सभी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित विश्व हेतु निवेश करने जैसा है।

4.2.1. महामारी संधि (Pandemic Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों ने महामारी संधि की दिशा में पहले दौर की वार्ता सम्पन्न की।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिसंबर 2021 में, **विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)[26] ने महामारी संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।**
- WHA ने वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के बाद अपने दूसरे विशेष सत्र में **"द वर्ल्ड टुगेदर" शीर्षक से एक निर्णय लिया।**
    - निर्णय के अंतर्गत, **WHO** ने WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन में **महामारी संधि का मसौदा तैयार करने और वार्ता करने के लिए एक अंतरसरकारी वार्ता निकाय (INB)[27] की स्थापना की है।**

[26] World Health Assembly

[27] Intergovernmental Negotiating Body

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)

- विश्व स्वास्थ्य सभा **WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है।**
- इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य संगठन की नीतियां निर्धारित करना, **महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करना है।**

WHO संविधान का अनुच्छेद 19

- **यह विश्व स्वास्थ्य सभा को** स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर सम्मेलनों या समझौतों को **अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।**
  - ऐसे सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने के लिए **दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता** होती है।
- **तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन अनुच्छेद 19 के तहत स्थापित किया गया था** और यह वर्ष 2005 में लागू हुआ था।

प्रस्तावित संधि के बारे में

- इस संधि का मुख्य लक्ष्य एक **सर्व-सरकारी और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण** को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करना और भविष्य की महामारियों के प्रति सुनम्यता विकसित करना है।
- इसमें उभरते हुए विषाणुओं के **डेटा साझाकरण एवं जीनोम अनुक्रमण और टीकों एवं दवाओं के समान वितरण** तथा दुनिया भर में संबंधित अनुसंधान जैसे पहलुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है।
- **यूरोपीय संघ (EU)** भी चाहता है कि **वन्यजीव बाजारों पर प्रतिबंध** को संधि में शामिल किया जाए।
- यूरोपीय संघ चाहता है कि **संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो** जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत ने इस बारे में आरक्षण की इच्छा व्यक्त की है।

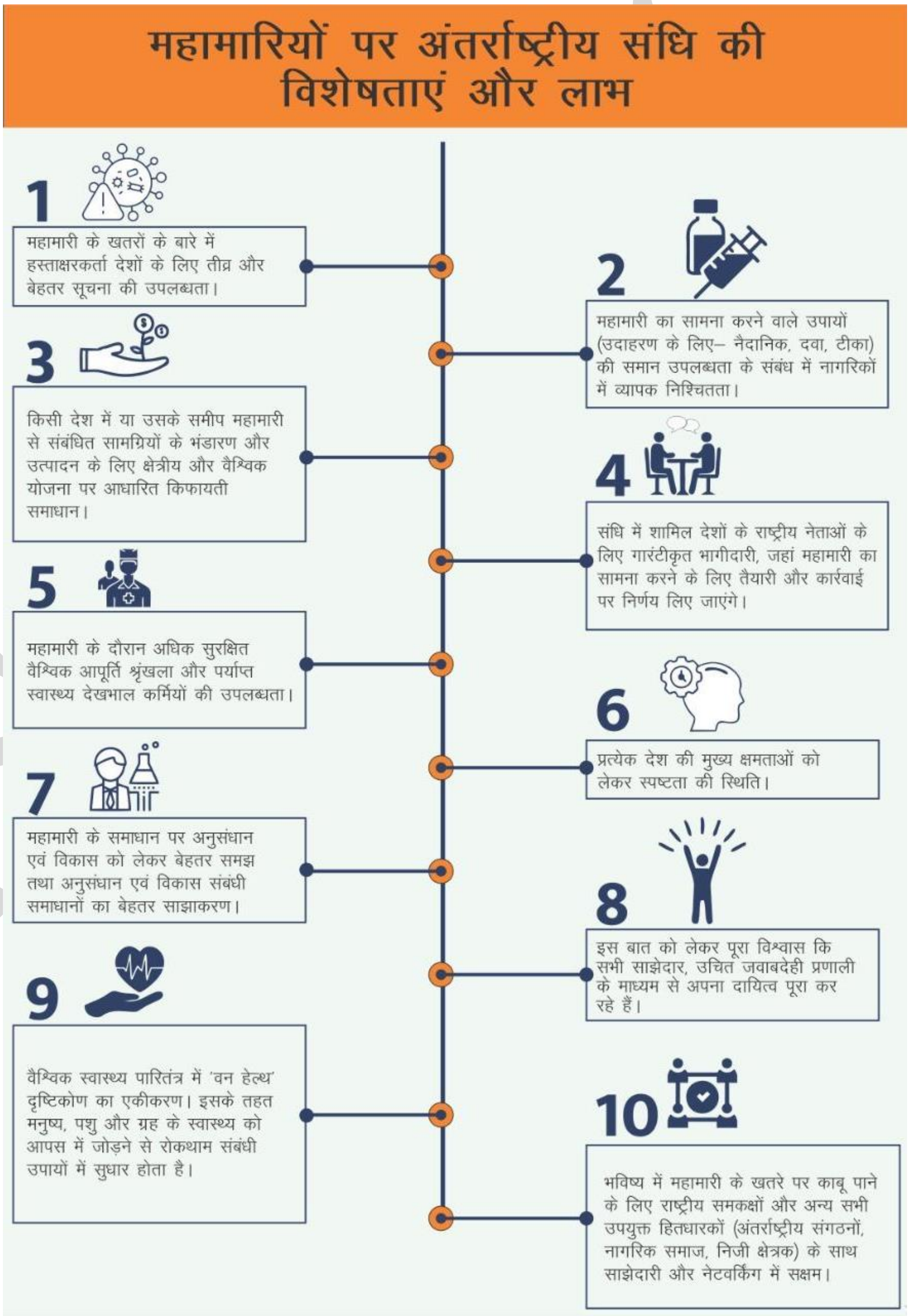

महामारी संधि की आवश्यकता

- **क्षमताओं को मजबूत करना:** यह देशों को **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने** में सक्षम करेगा और भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन प्रदान करेगा।
- **आवश्यक सामूहिक कार्रवाई की संरचना तैयार करना:** यह महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई की संरचना तैयार करने के लिए **उद्देश्यों और मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित** करेगा।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **ऐसी संधि**
  - राज्यों या सरकारों के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के स्तर पर **उच्चतर, निरंतर और दीर्घकालिक राजनीतिक संबद्धता** सुनिश्चित करेगी।
  - **स्पष्ट प्रक्रियाओं और कार्यों** को परिभाषित करेगी।
  - सभी स्तरों पर **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के दीर्घकालिक समर्थन** को बढ़ावा देगी।
  - **सभी प्रासंगिक नीति क्षेत्रों में स्वास्थ्य मामलों के एकीकरण को बढ़ावा देगी।**
- **यह संधि निम्नलिखित का समर्थन करेगी और इस पर ध्यान केंद्रित करेगी:**
  - महामारी की **शीघ्र पहचान और रोकथाम।**
  - भविष्य की महामारियों के प्रति **लचीलापन।**
  - भविष्य की किसी भी महामारी के प्रति अनुक्रिया, विशेष रूप से चिकित्सा समाधानों जैसे टीके, दवाओं और निदान तक **सार्वभौमिक और समान पहुंच** सुनिश्चित करके।
  - वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर समन्वय प्राधिकरण के रूप में WHO के साथ एक **मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना।**
  - मनुष्यों, जानवरों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के संबंध में **"वन हेल्थ" दृष्टिकोण।**

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (IHR) के बारे में

- **IHR एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण है।** यह WHO के 194 सदस्य राज्यों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- IHR एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी स्थितियों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है** जिनमें सीमा पार करने की क्षमता है।
- ये विनियम देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता सहित **उनके अधिकार और दायित्व निर्धारित करते हैं।**
- ये विनियम यह **निर्धारित करने के लिए मानदंड भी रेखांकित करते हैं कि क्या कोई विशेष घटना "अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात" है।**

प्रस्तावित महामारी संधि के विरुद्ध उठाई गई चिंताएं

- इस संधि में इस बात पर **ध्यान, स्पष्टता और सुसंगतता का अभाव** है कि देशों को किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए (निगरानी, प्रकोप अधिसूचना, आनुवंशिक अनुक्रम की जानकारी साझा करना, व्यापार और यात्रा उपायों आदि के बीच)।
- यह **टीकों और उपचारों तक बेहतर पहुंच की मांगों से ध्यान भटकाती** है और इसके बजाय यह कहानी गढ़ने की प्रयास करती है कि नियमों की कमी ने दुनिया को कोविड-19 महामारी के प्रति प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया करने से रोका है।
- महामारी संधि में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित **अधिकांश प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (International Health Regulations: IHR)** के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- कोविड-19 के प्रति सरकारों की अनुक्रियाओं ने कई संधियों का कथित रूप से उल्लंघन या उनमें हेरफेर किया है और आलोचकों को इस बात पर संदेह है कि **एक नई संधि प्रतिबद्धता उत्पन्न करेगी।**

निष्कर्ष

वर्ष 1940 के बाद से कोविड-19 महामारी वैश्विक समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भविष्य में अन्य महामारियां और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य आपात स्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन कोई भी सरकार या बहुपक्षीय एजेंसी अकेले ऐसे जोखिम का समाधान नहीं कर सकती है।

इसके लिए, राष्ट्रों को महामारी से निपटने के लिए मौजूदा WHO क्रियाविधि को मजबूत करने की दिशा में एक साथ काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महामारी संधि की आवश्यकता पर एक वैश्विक चर्चा भी करना चाहिए, विशेष रूप से महामारी से सीखे गए सबक के आलोक में, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों और अनुक्रिया पर चर्चा करना चाहिए।

4.3. गुट-निरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- किसी देश की नीति को दूसरे देशों की नीति के अनुरूप न बनाने की अवधारणा का आरंभ **वियना कांग्रेस (1814-15)** में हुआ था, जब स्विट्जरलैंड की तटस्थता को मान्यता दी गई थी।

- **NAM की उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में देखी जा सकती है। इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। इस एशिया-अफ्रीका सम्मेलन को **बांडुंग एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन** के रूप में भी जाना जाता है।
- इस सम्मेलन में कुछ सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। इन्हें **"बांडुंग के दस सिद्धांत"** के रूप में जाना जाता है। इनका उद्देश्य बड़े और छोटे राष्ट्रों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करना था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व दो सैन्य गुटों में विभाजित था तथा ये गट शीत युद्ध में संलग्न थे।
- इस परिदृश्य में, भारत ने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया तथा गरीबी व निरक्षरता से लड़ने को अपनी प्राथमिकता निर्धारित की। इसलिए, भारत सोवियत संघ के पूर्वी गुट में शामिल नहीं हुआ था।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों का पहला शिखर सम्मेलन **वर्ष 1961 में मिस्र के काहिरा** में आयोजित किया गया था।
- इस आंदोलन के प्रणेता राष्ट्र **भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया** थे।
- NAM की नीति **पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है।**
  - पंचशील समझौते को **सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों** के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांतों का एक समूह है, जो देशों के बीच संबंधों को शासित करता है। वर्ष 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौते के दौरान इन्हें पहली बार संहिताबद्ध किया गया था।

NAM के महत्व में गिरावट के कारण

- **अप्रासंगिक आर्थिक दृष्टिकोण:** NAM वर्षों से अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास कर रहा है। यह चाहता है कि अमीर देश गरीब देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान करे। यद्यपि, इस मांग को कुछ देशों को छोड़कर अधिकांश देशों ने पूरा नहीं किया है।
- **आर्थिक व्यावहारिकता का अभाव:** अतीत में प्रचलित कई आर्थिक विचारों को वर्तमान में अपडेट किया जाता है। हालांकि, NAM के कई सदस्य आज भी शीत युद्ध काल में लोकप्रिय समाजवाद और राज्य नियंत्रण जैसे विचारों से बंधे हुए हैं। इससे उनका आगे बढ़ना काफी कठिन हो गया है।
- **एक जैसे एक से अधिक संगठन:** वर्तमान में NAM को ग्रुप ऑफ़ सेवन (G-7), आसियान और राष्ट्रमंडल जैसे अपनी ही तरह के दूसरे संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करन पड़ता है। मानवाधिकार, बाल शोषण, लैंगिक मुद्दे आदि पर भी NAM की कोई स्थिति नहीं है। नतीजतन, इसके सदस्यों को इस संबंध में पश्चिमी देशों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
- **नेतृत्व की कमी:** NAM की शुरुआत करने वाले राजनेताओं के पास एक विज़न था, परंतु आज इसके पास कोई विज़न नहीं है। वैश्विक मुद्दों पर इसका कोई नेतृत्व नहीं है। साथ ही, इसके सदस्यों के बीच मतभेद भी हैं। नतीजतन, संगठन के पास इस बारे में कोई दिशा नहीं है कि उसे किस रास्ते पर ले जाना चाहिए।

वर्तमान में NAM की प्रासंगिकता

- **विदेश नीति का एक अभिन्न अंग:** भारत जैसे कई विकासशील देश वर्तमान में भी NAM की नीतियों का पालन करते हैं। गौरतलब है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से बचने की नीति सभी छोटे व विकासशील देशों के लिए अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है।
- **बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण:** बड़ी शक्ति एवं प्रभुत्व हासिल करने की पारंपरिक विदेश नीति के खिलाफ यह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में मौजूद है। यह साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सार्वभौमवाद को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक:** NAM उन मुद्दों को उठाता है, जो दक्षिण के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं जैसे परमाणु अप्रसार, गरीबी और आतंकवाद। यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के आधारों की शुरुआत करता है, ताकि विकासशील से विकसित देश बनने के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

- **विकासशील राष्ट्रों की आवाज:** प्रत्येक वर्ष इसकी सदस्यता में वृद्धि होती है, जो इसके सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखने का बल प्रदान करती है। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है।
- **वैकल्पिक विश्व शक्ति:** अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपनी सदस्यता और लक्ष्य के साथ NAM ने एक वैकल्पिक विश्व शक्ति के रूप में अपनी योग्यता को साबित किया है। यह वैकल्पिक विश्व शक्ति पूरी दुनिया में समानता और शांति को बढ़ावा देगी तथा यहां तक कि मौजूदा विश्व की राजनीति को नई गतिशीलता भी प्रदान करेगी।

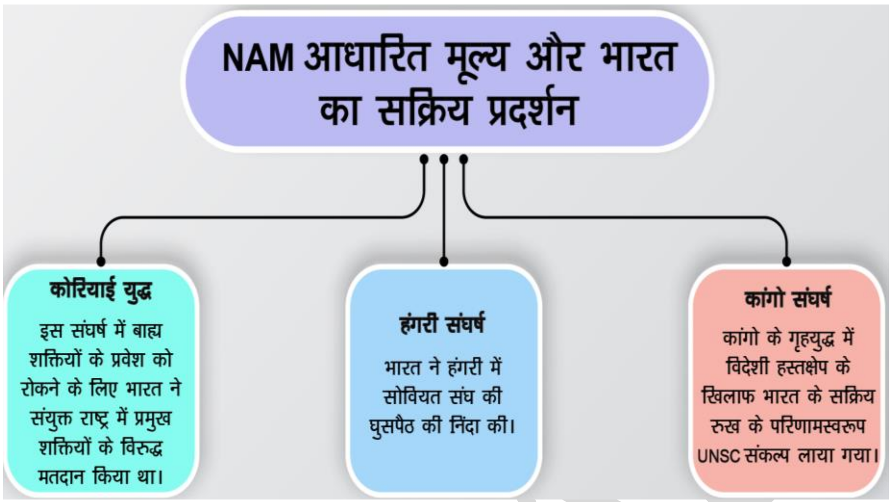

- **क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण:** NAM ने प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के आदर्शों के साथ अपनी प्रासंगिकता साबित की है। यह नीति लंबे समय तक बनी रहेगी, जब तक कि एक संप्रभु राष्ट्र-राज्य पूरी दुनिया में मौजूदा व्यवस्था में किसी भी आवधिक व सीमांत परिवर्तन के बावजूद मौजूद है।

निष्कर्ष

NAM को बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना होगा। साथ ही, इसे अप्रासंगिक होने की बजाय अपने कायाकल्प के बारे में सोचना होगा। इसे बदले हुए परिदृश्य में अपनी प्राथमिकताओं पर बल देने की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर, विश्व की बढ़ती द्विध्रुवीय प्रवृत्तियों की गतिशीलता को देखते हुए इस आंदोलन को जिन चुनौतियों का समाधान करना है, उनकी पहचान के बारे में व्यापक चर्चा तथा वाद-विवाद करना महत्वपूर्ण है।

4.4. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **12वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** संपन्न हुआ।

इस सम्मेलन की मुख्य बातें

"जिनेवा पैकेज" के तहत समकालीन मुद्दों पर विभिन्न समझौतों पर सहमति हुई:

विवरण	विशेषताएँ
अगले चार वर्षों के लिए अवैध, असूचित और अनियमित (IUU)[28] तरीके से मछली पकड़ने हेतु **नुकसानदायक सब्सिडी पर अंकुश लगाना**	• **विकासशील या अल्प विकसित देशों द्वारा** अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs)[29] के भीतर मछली पकड़ने के लिए **सब्सिडी देने या उसे चालू रखने पर कोई सीमा नहीं होगी।** • साथ ही, **WTO के फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म** के माध्यम से ऐसे देशों को तकनीकी और क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा	• **संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)**[30] के द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए **खरीदे गए खाद्य पदार्थों को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने** के बाध्यकारी निर्णय पर सहमति। यह छूट खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए दी गई है।
ई-कॉमर्स प्रेषण जैसे संगीत, ई-बुक्स, फिल्म आदि	• सभी सदस्य **ई-कॉमर्स प्रेषण के सीमा शुल्क पर लंबे समय से लगी रोक को जारी** रखने के लिए सहमत हुए। यह रोक अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन या 31 मार्च 2024 (जो भी पहले आए) तक लागू रहेगी।

[28] Illegal, Unreported and Unregulated

[29] Exclusive Economic Zones

[30] World Food Programme

कोविड-19 वैक्सीन	• कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने हेतु 5 वर्ष के लिए अनिवार्य लाइसेंस के उपयोग से संबंधित कुछ अनिवार्यताओं पर **अस्थायी रूप से छूट देने पर** सहमति हुई है। यह निर्णय **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS)**[31] के तहत आने वाली अनिवार्यताओं के लिए किया गया है।
स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS)[32] घोषणा	• यह घोषणा WTO के सदस्य राष्ट्रों को एक वर्क प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इसका उद्देश्य WTO के SPS समझौते के कार्यान्वयन से जुड़ी नई चुनौतियों की पहचान करना है।

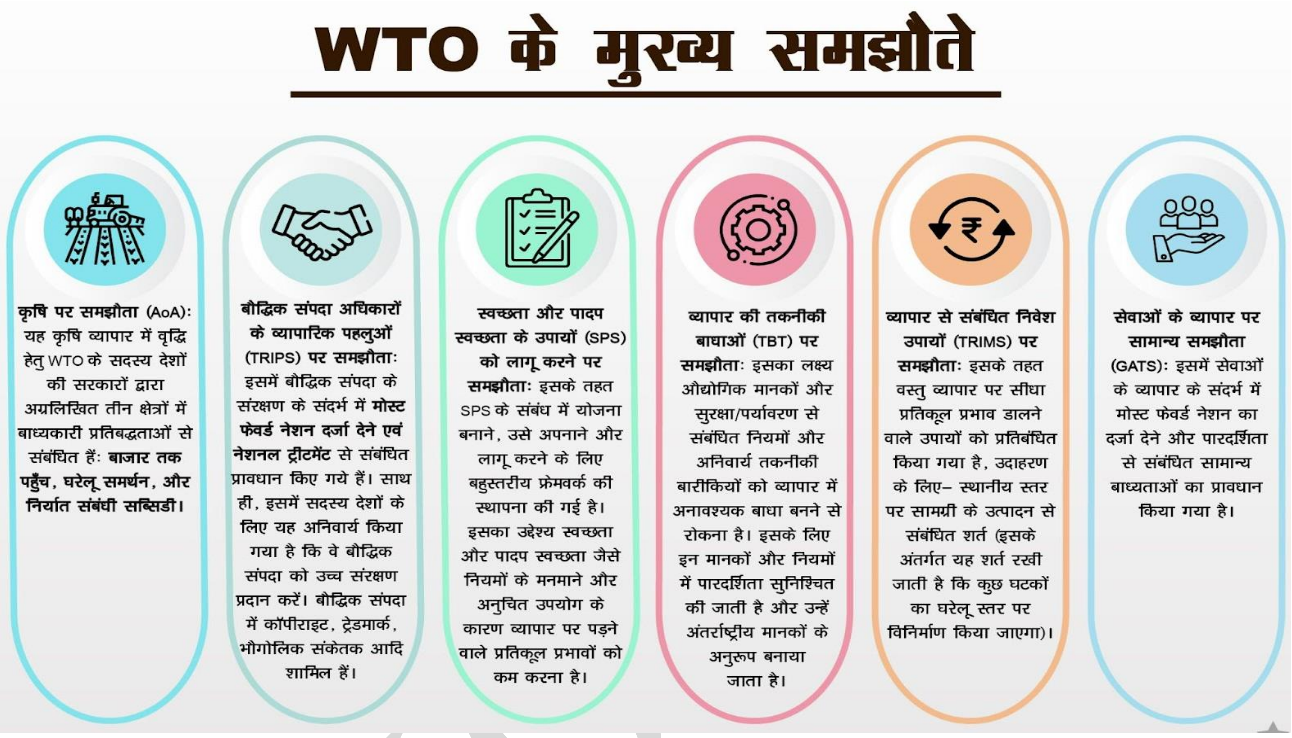

WTO में भारत के लिए अन्य अनसुलझे मुद्दे

- **कृषि सब्सिडी:** WTO भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कार्यक्रम को व्यापार को विकृत करने वाला मानता है। इस कारण WTO ने भारत के MSP को **एम्बर बॉक्स के प्रावधानों के तहत** रखा है। इसका अर्थ है कि यह समर्थन संबंधित उत्पादन के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - **भारत ने इसे चुनौती दी है।** भारत ने कहा है कि MSP और अन्य मूल्य समर्थन तंत्र का प्राथमिक एजेंडा, निर्यात को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करना है।
- **व्यापार की नॉन-टैरिफ बाधाएं:** इनमें **व्यापार की तकनीकी बाधाएं (TBT)[33] और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय (SPS) शामिल हैं।**
  - भारत इन नॉन-टैरिफ बाधाओं को तर्कसंगत बनाने और इनके मानकीकरण की मांग करता रहा है।
- **पर्यावरण और श्रम मानकों, जैसे- गैर-व्यापारिक (Non-trade)** मुद्दों पर वार्ता का मुद्दा। भारत ने कहा है कि फिलहाल 'गैर-व्यापारिक' मुद्दों को वार्ता में शामिल नहीं करना चाहिए।
- **भौगोलिक संकेतकों की पहचान (Geographical Indications: GI): मौजूदा व्यापारिक व्यवस्था घरेलू स्तर पर वस्तुओं को दिए जाने वाले GI टैग को मान्यता नहीं देती है।** इससे वैश्विक बाजारों में उत्पाद की बिक्री क्षमता कम हो जाती है।
  - भारत ने बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय जैसे GI उत्पादों के लिए **उच्च स्तरीय संरक्षण में विस्तार** करने का सुझाव दिया है।
- **निवेश को सुविधाजनक बनाना:** भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को विदेशी निवेश संबंधी घरेलू नीति में, "व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर समझौता" (TRIMS) को लागू करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए।

---

31 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

32 Sanitary and Phytosanitary

33 Technical barriers to trade

भारत के लिए निहितार्थ

- **मछली पालन सब्सिडी में कटौती:** विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इस संबंध में सब्सिडी में छूट प्रदान की गई है, लेकिन चार वर्ष का समय काफी नहीं है। यह भारत के छोटे मछुआरों को अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाएगा।
  - साथ ही, **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)[35] संबंधी दिशा-निर्देशों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गौरतलब है कि WTO समझौतों के तहत S&DT विकासशील देशों के लिए किया गया विशेष प्रावधान है।**
- **विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए छूट: खाद्य निर्यात के लिए व्यापक छूट घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के काम को बाधित कर सकती है।**
  - साथ ही, भारत ने खाद्यान्न के सार्वजनिक स्टॉक-होल्डिंग (PDS सिस्टम) पर स्थायी समाधान तलाशने की मांग की थी। इस मुद्दे को वर्ष 2023 में होने वाले 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक टाल दिया गया है।

> **WTO के बारे में**
> - **WTO एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है।**
> - वर्ष 1995 में स्थापित इस संगठन में 164 सदस्य हैं। **इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और कोई भी सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकता है।**
>   - यह प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)[34] का उत्तरवर्ती संगठन है। GATT वर्ष 1948 में स्थापित एक समूह था जिसके नियमों से आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरूआत हुई।

- **कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[36] से छूट:** TRIPS के इस निर्णय से वैक्सीन समानता, पहुंच और किफायत को बढ़ावा मिलेगा। यह घरेलू आवश्यकताओं तथा निर्यात के लिए वैक्सीन (पेटेंट की गई) के भारत में उत्पादन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने को आसान बनाएगा।
  - हालांकि, **वर्तमान समझौता** वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए मूल प्रस्ताव का एक **'कमजोर' संस्करण है।** मूल प्रस्ताव में **वैक्सीन, उपचार और परीक्षणों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों से व्यापक छूट की मांग की गई थी।**
- **ई-कॉमर्स लेनदेन:** भारत ने WTO से सीमा शुल्क पर लगे प्रतिबंध को विस्तारित करने की समीक्षा करने के लिए कहा है। **भारत** सहित दूसरे विकासशील देशों **को इस तरह के प्रतिबंध का वित्तीय नुकसान भुगतना पड़ा है।**
  - इस प्रकार के प्रतिबंध के कारण शुल्क मुक्त बाजार तक पहुंच बढ़ाने से **वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर की क्षति हुई है।** यू. एन. कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से **95% नुकसान विकासशील देशों को सहना पड़ता है।**
  - भारत और दक्षिण अफ्रीका ने **विकासशील देशों की डिजिटल उन्नति के लिए नीति में लचीलेपन (Policy Space) की मांग की थी।** इस संदर्भ में, उनका कहना था कि विकासशील देशों को सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व सृजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे वे निवेश हेतु अधिक धन एकत्र कर सकेंगे।

WTO के सामने चुनौतियां और उनके समाधान

WTO को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके **प्रमुख कार्य तेजी से प्रभावहीन होते जा रहे हैं।** इसलिए, निम्नलिखित कारणों से संगठन में पर्याप्त सुधार की मांग की जा रही है:

मुद्दे	चुनौतियां	संभावित समाधान
चीन की नीतियों के खिलाफ प्रभावहीन होना	WTO, चीन के टैरिफ हेरफेर और अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।	ऐसी प्रथाओं से निपटने और एक विश्वसनीय व्यापार प्रणाली बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन को अपने नियमों को लागू कराने की क्षमता मजबूत करनी होगी।
बदला हुआ वैश्विक आर्थिक वितरण	वर्तमान युग मे भारत जैसे विकासशील देश व्यापार व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं।	इस बदले हुए आर्थिक संतुलन पर विचार करने के लिए, WTO के परिचालन फ्रेमवर्क को संशोधित करने की आवश्यकता है।

[34] General Agreement on Tariffs and Trade

[35] Special and Differential Treatment

[36] Intellectual Property Right

WTO के निष्क्रिय अपीलीय निकाय	USA ने अपीलीय निकाय में नए सदस्यों (न्यायाधीशों) की नियुक्ति को व्यवस्थागत रूप से बाधित कर दिया है। USA का मानना है कि उसके व्यापार विवादों में USA के प्रतिकूल निर्णयों के लिए ये सदस्य ही जिम्मेदार हैं।	अपीलीय निकाय को कार्यात्मक बनाने और विवाद निपटान प्रणाली को चालू करने के लिए एक सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है।
निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया	इसमें निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए अधिक समय लगता है। साथ ही, ज्यादातर मौकों पर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के कारण सर्वसम्मति नहीं बन पाती है।	सदस्य देशों को एक समान आधार पर पहुंचने के लिए अपने मतभेदों को दूर करने की जरूरत है।
समावेश की कमी	तेजी से विकसित होती वैश्विक व्यापार प्रणाली के दौर में कुछ देशों का शामिल न होना इस संगठन को थोड़ा प्रभावहीन बना देता है। **ईरान, इराक, लेबनान और उज्बेकिस्तान जैसे देश अभी तक WTO में शामिल नहीं हुए हैं।**	ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे यह संगठन सभी देशों का प्रतिनिधित्व करे।
द्विपक्षीय/क्षेत्रीय/ बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ना	WTO में वार्ता की गति धीमी हो रही है, इसलिए देश तेजी से व्यापारिक व्यवस्था के अन्य स्वरूपों, जैसे- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)[37] को अपना रहे हैं।	उभरते परिदृश्य में WTO की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इसके नियमों और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
कोविड-19 महामारी का प्रभाव	कोविड-19 महामारी के कारण कई देश निर्यात पर व्यापक स्तर पर रोक और प्रतिबंध लगाने के लिए विवश हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ है। साथ ही, ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में व्यापार को लेकर विवाद और बढ़ेंगे।	समय की मांग है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए WTO की विवाद निपटान प्रणाली को मजबूत किया जाए।

4.4.1. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गरीब आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए, **भारत ने तीसरी बार AoA के तहत पीस क्लॉज़ का उपयोग किया है।**

कृषि पर समझौते (AoA) के बारे में

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप देने के बाद **AoA वर्ष 1995 में लागू हुआ था।** इसका लक्ष्य कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कम विकृत बाजार का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए यह **कृषि उत्पादों के व्यापार और घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।**
- **इस समझौते में निम्नलिखित शामिल है:**
  - **बाजार तक पहुंच:** कृषि वस्तुओं के व्यापार में विद्यमान प्रतिबंधों को समाप्त कर आयात पर कर या शुल्क का उपयोग करना।
  - **घरेलू समर्थन:** सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित और व्यापार को विकृत करते हैं।
  - **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** निर्यात संबंधी सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धा रहित बनाते हैं।
- इस समझौते के तहत **WTO के सदस्य "कृषि वस्तुओं की एक सूची" पर सहमत हुए** हैं और उन्होंने कुछ प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इससे **कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ (प्रशुल्क) की सीमा निर्धारित** की गयी है। साथ ही, घरेलू समर्थन एवं निर्यात संबंधी सब्सिडी के स्तर को भी निर्धारित या सीमित किया गया है।
- **वर्ष 2013 में बाली सम्मेलन में पीस क्लॉज़ पर वार्ता हुई थी।** इसने विकासशील देशों को अगले चार वर्षों के लिए अपने MSP हेतु 10% की सीमा से आगे जाने की अनुमति दी थी। इस कदम को विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों से मिलने वाली कानूनी चुनौती से प्रतिरक्षा प्राप्त है।
- **वर्ष 2020 में भारत पीस क्लॉज़ को लागू करने वाला पहला देश बन गया था,** क्योंकि चावल सब्सिडी वर्ष 2018-19 में निर्धारित सीमा को पार कर गई थी।

[37] Regional Comprehensive Economic Partnership

AoA के संबंध में भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा उठाए गए मुद्दे

मुद्दे	चिंताएं	इन मुद्दों के समाधान हेतु भारत के प्रस्ताव
खाद्य सुरक्षा का स्थायी और व्यावहारिक समाधान	• भारत इस बात पर जोर देता है कि विश्व व्यापार संगठन **पीस क्लॉज़ के बदले** के **सदस्य देश खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के विवाद के स्थायी समाधान के लिए सहमत हों।** • विकासशील देश इस बात पर बल देते हैं कि **उन्हें किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।**	• **गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और कृषि के विविधीकरण** के लिए विकासशील देशों द्वारा किए गए सभी उपायों को छूट प्रदान की जानी चाहिए। • **कृषि उत्पादों की सूची को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।** इसलिए इसमें प्राथमिक कृषि वस्तुओं जैसे कि रबर, प्राथमिक वन उत्पाद, जूट, नारियल-जटा, आदि को शामिल करना आवश्यक है।
विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च कृषि सब्सिडी	• WTO के नियम (जैसे- ग्रीन बॉक्स) विकसित देशों को इस तरह की उच्च सब्सिडी के बाद भी बचाते हैं। विकासशील देशों के अनुसार, **ये सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों को अस्थिर और कम** करती हैं, जो विकासशील देशों में कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।	• विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात ऋण, निर्यात गारंटी, मूल्यों में छूट और बीमा कार्यक्रम सहित **निर्यात में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को निर्यात सब्सिडी में शामिल किया जाना चाहिए।**
बाजार तक पहुंच	• विकसित देशों द्वारा **स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (Sanitary & Phytosanitary: SPS) उपायों** तथा **व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (Technical Barriers to Trade)** का उपयोग चुनिंदा रूप से विकासशील देशों से होने वाले आयात को रोकने के लिए जाता है। इस संबंध में विकसित देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों की तुलना में अधिक उच्च स्तर के मानकों को लागू किया जाता है।	• WTO के विकासशील सदस्य देशों को **बाजार पहुंच प्रदान करने से संबंधित किसी भी कानूनी बाध्यता से छूट प्रदान** करनी चाहिए। • WTO के विकासशील सदस्य देशों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित उच्च नकारात्मक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए **शुल्क या टैरिफ के उचित स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।**

4.4.2. बौद्धिक संपदा छूट (IP Waiver)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्तमान छूट समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2020 में किए गए **मूल प्रस्ताव का एक अल्प प्रभावी संस्करण है।** इसमें टीकों के साथ-साथ उपचार और परीक्षणों पर भी व्यापक बौद्धिक संपदा छूट की मांग की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू (TRIPS/ट्रिप्स) पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौता वर्ष 1995** में लागू हुआ था। यह **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।**

बौद्धिक संपदा छूट के पक्ष में तर्क

- **वैक्सीन की असमानता:** WHO के अनुसार, पिछले वर्ष लगभग 80% कोविड-19 टीके सिर्फ 10 अमीर देशों में लगाए गए, जबकि 2.5 बिलियन से अधिक लोग अपने पहले टीके का इंतजार कर रहे हैं।
- **वैक्सीन राष्ट्रवाद:** कई अमीर राष्ट्रों (अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित) द्वारा टीकों के लिए "पहले से ऑर्डर देने" के माध्यम से "वैक्सीन राष्ट्रवाद" का उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में टीकों की उपलब्धता घट जाने के लिए दोषी ठहराया गया है।
- **वहनीयता:** पेटेंट सुरक्षा में छूट कम संसाधनों वाले देशों (जैसे, मध्य अफ्रीका) को वैक्सीन की कीमत घटाने की अनुमति दे सकती है जो कि बड़ी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन करने हेतु आवश्यक है।
- **महामारी का अंत:** इसके अलावा, कोविड-19 की विभिन्न उपभेदों के साथ बार-बार आने वाली लहरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वैश्विक टीकाकरण पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच जाता है तब तक महामारी समाप्त नहीं होगी।

बौद्धिक संपदा छूट के विरुद्ध तर्क

- **अनुपलब्धता के मुद्दे को हल नहीं कर सकते हैं:** वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में इस विफलता को दूर करने के लिए कई जटिल मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है, जैसे निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण करने के लिए लॉजिस्टिक्स की समस्या। IP ढांचे में बदलाव उस बड़ी समस्या का मात्र एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है।
- **महामारी की तात्कालिकता को संबोधित नहीं कर सकते:** इस व्यवस्था की सर्वसम्मति-आधारित प्रकृति और इसमें शामिल मुद्दों की जटिलता को देखते हुए वार्ता में समय लगेगा। इस प्रकार, छूट का प्रभाव केवल मध्यम और दीर्घावधि में ही होगा।
- **क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां:** यह छूट निजी पक्षकारों द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा सुरक्षा पर संभावित निर्भरता को नहीं समाप्त करेगा।
- **अन्य बीमारियों के लिए टीकों की पहुंच की कोई गारंटी नहीं:** कोविड-19 टीकाकरण पर हालिया ध्यान के कारण निम्न-मध्यम-आय वाले देशों (LMICs)[38] में व्यापक टीकाकरण मुद्दों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2018 तक, WHO के 194 सदस्य राज्यों में से 74 राज्यों में किसी भी बीमारी के लिए कोई वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम नहीं था।

आगे की राह

- **LIMCs में विनिर्माण क्षमताओं में सुधार करना:** विनिर्माण क्षमताओं में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है और उन टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है जिन्होंने पर्याप्त प्रभावकारिता दिखाई है।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:** उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा इन टीकों को बनाने और परिनियोजित करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति की है। विशेष सामग्रियों की मांग लगभग तत्काल तिगुनी होना कई औषधि और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारी दबाव डाल रही है।
- **टीकों के निर्यात को आसान बनाना:** अनिवार्य लाइसेंस के तहत निर्मित किए गए कोविड से संबंधित दवा उत्पादों (न केवल टीके) के निर्यात के लिए कुछ अनिवार्यताओं को कम से कम तीन वर्षों के लिए समाप्त करना या सरल बनाना।
- **LMICs में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करना:** इसके लिए, उदाहरण के लिए, लॉजिस्टिक्स में भारी निवेश की आवश्यकता हो सकती है (टीकों के परिवहन और संरक्षण के लिए क्योंकि कई टीकों को अल्ट्रा-कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है और उनकी शेल्फ-लाइफ कम होती है), कॉल सेंटर स्थापित करना, और विभिन्न मीडिया के माध्यम से तत्काल जागरूकता अभियानों को शुरू करना।
- **अभिगम्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक गठबंधन:** कई सरकारों या अन्य एजेंसियों द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करना आगे के संभावित समाधानों में से एक है। उदाहरण के लिए, इस रणनीति का अनुसरण कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (COVAX) कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। बाद वाले को ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन (GAVI), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (CEPI) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का समर्थन प्राप्त है।

4.4.3. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 67 सदस्य देशों ने सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR)** पर अपनी वार्ता संपन्न की।

सेवाओं में व्यापार और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज़ (GATS)

सेवा क्षेत्रक मूल्य वर्धन की दृष्टि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% का प्रतिनिधित्व करता है। **कुल रोजगार में से 50%** रोजगार सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

- गैट्स, **उरुग्वे दौर** की वार्ता का एक परिणाम है। यह समझौता (GATS) जनवरी 1995 में लागू हुआ।
- यह सभी प्रकार की सेवाओं के मामले में **सेवा व्यापार** को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है। इसके केवल दो अपवाद हैं। ये हैं:
  - सरकारी प्राधिकरण के प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, और
  - हवाई यातायात तथा हवाई परिवहन सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सेवाएं।
- गैट्स, सेवाओं की आपूर्ति के **चार मोड** पर लागू होता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है)। यह सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों (अलग-अलग मात्रा में) के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- यह समझौता देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है।

---

38 Low-Middle-Income-Countries

सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR) और इसके संभावित लाभ

- इसे वर्ष 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। यह नया **बहुपक्षीय समझौता** WTO के पिछले 26 वर्षों के इतिहास में **सेवाओं पर नियमों का पहला सेट** है।
- **समावेशन की पद्धति (Incorporation methodology):**
    - इसके अंतर्गत सदस्यों के लिए नए विषयों को **अतिरिक्त प्रतिबद्धता (additional commitments)** के रूप में शामिल किया जाएगा। यह **GATS अनुसूचियों (GATS अनुच्छेद XVIII)** के तहत सेवाओं संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
    - इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने पर सहमति दी है। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि नए देशों को **"मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)"** की शर्त का पालन कर इसके लिए आवेदन करना होगा।
- **संभावित लाभ:**
    - वर्तमान में सेवा व्यापार की लागत, वस्तु व्यापार की लागत की तुलना में दोगुनी है। SDR का मुख्य ध्यान सेवा व्यापार की लागत को कम करने पर है। इसके लिए बेतुके और अपारदर्शी नियमों को समाप्त करने पर जोर दिया जाएगा।
    - यह अपने उद्देश्यों, साधनों आदि के माध्यम से बेतुके व बोझिल प्रक्रियाओं की समस्या का भी समाधान करेगा।
    - इस समझौते की एक अनूठी विशेषता यह है कि, इन नियमों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव के प्रावधान शामिल नहीं हैं। यह **महिला सशक्तीकरण** का समर्थन करेगा और **सेवा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा।**

भारत जैसे देशों ने SDR पर क्या चिंता जाहिर की है?

- यह **विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना** समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और समानांतर तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है।
- **GATS,** सदस्य देशों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितनी बाजार पहुंच प्रदान करेंगे और किस हद तक विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग व्यवहार करेंगे। हालांकि, अब SDR के कारण अल्पकालिक सेवा प्रदाताओं के लिए **बाजार पहुंच को बाधित किया जा सकता है।**

- ○ **उदाहरण के लिए:** यू.एस.ए., कनाडा और यूरोपीय संघ ने स्वतंत्र पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच पर लगाम लगा दिया है और अल्पकालिक सेवाओं हेतु बाजार पहुंच देने से मना करने के लिए **मोड-4** का उपयोग किया है।
- अब SDR के जरिये **योग्यता और लाइसेंसिंग शर्तों** के साथ-साथ **तकनीकी मानकों** को लागू करना संभव हो सकेगा। इससे **सेवा व्यापार** और **पेशेवरों की सीमा-पार मुक्त आवाजाही को बाधित** किया जा सकता है।
- घरेलू नियमों (जैसे कि योग्यता संबंधी शर्तें और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों, और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं) द्वारा व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से सदस्य देशों रोकने के लिए वर्ष 1999 में **वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशंस (WPDR)** की स्थापना (GATS के **अनुच्छेद VI:4** के तहत) की गई थी।

निष्कर्ष

- नयी व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से वैश्विक उत्पादन के एक **गतिशील और तेजी से बढ़ते घटक** को संबोधित करती है। ये माध्यम हैं: योग्यता, आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाएं, आवेदन की अस्वीकृति के कारणों पर स्पष्टता और सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करने वाले तकनीकी मानकों के बारे में जानकारी की आसान उपलब्धता।

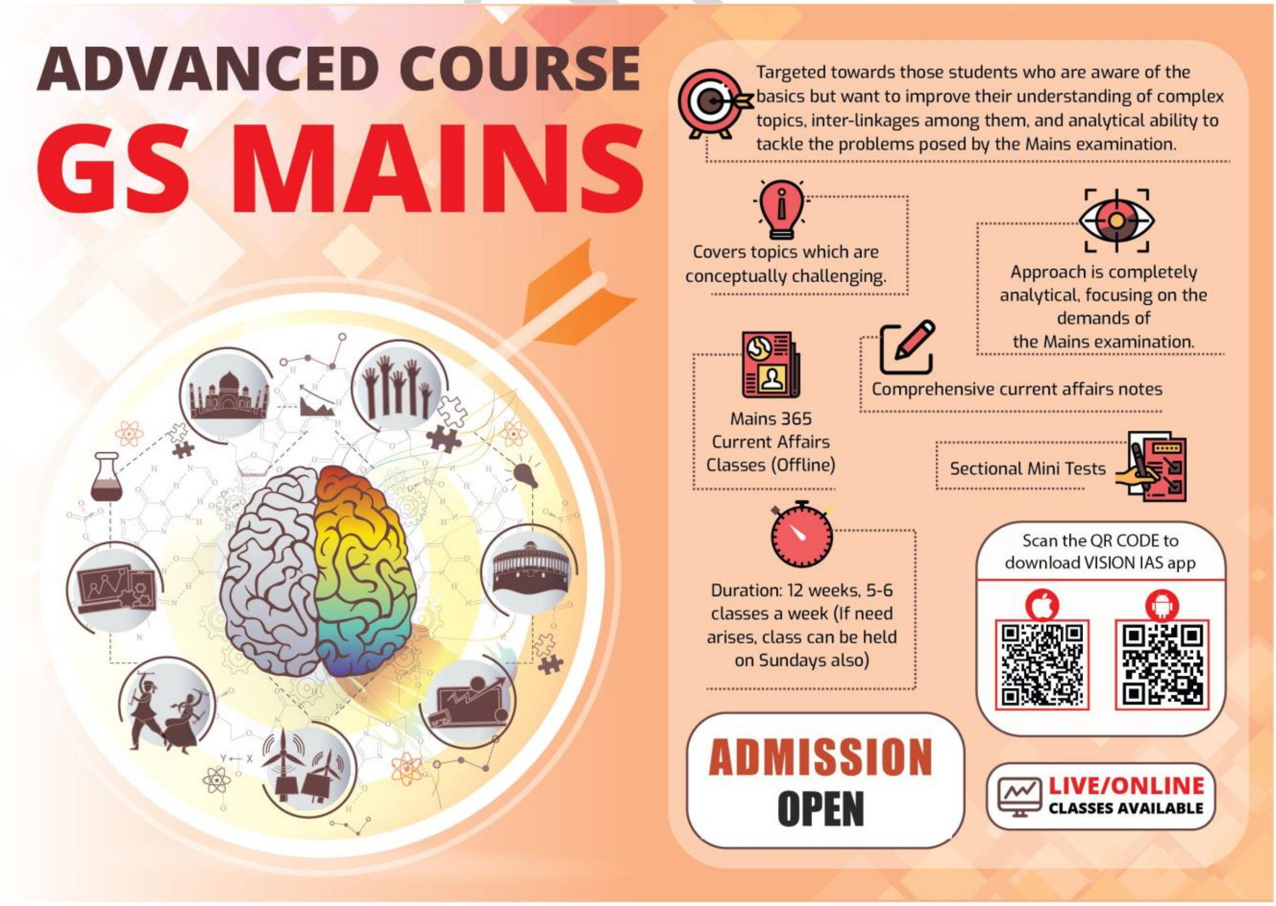

5. बदलती वैश्विक व्यवस्था की गतिशीलता (Dynamics of Changing World Order)

5.1. दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में कम बिजली उत्पादन के कारण बिजली की कमी ने पड़ोसी देशों को भी प्रभावित किया है। इससे ऊर्जा सुरक्षा के लिए दक्षिण एशिया में अधिक ऊर्जा सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता प्रकट हो गई है।

दक्षिण एशिया और इसकी ऊर्जा जरूरतों के बारे में

- दक्षिण एशिया, जिसे कभी-कभी **भारतीय उपमहाद्वीप** भी कहा जाता है, एक **एशियाई उप-क्षेत्र** है। इसमें **आठ देश** शामिल हैं, जो **हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय श्रृंखला के दक्षिण** में स्थित हैं।
- यहां विश्व की **लगभग एक चौथाई** आबादी निवास करती है। यह विश्व के **सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों** में से एक है। विश्व बैंक ने वर्ष 2022 तथा 2023 में इसके क्रमशः 6.6% और 6.3% संवृद्धि करने का अनुमान लगाया है।
- लेकिन यह तेजी अत्यधिक असमान है। इसका कारण इन देशों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियां हैं, जैसे - आयातित तेल और गैस की बढ़ती कीमत तथा सीमित घरेलू ऊर्जा संसाधनों के कारण ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौती। ज्ञातव्य है कि हाल ही में, श्रीलंका के पास ईंधन के लिए नकदी समाप्त हो गई थी।

दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता

- **मौसमी संपूरकताएं (Seasonal Complementarities):** ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक अंतर **मांग-आपूर्ति** असंतुलन को दूर करने के लिए मौसमी संपूरकताओं के प्रभावी उपयोग की मांग करता है। उदाहरण के लिए-
    - भारत जैसे कोयला समृद्ध देश जल विद्युत पर निर्भर देशों (भूटान और नेपाल) को सर्दियों (शुष्क मौसम) में ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। ये निर्भर देश बदले में मानसून के दौरान कोयला और सौर ऊर्जा में गिरावट होने पर दूसरे देशों की मदद कर सकते हैं।

- **बेहतर सौदेबाजी की शक्ति:** दक्षिण एशियाई देशों और अन्य तेल खपत करने वाले देशों के बीच गठबंधन से तेल उत्पादकों के संघों (जैसे - ओपेक) के साथ उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार होगा।
- **रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** उनके बीच ऊर्जा सहयोग दशकों से रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है, जैसे -

  - रुकी हुई **ईरान-पाकिस्तान-भारत** (IPI) गैस पाइपलाइन, **तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत** (TAPI) पाइपलाइन और **म्यांमार-बांग्लादेश भारत** पाइपलाइन।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** इससे क्षेत्र में बाहरी देशों के हस्तक्षेप को कम करने में भी मदद मिलेगी, विशेष रूप से समस्या बढ़ाने वाली नीतियों (जैसे - ऋण जाल कूटनीति) के साथ चीन।
- **लचीली ऊर्जा आपूर्ति:** ऊर्जा सहयोग में बढ़ोतरी विशेष रूप से चरम जलवायु संबंधी घटनाओं में देशों के मध्य अधिक लचीली ऊर्जा आपूर्ति करने में मदद कर सकती है।
- **अप्रयुक्त क्षमता:** भूटान और नेपाल की कुल जल विद्युत क्षमता 1 लाख मेगावाट से अधिक है। लेकिन वास्तव में इसका केवल 1% ही उपयोग हो पाता है।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करना:** आपसी ऊर्जा सहयोग लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाएगा। यह SDG लक्ष्यों, **जैसे - सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (SDG -7), जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन (SDG -12) आदि** को प्राप्त करने में मदद करेगा।

क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में बाधाएं

इस क्षेत्र में **अनिरंतर ऊर्जा संसाधन** क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और संयुक्त प्रबंधन की ओर एक प्राकृतिक झुकाव पैदा करते हैं। लेकिन, ऊर्जा सहयोग निम्नलिखित विभिन्न बाधाओं के कारण कुछ द्विपक्षीय सफलताओं तक ही सीमित है-

- **भू-राजनीतिक बाधाएं:** बहुपक्षीय परियोजनाओं पर प्रगति धीमी है (जैसे - तापी/TAPI)। इसके अलावा, वे सार्क से वर्ष 2014 के क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग ढांचे जैसी पहलों को लागू करने में भी असमर्थ हैं।
- **आर्थिक बाधाएं:** सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण आर्थिक बाधाएं आवश्यक बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण को सीमित करती हैं। कुछ देशों में **बढ़ती आर्थिक अस्थिरता** ने इसे और सीमित कर दिया है।
- **प्राथमिकताओं में अंतर:** भारत में कोयला, बांग्लादेश और पाकिस्तान में गैस, भूटान व नेपाल में जल विद्युत जैसे विभिन्न प्रमुख ईंधनों के साथ, ईंधन बास्केट के विविधीकरण की कमी अलग-अलग प्राथमिकताओं की ओर ले जाती है।
- **जल विद्युत सीमाएं:** हिमालय में **उच्च भूकंपीय गतिविधियां** और नदी तट वाले राज्यों द्वारा नदियों के अन्य उपयोग से जल विद्युत संयंत्रों का आकार व प्रकार सीमित होता है।
- **बाहरी प्रभाव:** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से पाकिस्तान से जुड़े ऊर्जा सहयोग को सीमित करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पर सीमित ध्यान:** सभी दक्षिण एशियाई देशों में महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (सौर, पवन और बायोमास) होने के बावजूद, तकनीकी एवं वित्तीय कमी के कारण अभी तक इन क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सका है।

आगे की राह

- **रणनीतिक निवेश:** अधिकतम आर्थिक अवसरों के साथ रणनीतिक ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सुविधा होनी चाहिए।
- **सामंजस्यपूर्ण विनियमन:** क्षेत्र में तकनीकी मानकों और नियमों को गहन इंटरकनेक्टिविटी तथा नेटवर्क के लिए सामंजस्यपूर्ण किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए आपसी समझ और सहयोग के लिए नीतिगत वार्ता को सुविधाजनक बनाना चाहिए। साथ ही, विविध ऊर्जा-मिश्रण के लिए हरित विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
  - यह द्विपक्षीय, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय समझौतों के माध्यम से **मौसमी संपूरकता** के प्रभावी उपयोग में भी मदद करेगा।
- रुकी हुई परियोजनाओं और भविष्य के लिए संयुक्त विकास को पूरा करने हेतु **भू-राजनीतिक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए।**
- **आर्थिक स्थिरता:** पड़ोसी देशों में आर्थिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (जैसे विश्व बैंक, IMF) के साथ साझेदारी करनी चाहिए। यह क्षेत्रीय आपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बाजारों में आर्थिक विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देगा।

5.2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives To Belt and Road Initiative: BRI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों में आवश्यक अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए **पांच वर्षों में 200 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य** निर्धारित किया है। यह कार्य G7 की एक पहल के तहत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य **चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना** का मुकाबला करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस प्रयास को अब **वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी (PGII)**[39] कहा जा रहा है।
- यह घोषणा पिछले वर्ष (2021 में) यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G7 की बैठक में आरंभ की गई पहल **"बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड" (B3W)** की एक **औपचारिक शुरुआत** और **रीब्रांडिंग** है।

PGII के बारे में

- इसका उद्देश्य पिछले दशक में दुनिया भर में **चीन द्वारा ठोस अवसंरचना में किए गए लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर** के निवेश का एक विकल्प प्रदान करना है।
- यह G7 पहल **चार प्रमुख श्रेणियों** में परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है:
    - **स्वच्छ ऊर्जा,**
    - **स्वास्थ्य प्रणालियां,**
    - **लैंगिक समानता, तथा**
    - **सूचना व संचार प्रौद्योगिकी।**
- PGII के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के तहत **अधिक मात्रा में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी धन का सीमित उपयोग** किया जाएगा।
    - यह **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के विपरीत है। यहाँ बड़े पैमाने पर **"शामिल देशों (स्टेट-टू-स्टेट)" से वित्तपोषण का प्रावधान है। इस प्रकार के वित्तपोषण से अस्थिर ऋण स्तर की समस्या उत्पन्न होती है।**
- विचार यह है कि **सरकारी फंडिंग को** पेंशन फंड, निजी इक्विटी फंड और बीमा फंड एवं ऐसे ही अन्य फंड्स की **निजी पूंजी के साथ जोड़ा जाए।**

BRI के बारे में

- BRI चीन की एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। यह **एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए** ऐतिहासिक सिल्क रोड के समानांतर चलने वाले **भूमि और समुद्री मार्गों के विकास हेतु** पूंजी प्रदान करेगी। ग़ौरतलब है कि इसे 2013 में **वन बेल्ट वन रोड** के रूप में लॉन्च किया गया था।
- BRI के तहत **दो पहलों** को संयुक्त किया गया है **(चित्र में देखिए):**
    - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (भूमि आधारित):** यह यूरेशिया के ढांचागत विकास, कनेक्टिविटी एवं आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। इसके लिए चीन ने एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण

BRI के संबंध में भारत की चिंताएं:

- **भू-राजनीतिक चिंताएं:** भारत विशेष रूप से **छोटे दक्षिण एशियाई देशों** और **हिंद महासागर के तटवर्ती देशों** में BRI अवसंरचनाओं एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर चिंतित है।
    - भारत को आशंका है कि BRI परियोजनाएं इस क्षेत्र के देशों पर चीन के प्रभाव को बढ़ाएंगी और **भारत के प्रभुत्व को कम करेंगी।**
- **संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत, BRI की **प्रमुख परियोजनाओं में से एक CPEC का विरोध करता रहा** है। यह गलियारा चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जोड़ता है।
    - यह परियोजना **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर** से होकर गुजरती है और इसलिए यह **'भारत की संप्रभुता का उल्लंघन'** करती है।

भारत की प्रतिक्रिया

- हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए **मौसम परियोजना** आरंभ की गई है।
- कई उद्देश्यों के साथ "सागर" अर्थात **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)**[40] की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके उद्देश्य हैं;
    - **समुद्री हितों** की रक्षा करना,
    - तटीय क्षेत्रों में **आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना,**
    - समुद्री खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना,
    - समुद्री नियमों, मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए **विश्वास में वृद्धि करना और सम्मान को बढ़ावा देना।**
- नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए **इन देशों को सहायता देना तथा निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना।**

[39] Partnership for Global Infrastructure and Investment

[40] Security and Growth for All in the Region

के साथ **छह विकास कॉरिडोर्स की परिकल्पना** की है:

- **न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर (NELBEC)**
- **चीन-मंगोलिया-रूस इकोनॉमिक कॉरिडोर (CMREC)**
- **चीन-सेंट्रल एशिया-वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर (CCWAEC)**
- **चीन-इंडोचाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर (CICPEC)**
- **बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर (BCIMEC)**
- **चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC)**

○ **21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड: यह चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, भारत, अरब प्रायद्वीप, सोमालिया, मिस्र और यूरोप से जोड़ता है। इसमें दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरूमध्य, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर शामिल हैं।**

BRI के विकल्प क्यों उभर रहे हैं?

- **खंडित प्रकृति:** बेल्ट एंड रोड एक **एकीकृत, सुसंगत रणनीति** नहीं है, इसके बजाय यह **विभिन्न शर्तों** पर किए गए **द्विपक्षीय समझौतों का एक खंडित संग्रह** है।
- **इसकी अपारदर्शी प्रकृति अविश्वास पैदा करती है:** चीन सरकार ने कभी भी बेल्ट एंड रोड के ऋणों के **आकार और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी** प्रकाशित नहीं की है। सूचनाओं का यह अभाव **भ्रम और अविश्वास उत्पन्न करता है।**
- **ऋण जाल की कूटनीति:**
  - श्रीलंका में **हंबनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट** जैसी परियोजनाओं से यह आरोप सामने आया था। श्रीलंका की सरकार इस परियोजना को वित्त पोषित करने वाले **चीन के ऋण को चुकाने में असमर्थ** थी। इस कारण, इस बंदरगाह को वर्ष **2017 में 99 साल के पट्टे पर चीन को** सौंप दिया गया।
  - AidData (एक अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान प्रयोगशाला) के अनुसार, 40 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के पास अब चीन के प्रति डेब्ट एक्सपोज़र का स्तर उनके राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक है।
    - डेब्ट एक्सपोज़र किसी अन्य देश या स्रोत से लिए गए ऋण के उस स्तर से जुड़ा होता है जिसे न चुकाने पर प्राप्तकर्ता देश की वित्तीय स्थिति खतरे में आ जाती है।
- **राजनीतिक प्रतिक्रिया:** BRI परियोजनाओं में सहायता अनुदान के बजाय **कम ब्याज वाले ऋणों** का उपयोग किया गया है। कुछ BRI निवेशों के लिए **बोली की प्रक्रिया अपारदर्शी** थी और इन निवेशों के लिए **चीन की फर्मों** का उपयोग आवश्यक था। परिणामस्वरूप, ठेकेदारों ने **लागत बढ़ा दी** जिससे **परियोजनाएं रद्द हो गईं और राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।**
  - वर्ष 2018 में, मलेशिया में **अत्यधिक मूल्य वाली BRI पहल** के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था।

- **कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण धीमी प्रगति:** एक रिपोर्ट के अनुसार, **BRI की 35% अवसंरचना परियोजनाओं** को कार्यान्वयन संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें **भ्रष्टाचार, श्रम कानूनों का उल्लंघन, पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक विरोध** आदि शामिल हैं।
- **पर्यावरणीय लागत:** पर्यावरण पर **गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव डालने** एवं **दीर्घकालिक सतत विकास** की प्रगति को खतरे में डालने के लिए BRI की आलोचना की गई है।

BRI के अन्य विकल्प क्या हैं?

- **यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे परियोजना:** इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2021 से 2027 के बीच **300 बिलियन यूरो** का निवेश **जुटाना** है, ताकि **चिरस्थायी वैश्विक सुधार** किया जा सके।
    - यह निवेश **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप** गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में **स्मार्ट निवेश** का समर्थन करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप **उच्चतम सामाजिक और पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।**
    - यह **डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और परिवहन में स्मार्ट, स्वच्छ और सुरक्षित संपर्कों** को बढ़ाने तथा विश्व भर में **स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों** को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय रणनीति है।
    - यूरोपीय संघ का **ग्लोबल गेटवे** अपने भागीदारों को **उचित और अनुकूल शर्तों** के तहत वित्तपोषण का सकारात्मक प्रस्ताव देता है। इसका उद्देश्य चीन के BRI के विपरीत **ऋण संकट के जोखिम को सीमित करना है।**

- **स्वच्छ हरित पहल (Clean Green Initiative):** इसे UK द्वारा COP26 में लांच किया गया था। इसमें विकासशील देशों हेतु अगले 5 सालों के लिए 3 बिलियन पाउंड से अधिक के जलवायु वित्तपोषण की व्यवस्था की गयी है। यह वित्तपोषण स्वच्छ ऊर्जा,परिवहन एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रकों में स्वच्छ और लचीली अवसंरचना के लिए किया जाएगा।
- **एशिया-अफ्रीका संवृद्धि गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor: AAGC):** यह वर्ष 2017 में भारत और जापान द्वारा किया गया एक और प्रयास है। इस द्विपक्षीय साझेदारी का लक्ष्य अफ्रीका में **गुणवत्तापूर्ण और सतत (सामाजिक और परिवहन संबंधी) अवसंरचनाओं, विकासात्मक परियोजनाओं और कनेक्टिविटी** को बढ़ाना है।
    - इसका उद्देश्य "स्वतंत्र और मुक्त" विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और **अफ्रीका में चीन के बढ़ते निवेश एवं प्रभाव का विकल्प प्रदान करना** भी है।

वैश्विक अवसंरचना में भारत के लिए अवसर

- **यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी:** हाल ही में, यूरोपीय संघ ने **भारत के साथ एक व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के लिए** अफ्रीका, मध्य एशिया और भारत-प्रशांत क्षेत्र में 'लचीली और संधारणीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं' को समर्थन देना है।
- **द्विपक्षीय सहभागिता:** चीन पर अविश्वास और BRI के तहत दिए गए ऋण के पीछे छुपे चीनी मंसूबे कई मौकों पर उजागर हो चुके हैं। इसके कारण पैदा हुए अवसर का भारत विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं में भागीदारी के माध्यम से लाभ उठा सकता है। ग़ौरतलब है कि इन देशों में पारंपरिक रूप से चीन और भारत दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- **नीति समन्वय में सुधार करना:** बड़े पैमाने पर, उच्च प्रभाव वाली ढांचागत विकास परियोजनाओं की योजना बनाना और उनका समर्थन करना। ऐसा नौकरशाही के जाल को सुव्यवस्थित करके और एकल-बिंदु प्रक्रियाओं का निर्माण करके किया जा सकता है।
- **परियोजनाओं की व्यवहार्यता में वृद्धि करना:** कोविड -19 के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए सीमा पार निवेश की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मज़बूत करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **पूंजी की कमी को दूर करना:** निजी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के वित्तपोषण मॉडल के उपयोग के द्वारा समान विचारधारा वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय **वित्तीय एकीकरण** को मज़बूत करना।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** लोगों का भरोसा और विश्वास हासिल करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करना। साथ ही इसके के ज़रिए लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

- बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर गतिशीलता और अन्य समाधानों की पेशकश तक और अधिक सेवाएं देने के लिए लंबी अवधि के दृष्टिकोण से घरेलू **क्षमताओं का निर्माण करना।**

5.3. रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस-यूक्रेन युद्ध पिछले 100 दिनों से अधिक समय से चल रहा है।

यूक्रेन और वर्तमान रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में

- रूस-यूक्रेन का संबंध **1700 के दशक के उत्तरार्ध से जुड़ा हुआ** है। इस अवधि में **कैथरीन द ग्रेट** द्वारा वर्तमान यूक्रेनी क्षेत्र को रूसी साम्राज्य के अधीन शामिल कर लिया गया था।
- **स्वायत्त अस्तित्व** की एक संक्षिप्त अवधि (वर्ष 1917-20) के बाद, यूक्रेन अंततः **सोवियत संघ** का हिस्सा बन गया।
- अंत में, **सोवियत संघ** के पतन **(वर्ष 1991)** के साथ ही इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
- वर्तमान युद्ध की जड़ें तीन बिंदुओं पर आधारित हैं, यथा-
  - **यूक्रेन द्वारा रूस** के साथ स्थापित सांस्कृतिक संबंधों को समाप्त करने का प्रयास,
  - **यूक्रेन के स्वायत्त अस्तित्व** की रक्षा करना और
  - रूस-नाटो के प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रों से बाहर होने के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ क्षेत्र में **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का बढ़ता प्रभाव।**

यूक्रेन और रूस की वर्तमान स्थिति

यूक्रेन का मत

- यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को शीघ्र एकीकृत करने के लिए रूस द्वारा गठित यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के समान, यूरोपीय संघ (EU) के साथ **एसोसिएशन एग्रीमेंट (AA)** में शामिल होने की आवश्यकता है।
  - इससे **डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (DCFTA)** के तहत वस्तुओं के व्यापार पर अधिकांश प्रशुल्कों को समाप्त करने में मदद मिलेगी तथा साथ ही यह यूक्रेन को यूरोपीय संघ की वैधानिक सदस्यता हेतु भी अवसर प्रदान करेगा।
- विशेषकर रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण (2014) के बाद, **उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सदस्यता** इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए आवश्यक है।

रूस का तर्क

- रूस के अनुसार यूक्रेन को सदस्य देश के रूप में **नाटो में शामिल नहीं** होना चाहिए।
- नाटो को वर्ष **1997 की स्थिति** अर्थात **नाटो-रसिया फाउंडिंग एक्ट**[41] पर हस्ताक्षर करने से पूर्व की स्थिति, को पुनः स्वीकार करना चाहिए। इसके तहत यह समझौता किया गया था कि इन क्षेत्रों में नाटो द्वारा सैनिकों को तैनात करने के लिए किसी नवीन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- **ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों** और रूसी पहचान प्राप्त लोगों को हाशिए पर जाने से रोका जाना चाहिए।

यूक्रेन में रूस के हित के कारण

- **यूक्रेन को नाटो का समर्थन:** रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल करने और इसे रूसी नियंत्रण से बाहर रखने के प्रयासों से खुश नहीं था। यूक्रेन रूस और नाटो के बीच एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है।

[41] NATO-Russia Founding Act

- **ऐतिहासिक संबंध:** रूस के यूक्रेन के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं।
- **रूसी डायस्पोरा:** रूस की शीर्ष चिंताओं में यूक्रेन में रहने वाले लगभग आठ मिलियन नृजातीय रूसियों का कल्याण है।
- **सुपर पावर की छवि:** यूक्रेन पर अपनी स्थायी पकड़ खोना और इसे पश्चिमी गुट में जाने देना, कई विद्वानों द्वारा रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े आघात के रूप में देखा गया है।

5.3.1. युद्ध के प्रति प्रतिक्रियाएं (Responses to the War)

रूस और यूक्रेन के बीच **भू-राजनीतिक तनाव** को समाप्त करने में **मिन्स्क समझौते** की विफलता वस्तुतः **स्थायी शांतिपूर्ण समाधान** की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व इस चुनौती का प्रत्युत्तर देने के संदर्भ में अधिक विभाजित रहा है।

प्रथम मिन्स्क समझौता (वर्ष 2014)

यह बेलारूस में हताक्षरित एक **12-सूत्रीय युद्ध विराम समझौता** है। इस पर रूस, यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE) तथा डोनेट्स्क और लुहान्स्क के रूस समर्थक नेतृत्व कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

द्वितीय मिन्स्क समझौता (वर्ष 2015)

- इसे **नॉरमैंडी फोर** के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रथम मिन्स्क समझौते की विफलता के बाद **फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस** द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
- इसके तहत मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए **13 सूत्री पैकेज की घोषणा** की गई थी।

पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) आदि द्वारा भी **रूस के खिलाफ प्रस्ताव** पारित किए गए हैं। साथ ही, भारत सहित अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए भी **प्रतिबंधों और कूटनीति का उपयोग** किया जा रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने सभी प्रस्तावों पर **मतदान न करने का निर्णय** लिया है (चित्र देखें)।
- ये सिद्धांत **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिद्धांतों के आधार** पर एक **सुरक्षित और स्थायी समाधान** की दिशा में कार्य करते हैं।
- भारत द्वारा किसी भी पक्ष की निंदा से दूर रहने और हथियार प्रदान करने की बजाय **मानवीय राहत और सहायता** प्रदान करने पर बल दिया गया रहा है। उदाहरण के लिए-
  - उदाहरण के लिए, भारत द्वारा यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान (90 टन वस्तु एवं आवश्यक सामग्री के रूप में) की गई है।
- यह वैश्विक उथल-पुथल के दौर में **रणनीतिक स्वायत्तता** और साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के महत्व को रेखांकित करता है।

भारत की प्रतिक्रिया के समक्ष चुनौतियां

- **रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना:** भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें से किसी एक देश का पक्ष लेने से दूसरे के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं।
  - हालांकि, भारत ने **पूर्वी यूरोप के सुदूर संघर्ष पर अपनी तटस्थता बनाए रखी है।** भारत सरकार ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर मतदान में भाग नहीं लिया था।**
- **रूस-चीन का और करीब आना:** रूस पहले से ही हिंद-प्रशांत अवधारणा और क्वाड को शीत युद्ध की गुटवादी राजनीति के पुनः उदय के रूप में देखता आ रहा है। वह इन्हें अपने एशिया-प्रशांत हितों के खिलाफ मानता है। यूक्रेन के साथ किसी भी संघर्ष और रूस-

पश्चिम संबंधों के टूटने के परिणामस्वरूप इस अवधारणा और मंच पर रूसी विरोध को मजबूती मिलेगी, जो भारत को अमेरिका के करीब जाने के लिए बाध्य करेगी।

- **रूस में भारत का निवेश:** रूस के ऊर्जा क्षेत्र और इसके सुदूर पूर्व के विकास की नीति में, भारत की योजनाएं सामान्य रूप से बाधित हो जाएंगी। यह जटिल अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए निजी क्षेत्र की अनिच्छा और स्विफ्ट से रूसी बैंकों के बहिष्कार के कारण होगा।
- **रूस के साथ हथियारों का व्यापार:** रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
  - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के अनुसार, रूस की **वर्ष 2017-21** के मध्य भारत के हथियारों के कुल आयात में **46%** की हिस्सेदारी रही है। ध्यातव्य है कि **वर्ष 2012-16 में यह योगदान 69% था।**

5.3.2. वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तन और भारत (Global Geopolitical Changes and India)

रूस-यूक्रेन युद्ध ने रूस के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी देशों की सनक को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रतिरोधी रणनीति के उपयोग ने विभिन्न राष्ट्रों को दो **भू-राजनीतिक गुटों** में विभाजित कर दिया है। हालांकि युद्धकारी स्थितियों में बढ़ोतरी होने पर, यह प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों की परिवर्तित गतिशीलता के साथ-साथ दुनिया भर में महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है।

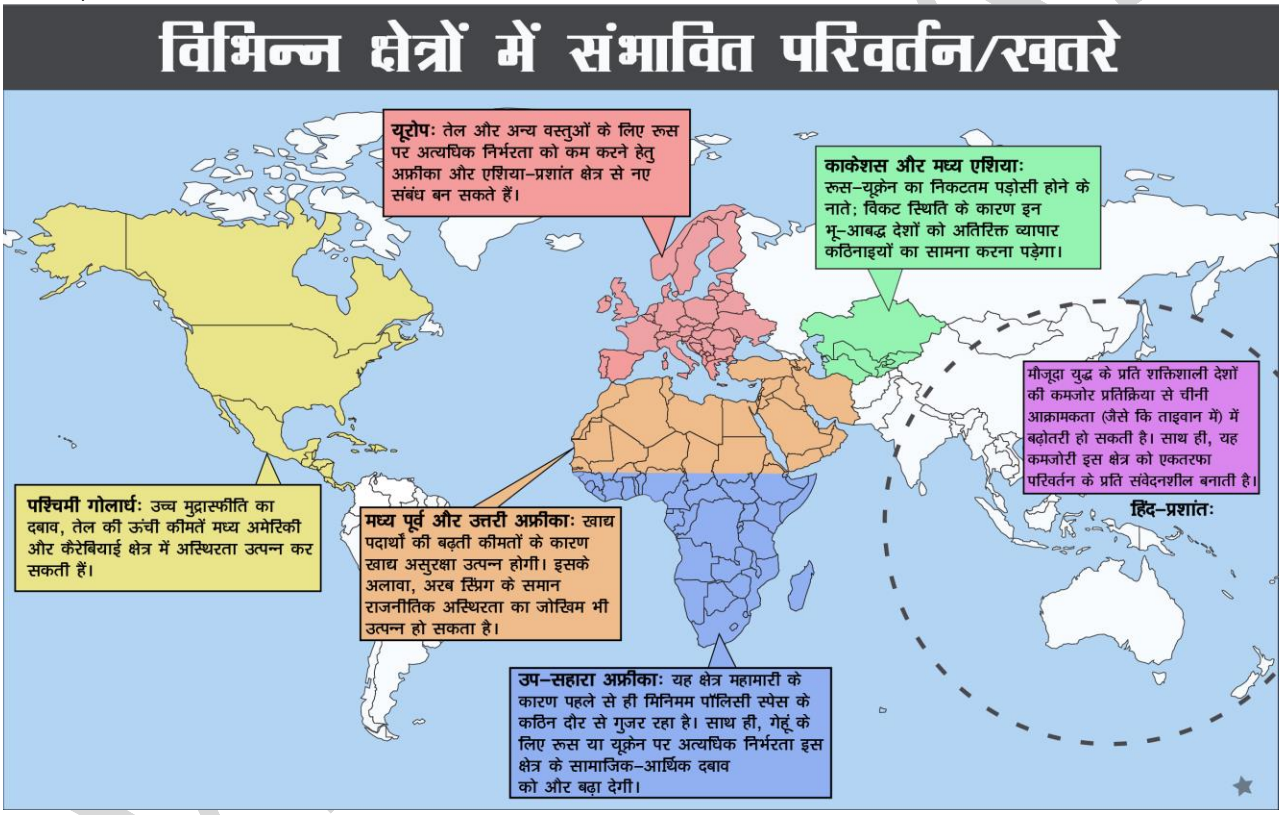

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण और प्रमुख शक्तियों के साथ इसके भू-राजनीतिक समीकरण

- **भारत का दृष्टिकोण:**
  - भारत ने अपने नीतिगत प्रसार को प्रभावी बनाने के लिए **रणनीतिक स्वायत्तता** के दृष्टिकोण को अपनाया है। उदाहरण के लिए-
    - **गुटीय राजनीति पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता** देने से भारत को रूस से रियायती दर पर तेल, उर्वरक और अन्य वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिली है।
    - **राजनयिक सक्रियता** ने भारत को मिशन मोड **(ऑपरेशन गंगा)** में 18 देशों से 22,500 से अधिक भारतीयों और विदेशी नागरिकों को निकालने में सहायता प्रदान की है।
  - परन्तु अधिकांश भावी परिदृश्य, **भू-राजनीतिक व्यावहारिकता** की निरंतरता और प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के **भू-राजनीतिक समीकरणों** पर निर्भर करता है। वर्तमान में, चीन को छोड़कर (भारत-चीन सीमा पर तनाव जैसे कारणों के चलते) लगभग अन्य सभी प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध बेहतर रहे हैं।

- **उभरते मतभेद:** लेकिन पृथक दृष्टिकोण के कारण मौजूदा यूक्रेन संकट का प्रभाव, पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए-
    - भारत के साथ **यूरोपीय संघ और ब्रिटेन** के संबंध मौजूदा व्यापार, जलवायु परिवर्तन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे समान हित के मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं। लेकिन **यूक्रेन संकट पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने के कारण अपेक्षाओं से संबंधित अंतराल में वृद्धि हुई है।**
    - **भारत-अमेरिका** साझेदारी वस्तुतः साझा हितों के आधार पर कई क्षेत्रों (हिंद-प्रशांत, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, ड्रग-तस्करी, साइबर स्पेस आदि) को कवर करने वाली एक **व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी** के रूप में स्थापित हुई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को रूस से दूर करने तथा साथ ही **रक्षा और तेल** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर केंद्रित करने की दिशा में प्रयासरत रहा है।
- **इन मतभेदों को समायोजित करने की इच्छा और गतिशीलता** पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के समीकरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, विशेषकर रूस के संदर्भ में जो वर्ष 1971 (शांति, मैत्री और सहयोग संधि के साथ) से भारत का एक परखा हुआ मित्र रहा है।

5.3.3. युद्ध के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact of War)

हालांकि परस्पर निर्भर आधुनिक विश्व में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को संपूर्ण विश्व में महसूस किया गया है। **भारत भी इसके महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से अछूता नहीं** रहा है तथा इन्हें प्रायः मौजूदा या भावी संबंधों में देखा जा सकता है जैसे:

- **तेल की कीमतें:** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक राष्ट्र रहा है।** ऐसे में तेल के मूल्य में **1 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि** वार्षिक आधार पर भारत के आयात बिल में **10,700 करोड़** रुपये की वृद्धि कर सकती है।

- **वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि भी** तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि का ही एक परिणाम रही है जो **भारत के विकास को नकारात्मक रूप प्रभावित करेगी** और जीवन की बढ़ती लागत तथा अन्य वृहत आर्थिक चरों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
- **गैस की कीमतें:** पिछले वर्ष पांच गुना वृद्धि के बाद अब इस वर्ष गैस की कीमतों में भी **50%** से अधिक की वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से भारत के आयात बिल और **चालू खाता घाटे** में वृद्धि हो सकती है।
- **कृषि:** रूस और यूक्रेन कुछ वस्तुओं के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता रहे हैं (चित्र देखें)। इसके अतिरिक्त, रूस की वैश्विक **नाइट्रोजन उर्वरक व्यापार में 15%** और वैश्विक **पोटाश उर्वरक व्यापार में 17%** की हिस्सेदारी रही है।
    - एक तरफ इसने भारत से गेहूं के निर्यात के नए अवसर उत्पन्न किए हैं वहीं दूसरी ओर इसने उर्वरक और **सूरजमुखी** के तेल की उपलब्धता को बाधित किया है क्योंकि भारत प्रत्येक वर्ष अपने कुल **1.9 मीट्रिक टन** आयात में से **1.4 मीट्रिक टन** हिस्सा यूक्रेन से आयात करता रहा है।
- **धातु:** रूस वस्तुतः टाइटेनियम, पैलेडियम, स्कैंडियम, अपरिष्कृत डायमंड आदि का एक प्रमुख उत्पादक रहा है। हालांकि युद्ध और प्रतिबंधों के कारण, यह भारत के **हीरा उद्योग** (आयात में कमी) और सेमीकंडक्टर उद्योग, **ऑटोमोबाइल कंपनियों** आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
- **निर्यात चिंताएं:** रूस और यूक्रेन भारतीय दवा उद्योग के प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे हैं। इसके अलावा, भारत के चाय निर्यात में 18% हिस्सेदारी रूस की रही है।

आगे की राह

"बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप जीना ही बौद्धिकता है।"

-तिरुवल्लुवर

भारत को सभी प्रमुख शक्तियों के साथ सर्वोत्तम संबंध बनाए रखने तथा मौजूदा **वैश्विक उथल-पुथल** के अनुरूप सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, निम्नलिखित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है-

- सतत विकास हेतु जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पुन: आकार प्रदान करके मुद्रास्फीति, व्यापार की बढ़ती लागत और व्यवधान से होने वाली **वित्तीय अस्थिरता के प्रबंधन हेतु प्रयास** करने चाहिए।
- एक मजबूत भू-राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए समग्र समृद्धि में सुधार करते हुए **सामाजिक प्रभावों पर नियंत्रण** स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- अपनी रक्षा और महत्वपूर्ण आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए **अन्य देशों पर निर्भरता को कम** करने अर्थात **आत्मनिर्भर भारत** के विचार को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए।

Source: UNCTAD calculations, based on 2020 data from United Nations Comtrade Database.
*Harmonized System codes are 1001 (wheat), 1003, (barley) 1005 (corn), 120510 (colza seeds) and 120600 and 151211 (sunflower seeds and oil).

- विभिन्न मंचों पर सभी प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर और वैश्विक संस्थानों को मजबूत करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि **शीत युद्ध की मानसिकता को समाप्त** करने की दिशा में कार्य किया जा सके।
- एक साझा और स्थायी कानूनी व्यवस्था तथा संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थापित किया जाना चाहिए।

5.4. विदेशी सैन्य अड्डे (Foreign Military Bases)

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिकी प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करने पर गुप्त चीनी सैन्य अड्डे के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। यह अड्डा अबू धाबी के एक बंदरगाह के पास बनाया जा रहा था।

विदेशी सैन्य अड्डों के बारे में:

- सैन्य अड्डा उन सैन्य संस्थापनों को कहा जाता है, जिनका निर्माण सैन्य संचालन और रसद आपूर्ति की सहायता के लिए किया जाता है।
    - विदेशी राज्यक्षेत्र पर सैन्य बलों के अड्डे बनाना उतनी ही पुरानी परिपाटी है, जितनी स्वयं युद्ध पद्धति। यह उन स्थानों पर बनाए जाते हैं, जिन्हें कोई बाहरी देश वहां के स्थानीय प्राधिकरणों से पट्टे पर लेता है या जिन स्थानों पर स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उस देश का साझा कब्ज़ा होता है।
- कब्ज़ा किए गए भू-भाग के आस-पास उठने वाले जोखिमों से निपटने के लिए सैन्य बलों को साधनों की आवश्यकता होती है। इन अड्डों का प्रयोग नियमित रूप से सैन्य कर्मियों को साधन और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है।
- विदेशी सैन्य अड्डे 100 से अधिक देशों या राज्यक्षेत्र की भूमि में या उनके आस-पास बनाए गए हैं।
    - वर्तमान में, अमेरिका के पास लगभग 1000 सैन्य अड्डों और संस्थापनों का विश्वव्यापी नेटवर्क है।
    - **ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस विदेशी भूमि पर भारत का सैन्य अड्डा है।**

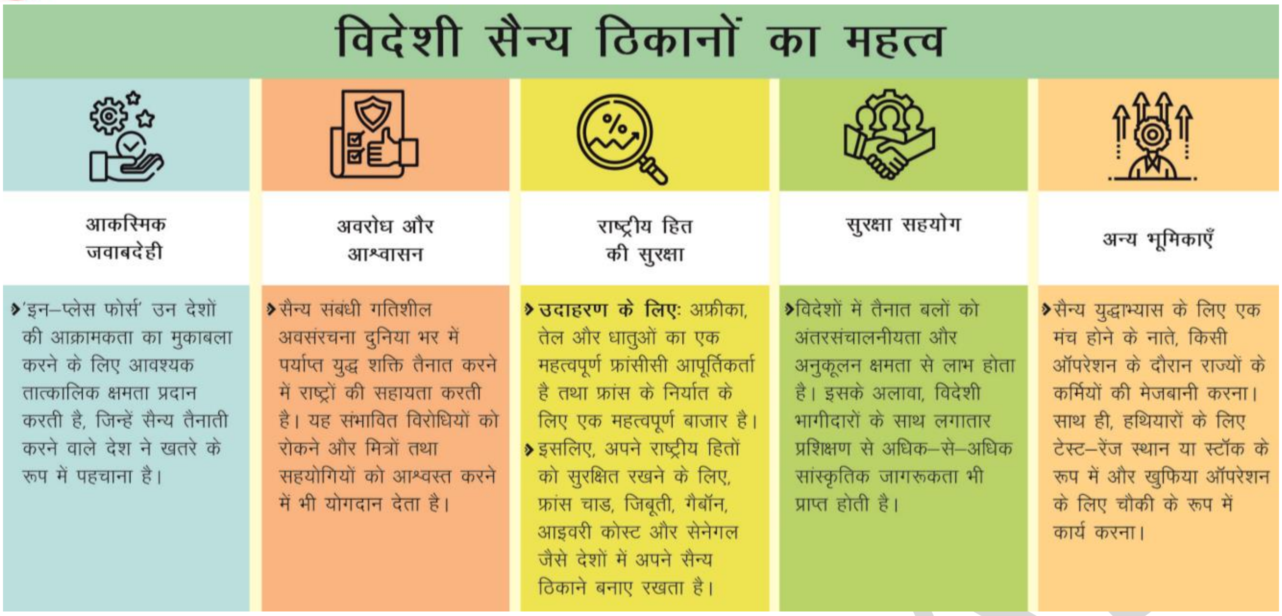

विदेशी सैन्य अड्डों को लेकर चिंताएं:

- **आर्थिक लागत:** बाहरी देशों में एक बड़े सैन्य बल को बनाए रखने का वित्तीय भार बहुत अधिक होता है। इतने बड़े स्तर पर सैन्य व्यय को न्यायसंगत सिद्ध करने की ज़रूरत के कारण इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए अफ़ग़ानिस्तान और ईरान में युद्धों के कारण अमेरिका को भारी खर्च उठाना पड़ा और इसने अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाने की पद्धति को जटिल कर दिया।
- **उभरती भू-राजनीतिक परिस्थितियों** के चलते और विशेष रूप से असफल राष्ट्रों, अल्पशासित देशों और क्षेत्रीय संघर्षों से संबंधित जोखिमों के संदर्भ में ऐसे अड्डों का विशद निरीक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है।
- **संचालन जोखिम:** कुछ विरोधी शक्तियों या उपकरणों के पास इन अड्डों और वहां तैनात सैन्य बलों को भारी नुकसान करने की क्षमता होगी (जैसे- लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड हथियार)।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** यदि विदेशी शक्तियों द्वारा अलोकप्रिय स्थानीय सरकार के साथ वार्ता करके समझौता किया जाता है, तो वहां की आबादी या अन्य राज्यों/देशों द्वारा विदेशियों की मौजूदगी को तानाशाही नीति के रूप में देखा जाएगा।
- **पर्यावरणीय मुद्दे:** रासायनिक या नाभिकीय हथियारों समेत अन्य हथियारों की टेस्टिंग से संदूषण या कोई दुर्घटना होने का खतरा रहता है।
- **आउटडेटेड भूमिका:** बढ़ते धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद और असममित खतरों के कारण प्रमुख जोखिमों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। जैसे: अपरंपरागत युद्ध, हथियारों तथा सामूहिक विनाश की प्रौद्योगिकियों के प्रसार का जोखिम आदि।

निष्कर्ष: नई वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों एवं रणनीतियों के परिदृश्य में विदेशी सैन्य अड्डे की प्रणाली बदल गई है। एशिया के कुछ विशिष्ट क्षेत्र चिंता का विषय बन रहे हैं, जिसके कारण वहां अड्डे स्थापित करने की प्रेरणा को मजबूती मिल रही है। इसलिए, विदेश में स्थित सैन्य संसाधनों को पुनः स्थापित करने की जरूरत है, ताकि पारंपरिक और नए कार्यों का बेहतर व अधिक प्रभावी तरीके से प्रदर्शन किया जा सके।

चीन के विदेशी सैन्य अड्डे

- चीन ने **वर्ष 2017 में हॉर्न ऑफ अफ़्रीका (पूर्वी अफ़्रीका) के जिबूती देश में अपना पहला सैन्य अड्डा स्थापित** किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि यह अपना दूसरा सैन्य अड्डा **कंबोडिया के रीम** में स्थापित करने वाला है।
- चीन का उद्देश्य विदेशी सैन्य अड्डों के माध्यम से अपने विदेशी निवेश को संरक्षित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर रही चुनौतियों का सामना करना भी है।

भारत पर प्रभाव

- चीन को मध्य-पूर्व से जोड़ने वाले जल मार्ग के किनारे पर 'फर्स्ट पर्ल ऑफ़ नेकलेस' का विकास हो रहा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को लगता है कि यह सैन्य गठबंधन तथा बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका की परिसंपत्तियों की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने के

VISION IAS

लिए चीन की रणनीति (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) का एक हिस्सा है।
  - 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' चीन की एक रणनीति है। इसके तहत वह विभिन्न देशों के आस-पास वाणिज्यिक और सैन्य अड्डों का नेटवर्क स्थापित कर रहा है।
- दक्षिण एशिया के समुद्री क्षेत्र में पीपल्स लिब्रेशन आर्मी नेवी (PLAN) की बढ़ती उपस्थिति, भारतीय नौसेना के श्रेष्ठ क्षेत्रीय दर्जे को चुनौती दे रही है।
- कराची या ग्वादर में चीनी युद्धपोतों की स्थायी तैनाती की संभावना भारत को संकट के समय में बल प्रयोग करने से रोकती है।

भारत की प्रतिक्रिया:
- **अन्य देशों के साथ सहयोग:** फ्रांस के साथ भारत के सैन्य संबंध (जिनमें परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौता भी शामिल है) भारत के सैन्य युद्धपोतों को जिबूती में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना:** जिबूती में चीन के विदेशी सैन्य अड्डे की प्रतिक्रिया के रूप में भारत सेशेल्स, ओमान और सिंगापुर में सैन्य सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
- **क्षमताओं में सुधार करना:** अंडमान द्वीप समूहों के पास चीनी निरीक्षण की बढ़ती गतिविधियों के प्रत्युत्तर में भारत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एकीकृत निरीक्षण नेटवर्क के विकास के लिए निवेश कर रहा है। चीनी नौसैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए भारत श्रीलंका, मालदीव और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में रडार स्टेशन बना रहा है।

5.5. उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था में भारत (India in the Emerging World Order)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया संकट के बीच, भारत की विदेश नीति के कुछ विशेषज्ञ नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ आए हैं। वे यह भी रेखांकित करेंगे कि भारत को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए।

बदलती हुई विश्व व्यवस्था के विभिन्न पहलू
- **विभिन्न शक्तियों का उदय:** वर्तमान में, विश्व कम संगठित तथा अल्प व्यवस्थित है। यह न तो एक-ध्रुवीय है, जैसा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद था और न ही बहुध्रुवीय है।
  - केवल चीन के उदय के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति में तुलनात्मक गिरावट नहीं हुई है, बल्कि एशिया में भारत, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका में नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती शक्तियों के उदय के कारण भी ऐसा हुआ है।
  - इसके अलावा, सत्ता के अन्य मौजूदा केंद्र भी हैं, जो महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य शक्ति से सज्जित हैं। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, यूरोपीय संघ आदि शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी:** कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का अभाव है। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अनुपस्थित है और बहुपक्षीय संस्थानों की व्यवस्था अप्रभावी है।
- **वैश्वीकरण से पीछे हटना:** क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी परिवर्तनों के कारण दुनिया भर में संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा व्यापार के क्षेत्रीयकरण में तेजी आई है। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकियों ने विनिर्माण क्षेत्र की सस्ते श्रम पर निर्भरता को बहुत हद तक कम कर दिया है। कुछ उद्योगों में 'देश के भीतर आउटसोर्सिंग' (Domestic Outsourcing) एक व्यवहार्य विकल्प बन गया है।
- **भू-राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्रों का स्थानांतरण:** चीन तथा अन्य राष्ट्रों का उदय हुआ है और चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी देखने को मिली है। इसने भू-राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्रों को अटलांटिक से एशिया में स्थानांतरित कर दिया है।
- **नए वैश्विक खतरे:** हम एक नए ध्रुवीकृत सूचना युग में प्रवेश कर रहे हैं और मानव युग (Anthropocene) के पारिस्थितिक संकटों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है।

इस दशक में, चीन को प्रतिसंतुलित करने वाली शक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना भारत के लिए एक **प्रमुख चुनौती** होगी। एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु इस विश्वसनीयता का लाभ उठाना होगा।

भारत के लिए अवसर

भारत के लिए आगे की राह **गुटनिरपेक्ष 2.0 के मुख्य रणनीतिक सिद्धांतों पर आधारित** है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं: **स्वतंत्र निर्णय, अपनी क्षमताओं का विकास करना तथा भारत के रूपांतरण के लिए एक न्यायसंगत और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना।** इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है:

VISION IAS

- **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का विस्तार करना:** भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण में भारत के लिए आदर्श स्थिति यह होगी कि उसके अमेरिका और चीन दोनों के साथ व्यक्तिगत रूप से बेहतर द्विपक्षीय संबंध हों। ये संबंध अमेरिका और चीन के आपसी संबंधों से बेहतर होने चाहिए।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा भागीदारी** भारत के रूपांतरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- ऊर्जा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में सहयोग को सक्षम कर सकती है। अन्य क्षेत्र जिनमें भारत और अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं: जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तकनीकी समाधान तथा डिजिटल सहयोग हैं।
- **मुद्दा-आधारित गठबंधन:** जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा जैसे व्यापक मुद्दों पर जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसी कई केंद्रीय शक्तियां भारत की स्वाभाविक भागीदार हैं। इसलिए, भारत के लिए उनके साथ मुद्दा-आधारित व्यापक गठबंधन करना संभव होगा।
- **समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** विशेषज्ञ साझेदार देशों के साथ बंगाल की खाड़ी पहल के अंतर्गत एक समुद्री आयोग के निर्माण का सुझाव देते हैं। इसके तहत समुद्री मार्गों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- **सार्क जैसे क्षेत्रीय संस्थानों को पुनर्जीवित करना,** जो भारत को उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र में समृद्धि तथा सुरक्षा दोनों का प्राथमिक स्रोत मानते हैं।
- **आत्मनिर्भरता:** भारत को एशिया में मौजूद आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और स्थानांतरण से लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा करने की इसकी क्षमता लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करेगी। इन चुनौतियों ने ही इसे वियतनाम या बांग्लादेश जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए कम आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

- **विदेश नीति को प्रभावित करने वाली घरेलू राजनीति की रोकथाम:** इस संदर्भ में, घरेलू नीतियां असमानताओं को कम करने वाली एवं समावेशिता को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। साथ ही, इन नीतियों में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारियों का निर्वहन शामिल होना चाहिए। साथ ही, यह महसूस करने की भी आवश्यकता है कि भारत का जन्मजात विश्वबंधुत्व इसकी असाधारण विविधता से ही निकला है।

निष्कर्ष:

विश्व में भारत के प्रभाव का मूल स्रोत उसकी मिसाल पेश करने की शक्ति है। यह चार स्तंभों पर टिकी हुई है: घरेलू आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक समावेशन, राजनीतिक लोकतंत्र और व्यापक रूप से उदार संवैधानिक व्यवस्था। यदि ये अभिन्न स्तंभ मजबूत बने रहें, तो आने वाले वर्षों में भारत अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बन सकता है।

5.5.1. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता**[42] तथा **वैश्विक कल्याण**[43] **के लिए भारतीय कूटनीति के पांच स्तंभों** को सूचीबद्ध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों के सृजन हेतु रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करने वाले **इन 5 स्तंभों में शामिल हैं:**

- **बहुध्रुवीय फोकस (Multipolar focus):** भारत ने नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट तथा थिंक वेस्ट की नीतियां अपनाई हैं। साथ ही, इनके प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनर्जीवित भी किया है।
- **सरकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल गुणक के रूप में कूटनीति (Diplomacy as an international force multiplier for the Government):** भारतीय कूटनीति को अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू भागीदारों के साथ कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ भी संबद्ध करना चाहिए।
- **वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनना (Force for global good):** यह स्तंभ **वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना** को कार्रवाई में सम्मिलित करना सुनिश्चित करता है।
    - उदाहरण के लिए, **वैक्सीन डिप्लोमेसी** के माध्यम से वैश्विक स्तर पर वैक्सीन आपूर्ति सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास।
- **भविष्यवादी दृष्टिकोण या भविष्य की ओर देखना (Futuristic Outlook):** यह सामान्य समस्याओं के समाधान की खोज में सम्मिलित होने संबंधी देश के प्रयत्नों सहित पुनर्संतुलन के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिए, विकास संबंधी आवश्यकताओं के बावजूद, भारत ने जलवायु कार्रवाई के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
- **विचार में भारतीय (Indian in thought):** भारतीय कूटनीति **कौटिल्य के अर्थशास्त्र या महाभारत तथा श्रीमद्भगवद्गीता** जैसे प्राचीन ग्रंथों द्वारा सदियों से प्रभावित भारतीय चिंतन से उत्पन्न सहिष्णुता से निर्देशित होती रही है। यहां भारतीय कूटनीति के तीन पहलू उल्लेखनीय हैं:
    - मध्य मार्ग की परंपरा;
    - मानव-केंद्रित वैश्वीकरण; तथा
    - **रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता।**

गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता (Non-Alignment & Strategic Autonomy)

- सामान्य तौर पर दोनों भिन्न-भिन्न हैं- एक है गुट से निरपेक्ष अर्थात् किसी गुट से संबद्धता नहीं (Non-Alignment), तो दूसरा है बहुगुटवाद अर्थात् कई गुटों/समूहों से संबद्धता (Multi-Alignments)। जहाँ पहला द्विध्रुवीय विश्व के दौरान अधिक प्रासंगिक था, वहीं दूसरा बहुध्रुवीय विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक में जहां भारत ने दक्षिण के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है, वहीं दूसरे में भारत कुछ चुनिंदा शक्तियों (वैश्विक दक्षिण और वर्तमान प्रमुख शक्ति केंद्रों दोनों) में से एक नेतृत्वकर्ता है।
- संक्षेप में, दोनों इस अर्थ में समान हैं कि दोनों यह मानते हैं कि भारत अन्य शक्तियों के आदेश पर नहीं, बल्कि गुणावगुण के आधार पर मुद्दों और संबंधों पर निर्णय करेगा। इस प्रकार रणनीतिक स्वायत्तता वस्तुतः मुद्दों पर आधारित गठबंधनों से संबंधित है।

रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता (Strategic Autonomy & Self-reliance)

- अतीत के विपरीत, आत्मनिर्भरता वर्तमान समय में विश्व से पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसका आशय **वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के आर्थिक योगदान में वृद्धि करने से है।**
- आत्मनिर्भरता भारत को सशक्त बनाने और इसकी **पूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता की शीघ्र प्राप्ति से** संबंधित है।
- जब आत्मनिर्भरता को विदेश नीति के ढांचे पर लागू किया जाता है, तो यह **"रणनीतिक स्वायत्तता"** की परिभाषा के निकट आ जाती है।

रणनीतिक स्वायत्तता क्या है?

- रणनीतिक स्वायत्तता **किसी राज्य द्वारा** अन्य राज्यों से किसी भी रीति से बाधित हुए बिना **अपने राष्ट्रीय हितों को साधने तथा अपनी अधिमानित विदेश नीति को अपनाने की क्षमता** को दर्शाती है।
- **भारत और रणनीतिक स्वायत्तता:**

[42] strategic autonomy

[43] global good

- वैश्वीकरण के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, रणनीतिक रूप से स्वायत्त होने की क्षमता निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्षिक है।
- इसके आधार पर भारत का रणनीतिक रूप से और भी कम स्वायत्त होना पूर्व निर्धारित है।
- **सुरक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे:** भारत, निहित लागत के निरपेक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर अपनी नीति परिवर्तित करने या अपने हितों को कमजोर करने संबंधी बाह्य दबाव का विरोध करता है।
  - उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा तथा परमाणु हथियार जैसे प्रमुख राष्ट्रीय हित।
- **सुरक्षा संबंधी गैर-प्रमुख मुद्दे:** भारत बाह्य दबाव के अंतर्गत गैर-प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर अपनी नीति में बदलाव कर सकता है या अपने हित को उदार बना सकता है, यदि अधिमान्य नीति अथवा हित से व्युत्पन्न लाभ संबद्ध लागतों से अनुपातिक रूप से उच्च हों।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में **ईरान के विरुद्ध मतदान करने का भारत का निर्णय।**

रणनीतिक स्वायत्तता का विकास

प्रथम चरण (1947–62): आशावादी गुटनिरपेक्षता

- द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक द्विध्रुवीय विश्व में, **भारत का उद्देश्य अपनी संप्रभुता को कमजोर होने देने से बचाना, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और अपनी अखंडता को सुदृढ़ करना था।**
- एक न्यायसम्मत विश्व व्यवस्था के अनुसरण में, भारत ने **गुटनिरपेक्ष आंदोलन** (NAM) (वर्ष 1961) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञातव्य है कि इसने **तृतीय विश्व की एकजुटता के चरम** को चिन्हित किया था।

दूसरा चरण (1962–71): यथार्थवाद और पुनर्प्राप्ति का दशक

- वर्ष 1962 के युद्धोपरांत, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गुटनिरपेक्षता से परे जाकर **सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों पर व्यावहारिक विकल्पों** का चुनाव किया।
- हालांकि, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की ओर से कश्मीर मामले पर पर बाह्य दबाव (ताशकंद समझौता, 1965) का सामना करना पड़ा था।
- **ताशकंद समझौते** के बावजूद, कश्मीर में पाकिस्तान की आक्रामकता जारी थी (क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक सहयोगी था), **इसलिए भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर होने लगा था।**

तीसरा चरण (1971–91): वृहत्तर भारतीय क्षेत्रीय हित

- भारत ने वर्ष 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में **बांग्लादेश को मुक्त कराने** के दौरान अपनी हार्ड पावर का उल्लेखनीय उपयोग प्रदर्शित किया था।
- हालांकि, अमेरिका–चीन–पाकिस्तान धुरी और वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षणों के कारण अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के चलते यह एक जटिल चरण था। साथ ही, सोवियत संघ के उत्तरवर्ती विघटन ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की संभावनाओं के समक्ष गंभीर खतरे उत्पन्न कर दिए थे।

चौथा चरण (1991–98): रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा

- **एकध्रुवीय विश्व (संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में)** के उदय ने भारत को विश्व मामलों के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- रणनीतिक स्वायत्तता की यह खोज विशेष रूप से अपने परमाणु हथियार विकल्प (पोखरण II 1998) को सुरक्षित रखने पर केंद्रित थी। साथ ही, भारत अमेरिका, इज़रायल तथा आसियान (ASEAN) देशों को और अधिक गहनता से जोड़ने के लिए अग्रसरित हुआ।

पांचवां चरण (1998–2013): एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में भारत

- इस अवधि में, भारत ने क्रमिक रूप से एक संतुलनकारी शक्ति (चीन के उदय के विरुद्ध) के गुणों को अर्जित कर लिया था।
- यह भारत–अमेरिका परमाणु समझौते (123 समझौते) में परिलक्षित हुआ। साथ ही, भारत जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दे पर चीन के साथ साझा हित सुनिश्चित करने तथा ब्रिक्स को एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में परिवर्तित करते हुए रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करने में सफल रहा।

छठा चरण (2013 से अब तक): ऊर्जावान संलग्नता

- संक्रमणकालीन भू–राजनीति के इस चरण में, भारत की **गुटनिरपेक्षता की नीति बहु–गुटवाद में परिवर्तित हो गई है।**
- हिंद महासागर क्षेत्र [सागर (SAGAR) पहल और **विस्तारित पड़ोस (एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं थिंक वेस्ट पॉलिसी)** के प्रति अपने दृष्टिकोण के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया से परे स्वयं को स्थापित करने में सक्षम रहा है।

रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता

- **भू-रणनीतिक संतुलन:** भारत ने सदैव विभिन्न समूहों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि इनमें वे समूह भी शामिल हैं, जो अन्य को शत्रु या प्रतिस्पर्धी मानते हैं।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और इज़रायल के साथ सुदृढ संबंधों की स्थापना के अनुसरण सहित भारत के ईरान के साथ भी समवर्ती राजनयिक संबंध हैं। ज्ञातव्य है कि ये सभी ईरान को एक बहिष्कृत राष्ट्र मानते हैं।
- **बहुगुटवाद (Multi-alignment) की आवश्यकता:** वर्तमान विश्व जटिल अन्योन्याश्रितता की विशेषता से युक्त है (जहां विभिन्न देश भू-रणनीतिक मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि भू-आर्थिक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं) और इसलिए भारतीय विदेश नीति को **रणनीतिक प्रतिरक्षा** की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए, रणनीतिक स्वायत्तता के कारण भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामरिक रक्षा संबंध बनाए रखे हैं। साथ ही, वह रूस के साथ S-400 के समझौते को भी आगे बढ़ाने का इच्छुक है।
- **नीति में अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता:** भारत को यह ज्ञात हो गया है कि देश के हितों के संरक्षण हेतु केवल सॉफ्ट पावर कूटनीति ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए, भारतीय विदेश **नीति में यथार्थवाद के साथ-साथ व्यावहारिकता की भी आवश्यकता है।**

- उदाहरणार्थ, पाकिस्तान और चीन के प्रयोजनों (भारत-पाक युद्ध 1948 और चीन-भारत युद्ध 1962) के संबंध में भारत की प्रारंभिक भ्रांतिपूर्ण व्याख्या के कारण गिलगित-बाल्टिस्तान एवं कश्मीर का कुछ हिस्सा तथा अक्साई चिन क्षेत्र अब क्रमशः पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियां

- **शत्रुतापूर्ण पड़ोसी:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का अनुसरण करने के लिए आवश्यक है कि कोई अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा या शत्रुतापूर्ण पड़ोसी न हो।
    - भारत के मामले में, चीन-भारत के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान सीमा भी अत्यधिक लंबी, पर्वतीय तथा विवादित है। इसके अतिरिक्त, ये दोनों ही पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से युक्त राष्ट्र हैं।
- **पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता:** वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी, पूंजी, बाजार, कौशल, रक्षा उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग तथा वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु, महत्वपूर्ण या संवेदनशील तकनीक केवल रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने की कीमत पर ही प्राप्त होती है।
- **अमेरिकी अविश्वसनीयता:** भारत के साझेदार देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध अधिकांशतः रणनीतिक स्वायत्तता की नीति से समझौता करने का कारण बनते हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ईरान के साथ उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (NSTC)[44] अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों से संबंधित धमकियों के कारण अवरुद्ध है, जो अफगानिस्तान के प्रति भारतीय नीति को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। हाल ही में, हिंद महासागर में तथाकथित **"फ्रीडम ऑफ़ नेविगेशन (नौ-परिवहन की स्वतंत्रता)" ऑपरेशन (FONOP)** के दौरान अमेरिका द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अप्रत्याशित उल्लंघन भी एक अन्य उदाहरण है।
- **रूस-चीन-पाकिस्तान धुरी का उदय:** हाल के वर्षों में **रूस-चीन-पाकिस्तान (RCP)** रणनीतिक धुरी ने वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया है। इसके कारण भारत के लिए संतुलनकारी व्यवहार करना कठिन हो गया है।
    - उदाहरण के लिए, रूस ने पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में 14 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। इसमें **उत्तर-दक्षिण (तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान - पाकिस्तान - इंडिया: तापी/TAPI) पाइपलाइन परियोजना** के लिए 2.5 अरब डॉलर की सहायता राशि भी शामिल है।
- **दक्षिण-एशिया में चीन का प्रभुत्व:** वर्ष 1971 से एक अन्य परिवर्तन यह भी हुआ है कि चीन ने भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध (मुख्य रूप से आर्थिक स्तर पर) विकसित किए हैं।
    - इसलिए, भूटान के अतिरिक्त भारत के अन्य निकटतम पड़ोसी आमतौर पर भारत को शक्तिशाली मानते हैं तथा चीन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं।

आगे की राह

- **स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का उपयोग एक स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हेतु भारत के रणनीतिक दायरे तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे नई दिल्ली को अपने हितों के संवर्धन तथा उनका संरक्षण करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करने के लिए अधिकतम लचीलापन और गतिशीलता प्राप्त होगी।
- **मुद्दे आधारित गुटवाद:** गुटनिरपेक्ष आधारित अतीत से स्वयं को मुक्त करते हुए, भारत को **विचारधारा** के स्थान पर **"मुद्दों पर आधारित गुटवाद"** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे **"निर्णायक स्वायत्तता"** बनी रहे।
- **चीन के विकास को संतुलित करना:** चीन के प्रति रणनीतिक स्वायत्तता का तर्क, भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुदृढ़ सुरक्षा साझेदारी करने के लिए प्रेरित करता है।
    - आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में साझा हित रखने वाले देशों (जो पूर्ण रूप से चीन से बंधे हुए नहीं हैं) के व्यापक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न स्वरूपों का अन्वेषण कर रहा है।
- **रक्षा स्वदेशीकरण:** भारत अपनी रक्षा आवश्यकता के लिए कई विदेशी प्रतिभागियों (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि) पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय हित के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इतना ही नहीं रक्षा स्वदेशीकरण, विशेषतः चीन को प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

निष्कर्षतः भू-राजनीतिक परिवर्तन के इस चरण में भारत को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करने के दृष्टिकोण का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसलिए **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास** विदेश नीति में भी प्रासंगिक है। कुछ अर्थों में, भारत में गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता की ओर समकालीन संक्रमण केवल एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में वास्तविकता को अपनाने का एक प्रयास है। **आत्मनिर्भर भारत** की तर्ज पर, भारत को अपने हितों को सुरक्षित रखने और अपनी वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए।

[44] North-South Transport Corridor

VISION IAS

5.6. सॉफ्ट पावर कूटनीति (Soft Power Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में भारत को **36वां** स्थान मिला है।

सॉफ्ट पावर के बारे में

- **सॉफ्ट पावर** विदेश नीति का एक उपकरण है। इसे **1990 के दशक में जोसेफ न्ये ने** प्रस्तुत किया था। यह किसी देश की ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से वह **अन्य देशों से बिना बल व दबाव के अपनी इच्छानुरूप कार्य करवा सकता है।**
- व्यवहार में, इसका सद्भावना को बढ़ावा देने और साझेदारी को मजबूत करने के लिए सीमाओं के पार अपने **मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृति** को पेश करने वाले देशों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- सॉफ्ट पावर आमतौर पर सरकार के बाहर स्कूलों, धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ समूहों जैसे स्थानों में उत्पन्न होती है। **यह संगीत, खेल, मीडिया आदि के माध्यम से भी निर्मित होती है।**

सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति
भारत का दीर्घकालिक इतिहास, संस्कृति और सभ्यता
विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की उपस्थिति
योग और ध्यान
संगीत, नृत्य, कला और वास्तुकला
बॉलीवुड
भारतीय व्यंजन
अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) के रूप में प्रवासी भारतीय

5.6.1. सॉफ्ट पावर के साधन के रूप में डायस्पोरा (Diaspora as soft power tool)

प्रवासी भारतीय – एक नज़र में

प्रवासी भारतीय, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवास करने वाले लोगों और उनके वंशजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। प्रवासी भारतीयों में 'अनिवासी भारतीय नागरिक' (NRI) और 'दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर चुके भारतीय मूल के व्यक्ति' (PIO) शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 'इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स' के अनुसार, दुनिया में निवास करने वाले प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या (1.8 करोड़) भारत के प्रवासियों की है।

भारत के प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में निवास करती है। अन्य गंतव्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

वर्ष 2021 में भारत में विप्रेषण (रेमिटेंस) प्रवाह 87 बिलियन डॉलर था। यह दुनिया में सर्वाधिक है।

प्रवासी समुदाय का महत्व

- **आर्थिक:** विप्रेषण (रेमिटेंस) का प्रवाह **चालू खाते को संतुलित करने में** मदद करता है। प्रवासी श्रमिक भारत में महत्वपूर्ण सूचनाओं और प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को आसान बनाते हैं। कम कुशल श्रमिकों का प्रवास (विशेषकर पश्चिम एशिया में) भारत में **प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने में मदद** करता है।
- **डायस्पोरा डिप्लोमेसी** भारत की **सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है।** उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता कराने में प्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **पार-राष्ट्रीय उद्यमिता:** प्रवासी भारतीय, भारत में व्यापार और निवेश के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं।
- **अनुभवों का प्रचार और प्रसार:** प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार किया है। उदाहरण: योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन आदि।
- **मेजबान/गंतव्य देश का विकास:** उदाहरण के लिए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली, भारतीयों की सफलता को दर्शाती है।

प्रवासियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय

- एक समर्पित **अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय** स्थापित किया गया है।
- प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है।
- **'भारत को जानो' कार्यक्रम** भारतीय मूल के युवाओं (18–30 वर्ष) को उनकी भारतीय जन्मभूमि और समकालीन भारत से परिचित करवाता है।
- ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम; यह योजना प्रवासी भारतीय नागरिकों(OCI) को कुछ विषयों में नागरिकों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। इसके अंतर्गत अनेक बार प्रवेश (मल्टी-एंट्री), बहुउद्देशीय (मल्टीपल) और आजीवन (लाइफ टाइम) वीजा दिया जाता है।
- **स्वर्ण प्रवास योजना–** विदेशों में भारतीय कामगारों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई गई है।
- भारत सरकार ने कई अन्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में नए दूतावास खोले गए हैं।

प्रवासी भारतीयों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **पश्चिम एशिया:**
  - शेल गैस की कीमतों में उछाल से तेल की कीमतों में गिरावट, धीमी वैश्विक वृद्धि और फिलीपींस के कुशल श्रमिकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीयों के लिए नौकरियों में कटौती हुई है।
  - शिया–सुन्नी टकराव के कारण संघर्ष और अस्थिरता बढ़ रही है। कट्टरपंथी इस्लामवाद से भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित हुई है।
  - कफाला श्रम प्रणाली शोषणकारी है।
  - निताकत कानून; इसका उद्देश्य सऊदी अरब में विदेशी श्रमिकों के एक बड़े वर्ग की जगह स्थानीय लोगों को रोजगार देना है।
- **यू.एस.ए., कनाडा और यू.के.:**
  - अमेरिका में भेदभावपूर्ण व्यवहार, संरक्षणवाद और H-1B वीजा के कठोर मानदंड
  - ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद वीजा नियमों में संशोधन।
  - दोहरी नागरिकता की मांग
- **कोविड–19 के कारण उत्पन्न चुनौतियां:**
  - प्रवासी श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, वेतन की हानि और मेजबान/ स्थानीय समुदाय की नकारात्मक प्रतिक्रिया।
- **सामान्य आर्थिक मुद्दे:**
  - अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, काम करने की प्रतिकूल स्थिति, वेतन संबंधी मुद्दे, चिकित्सा और बीमा संबंधी समस्याएं आदि।

आगे की राह

- मेजबान/गंतव्य देशों के साथ एक **मानक श्रम निर्यात समझौते** पर बातचीत की जानी चाहिए।
- विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा हमारे विदेशी कामगारों की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।
- हमारे **विदेशी कामगारों के सामने आने वाले जोखिमों को कवर करने वाली अनिवार्य बीमा योजनाएं** शुरु की जानी चाहिए।
- **दूसरी पीढ़ी के PIO व्यक्तियों के लिए पर्यटन को बढ़ावा** देने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- NRI/PIO द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।
- NRI/PIO से निवेश आकर्षित करने के लिए **इजरायल बॉण्ड की तर्ज पर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड** जारी करना।

प्रवासी भारतीय समुदाय देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। इस सेतु की सफलता प्रवासी भारतीयों की क्षमता पर निर्भर करती है। इस क्षमता का उपयोग करके वे देश की एक सुसंगत, आंतरिक रूप से प्रेरित और प्रगतिशील पहचान स्थापित और प्रसारित कर सकते हैं। इससे स्थायी, सहयोगात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के लिए अनुकूल स्थितियां और संस्थान स्थापित करने में मदद मिलेगी।

5.6.2. सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म (Religion As Soft Power Tool)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह** में एक प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को **मंगोलिया** ले जाया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये चार अवशेष, **22 बुद्ध अवशेषों से संबद्ध हैं।** ये अवशेष वर्तमान में **दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं।**
- इन्हें **'कपिलवस्तु अवशेष'** के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे बिहार के एक ऐसे स्थान से हैं, जिसे **कपिलवस्तु नामक प्राचीन शहर माना जाता है।**
- **बुद्ध के अवशेषों को एक दूसरे के देशों में प्रदर्शित** करना बौद्ध संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछली बार बुद्ध के अवशेष देश से बाहर **वर्ष 2013 में श्रीलंका** भेजे गए थे।

सॉफ्ट पावर के बारे में

- इसे 1980 के दशक के अंत में जोसेफ न्ये (Joseph Nye) ने प्रतिपादित किया था। "सॉफ्ट पावर" पद किसी देश की ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से वह अन्य देशों से बिना बल व दबाव के अपनी इच्छानुरूप कार्य करवा सकता है।
- व्यवहार में, यह देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने और साझेदारी को मजबूत करने के लिए सीमाओं के पार अपने मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति को पेश करने पर बल देती है।
- सॉफ्ट पावर आमतौर पर सरकार के बाहर स्कूलों, धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ समूहों जैसे स्थानों में उत्पन्न होती है। यह संगीत, खेल, मीडिया आदि के माध्यम से भी प्रभावी होती है।

- यह भारत के लिए **'सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म' को अपनाने का अवसर** प्रदर्शित करता है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म' के संदर्भ में भारत की क्षमता

- **भारत की धार्मिक विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है:** भारत भाग्यशाली है कि दुनिया के **सभी प्रमुख धर्म यहां पर हैं। चार धर्मों की स्थापना यहां पर हुई है:** हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। **चार धर्म बाहर से आए हैं:** पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम।
- **विभिन्न धार्मिक स्थलों की मौजूदगी:** भारत में विभिन्न धर्मों के महत्व के कई स्थल हैं, जैसे:
  - हिंदू धर्म के स्थल जैसे- वाराणसी, तिरुपति, मदुरै आदि।
  - बौद्ध धर्म के स्थल, जैसे- बोधगया, सारनाथ और नालंदा।
  - दक्षिण भारत में ऐतिहासिक **चर्च और सिनेगॉग।**
  - **सूफी संतों** जैसे- मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया **की दरगाह** आदि।

बौद्ध धर्म और भारत

भारत इस तथ्य के बावजूद कि भारत में निम्नलिखित कारणों से बौद्धों की अपेक्षाकृत कम आबादी है, फिर भी **बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने की वैधता का दावा करता है-**

- **बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई,** इसलिए इस तथ्य ने भारत को विलक्षण ऐतिहासिक वैधता प्रदान की है।
- बोधगया, सारनाथ और नालंदा जैसे **बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण स्थल भारत में स्थित हैं।**
- भारत ने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद और दलाई लामा को आश्रय के माध्यम से **बौद्ध धर्म के उत्पीड़ितों का रक्षक होने की छवि** विकसित की है।
- **थेरवाद बौद्ध धर्म के साथ ऐतिहासिक संबंधों** का अर्थ यह है कि भारत अन्य बौद्ध देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और इस आस्था की कई धाराओं के बीच संवाद स्थापित कराने की अच्छी स्थिति में है।

- **भारत की नीति में इसकी भूमिका:** भारत की **'लुक ईस्ट पॉलिसी'** बौद्ध धर्म के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए बनाई गई है।
  - **सम्राट अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म और राज्य कूटनीति के बीच संबंध रहे हैं।** इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद **धर्म विजय की प्रथा** शुरू की थी।
- **धार्मिक कूटनीति, भारत की परंपरा का अभिन्न अंग रही है:** "वसुधैव कुटुम्बकम" का सिद्धांत महा उपनिषद में निहित है।
  - **अशोक ने बौद्ध मिशनरियों** को सीलोन, मिस्र, मैसेडोनिया, तिब्बत आदि जैसे दूरदराज के स्थानों पर भेजा था।
  - स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया था। इस संबोधन ने भारत (विशेष रूप से इसकी संस्कृति और परंपराओं के लिए) बहुत आवश्यक मान्यता तथा सम्मान को अर्जित किया था।
- **भारतीय उपमहाद्वीप के लिए धर्म एक सामंजस्यपूर्ण बंधन है:** भारत के विभिन्न धर्म इसे सभी पड़ोसी देशों से जोड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार, धर्म दक्षिण एशिया को उसकी विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

हाल के उदाहरण, जहां भारत ने एक सॉफ्ट पावर के रूप में धर्म कूटनीति का प्रदर्शन किया

- **सम्मेलनों का आयोजन:** उदाहरण के लिए, वर्ष 2011 में भारत ने **बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति** की 2,600वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए **वैश्विक बौद्ध मण्डली**[45] **की मेजबानी की थी।**
- **वैश्विक नेताओं द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा:** वर्ष 2015 में, **जापान के प्रधान मंत्री को बनारस** आमंत्रित किया गया था, जहां **हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म** के भी धार्मिक स्थल स्थित हैं।
  - सिंगापुर दौरे के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री ने **देवी मरिअम्मन मंदिर और बुद्ध के दंत अवशेष मंदिर का दौरा किया था।**
- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:** पर्यटन मंत्रालय ऐसे कई पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा दे रहा है, जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर हैं।
  - उदाहरण के लिए **बौद्ध पर्यटन सर्किट**, जिसमें नेपाल के विभिन्न स्थलों जैसे **लुंबिनी और कपिलवस्तु** की यात्राएं भी शामिल हैं।
- **OIC की सदस्यता:** भारत ने **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की सदस्यता** की इस आधार पर मांग की है कि उसके यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी अधिवासित है।

सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के रूप में योग

- योग भारत की **सबसे सफल और लोकप्रिय** सॉफ्ट पॉवर कूटनीति हो सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा **21 जून** को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकृति दी गई है। यह **भारत की सॉफ्ट पावर** की प्रमुख पहचान की वैश्विक मान्यता है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पैरवी की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के संकल्प हेतु महासभा में 175 सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा।
- वर्ष 2015 में मध्य एशियाई सर्किट पर **तुर्कमेनिस्तान** की यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री को राजधानी **अशगाबात** में एक पारंपरिक चिकित्सा और योग केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था।
- योग उद्योग में अभी भी भारतीय लोगों का बहुत अधिक वर्चस्व है और योग में प्रामाणिक प्रशिक्षण अभी भी केवल भारत में ही दिया जाता है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म की सीमाएं/संबंधित चिंताएं

- **धार्मिक पर्यटन में खराब प्रदर्शन:** हालांकि, वर्तमान में दुनिया के आठ सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से सात भारत में स्थित हैं, लेकिन ये वैश्विक बौद्ध पर्यटन का 1% से भी कम हिस्सा प्राप्त करते हैं।
  - **थाईलैंड और इंडोनेशिया** जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इस तरह के **पर्यटकों के प्रमुख गंतव्य स्थान हैं।**
- **घरेलू नीतियां:** नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला, जैसे- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आदि ने धार्मिक तनाव पैदा कर दिया है। ये पहलें वैश्विक स्तर पर धार्मिक सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने हेतु भारत के प्रयासों को बाधित कर सकती हैं।
- **चीन एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहा है:** चीन अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के आधार पर बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है। तथ्य यह है कि चीन में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ी बौद्ध आबादी निवास करती है।
  - यह अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं के माध्यम से बौद्ध आबादी वाले देशों को आकर्षित करने के लिए **विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है, जैसे- नेपाल में लुंबिनी परियोजना।**
- **भारत की संस्कृति को प्रचारित करने के प्रयासों में संरचनात्मक खामियां:** भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगभग कई देशों में स्थित **'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (ICCR)**[46] के केंद्रों का प्रदर्शन सुस्त रहा है।
  - ये केंद्र अभी भी अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ रणनीतिक तथा बढ़ते संबंधों की अनदेखी करते हुए केवल प्रवासियों (जैसे- कैरेबियन, दक्षिण अफ्रीका आदि) पर लक्षित हैं।

'सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में धर्म' को मजबूत करने के उपाय

- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:** धार्मिक पर्यटन के लिए एक अनुकूल पारितंत्र के पोषण के लिए व्यवस्था के **तत्वों के बीच बेहतर समन्वय** की आवश्यकता है।
  - उत्पाद में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी और उत्पादों के रचनात्मक प्रचार तथा विपणन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण अंतर्गामी पर्यटन के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने में मदद कर सकता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट राष्ट्रीय और राज्य दोनों सीमाओं को पार करता है। भारत में पर्यटन **राज्य सूची का विषय** है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय (प्रांत आदि) स्तर पर वार्ता व समन्वय के विभिन्न स्तर होने चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर का प्रसार तटस्थ होना चाहिए:** हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करते समय हमारे हितों का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट पावर का उपयोग करना एक विरोधाभास को उत्पन्न कर सकता है और यह प्रतिकूल भी हो सकता है।

---

[45] Global Buddhist Congregation

[46] Indian Council for Cultural Relations

VISION IAS

- **अन्य:**
    - **नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना का प्रभावी पुनरुद्धार** करना चाहिए। साथ ही, देश भर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए।
    - **सिविल सोसाइटी** को स्थानीय लोगों में **जागरूकता का प्रसार करने में मदद** करने की आवश्यकता है। यह प्रसार विरासत जागरूकता और संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।

5.6.3. खेल कूटनीति (Sports Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खेल, पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय उद्देश्यों को मूर्त स्वरुप देने में जीवंत क्षेत्र और साधन के रूप विकसित हुआ है और खेल कूटनीति का प्रभाव वैश्विक होता है।

विदेश नीति के सॉफ्ट पॉवर उपकरण के रूप में खेल

- खेल एक **वैश्विक राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थान** है। यह भाषाई, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैश्विक सीमाओं के भेदों से परे है और विभिन्न देशों को एक मंच पर संगठित होने का मौका देता है। यह लोगों के बीच एकता और अखंडता के आयाम पर ज़ोर देता है।
- खेल-कूटनीति, जन कूटनीति के व्यापक आयाम का एक हिस्सा है। इसमें खेल से जुड़े लोगों और खेल आयोजनों द्वारा **विदेशी जनता और संगठनों के बीच एक अनुकूल छवि बनाने, सूचित करने और सृजित करने के लिए प्रतिनिधिक और कूटनीतिक गतिविधियाँ शामिल** हैं, ताकि उनकी धारणाओं को इस तरह से आकार दिया जा सके जो (अधिक) सरकार की विदेश नीति के लक्ष्यों को सम्प्रेषित के लिए अनुकूल हो।

> **भारत और खेल कूटनीति**
>
> - आज़ादी से ही भारत खेल कूटनीति के पक्ष में रहा है और इसे अपनी विदेश नीति को दर्शाने और विभिन्न विवादों का निपटान करने के उपकरण के रूप में प्रयोग करता रहा है।
> - **क्रिकेट:** क्रिकेट भारतीय खेलों की ताकत है और दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास में क्रिकेट कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान है।
>   - भारत-पाकिस्तान के जटिल संबंधों में क्रिकेट मैचों का उपयोग दोनों देशों के बीच तनावों को कम करने और राजनीतिक संकेत के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2008 के मुंबई हमलों के ध्रुवीकरण के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों को, 2011 के क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल ने थोड़ा सहज कर दिया था।
>   - वहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से बार-बार इनकार किया है।
>   - वर्ष 2008 में **इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)** बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यह भारत की 'सॉफ्ट पॉवर' का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य स्रोत साबित हुआ है।
>   - LTTE संघर्ष के दौरान **भारतीयों ने श्रीलंका में क्रिकेट का बहिष्कार किया** था।
> - **टेनिस:** भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति (Apartheid Policy) के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ हो रहे **डेविस कप (टेनिस) के फ़िनाले का भी बहिष्कार किया।**

- **खिलाड़ियों को अक्सर शांति और सामंजस्य के अग्र-दूत के रूप में देखा** जाता है। इसलिए, खेल एक पारस्परिक साहचर्य की स्थापना करता है, जो बड़े राजनीतिक मुद्दों का निपटान करने में भी मदद करता है।

खेल कूटनीति की कमियां और आलोचनाएं

खेल कूटनीति पर दुनिया भर में कई गंभीर निहितार्थों वाले आरोप लगाए जा रहे हैं:

- **राजनीतिक अवसरवाद:** राजनीतिक दल अपने समर्थकों को लुभाने के लिए युद्धरत देशों में कई खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। खेल आयोजनों पर अनुचित प्रतिबंध के द्वारा कुशल खिलाड़ियों की भागीदारी को हतोत्साहित कर दर्शकों के साथ विश्वासघात किया जाता है और टूर्नामेंट का अवमूल्यन किया जाता है।
    - उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के कारण अमेरिका ने 1980 में मास्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया।
- **विश्वास निर्माण की कमी:** मीडिया और जनता की चकाचौंध में आयोजित राजनयिक बैठकें "सुदृढ़ कूटनीति" के लिए अभिशाप है। "सुदृढ़ कूटनीति" के तहत विश्वास पैदा करने और संबंध निर्माण के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है।
- **खेल केवल अस्थायी रूप से ही समाज में विभाजन को रोकने में सफल हो सकता है।**

> **खेल कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)**
>
> IOC दो चरम प्रतिकूल व्यवहार का प्रदर्शन करता है। एक ओर इसकी दुनिया भर में सराहना होती है तो दूसरी ओर इसे संदेहास्पद नजरिये से भी देखा जाता है IOC की एक **अलोकतांत्रिक, अनिर्वाचित निकाय है और निम्नलिखित वजहों से इसकी अक्सर आलोचना की जाती है:**
>
> - **उन देशों को भी मान्यता देना जिन्हें अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है।** उदाहरण के लिए- पूर्वी जर्मनी और

कोसोवो को मान्यता देना।

- **एक संप्रभु देश को खेल के नाम पर यह सलाह देना कि उसे क्या करना है,** उदाहरण के लिए- जब कोई देश ओलंपिक आयोजन की मेजबानी करना चाहता है, तो उसे IOC द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों का अनुपालन करना होता है जिसमें श्रम और कराधान नियम को समायोजित करने के लिए कानूनी बुनियादी ढांचे को बदलना शामिल है।

हालाँकि, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया बनाने के दर्शन का प्रसार करना है। तदनुसार, **IOC भी सामाजिक कारणों के लिए अपने पक्ष की वकालत करने के लिए समय-समय पर खड़ा हुआ है:**

- अतीत में, जो राष्ट्र युद्ध जैसी स्थिति में थे या मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे, उन्हें खेलों से बहिष्कृत कर दिया गया था।
    - उदाहरण के लिए, 1948 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण **जर्मनी और जापान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रूस को 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था** क्योंकि उसे राज्य प्रायोजित डोपिंग का दोषी पाया गया था।

निष्कर्ष

दुनिया भर की सरकारों को यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि खेलों का आयोजन खेल भावना के साथ किया जाता है, तो यह टकराव और दूरियों को कम करने में एक महान सहायक साधन बन सकता है।

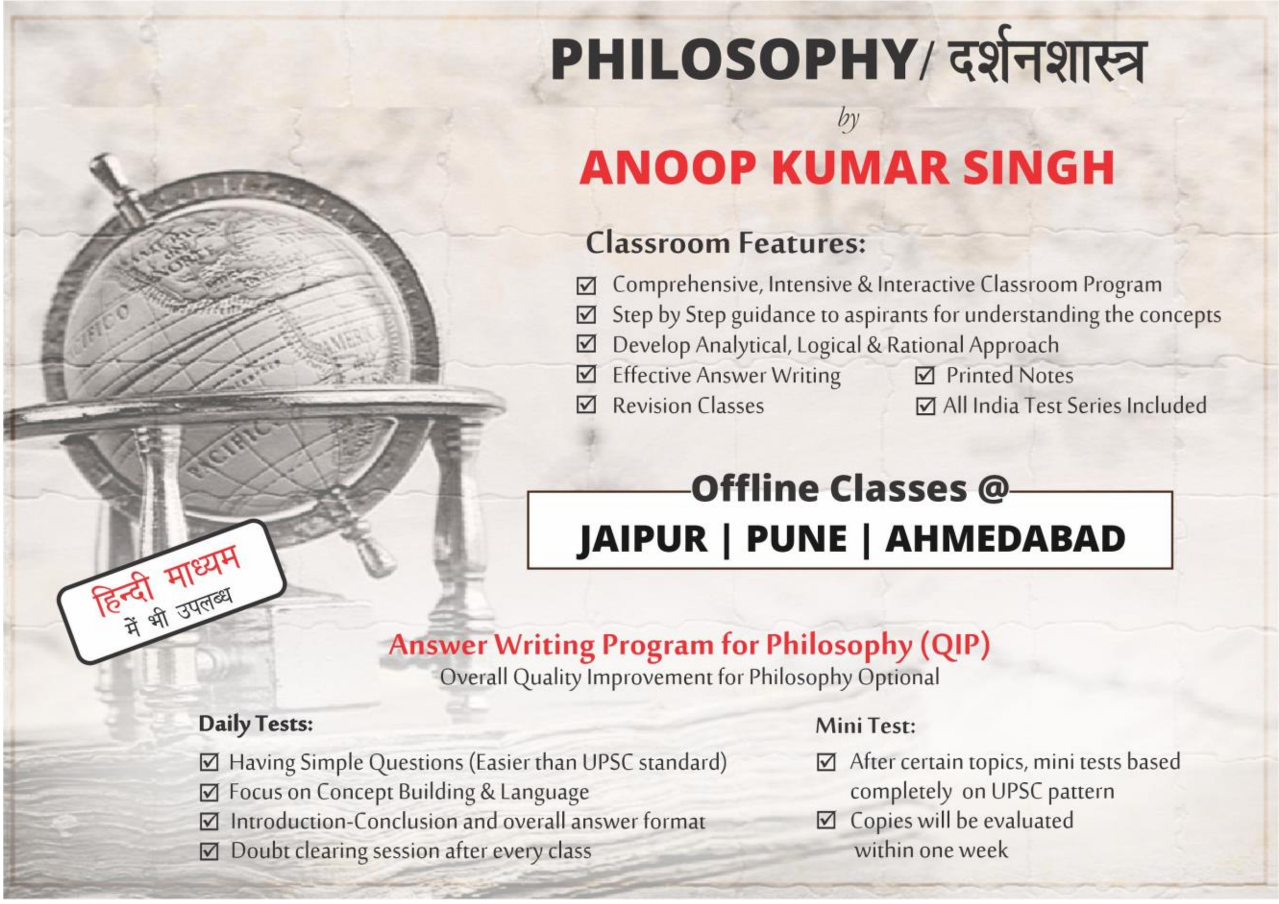

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. भारत एवं बहुपक्षीय विकास बैंक (India and Multilateral Development Banks)

भारत और बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) – एक नज़र में

भारत प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंकों का सदस्य रहा है। इनमे मुख्य रूप से विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), एशियाई विकास बैंक (ADB), न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) इत्यादि शामिल हैं। हाल ही में, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में इसके व्यापक सदस्यता विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को इसके नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

- बहुपक्षीय विकास बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान और कम लागत वाले ऋण जारी करना है।
- IMF द्वारा 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन कोविड के प्रभाव को कम करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है।
- वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, बहुपक्षीय विकास बैंकों ने चलनिधि संकट को दूर करने के लिए लगभग 222 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्रदान किया था।

भारत के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों का महत्व

- ये बैंक **बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यावरणीय संधारणीयता जैसी पूंजी गहन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए विकासशील** देशों की सहायता करते हैं।
- ये वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण के लिए भारत को IMF से अनेक नीति-आधारित ऋण प्राप्त हुए। इन ऋणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस-कोटा-परमिट (LQP) राज से उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG) की ओर बढ़ने में मदद की।
- **कम क्रेडिट रेटिंग के कारण हुए नुकसान पर काबू पाना:** MDBs विकासशील देशों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से धन उधार लेते हैं।
- क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रियाओं के समन्वय में सहायता करते हैं।
- ये नए, तेजी से बढ़ते बाजारों के माध्यम से निवेशकों और व्यापार जगत के दिग्गजों को अपने विस्तार में मदद करते हैं।

बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को लेकर भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं

- **विकसित देशों का प्रभुत्व:** IMF और विश्व बैंक जैसे **MDBs पर ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) का वर्चस्व है। साथ ही, इनके प्रशासन/प्रबंधन में ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) का प्रतिनिधित्व कम है।**
- **शर्तों का अधिरोपण:** कुछ फंडिंग एजेंसियों द्वारा अनेक मामलों में जैसे उपकरणों की सोर्सिंग, विशेष शर्तें लगाई गई हैं। साथ ही, इनके द्वारा ऐसी भी विशेष शर्तें लगाई गई हैं जो संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और घरेलू उद्योगों के हितों को हानि पहुंचाती हैं।
- **सहायता का उद्देश्य:** बहुपक्षीय विकास बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के रूप में व्यवहार करने के लिए आलोचना की जाती है। इसका कारण उनके द्वारा परिणाम देने की बजाय विकासशील देशों में पूंजी स्थानांतरित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना है।
- निजी वित्तपोषण को कम करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** बहुपक्षीय विकास बैंक मुख्य रूप से स्व-नियामक ढांचे द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें कोई बाहरी निरीक्षण नहीं होता है।

आगे की राह: बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को अधिक समावेशी, प्रतिनिध्यात्मक और विकासात्मक बनाना

- **कोविड-19 के बाद सहायता प्रदान करना:** कोविड-19 महामारी के बाद, बहुपक्षीय विकास बैंक वित्तीय संकट से उबरने हेतु विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण और क्षमता आधारित समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगे।
- विश्व बैंक और IMF द्वारा सभी के लिए एक ही दृष्टिकोणों (one size fit for all approach) नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही, **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शर्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त** किया जाना चाहिए।
- इन बैंकों के आंतरिक प्रशासनिक कानूनों में बदलाव करना चाहिए। साथ ही, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इन बैंकों को **बाहरी निरीक्षण** के अधीन लाया जाना चाहिए।
- समावेशी और प्रतिनिध्यात्मक शासन संरचना के लिए विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए **विश्व बैंक और IMF में प्रशासन संबंधी सुधार** लागू किए जाने चाहिए।
- विकल्पों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना चाहिए।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों को **स्थानीय बाजारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।** साथ ही, विकासशील देशों में आत्मनिर्भरता को विकसित करना चाहिए। जिससे कि, विश्व महामारी से प्रतिरोधी क्षमता के साथ और स्थायी तरीके से उबर सके।

बहुपक्षीय विकास बैंकों का मॉडल विकास की चुनौतियों, जैसे कि बढ़ती आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन के समाधानों के समन्वय में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है। बहुपक्षीय विकास बैंकों को नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुकूल होना चाहिए।

6.2. भारत के विकास सहयोग (India's Development Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत कई दशकों से भारत के विकास सहयोग प्रयासों की प्रभावशीलता में सुधार करना एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत के विकास सहयोग की रूपरेखा को आकार देने के लिए भारत द्वारा प्रथम प्रयास, वर्ष 2003 में **भारत विकास पहल (IDI)**[48] की घोषणा के साथ किया गया था।
- इसके बाद, क्रेडिट लाइन प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 में **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS)**[49] शुरू की गई थी।
- वर्ष 2007 में, सरकार ने IDI को निलंबित कर दिया था और **भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (IIDCA)**[50] की स्थापना की घोषणा की गई थी। ज्ञातव्य है कि IIDCA को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है।
- भारत के विकास सहयोग को समर्थन प्रदान करने के लिए एक दृढ़ संस्थागत आधार का स्पष्ट अभाव रहा है।
- अपने निकटतम पड़ोसियों से आगे बढ़ कर, भारत को अपने हितों के साथ स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते समय सतत विकास एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए एक स्पष्ट विज़न की आवश्यकता है।
    - इसे प्राप्त करने के लिए, विकास सहयोग पर मौजूदा संस्थागत ढांचों में सुधारों पर बल देने की तुरंत आवश्यकता है।

विकास सहयोग में भारत द्वारा किए गए प्रयास

- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)[47] कार्यक्रम:** यह भारत की एक क्षमता-निर्माण पहल है। इसका गठन वर्ष 1964 में किया गया था और वर्ष 2015 तक यह विकास सहयोग के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है।
- **इंडिया एड मिशन (IAM):** इसे वर्ष 1952 में नेपाल में आरंभ किया गया था।
- **न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज (NEST) प्रभाग:** इसकी स्थापना आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर विदेशों के साथ सहकार्यता की सुविधा के लिए की गई है। साथ ही, बेहतर सहयोग के लिए भौगोलिक प्रभागों की भी स्थापना की जा रही है।
- **इथियोपिया** में, भारत ने यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच के लिए पैकेजिंग की सहायता के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म तथा उनके प्रसंस्करण के लिए तकनीक और बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाई है।
- भारत अफ्रीका और एशिया में कई साझेदार देशों के विकासात्मक प्रयासों का समर्थन करता रहा है।

भारत का विकास सहयोग

- विकासात्मक सहयोग का भारतीय मॉडल व्यापक है। इसमें अनुदान-सहायता, ऋण और क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता सहित कई उपकरण शामिल हैं।
    - साझेदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर भारत का विकास सहयोग **वाणिज्य से लेकर संस्कृति, ऊर्जा से लेकर इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य से आवास, आईटी से बुनियादी ढांचा, विज्ञान से खेल, आपदा राहत से लेकर मानवीय सहायता** और सांस्कृतिक संपत्तियों एवं विरासतों के संरक्षण तक विस्तृत है।
- वर्तमान में, भारत के विकास सहयोग का उद्देश्य मोटे तौर पर **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC)**[51] ढांचे पर आधारित हैं। यह ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग का एक उपकरण है।
- हालांकि, भारत की 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन पर विचार करते हुए इसके लिए आवंटन, भारत के **कुल बजट के 1% से भी कम** है। परन्तु अन्य उच्च-आय वाले देशों की तुलना में यह महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया (2.8 बिलियन डॉलर, जी.डी.पी.का 0.22 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (जीडीपी का 0.15 प्रतिशत) और ऑस्ट्रिया (जी.डी.पी. का 0.27 प्रतिशत)।
- विदेश मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित **विकास साझेदारी प्रशासन (DPA)**[52], भारत की विकास भागीदारी के समग्र प्रबंधन, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत की सहायता अन्य विकासशील देशों के लिए कई गुना बढ़ गई है।

[47] Indian Technical and Economic Cooperation

[48] India Development Initiative

[49] Indian Development and Economic Assistance Scheme

[50] India International Development Cooperation Agency

[51] South-South cooperation

[52] Development Partnership Administration

VISION

- औसतन, **आधिकारिक विकास सहायता (ODA)** के रूप में एक वर्ष में भारत 6.48 बिलियन डॉलर की विकास सहायता प्रदान करता है और 6.09 बिलियन डॉलर की विकास सहायता मुख्य साझेदारों से प्राप्त करता है।
  - ODA में, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता या आपदा ग्रस्त देश की मदद के लिए, **एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करना** शामिल होता है।

भारत के लिए विकास सहयोग एजेंसी की आवश्यकता

- **भू-राजनीति में विकास:** भविष्य की आर्थिक-कूटनीतिक एजेंसियों को नए भू-राजनीतिक आयामों से स्थापित करना होगा, जो वर्ष 1955 के **बांडुंग सम्मेलन** के प्रभाव से आगे निकल सकें। ज्ञातव्य है कि इस सम्मेलन ने औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक युग में एशिया एवं अफ्रीका के बीच सहयोग चैनल स्थापित किए थे।
- **महामारी के बाद के अवसर:** कोरोना महामारी के बाद, विश्व भर के देश अपने विकास सहयोग प्रयासों को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज रहे हैं। यह, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उच्च आर्थिक संवृद्धि एवं बढ़ते व्यापार तथा निवेश प्रवाह के बाद, विकास सहयोग की बढ़ती संभावनाओं के अनुकूल है।
- **द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना:** भारत का विकास सहयोग मांग-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। इसमें साझेदार देशों के विकास के उद्देश्यों की पूर्ति, निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के लक्ष्यों के साथ समन्वय स्थापित करती है।
- **प्रभावी उत्तरदायित्व और मूल्यांकन ढांचा:** जैसे-जैसे भारत का विकास सहयोग बढ़ेगा, व्यय भी सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगा। इसके लिए एक प्रभावी जवाबदेही और मूल्यांकन ढांचे की आवश्यकता होगी। भारत के वर्तमान विकास सहयोग ढांचे के विषय में सार्वजनिक प्रक्षेत्र में जानकारी की सीमित उपलब्धता की, नीति विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है।
  - यह अपारदर्शिता निगरानी और मूल्यांकन को कठिन बना देती है तथा विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न करती है।

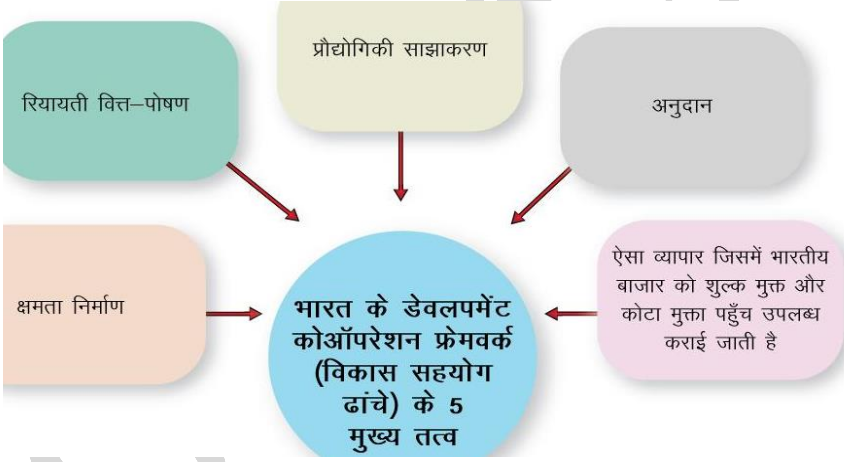

आगे की राह

- **स्वतंत्र विकास साझेदारी एजेंसी:** इस प्रस्तावित नई इकाई को बेहतर वितरण, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करनी चाहिए,
  - **बेहतर वितरण, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को संबोधित करना।**
  - **नए अभिकर्ताओं के साथ जुड़ना** चाहिए, विशेष रूप से नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र से।
  - **बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित भारतीय सामाजिक उद्यमों** को अन्य देशों में भी व्यावहारिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।
  - **भारत और अन्य देशों के बीच विकास साझेदारी को सुगम** बनाना चाहिए।
  - **प्राकृतिक आपदाओं** (नेपाल), राजनीतिक और मानवीय संकटों (मालदीव व अफगानिस्तान) तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे (केन्या एवं मेडागास्कर) के निर्माण में **साझेदार देशों को सहयोग प्रदान** करना चाहिए।
- **भारत का विकास सहयोग अधिनियम, 2022:** भारत के आगामी विकास सहयोग अधिनियम को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वैश्विक संकट का समाधान करने की दिशा में एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने का विचार भारत के राष्ट्रहित में है।
- **वित्तीय विकास प्रणाली की पुनर्संरचना:** यह उचित समय है कि भारत गहन और प्रभावी संलग्नता तथा तेजी से विकसित हो रहे नए प्रतिस्पर्धी विकास वित्तपोषण परिदृश्य को संबोधित करने हेतु अपनी वित्तीय विकास प्रणाली का पुनर्गठन करे।
- **अपने स्वयं के कार्यक्रमों से सीखना:** भारत का अपना विकास अनुभव जे.ए.एम. (जनधन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी, आयुष्मान भारत आदि जैसे कार्यक्रमों और गति शक्ति जैसी अन्य पहलों के साथ विकसित हो रहा है। इनकी सीखों को पोर्टफोलियो में समाहित करना चाहिए, ताकि उन्हें अन्य विकासशील देशों के साथ साझा किया जा सके।

वीकली फोकस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार	वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 पूरे हो गए। ऐसे में बहुपक्षवाद (मल्टी-लैटरलिज़्म) के बने रहने के लिए इसमें सुधार अपरिहार्य हो गया है। वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और राजनितिक परिदृश्य में अन्य देशों के साथ-साथ भारत भी UNSC में सुधार के लिए आगे आया है। यद्यपि, भारत को विश्व के कई देशों का अपार समर्थन प्राप्त है, तथापि इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।	
भारत और चीन के आर्थिक संबंध	भारत-चीन संबंधों में सीमा विवाद से लेकर बहुपक्षीय स्तर पर असहमति तक हमेशा कोई न कोई मुद्दा मौजूद रहा है। साथ ही, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। हालांकि, भारत-चीन आर्थिक, व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के आलोक में चीन विरोधी भावनाओं के परिणामों के विश्लेषण की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक जुड़ाव और आत्मनिर्भर भारत को अपनाने के बीच संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है।	
वैश्वीकरण: अंत या रूपांतरण की ओर?	यह सही है कि राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि, वैश्वीकरण समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि यह केवल रूपांतरित हो रहा है। प्रौद्योगिकी, भू-राजनीति, पर्यावरण और समाज में जारी प्रमुख बदलावों के संयोजन से वैश्वीकरण के एक नए चरण का जन्म हो रहा है। इसे वैश्वीकरण 4.0 कहा जा रहा है। इसका प्रक्षेपवक्र बड़े पैमाने पर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी, कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय जैसे कई स्तरों पर गवर्नेंस इन परिवर्तनों के अनुकूल है या नहीं। इस नए युग में वैश्वीकरण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे शासन ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए सभी हितधारकों के बीच गहन जुड़ाव और उनके बीच मजबूत एवं निरंतर संपर्क के साथ उच्च कल्पनाशीलता की आवश्यकता होगी।	
कोविड-19 और विश्व व्यवस्था	द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया अपने सबसे चुनौतीपूर्ण संकट से गुजर रही है। सभी पहलुओं को देखा जाए, तो कोविड-19 नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में एक कदम होगा। हालांकि, वर्तमान में, कोविड-19 के बाद की विश्व व्यवस्था के आकार, स्वरूप या सार को समझना कठिन है, लेकिन यह निश्चित रूप से महामारी के पैमाने और तीव्रता और इसे रोकने वाले राष्ट्रों की क्षमता पर निर्भर करेगा। महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण बना रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महामारी के आर्थिक नतीजे समान रूप से वितरित किए जाएं। इससे किसी एक देश को वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी के प्रभावों का अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा।	

भारत और हिंद-प्रशांत	एक नए भौगोलिक खंड के रूप में हिंद-प्रशांत का उदय इक्कीसवीं सदी की नई रणनीतिक वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए, हिंद-प्रशांत भारत की विदेश नीति संबंधी गतिविधियों में एक नया प्रक्षेत्र है। यह लेख तेजी से विकसित हो रहे भू-सामरिक परिवेश की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत के विशिष्ट भूगोल, हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित भूमिका से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है। यह भारत के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा करता है।	
क्षेत्रीय संपर्क: इस महत्वपूर्ण क्षेत्र (ग्रेट गेम) में भारत की भूमिका	राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने से लेकर लाभकारी आर्थिक संघों को बढ़ावा देने तक, हाल के वर्षों में **'कनेक्टिविटी' (या संपर्क)** एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, कोई अन्य क्षेत्रीय शक्ति भारत की भांति अपने निकटतम पड़ोस से असंबद्ध नहीं है। भारत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा करते हुए, इस लेख में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हेतु भारत के नवीन दृष्टिकोण के प्रमुख चालकों और अब तक प्राप्त की गई प्रगति की समीक्षा की गयी है। इसमें व्याप्त चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तुकार के रूप में रूपांतरित होने की आवश्यकता होगी।	
जबरन विस्थापन: एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती	प्रति वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन, उत्पीड़न और प्राकृतिक खतरों के कारण अपना मूल-निवास स्थान छोड़ने को विवश होते हैं। यह इस बात पर पहले से कहीं अधिक बल देता है कि स्थायी समाधान किए जाने तक आंतरिक रूप से विस्थापित और शरण चाहने वाले संपूर्ण विश्व के शरणार्थियों के उचित रूप से संरक्षण और देखभाल के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास किए जाएं। यह दस्तावेज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन विस्थापन की प्रवृत्तियों, देशों में इसके व्यापक प्रभाव, इससे निपटने के लिए किए गए प्रयासों का एक विश्लेषण प्रदान करता है। साथ ही, यह इन लंबित मुद्दों को प्रबंधित करने के विकल्पों पर भी सुझाव देता है।	
पैराडिप्लोमेसी: विदेश नीति के विकेन्द्रीकरण के गुण और दोष	उप-राज्य सरकारों द्वारा संचालित पैराडिप्लोमेसी, क्षेत्रीय सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख अभिकर्ता बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का विचार प्रस्तुत करती है। इस दस्तावेज़ में भारत में उप-राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे की जांच करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, प्रमुख और आवश्यक विकल्पों के निर्धारण का एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप-राज्य इकाइयों की कार्यवाहियों से उत्पन्न संभावित चुनौतियों का परीक्षण किया गया है।	
लोकतंत्र का विश्लेषण: उद्भव से लेकर लोकतंत्र के समक्ष खतरे और पुनरुद्धार तक	दुनिया भर में, लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिंता बढ़ रही है, और व्यवहार में लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है, इस पर भी काफी असंतोष व्याप्त है। आइए हम इस दस्तावेज़ के माध्यम से मूल प्रश्न पर वापस जाएं कि लोकतंत्र क्या है और यह कैसे अस्तित्व में आया। क्या लोकतंत्र अब भी सरकार का लोकप्रिय रूप है और यदि हाँ, तो विश्व के नेता और हम नागरिक के रूप में इसकी रक्षा और मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं?	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2021 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 8 चयन

from various programs of ***Vision Ias***

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

2 AIR

ANKITA AGARWAL

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR
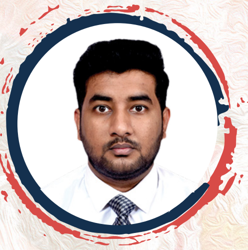
AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

दिल्ली

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

जयपुर	हैदराबाद	पुणे	अहमदाबाद	लखनऊ	चंडीगढ़	गुवाहटी
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC